लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 8 अगस्त, 1997/ 17 श्रावण, 1919 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	अंतिम	श्री बासुदेव आचार्य	श्री बसु देव आचार्य
विषय सूची (iii)	11	48 क	74 क
271	10	श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़	2858-श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़
301	31-32	कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उत्तर प्रदेश में हिंसा उत्पन्न करने का प्रयत्न	उत्तर प्रदेश में कथित रूप से कुछ तत्वों द्वारा हिंसा किए जाने के प्रयास के बारे में
341	8	श्री जी-ए- रेड्डी (निजमाबाद)	श्री जी-ए-चरण रेड्डी (निजामाबाद)
342	25	(अनुच्छेद 239 क- का में संशोधन)	(अनुच्छेद 239 क में संशोधन)
370	30	श्री बी-एस- रामूवालिया	श्री बलवंत सिंह रामूवालिया

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)

अंक 13, शुक्रवार, 8 अगस्त, 1997/17 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कॉलम
स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 243 और 245 से 246	2-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 244 और 247 से 260	26-47
अतारांकित प्रश्न संख्या 2650 से 2879	47-290
सभा पटल पर रखे गए पत्र	290-297
याचिका का प्रस्तुतीकरण	297
सभा का कार्य	297-301
उत्तर प्रदेश में कथित रूप से कुछ तत्वों द्वारा हिंसा किए जाने के प्रयास के बारे में	301-321
नियम 193 के अधीन चर्चा	321-337
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त गंगाराम गीते	322-325
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	325-327
श्री महेन्द्र सिंह भाटी	327-331
श्री सी॰ नारायण स्वामी	332-334
श्री राम कृपाल यादव	334-336
श्री राम बहादुर सिंह	336
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	337-338
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित	338-343
(एक) गुजरात उच्च न्यायालय (राजकोट में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री दिलीप संघानी	338
(दो) सिद्धेश्वर राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक	
श्री लिंगराज वल्याल	338
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 में संशोधन)	
श्री बासुदेव आचार्य	339

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 58 में संशोधन, आदि)
श्री जार्ज फर्नांडीज 339

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 151 क का अंत:स्थापन आदि)
श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी 340

(छः) *अनिवार्य शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विधेयक*
श्री विजय गोयल 340-341

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 9 क का अंत:स्थापन)
श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी 341

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)
श्री चित्त बसु 341

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 48 क का अंत:स्थापन, आदि)
श्री चित्त बसु 342

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 48 क के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
श्री चित्त बसु 342

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 239 क में संशोधन)
श्री कृष्ण लाल शर्मा 342

(बारह) जामिया मिलिया इस्लामिया (संशोधन) विधेयक (पूरे नाम आदि में संशोधन)
श्री जी॰ एम॰ बनातवाला 343

भिक्षावृत्ति का उत्सादन विधेयक 343-373
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री के॰ परसुरामन 344-345
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" 345-351
श्रीमती भगवती देवी 351-352
श्री सत्यपाल जैन 352-356
श्री हन्नान मोल्लाह 356-358
श्री नन्द कुमार साय 359-360
श्री सुरेश आर॰ जाधव 360-363
श्री द्वारका नाथ दास 363-364
श्री गिरधारी लाल भार्गव 364-365
श्री प्रभु दयाल कठेरिया 366-367
डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क 367-368
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया 368-373

गैर-सरकारी अन्वेषक विधेयक 373-379
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री अमर पाल सिंह 373-377
प्रो॰ रासा सिंह रावत 377-379

लोक सभा

शुक्रवार, 8 अगस्त, 1997/17 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण यह सभा आज भारत छोड़ो आंदोलन की 55वीं वर्षगांठ मना रही है।

[हिन्दी]

जैसा कि आपको ज्ञात है, 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने समूचे देश के पुरुषों व महिलाओं, युवकों तथा वृद्धों और धनी तथा निर्धन लोगों को, देश को विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त कराने और स्वराज्य तथा सम्प्रभुता प्राप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया था। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें करो या मरो का नारा दिया। इसके पश्चात् सम्पूर्ण राष्ट्र ने एकजुट तथा अडिग रह कर दमन का डट कर मुकाबला किया। इस संग्राम की विशेषता यह थी कि यह पूरा आंदोलन अहिंसात्मक रहा। भारी उत्तेजना के बावजूद लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा सिखाये गये अहिंसा और सत्याग्रह के दोनों सिद्धांतों का पालन किया। इस दृढ़ निश्चय से उपनिवेशी शासन की नींव हिल गई और उसे अपना अंत दिखाई देने लगा।

स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से अन्ततः भारत के क्षितिज पर स्वतंत्रता की किरणें प्रस्फुटित हुईं। यह हमारा पावन कर्त्तव्य है कि हम उन सभी देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करके उनके ऋण से उन्मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं।

अब यह सभा स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की याद में कुछ क्षण मौन धारण करे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई नारेबाजी न करें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[हिन्दी]

पांचवां वेतन आयोग

+

***241. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :**

श्री आनन्द रतन मौर्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कतिपय सिफारिशों पर अपना क्षोभ व्यक्त किया गया है तथा उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कर्मचारियों की क्या मांगें हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) सरकार को पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 जनवरी, 1997 को प्रस्तुत कर दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सशस्त्र कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार/संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते छुट्टी पात्रता तथा सेवानिवृत्ति लाभों आदि जैसी सेवा शर्तों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक स्तर पर सिफारिशें की हैं। कर्मचारियों की कुछ एसोसिएशनों (परिसंघों)/यूनियनों ने आयोग की कुछ सिफारिशों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। यह अभ्यावेदन मुख्यतः कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के वेतनमानों, संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि की दरों, पदों को समाप्त करने आदि के विरुद्ध हैं। सरकार ने तात्कालिक किस्म के कुछ मुद्दों को अतिशीघ्रता के आधार पर तथा अन्य मामलों को सामान्य स्थापित प्रक्रियानुसार सुलझाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे (कोपरगांव) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 241 का जवाब जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, ऐसा लगता है कि वे उसको ट्विस्ट करने जा रहे हैं। हमने सवाल

पूछा था, सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें, जो भी आई हैं, उसके तत्संबंधी विशेषताओं के बारे में सोच कर कि कर्मचारियों को क्या देना चाहिए। इसकी मालूमात के बारे में पूछा था। यह देश समाजवादी ढंग से चल रहा है। अखबारों में आ रहा है कि कई दिनों से डैनिक्स, सबोर्डिनेट सर्विस और कई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। एक तरफ कई आफिसरों और कई कर्मचारियों को बढ़िया विशेषताएं मिल रही हैं और जो भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या जो सैक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, उनके बारे में जो सोचा गया है, वह अलग बात है। किसी को ज्यादा मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है। इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है ? इसके बारे में मालूमात चाहिए थी।

दूसरी बात, पांचवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को जो मकान भत्ता देने वाले हैं, इसके बारे में यह है कि मकान भत्ता तो दिया जाएगा, लेकिन उसको सैलरी में जोड़ कर उस पर टैक्स लिया जाएगा, यह क्या बात है ? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है...*(व्यवधान)* पांचवें वेतन आयोग के बारे में जो भी कमियां हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सरकार इस सभागृह को बताये, तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय मैं वेतन आयोग का एक सदस्य था।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैं आपको मौका नहीं देना चाहता। आप उस बारे में काफी कुछ जानते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, उत्तर के रूप में उसकी सिफारिशों को विस्तार से बताना संभव नहीं है। इसकी सिफारिशों के बारे में सब अच्छी तरह जानते हैं। उसकी प्रतियां संसद ग्रंथालय में रखी जा चुकी हैं; और यह समाचार पत्रों में भी आ चुका है; अतः, मैं सिफारिशों की मूल बातों से मैं सहमत हूं तथा संगठनों/संघों द्वारा की गई मांगों पर भी मैंने ध्यान दिया है।

महोदय, वेतन आयोग का स्वरूप एक पंचाट का है। यह पंचाट नहीं है अपितु उस प्रकृति का है। वेतन आयोग का एक भाग एक तरह से वेतन आयोग की अन्य भागों से संबंधित है। हम वेतन आयोग की सिफारिशों को अलग-अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। अतः सरकार ने विगत परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सभी सिफारिशों पर गौर किया तथा मोटे तौर पर उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा करते हुए सरकार ने कुछ विशिष्ट मांगों या शिकायतों पर ध्यान दिया तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कतिपय सिफारिशों में सुधार किया।

वास्तव में, सरकार ने पांचवें वेतन आयोग में काफी कुछ सुधार किया है। मैं उन सुधारों का, विशेषकर, सैन्य बलों के कर्मियों, केन्द्रीय पुलिस और अर्द्धसैनिक संगठनों, वैज्ञानिकों का उल्लेख करना चाहूंगा। हमने एस-1 और एस-2 के वेतनमानों, वेतन वृद्धि और वेतन नियतन सूत्र में भी सुधार किया है। फिर भी अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसका अभी समाधान नहीं हो पाया है। कुछ समस्याओं की पहचान कर ली गई है। उसे एक फास्ट ट्रेक कमेटी को सौंप दिया गया है। प्रत्येक विभाग में एक या कुछेक कर्मचारियों के बीच विसंगतियां हो सकती हैं। इन विसंगतियों का निपटान सामान्यतः विसंगति संबंधी समिति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विभाग उनका समाधान ढूंढेगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र भी मौजूद है।

अतः सस्कार यह महसूस करती है कि इसने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अच्छा कार्य किया है। कर्मचारियों को इसने यथेष्ट लाभ दिये हैं; और हम विश्वास करते हैं कि हमने कर्मचारियों की अधिकांश इच्छाओं की पूर्ति कर दी है तथापि, अभी कुछ मांगों को पूरा किया जाना है इसलिए सरकार ने कैबिनेट सचिव को एक बार फिर इस बात का निदेश दिया है कि वह संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र से एक बार फिर परामर्श और चर्चा कर उन्हें सरकार द्वारा की गई पेशकश को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि इस परामर्श और चर्चा के फलस्वरूप शेष मुद्दों को भी सुलझा लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे (कोपरगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। दो-चार दिन पहले भी हमारे प्रमोद महाजन जी ने यह सवाल उठाया था कि इस सरकार को अपनी बातें ओपन करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि सरकार आई० ए० एस० आफिसर्स के दबाव में आती है। पांचवें वेतन आयोग में ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार के कर्मचारियों को जो एरियर्स मिलने वाले हैं, यह वेतन 1996 से लागू करने जा रहे हैं। उसके ऊपर जो एरियर्स मिलने वाले हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। इसके बारे में भी मंत्री जी को हमें कुछ बातें बतानी चाहिए। सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो बातें चल रही हैं। अभी तीन-चार दिन पहले आदरणीय चिदम्बरम साहब ने कहा था कि अभी सरकार और कर्मचारियों की यूनियन्स के साथ कुछ बातें चल रही हैं जिसकी वजह से अभी हम वेतन आयोग का मामला आपके सामने नहीं रखने जा रहे हैं। ये जो भी बातें हैं वे पूरी सरकार को मालूम हैं। सरकार आई० ए० एस० आफिसर्स जो भी बातें करते हैं वही मानती है, बाकी और लोगों की बातें नहीं मानती है।

महोदय, मैं आपके सामने एक ही सवाल रख रहा हूं कि एक आई० ए० एस० आफिसर भी सर्विस कर रहा है उसको बड़ी तनख्वाह मिल रही है। उसकी पत्नी भी सर्विस कर रही है उसे भी बड़ी तनख्वाह मिल रही है, ऐसा सरकार की तरफ से क्यों हो रहा है ? वह पति और पत्नी एक जगह नहीं समझे जाते, पति अलग समझा जाता है और पत्नी अलग समझी जाती है। अगर इन दोनों की सैलरी एक जगह की जाए तो बहुत बड़ा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। यह सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, यही सवाल है। इसी के बारे में जो यूनियन के साथ इनकी बातें चल रही हैं वह इन्होंने नहीं बताई, जब कि इन्होंने कहा था कि मैं जल्दी बता दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से लगातार प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री भीमराव विष्णु जी वडाडे : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है किंतु संक्षिप्त में बोलना भी काफी महत्वपूर्ण है।

श्री भीमराव विष्णु जी वडाडे : जी हां।

[हिन्दी]

हमारे सांसदों की सैलरी के बारे में भी कई सालों से यही हाल चल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न को अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी वडाडे : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बताना चाहिए कि यूनियन्स के लीडर्स के साथ जो बात चल रही है उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा है और इस सवाल पर यह कब जवाब देने वाले हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? यह केवल समय की बर्बादी है।

मैं उनका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूं। मंत्री जी यदि आपने समझा है तो आप उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री पी॰ चिदम्बरम : सरकार इस विचार को स्वीकार नहीं करती कि भत्तों को कराधान के दायरे से बाहर रखे जाने की आवश्यकता है। हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि वेतन तथा भत्तों सहित सभी आय, आयकर के अंतर्गत आते हैं। अतः, कर की सीमा में छूट देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता इसलिए हम उस सिद्धांत को नहीं मानते हैं।

जहां तक बकाया राशि का संबंध है तो हमने कहा है कि वेतन आदि के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें 1.1.1996 से लागू होंगी और भत्तों में वृद्धि 1.8.1997 से होंगी। जहां तक बकाया राशि का संबंध है तो हमने यह कहा है कि इस वर्ष नगदी की स्थिति को देखते हुए बकाया राशि का 50 प्रतिशत जी॰ पी॰ एफ॰ में रखा जाएगा जो दो वर्ष तक निकाला नहीं जाएगा। यह कर्मचारी के खाते में ही रखा जाएगा और इस पर ब्याज भी मिलेगा लेकिन वह इसे दो वर्ष बाद निकाल सकेगा। हमें बचत को भी बढ़ावा देना है। बचत को बढ़ावा देने में क्या बुराई है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, वेतन आयोग के सदस्य।

श्री पी॰ चिदम्बरम : इस वेतन आयोग के नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कोई और वेतन आयोग।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्या मुझे यह बताने की आवश्यकता है कि मुझे बोलने का मौका देकर आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। मेरा प्रश्न यह है। इसमें तीन विसंगतियां हैं...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, वेतन आयोग का एक सदस्य होने के नाते उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी मौका दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : किस चीज का सदस्य। मैं न तो शिव सेना का सदस्य हूं न ही महाराष्ट्र वेतन आयोग का।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसमें कम से कम तीन तरीके की विसंगतियां हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या मैं सही हूं और यदि हां तो सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है या प्रस्ताव पहले ही कर चुकी है।

जहां तक विकृत्ति का संबंध है। नये वेतन आयोग का हमेशा यह सिद्धांत रहा है कि महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए उसे मूल वेतन में मिलाया जाता है और फिर नया मूल वेतन नियत किया जाता है। यहां समस्या उत्पन्न होती है। जब आप वेतनमान और उसमें वेतन वृद्धि दर निर्धारित करते हैं, तो कुछ समस्याएं होती हैं। यदि वृद्धि दर महंगाई भत्ते अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार नहीं है तो वेतन वृद्धि दर में वास्तविक कटौती होती है। प्रस्तावित नए वेतनमानों में भी ऐसा हुआ है। यह एक विकृत्ति है। दूसरी विकृत्ति यह है....

अध्यक्ष महोदय : जिन्हें ज्यादा जानकारी होती है उनके साथ समस्या यह है कि वह सीधा प्रश्न नहीं पूछते।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हुआ यह है कि, वे आज असमानता की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अन्य लोगों को भी अवसर देना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं शीघ्र ही समाप्त करूंगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कारण निम्न स्तर पर और उच्च स्तर के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता हुई है। पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ मामलों में 100 प्रतिशत समाविष्ट करने का प्रावधान था और कुछ मामलों में 70 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वही है जो कि औद्योगिक कामगार वर्ग का है। उच्च स्तर के लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं। उपभोक्ता सामान की कीमतें नीचे गिर जाती हैं। घड़ियों की कीमतें गिर जाती हैं। औद्योगिक कामगार वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागत वृद्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करता है।

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : प्रश्न-काल को इन्हें बर्बाद मत करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बार-बार कह रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं यहां पढ़ा नहीं सकता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अत:, दूसरी विकृत्ति असमानता की है।

अध्यक्ष महोदय : आप विकृत्तियों के बारे में बोलते-बोलते पूरे प्रश्नकाल को विकृत्त कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तीसरी विकृत्ति, नीति संबंधी है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे—कालिज टीचर, अनुसंधानकर्ता, आई॰ ए॰ एस॰ इंजीनियरिंग सेवाओं और आई॰ एफ॰ एस॰ जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बीच असमानताएं हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से असमानताएं हो रही हैं अथवा नहीं। क्या वह इस बात को ध्यान रखते हैं ?...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने संक्षेप में ही पूछा है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : इन तकनीकी मामलों को आमने-सामने ही स्पष्ट करना संभव है। इसे उत्तर के दायरे में समझाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें बता सकते हैं लेकिन प्रश्नकाल में नहीं।

श्री पी॰ चिदम्बरम : लेकिन कृपया मुझे संक्षेप में उत्तर देने दीजिए। यह कहना सही नहीं है कि वेतनमानों में कोई विकृत्ति है। वेतन आयोग ने एक विशेष फार्मूला लागू करने के बाद नए वेतनमानों की सिफारिश की है। मेरा यह विश्वास है कि फार्मूला बिल्कुल सही और न्यायसंगत है। प्रश्न यह है कि वेतन आयोग के तीन सदस्य इस फार्मूले से सहमत हैं और इसलिए फार्मूला सही तथा न्याय संगत प्रतीत होता है। तथापि, कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा रखी गई मांगों के संबंध में, विशेष रूप से S-1 और S-2 वेतनमानों के संबंध में वेतन वृद्धि की दरों में सुधार कर दिया है और S-1 तथा S-2 वेतनमानों में आरम्भिक वेतनमान निम्नतम वेतनमान से अधिक करने की अनुमति देकर वेतनमान में सुधार किया गया है और वेतन वृद्धि दर में भी सुधार किया गया है।

मैं इसे एक ग्राफ पर समझा सकता हूं और यह दिखा सकता हूं कि ग्राफ पर पांचवें वेतन आयोग ने जिस वेतन वृद्धि की दर की सिफारिश की है यह स्तर वार चौथे वेतन आयोग के वेतन वृद्धि की दर से अधिक है। इसके बावजूद हमने उस वेतन वृद्धि में सुधार किया है और उन्हें अधिक वेतन वृद्धि दी है। अत:, मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा वेतनमानों तथा वेतन वृद्धि के संबंध में मूल रूप से कुछ गलत किया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह पर्याप्त नहीं है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : हमें संसाधनों की उपलब्धता भी देखनी है और साथ ही उनके सदुपयोग के बारे में सोचना है। प्रश्न यह है कि आज इस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से 8,800 करोड़ रु॰ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। असैनिक कर्मचारियों के लिए सरकार का वेतन बिल 20,000 करोड़ रु॰ था और रक्षा सेवाओं के लिए लगभग 7,000 करोड़ रु॰ था। कुल मिलाकर 27,000 करोड़ रुपया था। वेतन-आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से 8,800 करोड़ रु॰ प्रति वर्ष का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा।

चूंकि हमारे विचार में वेतन आयोग ने एकमुश्त अदायगी, ग्रेच्युटी और वेतनमान में किए गए सुधारों का सही आंकलन नहीं किया है, इससे 1800 करोड़ रु॰ का और बोझ है। अब कुल बोझ 27,000 करोड़ रु॰ तथा 10,600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की बढ़ोत्तरी के कारण सरकार को वहन करना पड़ेगा। इससे तत्काल ही राज्य सरकारों के लिए उलझनें उत्पन्न हो गईं जिन सबके वेतन बिल कुल मिलाकर केन्द्र सरकार के वेतन बिल के डेढ़ गुना है। अब केन्द्र सरकार का वेतन बिल किसी भी वर्ष में लगभग 37,600 करोड़ रु॰ है।

हालांकि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र की मांगों, सामाजिक क्षेत्र की मांगों, शिक्षा के क्षेत्र की मांगों, स्वास्थ्य क्षेत्र की मांगों, निवेश के क्षेत्र की मांगों, को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि यह पैकेज बिल्कुल सही है।

अंतिम मुद्दा समानता के बारे में उठाया गया है। चौथे वेतन आयोग के अंत में समानता 1 : 10.7 थी। भारत सरकार द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप पांचवें वेतन आयोग ने इसी बात पर बल दिया कि समानता 10.7 होनी चाहिए। किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप कर पूर्व समानता दर 1: 10.2 है और कर के बाद समानता दर 1:7.74 है। अब हम समझते हैं कि कर पश्चात् समानता दर 1:7.74 बिल्कुल उचित है।

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरा एक सीधा प्रश्न है। सरकार देश में सबसे बड़ा नियोक्ता है। हम केन्द्र तथ राज्यों दोनों के लगभग 1,50,000 करोड़ रु॰ के वेतन बिल की बात कर रहे हैं। अत: हम वेतन आयोग द्वारा जो कुछ भी करेंगे उसके वास्तव में दीर्घावधि परिणाम होंगे। इसलिए सभी इस बारे में चिंतित हैं। मैं दो मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण चाहूंगा। एक तो यह कि मैं इस तरह के वेतन आयोग की अनिवार्यता समझता हूं। इस बात को स्वीकार करते हुए, यह नियोक्ता के रूप में सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाला लाभ है, कर्त्तव्यों की बाध्यता के संबंध में सरकार का क्या कहना है ?

महोदय, मैं समझता हूं कि सेना के तीनों प्रमुखों ने यह अनुरोध किया है कि 'टोकन मिलिट्री सेवा वेतन' जैसा कुछ होना चाहिए जिसके द्वारा थल सैनिक, वायु सैनिक और जल सैनिक को पुलिस सेवा से अलग रखा जा सके। अब इन सब भत्तों के बाद, जो कि हमने रिपोर्ट में पढ़े हैं, उसमें असमानता यह है कि अंत में पुलिसकर्मी का वेतन

थल सैनिक, वायु सैनिक और जल-सैनिक से अधिक है। सेना के तीनों प्रमुख, पुलिसकर्मियों तथा सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों के बीच जो भिन्नता चाहते थे, वास्तव में वह ओहदे की पहचान थी। यह भी केवल राष्ट्र के प्रति उनके कर्त्तव्य तथा सेवा में भिन्नता के कारण है। क्या वित्त मंत्री इन दो पहलुओं का खुलासा करेंगे।

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दे सकता। यह प्रश्न रक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिए। यह एक तकनीकी मुद्दा है।

श्री जसवंत सिंह : यह रक्षा मंत्री के लिए नहीं है। यह वित्त मंत्री के लिए है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, मुझे याद नहीं आता कि मेरे पास 'टोकन मिलिट्री सर्विस' के नाम से कोई प्रस्ताव आया हो। मैं इस पर विचार करूंगा और यदि कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं निश्चय ही उनको लिखूंगा। लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। पूरी चर्चा के दौरान मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। हो सकता है, यह किसी अन्य तरीके से पेश किया गया हो।

महोदय, कार्य नीति और प्रवृत्ति के संबंध में की गई पहली बात से मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं। हम कर्मचारियों के मन में यह बात बैठाना चाहते हैं कि बढ़ते हुए लाभों के अनुरूप जो ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : सरकार की कार्य नीति एक अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय : संसद क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, सरकार विपक्ष और प्रत्येक व्यक्ति की कार्यनीति समीक्षाधीन है। मैं आभारी हूं कि हमारी लोगों द्वारा समीक्षा की जा रही है क्योंकि हम दूरदर्शन कैमरों के सामने बैठे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की कार्यनीति समीक्षाधीन है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई इस अपील का समर्थन करता हूं कि हमें सरकारी कर्मचारियों की कार्यनीति और रवैये में सुधार करना चाहिए। यह ऊपर से शुरू होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हमें अपने कर्मचारियों से अच्छा कार्य नहीं मिल रहा है। जो भी कार्य हो रहा है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय में किए जा रहे निवेश के अनुरूप नहीं है।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत : महोदय, यह सरकारी कर्मचारियों के संबंध में है। हम सभी इसमें भाग लेना चाहते हैं। इसीलिए हम इस पर अधिक समय लगाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि सरकार का आकार छोटा होना चाहिए और वह सक्षम होनी चाहिए। जब तक हम इस बारे में स्पष्ट नहीं होते कि सरकार का आकार छोटा होना चाहिए हम सक्षमता नहीं बढ़ा सकते। सक्षमता सरकार के आकार पर निर्भर करती है। हमारी सरकार का आकार सही होना चाहिए। विभागों के विलय, सरकार के सही आकार इत्यादि के संबंध में वेतन आयोग ने कई सिफारिशें की हैं। इन पर अलग-अलग विभागों में कार्य हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, अब इस पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। सरकार में केवल राजनैतिक बातचीत ही नहीं होती। सभी कर्मचारी सरकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। हमें नियम 193 के अंतर्गत एक व्यापक चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए एक नोटिस दे सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। हम इसके लिए एक नोटिस देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नोटिस दीजिए। समय उपलब्ध होने पर मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा ऋण का भुगतान

***242. श्री सत्य पाल जैन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को बकाया राशियों का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार बकाया की वसूली करने अथवा इसे माफ करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बकाया राशियों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राज्यों को वित्त मंत्रालय को तीन शीर्षों के तहत देयों का भुगतान करना होता है। (i) चालू योजना ऋण (ii) चालू अल्प बचत ऋण तथा (iii) समेकित ऋण।

31.3.97 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों की राज्यवार स्थिति निम्नवत है :

क्र॰ सं॰	राज्य	योजना ऋण	अल्प बचत ऋण	समेकित ऋण	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5,444.08	3,532.03	1,364.66	10,340.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	181.56	34.26	14.12	229.94
3.	असम	715.02	1,800.34	1,128.96	3,644.50
4.	बिहार	4,243.65	3,685.87	1,557.70	9,487.22
5.	गोवा	286.44	196.07	317.45	799.96
6.	गुजरात	2,482.60	6,757.67	599.1	9,839.37
7.	हरियाणा	1,247.52	1,960.95	309.49	3,517.96
8.	हिमाचल प्रदेश	271.63	1,290.09	98.53	1,660.25
9.	जम्मू और कश्मीर	1,068.13	774.14	1,007.23	2,849.50
10.	कर्नाटक	2,529.93	3,674.65	507.93	6,712.51
11.	केरल	2,016.00	1,901.48	632.59	4,550.07
12.	मध्य प्रदेश	2,937.78	2,325.87	1,127.08	6,390.73
13.	महाराष्ट्र	5,066.08	9,964.00	824.34	15,854.42
14.	मणिपुर	101.54	50.35	52.87	204.76
15.	मेघालय	114.9	89.42	29.91	234.23
16.	मिजोरम	103.65	33.54	12.5	149.69
17.	नागालैण्ड	154.75	50.32	44.76	249.83
18.	उड़ीसा	2,397.74	1,396.93	871.56	4,668.23
19.	पंजाब	7,011.57	3,408.17	222.67	10,642.41
20.	राजस्थान	2,553.24	3,351.65	1,089.23	8,984.12
21.	सिक्किम	84.58	30.42	21.5	136.50
22.	तमिलनाडु	4,480.79	3,324.41	598.65	8,403.85
23.	त्रिपुरा	144.25	172.20	37.57	354.02
24.	उत्तर प्रदेश	8,360.45	10,539.00	2,197.52	21,096.97
25.	पश्चिम बंगाल	2,795.78	9,609.91	811.63	13,217.32
	जोड़	56,783.84	69,853.74	15,479.55	142,227.13

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को ऋणों का पुनर्भुगतान उनको स्वीकृति देने वाली नियम और शर्तों के अंतर्गत एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान में विलम्ब की स्थिति, ऐसी देय राशि को उस राज्य सरकार को दिए जाने वाले केन्द्रीय अंतरण/निर्गतों में से समायोजित कर दिया जाता है।

वर्ष 1995-2000 की अवधि के दौरान देयराशियों की समाप्ति दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पंजाब को 1984-85 से 1993-94 की अवधि के दौरान दिए गए 883.25 करोड़ रुपए के विशेष आवधिक ऋण के मूलधन और ब्याज दोनों की बकाया राशि को 1995-96 के लिए माफ कर दिया गया

है। दसवें वित्त आयोग के शेष वर्षों के लिए उग्रवाद और घुसपैठ से लड़ने के लिए पंजाब को विशेष आवधिक ऋण अग्रिम देने की सिफारिश की गई है। इस पर निर्णय ले लिए जाने तक, विवरण तैयार किये जा रहे हैं। राज्यों से प्राप्त ऋण माफी की अन्य मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों ने लगभग एक लाख 42 हजार करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार को ऋण का वापस करना है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने काम-काज के लिए केन्द्रीय सरकार से लोन लेती हैं और कुछ अपने ढंग से फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मोबलाइज़ करती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन्स इश्यू की हैं कि जब कभी लोन हो या और रिसोर्सेज़ मोबलाइज करने हों तो उसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूशन या कन्सर्ड, चाहे वह स्टेट एजेंसी हो या प्राइवेट एजेंसी हो, किसी किस्म का आपको कोई गिफ्ट या कमीशन नहीं देंगे और न ही किसी तरह का कोई प्रलोभन देंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य ऐसे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश की सरकार शामिल है और जिसने आपको 16 सौ हजार करोड़ रुपया वापस देना है।

उन्होंने अपने रिसोर्सेज मोबीलाइज करने के लिए एक प्राइवेट संस्था के माध्यम से कुछ संस्थाओं से लोन लिया और लोन लेते समय ढाई करोड़ रुपया बतौर कमीशन उन प्राइवेट संस्थाओं को दिया। एक तरफ तो 16 सौ करोड़ रुपये का आपसे ऋण लेना...*(व्यवधान)* आर० बी० आई० की इंस्ट्रकशंस हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी जानकारी में हैं, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो क्या केन्द्र सरकार उस राज्य सरकार के इस बारे में जानकारी प्राप्त करेगी ? अगर लोन के लिए, लोन को पे करने के लिए किसी प्राइवेट संस्था को ढाई करोड़ रुपये की कमीशन दी गई है तो क्या केन्द्र सरकार इस बारे में जांच करवाना चाहेगी और सारी जानकारी प्राप्त करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे दुख है। यह प्रश्न केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में है। यदि वह राज्य सरकार के किसी कार्य; बाजार से उधार के संबंध में एक अलग से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि आपका लोन रीपे करने के लिए उन्होंने लोन लिया और उसके लिए ढाई करोड़ की कमीशन पे की। आप इस बारे में कोई जानकारी तो दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह आशा नहीं कर सकते कि ऋण की अदायगी के लिए राज्य सरकारें क्या कर रही हैं यह माननीय मंत्री जी को पता हो। आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि ये सभी बातें मंत्री जी को पता हों ?

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जो सारे आंकडें दिये गये हैं, उनको देखने पर यह बात आई है कि जो लोन राज्य सरकारों ने पे करना है, ऐसे कई राज्य हैं जिन्हें सैकड़ों हजार करोड़ रुपया ऋण देना बाकी है। लेकिन जहां-जहां के मुख्य मंत्री और सरकारें प्रभावशाली होती हैं, जिनका केन्द्र में प्रभाव होता है उनके साथ तो केन्द्र सरकार रिकवरी करने के लिए मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। वह अपने प्रभाव से उसको बचा लेते हैं, लेकिन जो छोटे प्रदेश हैं वहां पर नॉर्मल रोल में असिस्टेंस केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिए। लेकिन वह भी नहीं मिल पाती है और कई बार उसमें भी कट लगाया जाता है। मैं आपको चंडीगढ़ यूनियन टैरीटरी का उदाहरण देना चाहता हूं कि ऋण की बात तो एक तरफ रही, हमारे यहां जो नॉर्मल असिस्टेंस इस साल के बजट में आठ करोड़ कम हुई है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में एक यूनीफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और चाहे छोटा प्रदेश हो या बड़ा प्रदेश हो, चाहे वहां के मुख्य मंत्री प्रभावशाली हों या प्रभावशाली न हों, अक्सर राज्यों को लोन देने के मामले में चाहे वह केन्द्र शासित प्रदेश हो या बड़ा राज्य हो, उनसे रिकवरी के बारे में इस बात की चिंता किये बिना कि वहां के लोग कितने प्रभावशाली हैं, क्या सरकार एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और जो कट बिना किसी कारण के लगाया गया है उसके बारे में क्या नीति अपनायेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे दुख है कि माननीय सदस्य की ऐसी धारणा है। ऋण देने या ऋण वसूल करने के संबंध में कोई अलग नीति या तरीका नहीं है।

भारत सरकार का ऋण या तो राज्य योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ब्लाक ऋणों या कुछ विशेष परिस्थितियों में संचयी ऋणों या विशेष सावधि ऋणों के अंतर्गत आता है। सभी ऋणों की वसूली समान सिद्धांत के आधार पर की जाती है और राज्य सरकारों के 31.03.97 तक के सभी ऋणों की वसूली की जा चुकी है। किसी भी रूप में विभिन्नता नहीं रही है।

[हिन्दी]

श्री धावर चन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि राज्य सरकारों को ऋण राशि दी गई हैं और जिसको वसूल किया जाना बाकी है आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश,

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इन राज्यों से कितने-कितने वर्षों से राशि वसूल करना बाकी है और जिस प्रकार से पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के निपटने में उस राज्य ने खर्चा किया है और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऋण और उसका ब्याज था, वह माफ कर दिया है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि मध्य प्रदेश में भूकम्प आया है, बिहार में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है, गुजरात में भी नुकसान हुआ है और असम में भी भारी बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। तो जिन राज्यों में भारी बाढ़, भूकम्प या अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है तो क्या उन राज्यों का भी ऋण तथा ब्याज केन्द्र सरकार माफ करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : जैसा कि मैंने कहा है कि 31.3.97 तक के लिए सभी ऋणों की वसूली की जा चुकी है। वसूली स्वचल प्रक्रिया है। वसूली का निधियों में से समायोजन किया जाता है जो केन्द्र सरकार द्वारा की जाती हैं। कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए, 31.03.97 तक के लिए राज्य सरकारों के सभी ऋणों की वसूली की जा चुकी है। 31.03.97 तक के सभी ऋणों की वसूली 31.03.98 से पहले निर्धारित तिथियों को कर ली जाएगी। इसलिए कोई अंतर नहीं किया गया है।

महोदय, यह सच है कि प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्य मंत्री तथा अन्य के साथ एक बैठक में एक सीमित कार्य, नामतः दसवें वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र के अंदर एक विशेष अवधि के दौरान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने तथा अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता के संबंध में एक निर्णय लिया था।

निर्णय के ब्यौरों पर कार्य किया जाना है। इसलिए मैं इस संबध में किसी निर्णय की घोषणा करने में असमर्थ हूं। परंतु इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस पर चर्चा हो रही है।

किसी ऋण को बाढ़ या भूकम्प या अन्य दुर्घटनाओं के कारण माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे दुर्घटना राहत निधि के अंतर्गत रखा जाता है। एक राष्ट्रीय दुर्घटना राहत निधि है। एक राज्य दुर्घटना राहत निधि है। दसवें वित्त आयोग ने इन निधियों के अंतर्गत धन प्रदान किया था तथा भूकम्प और बाढ़ की क्षतिपूर्ति दुर्घटना राहत निधि से की जानी चाहिए।

मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें दुर्घटना राहत निधि को ऋणों की वसूली के साथ नहीं मिलाना चाहिए जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है।

श्री द्वारका नाथ दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या असम सरकार की ओर केन्द्र सरकार के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपये का ऋण है। यदि हां, तो राज्य सरकार को इतना बड़ा ऋण क्यों उठाना पड़ा था; क्या इससे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित 6100 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज प्रभावित होगा ?

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या क्या केन्द्र सरकार असम सरकार की ऋणों की अदायगी की असमर्थता के कारण इसे माफ करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कुछ सदस्यों ने मंत्री जी के उत्तर को नहीं सुना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों सरकारों की स्थिति, रीपेमेन्ट के मामले में अच्छी है, मैं उससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संभवतः मंत्री जी ने कहा है कि कोई बकाया ऋण नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : असम में, इस सरकार के आने के बाद असम के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर हमने वहां एक दल तैनात किया था उस दल की रिपोर्ट के आधार पर हमने 132 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए दिया था जिसे असम सरकार के अनुसार, वित्त आयोग द्वारा लेखे में शामिल नहीं किया गया था।

इसलिए, असम को सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 132 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। असम राज्य विशेष वर्ग में आता है। असम को केन्द्र से 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण मिलता।

विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य

***243. लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के द्वारा कितनी धनराशि जुटाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विनिवेश आयोग ने सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने में किये जा रहे विलम्ब पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1997-98 के लिए निर्धारित लक्ष्य 4,800 करोड़ रु० है।

(ख) चालू वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चार उद्यमों अर्थात् भारतीय गैस प्राधिकरण लि० (गेल), कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर), महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम० टी० एन० एल०) और

आई॰ ओ॰ सी॰ में विनिवेश करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। इस संबंध में कार्रवाई आरंभ की दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। विनिवेश आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में अपनी चिंता व्यक्त की है। आयोग ने सामान्य स्वरूप की तथा सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यमों से भी संबंधित, दोनों तरह की अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों की जांच सचिवों के केन्द्रीय दल द्वारा की गई है। इनमें से अनेक सिफारिशों को कार्रवाई तथा कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को भेज दिया गया है। जहां कम्पनियों की अनुकूल बिक्री की सिफारिश की गई है, वहां सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया गया है। चूंकि विनिवेश आयोग ने आमूल परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है, इसलिए सरकार को इन मुद्दों पर सुविचारित रवैया अपनाना है।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : मुझे खुशी है कि इस वर्ष 4800 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1992-93 में 3500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 2000 करोड़ रुपये से कम उपलब्धि हुई थी। 1993-94 में लक्ष्य 3500 करोड़ रुपये था, परंतु 1000 करोड़ रुपये भी उपलब्धि नहीं हुई थी। 1994-95 में लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये था और उपलब्धि अच्छी थी। 1995-96 में लक्ष्य 7000 करोड़ रुपये था और 168 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई थी। मैं नहीं जानता कि यह एक दूसरे से अधिकता थी या पिछली पूर्ति। परंतु मुझे खुशी है कि आपने इस वर्ष 4800 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसे निर्धारित करने का तरीका मैं नहीं जानता। परंतु यह बात निश्चित है कि प्रगति काफी धीमी रही है। इसलिए हमारी यह दुर्गति है कि अच्छी स्कीमों की खराब प्रगति होती है और खराब स्कीमों की कोई प्रगति नहीं होती है।

इस समय हमारी सलाहकार संस्था ने चार सिफारिशें की हैं। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वास्तव में यह स्कीम शुरू की गई है या अभी तक कुछ भी आरंभ नहीं किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और पर्याप्त आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उनके द्वारा परिकल्पित अनिवेश का प्रतिशत काफी धीमा है और 1995-96 में यह और भी कम हो गया था।

क्या माननीय वित्त मंत्री जी की यही छवि है; और यदि हां तो वे इस अच्छी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार प्रस्ताव करते हैं ? मेरा यही प्रश्न है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, विनिवेश एक संवेदनशील मामला है। यह सच है कि पिछली सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे परंतु यह ऐसा कोई तरीका विकसित नहीं कर सकी, जिससे विनिवेश स्पष्ट तरीके से हो सके और व्यापक सहयोग मिल सके। इसलिए, इस सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में हमने एक विनिवेश आयोग की स्थापना करने के निर्णय की घोषणा की थी।

आयोग की स्थापना की जा चुकी है। मैं समझता हूं कि सदन तथा इस देश के लोगों ने इसकी काफी सराहना की है। इससे निर्णय लेने में अधिकतम स्पष्टता, उद्देश्य तथा गुणवत्ता आई है।

पिछले वर्ष, विनिवेश आयोग का गठन वर्ष के मध्य में हुआ और जब तक इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वर्ष बीत चुका था। बी॰ एस॰ एन॰ एल॰ के माध्यम से हमें बस थोड़ी सी राशि ही मिल पाई। जो भी व्यक्ति पूंजी बाजार में हो रही गतिविधियों से वाकिफ है उसे मालूम होगा कि बी॰ एस॰ एन॰ एल॰ का निर्गम वर्ष का सबसे सक्षम निर्गम है। वास्तव में इसे सूची में शामिल सर्वाधिक सफल निर्गम बी॰ एस॰ एन॰ एल॰ की संज्ञा दी गई। इसका मूल्य निर्धारित मूल्य से अब बहुत अधिक है। बी॰ एस॰ एन॰ एल॰ में निवेश करने वाले व्यक्ति बहुत प्रसन्न हैं। हमें लगता है हम विनिवेश के लिए सही रास्ते पर अग्रसर हैं।

अब हमें विनिवेश आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। हमने आई॰ ओ॰ सी॰ सहित जिसका चयन पिछले वर्ष किया गया था और इस वर्ष फिर चयन किया गया। तीन कंपनियों का विनिवेश के लिए चयन किया है। वे कंपनियों हैं गेल, कनकार्न और एम॰ टी॰ एन॰ एल॰। तीन या चार कंपनियों तीन या चार कंपनियों के विनिवेश हेतु लगभग 4,800 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। विनिवेश की प्रक्रिया बहुत सुचारु रूप से चल रही है। प्रत्येक चरण में विनिवेश आयोग को शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम एक आंतरिक प्रमुख दल होता है; फिर मंत्रिमंडलीय सचिव के नेतृत्व में एक दल होता है; फिर यह मंत्रिमंडल के पास आता है।

चूंकि सब ठीक तरह से चल रहा है अत: मुझे विश्वास है कि हम इस वर्ष 4800 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पायेंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : मुझे खेद है कि इस मामले में मैं माननीय मंत्री जी से सहमत नहीं हूं कि 4800 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिये जायेंगे। हालांकि यह विचार योग्य मामला है।

परंतु विशेषकर अपने दूसरे प्रश्न में मैं जिस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं वह यह है कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली शक्ति प्राप्त समिति, जिसमें उद्योग मंत्रालय के सचिव तथा अन्य व्यक्ति भी हैं, के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है वह सामान्य है। यह इसे कार्य करने योग्य बनाने हेतु है। समिति को विभिन्न मंत्रालयों से बात करनी होती है। और दूसरे मंत्रालय भी हैं। यह अंतर-मंत्रालीय कार्य है। सचिवों को बहुत कार्य करना होता है। वह बहुत व्यस्त रहते हैं। अत: सामान्य पदानुक्रम ढांचे से इस कार्यक्रम की प्रणति में प्रगति नहीं होगी। मैं ऐसा महसूस भी करता हूं। आपको एक विशेष दल गठित करना चाहिए, जिसमें अनिवार्यत: सरकारी लोग ही न हों, अपितु ऐसे लोग भी हों जो श्री रामकृष्ण द्वारा किए गए अच्छे प्रस्तावों को कार्यरूप दे सकें। उन्होंने इस बात पर भी घोर चिंता प्रकट की है कि सरकार निर्णय शीघ्र नहीं ले रही अथवा उसने अपना मंतव्य अभिव्यक्त नहीं किया है। विभिन्न प्रकार के लेखों से यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सरकार द्वारा निर्णय उस तेजी से नहीं लिये जा रहे जिससे लिये

जाने चाहिए। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए संस्थात्मक व्यवस्था गठित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं अथवा नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे नहीं लगता कि इस प्रक्रिया में जल्दी करना संभव है। मुझे यह भी नहीं लगता कि इस प्रक्रिया को धीमी करने के लिए जानबूझकर कुछ प्रयास किया जा रहा है। आखिर सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। अत: सरकार को विनिवेश प्रक्रिया की निगरानी करनी पड़ती है और यह सरकार विनिवेश आयोग के माध्यम से ऐसा कर रही है। हम कम्पनी के चयन, विनिवेश के स्तर पर विनिवेश के तरीके के मामले में विनिवेश आयोग की सिफारिशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तक तो यह ठीक रहा है।

यह सच है कि श्री रामकृष्ण ने समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो अच्छा भी है। सरकार से बाहर किसी ऐसे व्यक्ति का होना अच्छा है जो समय-समय पर इन बातों की ओर संकेत करता रहे। श्री रामकृष्ण के विचारों को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। वह मुझे प्राय: मिलते रहते हैं। वह उसी भवन में बैठते हैं जिसमें मैं बैठता हूं। मुझे नहीं लगता कि संसद अथवा सरकार उस स्थिति को स्वीकार करेगी जिसमें विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से हो जो सरकारी न हो। अंतिम निर्णय तो मंत्रिपरिषद् को ही लेना होता है। वर्तमान में तो चार कंपनियों में, यह काम सूचारु रूप से चल रहा है और हम चार हजार आठ सौ करोड़ रुपए विनिवेश कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सूचना दी है कि पब्लिक सैक्टर के शेयर बेचने से 4800 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। मैं मंत्री जी से बहुत साधारण सी बात जानना चाहता हूं कि 4800 करोड़ रुपये की राशि से पब्लिक सैक्टर की वह यूनिट जो सिक है या जो बंद होने के कगार पर पहुंच गई है, उसके रिवैपिंग करने का जो प्रपोजल है जैसे कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर, आई० डी० पी० एल०, एच० ई० सी० आदि पब्लिक सैक्टर की जो कंपनियां बीमार हैं, क्या इस राशि से उनका पुनरुद्धार करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, विनिवेश प्रक्रिया से अर्जित होने वाला धन सामाजिक क्षेत्र में लगाया जाएगा जैसा कि हमने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा है। वे क्षेत्र हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। ऐसा भी निर्णय लिया गया है कि विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला धन का दस प्रतिशत रिवालविंग फंड के लिए निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष बहुत कम धन एकत्र हो पाया अत: दस प्रतिशत धन निर्धारित करने के प्रश्न का कोई प्रश्न ही नहीं था। इस वर्ष यदि हम 4800 करोड़ रुपए एकत्रित कर पाते हैं तो दस प्रतिशत धन रिवालविंग के लिए अवश्य आंबटित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि इन्होंने श्री आचार्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, महोदय। क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शरणार्थी पुनर्वास उद्योग निगम, का मामला विनिवेश आयोग के सुपुर्द किया गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे लगता है कि यह मामला दिया तो गया था परंतु आयोग ने अभी इस पर विचार नहीं किया।

श्री बसुदेव आचार्य : सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्यम को आयोग के पास क्यों भेजा गया है ?...*(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इसकी जांच करूंगा और फिर आपको बताऊंगा।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विशिष्ट कंपनी को ही क्यों भेजा गया। ऐसा सभी कंपनियों को जहां विनिवेश का प्रस्ताव हो, आयोग के सुपुर्द कर दिए जाते हैं परंतु इस विषय में विनिवेश आयोग ही परामर्श देता है। मेरे सहयोगी ने मुझे बताया है कि शायद यह उन्हें सुपुर्द किया गया हो परंतु अभी उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है। मैं सारी स्थिति का पता लगाऊंगा और फिर आपको सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण

+

*245 **श्री देवी बक्स सिंह** :

डॉ० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस योजना से कितने बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए हैं ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के जरिये उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, राज्य

उद्यमिता विकास संस्थाओं की सहायता और उद्यमियों व युवाओं के लिए औजार कक्षों एवं प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र के माध्यम से दक्षता विकास कार्यक्रम का आयोजन भी करती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण में अभिप्रेरणा, लेखाविधि, विपणन, कानून और राज्य रूप-रेखा की जानकारी आदि शामिल है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए इसकी अवधि 15 से 20 कार्य दिवस की होती है और सेवा/व्यावसायिक क्षेत्र के लिए यह अवधि 7 से 10 कार्य दिवस की होती है।

लघु उद्योग सेवा संस्थानों के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के जरिए उद्यमों की प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। उत्पादोन्मुख उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से उद्यमियों को प्रक्रियाओं व मशीनों की भी जानकारी मिलती है। इनकी अवधि साधारणतया 4 से 6 सप्ताह की होती है।

राज्य उद्यमिता विकास संस्थान व्यक्तियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षण देते हैं। दक्षता विकास प्रशिक्षण के तहत उद्योग विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) आठवीं योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 6,16,639 युवक, लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा चलाये गये उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत 41,766 व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये। 1992-93 से 1995-96 के वर्षों में सहायता प्राप्त राज्य उद्यमिता विकास संस्थाओं में 40,221 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो सरकार बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन दूसरी ओर जनवरी 1997 में आबिद हुसैन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को दी गई थी कि सरकार लघु उद्योगों को प्रबल बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त ऋण दे और टैक्स में भी छूट दे। लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशों को कब तक लागू करेगी ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं। उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री की रोजगार योजना। आठवीं योजना के दौरान हमने 6,16,000 लोगों को रोजगार दिया है। फिर एस॰ आई॰ एस॰ आई॰ डी॰ डी॰ पी॰ कार्यक्रम संचालित करता है। हमने 41,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। राज्यों के संस्थान एक डी॰ डी॰ आई॰ कार्यक्रम भी चलाते हैं। हमने 40,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। फिर टूल रूम और अन्य कौशल विकास कार्यक्रम भी हैं। हमने दस हजार रोजगार प्रदान किए हैं। यह सतत् कार्यक्रम है। यह चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार निजी संस्थाओं को, संगठनों को कोई वित्तीय सहायता का अनुदान देती है जो कि बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दे रही है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद क्या सरकार उन युवाओं को अपने लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण दे रही है ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, नौकरियों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरणार्थ पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ के अंतर्गत, यदि वह उद्योग पर आधारित है तो पन्द्रह से बीस दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि काम सेवा-उन्मुख अथवा व्यवसाय उन्मुख हो तो सात से दस दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ वृत्तिका दी जाती है और फिर उन्हें उद्योगों में खपा लिया जाता है।

[हिन्दी]

डॉ॰ रमेश चन्द्र तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि रोजगार न मिलने के कारण ग्रामीण युवा शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वह नामपात्र का है, धीमा है और सुचारु रूप से नहीं चल रहा है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है और यह अच्छी तरह इम्लीमेंट हो, क्या सरकार इसके लिए कोई मौनीटर करने का प्रबंध कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : पूरे देश में लागू की जाने वाली योजनाओं में पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ सर्वश्रेष्ठ योजना है। यदि कोई विशेष उदाहरण मेरे ध्यान में लाए जाएंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री सी॰ नरसिम्हन : सच तो यह है कि एस॰ आई॰ एस॰ आई॰ जो पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ के अंतर्गत ऋण लेने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे ? क्या विशेषकर पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई विशेष संस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री मुरासोली मारन : अनेक बहुआयामी संस्थान हैं। बहुत से गैर-सरकारी संगठन हैं निजी संस्थान हैं विश्वविद्यालय भी हैं और अन्य संस्थान भी हैं। ऐसे संस्थानों की कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण के बारे में प्रश्न पूछा। मेरा प्रश्न यह

है कि भारत सरकार की उद्योग की जो स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है। उसके प्रतिवेदन जो आप लोगों के सामने, संसद के सामने यहां पर रखे गये हैं, उसके आधार पर क्या प्रशिक्षण देने की किसी योजना पर शासन विचार करेगा ? संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने अपने प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों के आधार पर क्या कोई विचार सरकार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : क्षमा करें। मुझे उस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से मैं रिपोर्ट को देखूंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा।...*(व्यवधान)* महोदया, वह प्रतिवेदन क्या है ?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : उद्योग के बारे में जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, उसने अपने प्रतिवेदन में बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए जो योजनाएं बताई हैं, क्या उनको क्रियान्वित करने का सरकार का इरादा है ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : उस रिपोर्ट पर मेरे मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का दल अध्ययन कर रहा है। जब भी कोई कार्यवाही की जाएगी मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : यह साफ जाहिर होता है कि संसद द्वारा स्थापित की गई स्थायी समितियों तथा इन समितियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की मंत्रालयों द्वारा सदैव उपेक्षा की जाती है। यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी स्थायी समिति के सभापति हैं ? मेरा ख्याल है 'नहीं'।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : जैसा कि हम सभी जानते हैं पी० एम० आर० वाई० एक बहुत अच्छी योजना है।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं एक स्थायी समिति का सभापति हूं। किंतु उन्हें प्रतिवेदन का पालन करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री पी० सी० थामस : पी० एम० आर० वाई० एक बहुत अच्छी योजना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है। वह वापस आयेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, आप स्थाई समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये सरकार को निर्देश दें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी० सी० थामस : महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पी० एम० आर० वाई० एक बहुत अच्छी योजना है जिसे एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। यद्यपि इस योजना पर आरंभिक नियंत्रण उद्योग मंत्रालय के हाथों में है किंतु अंतिम और संपूर्ण प्रभुत्व इस पर वित्त मंत्रालय का है। किंतु इस संबंध में उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का आपसी तालमेल काफी खराब है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि दोनों मंत्रालयों के मंत्री एक साथ बैठें और कुछ कार्यक्रम बनाएं...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, यह काफी अच्छा सुझाव है।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : कृपया उत्तर आने दें।...*(व्यवधान)* यह एक व्यावहारिक समस्या है कि किसी भी व्यक्ति को ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)* वह एक साथ बैठ रहे हैं। उन्हें निर्णय लेने दें।

अध्यक्ष महोदय : वे यहां पहले से ही इकट्ठे बैठे हैं।

श्री पी० सी० थामस : वे एक साथ बैठे तो हैं किंतु वे आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक उत्तम सुझाव है।

श्री मुरासोली मारन : हम इकट्ठे बैठेंगे और कोई-न-कोई कार्यवाही करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पी० सी० थामस : मैं समझता हूं कि वे साथ-साथ बैठकर बातें करें और कोई-न-कोई उपाय ऐसा अवश्य निकालें जिससे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण सुपात्र प्रार्थियों को दिया जा सके। यह केवल एक सुझाव ही नहीं है अपितु मैं यह प्रश्न भी कर रहा हूं कि क्या वास्तव में कुछ ऐसे उपाय किये गये जिनसे कि इस संबंध में होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। ऋण प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र को बहुत-सी कठिनाइयां हैं। क्या इस संबंध में कोई नीति या सूत्र (फार्मूला) है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, इतना काफी है।

श्री मुरासोली मारन : इस संबंध में मैं राज्य सरकारों तथा बैंक प्राधिकारियों के साथ दो बार बैठकें कर चुका हूं। यदि किसी विशेष मामले की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाएगा तो मैं उस पर अवश्य ही कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी आपको एक लघु प्रश्न करने की अनुमति है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या बैंकिंग, वित्त व उपकर पर कोई निगरानी रखी जाती है। बैंक अधिकोषण तथा विपणन दो ऐसी चीजें हैं जिनसे अंततोगत्वा अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में पश्चिमी बंगाल पिछड़ गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रानीगंज कोयला क्षेत्रों में दरार

+

***246. श्री राम टहल चौधरी :**

श्री रामकृपाल यादव :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई खानों से अत्यधिक कोयला खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक कोयला खनन के कारण रानीगंज कोयला क्षेत्रों तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे खानों और इसके पास के क्षेत्रों के मकानों को खतरा पैदा हो गया है और वर्षा के मौसम में स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) खानों में कोयले का उत्खनन खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा दिए गए अनुमोदन के अंतर्गत किया जाता है। कोल इंडिया लि॰ के अनुसार खानों में अधिक मात्रा में कोयले का कोई उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नियोजित धंसाव तथा अनियोजित धंसाव के कारण सतह पर दरार/धंसाव होता है। नियोजित रूप से धंसाव कोयला सीमों में केविंग द्वारा उत्खनन किए जाने के कारण होता है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ (ई॰ को॰ लि॰) द्वारा यह सूचित किया गया है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्तमान खनन क्रियाकलापों के कारण कोई अनियोजित धंसाव नहीं हुआ है। किंतु, पश्चिम बंगाल में आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व छिछली गहराई के अंतर्गत मुख्य रूप से भूमिगत खनन किए जाने के कारण पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान 16 धंसाव के मामले हुए हैं।

(ङ) अस्थिर अगम्य भूमिगत क्रियाकलापों को सुदृढ़ीकृत किए जाने की कोई प्रमाणित प्रौद्योगिकी न होने की स्थिति में हाइड्रो-न्यूमेटिक रेत भराई प्रौद्योगिकी की एक नवीनीकृत प्रौद्योगिकी के माध्यम से घनी आबादी वाले क्षेत्रों को सुदृढ़ीकृत किए जाने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों में धंसाव तथा आग की समस्याओं से विस्तृत रूप से निपटने हेतु एक समिति का सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में गठन किया गया है और इसमें योजना आयोग, श्रम मंत्रालय, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकार के प्रतिनिधियों को, खान सुरक्षा महानिदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि॰ तथा भारत कोकिंग कोल लि॰ के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्षमा करें। मैं नहीं जानता था कि कोयला क्षेत्र उस तरफ भी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम टहल चौधरी जी, आप जल्दी से एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास 30 सैकेंड का समय है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, समय तो कम है। मैंने संक्षेप में मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या यह सच है कि अत्यधिक कोयला खनन किया जा रहा है और इस खनन से रानीगंज कोयला क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में दरारें पैदा हो गई हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

इस संबंध में मंत्री जी का जो उत्तर है, वह संतोषजनक नहीं है। इन्होंने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर अधिक खनन नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : समय हो गया है।

श्री राम टहल चौधरी : इन्होंने जो अभी 16 रिसाव के मामलों को बताया है, उसमें कितनी क्षति हुई है और क्या उसकी क्षतिपूर्ति की गई है या नहीं ? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां बराबर धंसाव की बात आती रही है। उस संबंध में दोषी कौन है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास केन्द्र

***244. श्री चित्त बसु :**

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार और स्थानवार कितने औद्योगिक विकास केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इनमें से कितने केन्द्र पूर्ण हो गए/कार्य कर रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इन विकास केन्द्रों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने विकास केन्द्र योजना के त्याग दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन : (क) से (घ) विकास केन्द्र योजना के तहत आज तक देश भर में कुल 54 विकास केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं (विवरण-I)। ये विकास केन्द्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को (विवरण-II) विकास केन्द्रों के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर लगभग 235 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। राज्य सरकारों ने 1.4.97 की स्थिति के अनुसार लगभग 128 करोड़ रुपये के अपने योगदान को जारी करने की रिपोर्ट दी है।

(ङ) विकास केन्द्र योजना को समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

स्वीकृत विकास केन्द्रों की सूची

क्र०सं०	विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	हिन्दपुर	अनन्तपुर
2.	खम्माम	खम्माम
3.	ओंगले	प्रकाशम
4.	विजयानगरम-बोबिली	विजयानगरम
अरुणाचल प्रदेश		
5.	निकलोक नाओरलांग	ईस्ट सियांग
असम		
6.	चारीदुवार	सोनितपुर
बिहार		
7.	बेगुसराय	बेगुसराय
8.	भागलपुर	भागलपुर
9.	छपरा	छपरा
10.	हजारीबाग	हजारीबाग
11.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
गोवा		
12.	इलेक्ट्रोनिक सिटी	वर्ना प्लेटू
गुजरात		
13.	गांधीधाम	कच्छ
14.	पालनपुर	बनासकंठा
15.	वागरा	भड़ौच
हरियाणा		
16.	बावल	रिवाड़ी
हिमाचल प्रदेश		
17.	कांगड़ा	कांगड़ा
जम्मू और कश्मीर		
18.	साम्भा	जम्मू
कर्नाटक		
19.	धारवाड़	धारवाड़
20.	रायचुर	रायचुर
21.	हसन	हसन
केरल		
22.	अल्लेप्पी-पथानामतिता	अल्लेप्पी-पथानामतिता
23.	कन्नूर-कोजीकोड-मालापुरम	कन्नूर-कोजीकोड मालापुरम
मध्य प्रदेश		
24.	बोरई	बोरई
25.	चैनपुरा	गुना

1	2	3
26.	भिरौंगी	भिंड
27.	खेड़ा	धार
28.	सतलापुर	रायसेन
29.	सिलतारा	रायपुर
महाराष्ट्र		
30.	अकोला	अकोला
31.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
32.	धुले	धुले
33.	रत्नागिरि	रत्नागिरि
मेघालय		
34.	मेंडीपठार	पूर्वी गारो पहाड़िया
मिजोरम		
35.	लुआगंमुअल	एजवाल
उड़ीसा		
36.	छत्रपुर	गंजम
37.	दुबुरी	कटक
पंजाब		
38.	भटिंडा	भटिंडा
39.	पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान		
40.	आबू रोड	सिरोही
41.	बीकानेर	बीकानेर
42.	झालवाड़	झालवाड़
43.	धौलपुर	धौलपुर
तमिलनाडु		
44.	इरोड	पेरियार
45.	तिरूनेल्वेली (गंगाई कोन्डालनानुर ब्लॉक)	तिरूनेल्वेली-कट्टाबोम्मन
उत्तर प्रदेश		
46.	बचौली-बुजुर्ग	झांसी
47.	बन्थारा	शाहजहांपुर
48.	चौधरपुर	मुरादाबाद
49.	खुर्जा	बुलंदशहर
50.	मुंगरा सथारिया	जौनपुर
51.	सहजनवा	गोरखपुर
पश्चिम बंगाल		
52.	बोलपुर	बीरभूम
53.	जलपाईगुडी	जलपाईगुडी
54.	माल्दा	माल्दा

विवरण-II

31.7.97 तक जारी की गई केन्द्रीय राज सहायता

क्र॰सं॰	विकास केन्द्र का नाम	केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि रुपये लाख में
1	2	3
		रुपये लाख में
आंध्र प्रदेश		
1.	हिंदपुर	200.00
2.	खम्माम	50.00
3.	अंगोले	300.00
4.	विजयानगरम-बोबिली	440.00
अरुणाचल प्रदेश		
5.	निकलोक नाओरलंग	50.00
असम		
6.	चारीदुवार	50.00
बिहार		
7.	भागलपुर	50.00
8.	बेगुसराय	300.00
9.	छपरा	50.00
10.	हजारीबाग	200.00

1	2	3
11.	मुजफ्फरपुर	50.00
गोवा		
12.	इलेक्ट्रॉनिक सिटी	524.00
गुजरात		
13.	गांधी धाम	100.00
14.	पालनपुर	100.00
15.	वागरा	1000.00
हरियाणा		
16.	बावल	1000.00
हिमाचल प्रदेश		
17.	कांगड़ा	450.00
जम्मू और कश्मीर		
18.	साम्भा	600.00
कर्नाटक		
19.	धारवाड़	1000.00
20.	रायचुर	680.00
21.	हसन	940.00
केरल		
22.	एल्लेप्पी-पथानामतिता	268.00
23.	कन्नूर-कोजीकोड-मालापुरम	1000.00
मध्य प्रदेश		
24.	बोराई	668.00
25.	चैनपुरा	100.00
26.	घिरौंगी	1000.00
27.	खेड़ा	1000.00
28.	सतलापुर	435.00
29.	सिलतारा	1000.00
महाराष्ट्र		
30.	अकोला	700.00
31.	चन्द्रपुर	400.00
32.	धुले	200.00
33.	रत्नागिरि	240.00
मेघालय		
34.	मेंडीपठार	50.00
मिजोरम		
35.	लुआगंमुअल	50.00
उड़ीसा		
36.	छत्रपुर	50.00
37.	डुबरी	50.00
पंजाब		
38.	भटिंडा	1000.00
39.	पठानकोट	1000.00
राजस्थान		
40.	आबूरोड	1000.00
41.	बीकानेर	300.00
42.	धारवाड़	350.00
43.	धौलपुर	350.00
तमिलनाडु		
44.	इरोडे	1000.00
45.	तिरूनेल्वेली	930.00
उत्तर प्रदेश		
46.	बचौली बुजुर्ग	50.00
47.	बंथारा	50.00
48.	चौधरपुर	50.00
49.	खुर्जा	470.00
50.	मुगरा-सथारिया	450.00
51.	सहजनवा	1000.00
पश्चिम बंगाल		
52.	बोलपुर	50.00
53.	जलपाई गुड़ी	50.00
54.	मालदा	50.00
	कुल :	23495.00

न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधा

*247. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अथवा अन्यथा न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य को 15 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप): (क) और (ख) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 1993-94 से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक स्कीम प्रारंभ की गई थी, इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के संसाधनों की अनुपूर्ति करना था। यह स्कीम न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय भी हैं, आवासिक स्थानों के सन्निर्माण तक परिसीमित है। इस स्कीम के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक रकम, कतिपय मानदंडों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाती है। राज्य सरकारों को भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रकम के तुल्य अंश का उपबंध करना पड़ता है। तथापि, राज्य सरकारें अपने संसाधनों पर निर्भर रहते हुए, अतिरिक्त रकम खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्ष 1993-94 से इस स्कीम के अधीन 180.43 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस रकम में से केरल के लिए 5.93 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया था। वर्ष 1997-98 के लिए सम्पूर्ण देश के लिए 50 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है और केरल के लिए 1.60 करोड़ रुपए की रकम का आबंटन है जिसका 50% पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) से (ङ) केरल सरकार ने, एर्नाकुलम में एक नए उच्च न्यायालय परिसर की लागत को पूरा करने के लिए 15 करोड़ रुपए के एक विशेष अनुदान का अनुरोध किया था। इस विषय पर, योजना आयोग से वार्ता की गई थी। योजना आयोग ने केरल को 15 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की व्यवस्था कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। राज्य सरकार को, तदनुसार, सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

गैर कृषि ऋणों में गिरावट

*248. **श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के गत दो महीनों के दौरान बैंकों के गैर कृषि ऋणों में गिरावट आई है जबकि उक्त अवधि के दौरान कुल बैंक ऋणों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन ऋणों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि 23 मई, 1997 और 18 जुलाई, 1997 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बैंक ऋण में 1359 करोड़ रुपए (0.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान खाद्येत्तर ऋणों में 1560 करोड़ रुपए (0.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष के पिछले दो महीनों के लिए क्षेत्रीय ऋण अभिनियोजन के आंकड़े अभी आर॰ बी॰ आई॰ के पास उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

ऊन का निर्यात

*249. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में ऊन तथा ऊनी उत्पादों का निर्यात किया गया है और इनका मूल्य क्या है;

(ख) किन-किन देशों को ऊन का निर्यात किया जाता है;

(ग) विभिन्न देशों को ऊन का निर्यात किए जाने के मामले में निर्यातकों को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं के निदान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई ऊन तथा ऊनी वस्त्र उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) जिन प्रमुख देशों को इन उत्पादों का निर्यात किया जाता है उनके नाम नीचे दिये गए हैं -

ऊनी वर्स्टेड फैब्रिक्स	:	कनाडा, दुबई, हांगकांग और यू॰ के॰
ऊनी वर्स्टेड यार्न	:	यू॰ के॰ और इटली
ऊनी मेड अप्स	:	यू॰ एस॰ ए॰, यू॰ के॰, बेनिलेक्स और फ्रांस
ऊनी निटवियर	:	सी॰ आई॰ एस॰ के देश, यू॰ एस॰ ए॰, फ्रांस और यू॰ के॰

(ग) और (घ) देश में ऊनी वस्त्र निर्यातकों के सामने पेश आ रही मुख्य समस्या देशीय अपैरल ग्रेड की अपरिष्कृत ऊन की अनुपलब्धता है जिसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

सरकार ऊनी वस्त्र निर्यातकों की समस्याओं को हल करने के लिए तथा

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

1. निर्यातकों को क्रेता विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना।
2. निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करना।
3. अपैरल ग्रेड की ऊन के आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना।
4. निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को बाजार विकास सहायता दी जाती है।
5. पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमरीका तथा स्केन्डीनेवियन देशों में नए बाजारों को अभिज्ञात करना।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊन तथा ऊनी वस्त्र उत्पादों के निर्यात की प्रवृत्तियां

मूल्य करोड़/000 रु. में

उत्पाद		1994-95 रु.	1994-95 अमरीकी डालर	1995-96 रु.	1995-96 अमरीकी डालर	1996-97 रु.	1996-97 अमरीकी डालर
1.	वर्स्टेड फैब्रिक्स	52.91	16534	118.19	34762	158.64	45326
2.	ऊनी निटवियर	168.90	52781	220.12	64741	414.37	118391
3.	ऊनी कंबल	23.00	7187	31.63	9303	44.11	12603
4.	शाल, स्कार्फस, मफलर और रूमाल	100.25	31328	126.72	37271	187.56	53589
5.	मशीन निर्मित कालीन	—	—	0.35	103	0.50	143
6.	अन्य (ऊनी टाप्स)	5.40	1687	6.10	1794	6.20	1771
	(यार्न)	97.90	30593	120.49	35438	153.31	43803
7.	हेयर बेटिंग	3.00	937	3.10	912	3.20	914
8.	वूलन हथकरघा वूलन वस्त्र	86.17	26928	34.03	10009	30.42	8691
	कुल :	537.53	167975	660.73	194333	998.31	285231
9.	एक्रेलिक निटवियर	92.90	29031	94.05	27662	97.20	27771
10.	सिले सिलाए ऊनी परिधान	355.00	110937	390.94	114982	550.40	157257
	कुल :	985.43	307943	1145.72	336977	1645.91	470259

[हिन्दी]

मुख्य न्यायाधीश का वक्तव्य

***250. कुमारी उमा भारती :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार का ध्यान भारत के मुख्य न्यायाधीश के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि जैन हवाला मामले की सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को इस पीठ से हट जाने के लिए दबाव डाला गया था;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देती है और सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसमें किसी कीमत पर समझौता किया जाए। इस विषय पर, न्यायाधीशों से बात करने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्ति प्राधिकृत नहीं किया गया था। और इस संबंध में, सरकार की ओर से किसी ने भी न्यायाधीशों से बात नहीं की है।

[अनुवाद]

मोची समुदाय

***251. श्री श्रीवल्लभ प्राणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोची सोसायटियों विशेष रूप से महाराष्ट्र में मोची सोसायटियों ने प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत संशोधित स्वत: पुनर्वित्तीय सुविधाओं सहित कर संबंधी रियायतों तथा राजसहायताओं का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे स्तर के मोचियों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की जो राजसहायता दी गई थी उसका सुनियोजित ढंग तथा चालाकी से अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने "प्राथमिकता क्षेत्र" ऋणों के संबंध में सभी बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनका उन्हें ऋण मंजूर करते समय पालन करना होता है। इसके उपरांत, बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को इस प्रकार का ऋण देने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। बैंकों को प्रलेखन आदि के संबंध में अपने आंतरिक विनियमों का पालन भी करना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि जहां तक बैंकों द्वारा मोची समितियों को ऋण दिये जाने का संबंध है, ये ऋण संशोधित स्वयमेव पुनर्वित्त योजना (एम॰ ए॰ आर॰ एस॰) के अंतर्गत दिये जाते हैं। संशोधित स्वयमेव पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, महाराष्ट्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र की दो मोची समितियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत उनके द्वारा लिए गए बैंक वित्त पर ब्याज सब्सिडी की भुगतान किया गया था और इन दोनों मामलों में क्रमश: 7. 36 लाख रुपए और 10. 62 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी।

(ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने, जो लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, दो समितियों के खिलाफ पुलिस आयुक्त, मुम्बई के पास एक शिकायत दर्ज कराई है और यह मामला मुम्बई पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा) की जांच के अधीन है।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

***252. श्री शरत पटनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकताओं से मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उद्यमियों तथा देश को क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार शेष उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकताओं से मुक्त करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में समय-सीमा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) इस समय, अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत 9 उद्योग हैं। अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत रखी गई मदों की सूची की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

लाइसेंस मुक्तिकरण के परिणामस्वरूप उद्यमियों और देश को होने वाले लाभों में उद्यमियों की औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्द्धा और उद्यमियों को निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय लेने में स्वतंत्रता शामिल है जिससे अपेक्षाकृत अधिक विकास होगा। इसके साथ-साथ लाइसेंस मुक्तिकरण बहुल औद्योगिक उपयोगों वाले उत्पादों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का समावेश करने में भी सहायक होगा। इस कदम में एक अनुगृहित गंतव्य के रूप में भारत की छवि भी बढ़ने की आशा है।

धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या और अंतर्ग्रस्त राशि

***253. श्री ए॰ सम्पथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 में देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात् बैंकों में धोखाधड़ी की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) धोखाधड़ी की इन घटनाओं में बैंक-वार कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) भविष्य में धोखाधड़ी की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1990 से 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों की बैंक-वार संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) के कहने पर घोटालों को रोकने के लिए समय-समय पर कई उपाए किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा समेकित मार्ग निर्देश जारी करना, आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ियों के मामलों की पुनरीक्षा, विशेष मामलों में बैंकों को कार्य-प्रणाली की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के अपेक्षित उपायों की जानकारी देना, परिचालन कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण और कथित बड़े घोटालों के मामलों की जांच तथा संवीक्षा के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी बहुल क्षेत्रों में प्रणाली और प्रक्रिया तथा नियंत्रण व्यवस्था सहित आकस्मिक निरीक्षण करना।

विवरण

वर्ष 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पाई गई धोखाधड़ियों की बैंक-वार संख्या और उसमें शामिल राशि को दर्शानेवाला विवरण

(लाख रुपए में)

		धोखाधड़ियों की संख्या							शामिल राशि						
क्र. सं.	बैंक का नाम	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	भारतीय स्टेट बैंक	506	547	499	597	616	554	468	994.30	520.64	478.39	77.44	2010.97	789.99	3087.12
		*3	*6	*4	*2			*7	US$ 7500	195.36	84.40	25.08			2015.10
									349.74						
2.	स्टेट बैंक बी. एण्ड जयपुर	32	19	21	36	21	18	13	113.94	603.54	171.64	536.63	11.06	194.45	41.73
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	24	14	33	28	23	40	36	74.16	34.73	19.05	97.11	63.55	157.59	1287.28
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	17	9	24	20	26	09	16	337.85	77.50	11.48	161.63	1169.39	19.63	483.47
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	34	24	27	28	37	38	23	30.36	12.89	15.84	7.51	252.95	22.87	610.34
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	12	9	15	26	30	33	19	36.04	6.39	64.80	222.61	100.05	610.11	1432.48
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	8	11	10	7	12	9	13	21.87	121.20	84.35	16.17	17.98	106.26	93.99
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	17	14	21	20	25	22	29	35.21	8.92	93.77	32.49	70.22	126.21	2067.56
9.	इलाहाबाद बैंक	31	34	38	33	39	48	59	24.97	25.56	67.46	45.14	2343.58	105.32	6806.81
10.	आन्ध्रा बैंक	38	35	41	66	25	41	37	799.40	290.03	1028.75	2130.92	131.00	523.80	201.39
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	80	79	70	139	159	114	101	181.83	240.95	281.64	568.46	2905.71	1151.74	949.12
		*16	*10	*5	*12	*15	*10		90.13	30.11	30.07	35.54	528.63	52.85	
									+USh.		F$1500		+USh.		
									4597787				9844000		
12.	बैंक ऑफ इण्डिया	81	96	154	168	215	156	158	255.73	689.03	701.75	725.19	728.62	496.82	389.25
		*6	*6	*6	*16	*11	*04		15.70	38.53	2355.83	4249.29	988.51	8.84	
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6	12	31	22	50	31	34	1979.19	742.29	298.63	404.65	465.11	1891.65	79.86
14.	केनरा बैंक	156	115	140	259	217	167	213	2295.96	489.14	369.35	801.13	1402.21	1953.01	861.21
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	50	68	50	85	130	73	142	148.63	106.04	1311.66	3234.72	347.46	188.64	5959.80
16.	कार्पोरेशन बैंक	17	19	14	31	38	23	23	49.16	6.64	16.47	42.24	38.28	86.13	117.45
17.	देना बैंक	22	20	32	20	22	14	27	24.35	46.16	33.66	159.65	1049.62	140.04	70.28
18.	इण्डियन बैंक	45	56	65	41	60	37	34	87.10	223.73	319.93	638.24	286.26	83.08	102.99
19.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	46	60	83	75	71	43	49	11.04	18.67	745.40	143.54	356.97	326.92	113.28
20.	न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	28	19	25	29	—	—	—	757.42	517.28	495.83	69.72	—	—	—
21.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	12	7	6	22	14	12	30	26.10	80.25	26.66	102.97	230.88	630.80	1306.95
22.	पंजाब नेशनल बैंक	107	42	54	88	118	56	66	100.67	218.59	111.53	3224.29	2003.36	212.70	1519.17
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	16	14	6	21	17	17	24	33.93	198.70	245.61	654.21	163.26	74.38	251.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	सिंडिकेट बैंक	113	116	96	139	103	109	154	123.36	381.85	202.38	174.10	1371.80	782.43	484.62
25.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	60	65	44	61	39	59	79	374.64	46.05	47.45	756.54	336.54	251.71	770.08
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	42	24	26	50	43	40	33	17.36	7.71	243.29	11459.66	171.09	41.21	691.56
27.	यूको बैंक	29	57	39	35	58	74	39	131.88	492.18	4466.87	183.46	416.89	374.17	107.90
			*2		*4					12.25		165.27			
28.	विजया बैंक	33	40	38	33	32	39	28	1069.81	58.40	25.16	190.83	45.93	147.77	35.26
	योग	1687	1559	1717	2213	2266	1890	1954	10592.83 +US$7500 +U.Shs. 4597787	6541.31	14449.10 +F$1500	32032.43	20007.88 +U.Sh. 9844000	11551.12	31937.63

*भारत से बाहर,

U.Sh = यू. एस = युगांडा सिलिंग्स, 'FS' एफ डॉलर = फिजियन डालर

(आंकड़ा अनन्तिम)

समेकित बुनियादी ढांचागत विकास परियोजना (आई. आई. डी.)

***254. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आठ और समेकित बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाएं (आई. आई. डी.) स्थापित करने संबंधी योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना लघु उद्योग धंधों तथा अति लघु इकाइयों के समूहों का संवर्द्धन करने, कृषि और उद्योग के बीच संपर्क को बढ़ावा देने तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सेवाओं का उन्नयन करने के लिए है;

(घ) यदि हां, तो देश में कुल कितने आई. आई. डी. केन्द्र कार्यरत हैं; और

(ङ) ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचागत इकाइयों में सुधार लाने में कहां तक सहायक होंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विभिन्न राज्यों में 8 एकीकृत आधारभूत विकास परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के स्थापना स्थल दारांग (असम), भिवानी व जींद (हरियाणा), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), कोलार (कर्नाटक), कन्नूर (केरल), सेठनी (मध्य प्रदेश) और चन्देल (मणिपुर) में हैं।

(ग) 1994 में शुरू की गई एकीकृत आधारभूत विकास योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु तथा अति लघु एककों के समूह को बढ़ावा देने, तथा नये/मौजूदा केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन/प्रोन्नयन करके कृषि तथा उद्योग के बीच मजबूत संपर्कों को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर जुटाने और निर्यात को विकसित करने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार प्रत्येक केन्द्र को 2 करोड़ रु. तक का अनुदान देती है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 3 करोड़ रु. तक के सावधिक ऋण मुहैया कराता है। एक एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र में करीब 450 एककों का समायोजन होने की प्रत्याशा की जाती है।

(घ) अब तक सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुल 32 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिनमें वे आठ परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनको मई, 1997 में स्वीकृति दी गई थी। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ङ) एकीकृत आधारभूत विकास योजना न केवल नवीन एककों की आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है बल्कि इनका उद्देश्य मौजूदा आधारभूत सुविधाओं जैसे कि बिजली, पानी, दूरसंचार सामान्य सेवा सुविधा के दर्जे को बढ़ाना भी है जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों/मौजूदा केन्द्रों में प्रौद्योगिकी सहायता सेवा आदि भी शामिल है।

गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां

***255. श्री प्रमोद महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संख्या कितनी है और ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जिनका शुद्ध कारोबार 1 करोड़ रुपये से अधिक है और जिनका 1 करोड़ रुपये से कम है;

(ख) क्या देश में भारतीय तथा विदेश बैंकों ने अपंजीकृत एन. बी. एफ. सी. को कोई सेवा न देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत तथा अपंजीकृत एन० बी० एफ० सी० के अनुमानत: कुल कितने वित्तीय दायित्व हैं;

(ङ) इससे कितने जमाकर्त्ताओं के प्रभावित होने की संभावना है; और

(च) यदि एन० बी० एफ० सी० द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो इस स्थिति से निपटने तथा जमाकर्ताओं की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

विवरण

(क) दिनांक 9.1.1997 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किए जाने से पूर्व, 50 लाख रुपये और इससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधियों वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वैच्छिक पंजीकरण कराने की योजना विद्यमान थी। इस योजना के अंतर्गत 852 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण कराया। 40000 से अधिक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां डाक-सूची में थीं, जिसमें से लगभग 10,000 कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना दे रही थीं। 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए विवरणों के अनुसार, लगभग 1441 गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां एक करोड़ रुपए या इससे अधिक थीं और शेष कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां 1 करोड़ रुपये से कम थीं।

संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 451-ए के प्रावधानों के अंतर्गत, ऊपर उल्लिखित गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों सहित सभी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों को 8 जुलाई, 1997 को या इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों से पंजीकरण के लिए 37478 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में बैंकों को अभी तक कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(घ) और (ङ) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर, उनकी विनियमित जमा राशियां 35,795 करोड़ रुपए की थीं, जिसमें से 11,155 करोड़ रुपए की सार्वजनिक जमा राशियां थीं। गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं की वास्तविक संख्या भारतीय रिजर्व बैंक को ज्ञात नहीं है।

(च) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा भुगतान में चूक किए जाने के मामले में, जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 क्यू ए (2) के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। निरंतर चूकों के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एम सी के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च न्यायालय में परिसमापन की याचिका दायर कर सकता है, बशर्ते कि, कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ अपने ऋणों की अदायगी करने में असमर्थ हो।

[हिन्दी]

औद्योगिक रुग्णता

***256. श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1997 के पायनियर में "सिक कंपनीज लॉसेस टोटल रुपीज 23,000 करोर्स" शीर्षके के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की ऐसी रुग्ण कंपनियों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जो औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास पंजीकृत की गई हैं;

(घ) इन कंपनियों द्वारा गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष कितना घाटा उठाया गया;

(ङ) उनमें कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(च) इसके परिणामस्वरूप कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए; और

(छ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) :

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (च) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की "निष्पादन समीक्षा 1996" के अनुसार बोर्ड में पंजीकृत रुग्ण इकाइयों की संख्या 1853 है। इनमें से 145 इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं (61 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 84 राज्य सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम)।

बोर्ड के पास पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या (उन्हें छोड़कर जिन्हें रखने योग्य नहीं पाये जाने के कारण निलंबित किया गया) 11,83,432 है। इन कंपनियों का निविल मूल्य 8,981 करोड़ रुपये है।

(छ) सरकार ने औद्योगिक रुग्णता से उभरने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी मार्गनिर्देश, स्वस्थ इकाइयों के साथ रुग्ण इकाइयों का विलय, रुग्ण

औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अंतर्गत, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय नवीकरण निधि, राष्ट्रीय इक्विटी निधि की स्थापना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास के लिए नीति

***257. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :**

श्री जी. ए. चरण रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास में गिरावट से चिंतित होकर, उन्होंने विभिन्न क्षेत्र विशेष दलों के साथ बैठकें करना आरंभ कर दिया है ताकि विकास में फिर से जान फूंकने के लिए नीति बनाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कागज और सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों द्वारा क्या मुख्य समस्याएं बताई गई हैं;

(घ) इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार उद्योगों को कितनी सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में यह तरीका सरकार तथा उद्योग दोनों ही के लिए किस सीमा तक सहायक रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरोसोली मारन) :

विवरण

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग द्वारा बताई गई मुख्य समस्याओं में कर का अधिक बोझ, आधारभूत संरचना संबंधी बाधाएं तथा अनिवार्य जूट पैकेज संबंधी आर्डर की समस्या शामिल है। कागज के मामले में बताई गई मुख्य समस्याओं में पर्याप्त कच्चे माल की अनुपलब्धि, पुरानी प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना संबंधी बाधाएं तथा विदेशी आपूर्तिकारों द्वारा डम्पिंग की समस्या शामिल हैं। उद्योग मंत्रालय ने इनमें से कुछ मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया है।

(ङ) सरकार और उद्योग द्वारा की गई परस्पर कार्यवाही से उत्पादन में सुधार होता है।

हथकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

***258. डॉ. असीम बाला :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान हथकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई परियोजना पैकेज योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) हथकरघा बुनकरों को दिये जाने वाले संभावित अतिरिक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) :

विवरण

(क) हथकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण एक नियमित प्रक्रिया है। सरकार हथकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वर्तमान योजनाओं के माध्यम से कई उपाय कर रही है।

(ख) प्रोजेक्ट पैकेज योजना, जिसका अभी हाल में संशोधन किया गया है, इसके साथ-साथ, नये/आधुनिक करघों के प्रावधान के लिए अपेक्षित सहायता, उपेक्षित करघों का आधुनिकीकरण, विद्यमान करघों को वाणिज्य/संशोधित करघों में बदलना, उत्पाद का अनुकूलन/विकास तथा उपकरणों के प्रावधान के लिए विचार किया गया।

(ग) प्रोजेक्ट पैकेज योजना 1997-98 के दौरान जारी रहेगी।

(घ) उत्पादन तथा विपणन को बढ़ाने के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास तथा निवेश का प्रावधान, करघों/उपकरणों के आधुनिकीकरण के संबंध में नये प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन अपेक्षित सहायता के लिए हैं।

संविदा अधिनियम में संशोधन

***259. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1997 के 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में 'अमेंडमेंट्स इन कट्रैक्ट एक्ट फ्लेड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तथा सुधारात्मक उपाए किए जाने का प्रस्ताव है कि इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में किए जा रहे संशोधन के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक समझा गया तो सुधारात्मक अध्युपाय किए जाएंगे।

एशियाई विकास बैंक से सहायता

*260. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में भारत की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 100 बिलियन डालर की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक उक्त राशि भारत को उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री ने एशियाई विकास बैंक के साथ 12 मई को हुई बैठक में भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिये गये; और

(ङ) एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत की आवश्यकता को किस हद तक स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) वित्त मंत्री ने भारत के गवर्नर के रूप में अपनी हैसियत का उपयोग करते हुए मई, 1997 में फुकुओका, जापान में सम्पन्न एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 30वीं वार्षिक बैठक में अपने वक्तव्य में आधारभूत क्षेत्र के लिए आगामी पांच वर्षों के दौरान 100 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक की भारतीय मांग को उजागर किया था।

बैठक में किसी विशेष आधारभूत परियोजना अथवा एशियाई विकास बैंक द्वारा पूर्ण आधारभूत आवश्यकताओं के निधिकरण के बारे में कोई विशेष विचार-विमर्श नहीं किया गया।

मृतक के बैंक खाते का उपयोग

2650. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :**

श्री आई. डी. स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मामलों में बैंक खाताधारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा खाताधारियों की मृत्यु होने की सूचना बैंक को नहीं दी जाती है और उक्त खातों का उपयोग इनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा खाताधारियों की मृत्यु होने के पश्चात् भी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निजी और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंकों में इस तरह के कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को आंकड़ा निगरानी प्रणाली से पूछी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार उन संयुक्त खातों के मामले में जहां खातों को "दोनों या उत्तरजीवी" द्वारा संचालित रखने का अधिदेश है, उत्तरजीवी धारक खाता चला सकता है, क्योंकि वह संयुक्त खाता धारकों में से एक की मृत्यु हो जाने पर शेष खाते का हकदार है। अन्य संयुक्त खाता धारक (धारकों) के मामले में, जहां या तो खाताधारकों द्वारा संयुक्त रूप से संचालन की अनुमति है या उस मामले में जिसमें एक ही जमाकर्ता द्वारा खातों का संचालन होता है, खाताधारक की मृत्यु के बाद संचालन की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे मामलों में उत्तरजीवी धारक (धारकों)/नामितों (नामितियों)/कानूनी धाकर (धारकों) को अपेक्षित दस्तावेज अर्थात् मृत्यु प्रमाणपत्र, विभिन्न कानूनी उत्तराधिकारियों के कार्यों के संबंध में घोषणा, दावा संबंधी आवेदन पत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, आदि सक्षम न्यायालय से लेकर, यदि इसमें, बड़ी धनराशि अंतर्ग्रस्त हो, बैंक को प्रस्तुत करके उसे संतुष्ट करना होता है। उत्तरजीवियों के लिए खाता-धारक की मृत्यु के बारे में बैंक को सूचित करना अनिवार्य है।

विवेकाधीन मानदंडों को हलका बना देना

2651. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1997 में ऋण वर्गीकरण तथा ऋण प्रावधानों के लिए विवेकाधीन मानदंडों को हलका बनाना आवश्यक समझा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विवेकाधीन मानदंडों का हलका बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने आय का पता लगाने, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान एवं पूंजी पर्याप्तता से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करते हुए सभी वाणिज्यिक बैंकों को जनवरी, 1997 में एक परिपत्र जारी किया है। ये स्पष्टीकरण बैंक लेखा-परीक्षा समिति की बैठक में विचार-विमर्श के बाद जारी किए गये हैं। इस परिपत्र में निहित निर्देशों का आशय व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है न कि विवेकपूर्ण मानदंडों तथा ऋण वर्गीकरण एवं ऋण/घाटा प्रावधानों को हलका करना।

उच्चतम न्यायालय के केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निदेश

2652. **श्री आई. डी. स्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक मामले में गत वर्ष यह निर्णय दिया था कि आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन अपने आप में कदाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कितने अधिकारी लंबे समय से अपना दायित्व ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं; और

(घ) बैंकवार इन सभी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1996 में दिए गए निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि किसी बैंक या अन्य किसी संगठन के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अपने अधिकारों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए और कोई बैंक तब तक सही व प्रभावपूर्ण ढंग से काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके अधिकारी तथा कर्मचारी निर्धारित मानदंडों का अनुपालन न करें वे अनुशासनबद्ध न हों। न्यायालय ने वह भी काफी लंबी अवधि के लिए और असंख्य मामलों में यह आप में एक कदाचार का मामला है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा एकत्रीकरण प्रणाली प्रश्न में मांगे गए विवरण के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं करवाती है। तथापि, यथाउपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनकी सूचना इस प्रकार है :

		1994	1995	1996
(क)	दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या	50	33	46
(ख)	बड़े/छोटे दण्ड प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	1248	1160	1207
(ग)	बर्खास्त/सेवा मुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	331

स्टेट बैंक आफ इंदौर

2653. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंक ने 1991 तथा 1992 में दिल्ली की करेंसी चेस्ट शाखाओं के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंदौर पर एक करोड़ रुपये से भी अधिक का ब्याज दंड लगा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की दिल्ली शाखाओं के अधिकारियों ने 1995 में अपनी सीमा/प्राधिकार से बाहर जाकर चैक खरीदे/कम लाभ पर बेचे;

(ङ) यदि हां, तो क्या उच्च प्रबंधकों ने इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे उच्च अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखाओं द्वारा करेंसी चेस्ट लेन-देनों की गलत/देरी से रिपोर्ट करने के लिए इससे वसूल किए गए दंडात्मक ब्याज की राशि 34.63 लाख रु. थी।

(ख) और (ग) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने सूचित किया है कि उपर्युक्त मामले की जांच करने पर शाखा के प्रधान कैशियर और सात अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया था जिनमें से चार अधिकारियों को प्रशासनिक चेतावनी दी गई है, दो अधिकारियों को आरोपपत्र दिए गए हैं और "निंदा" का दंड दिया गया है तथा शेष एक अधिकारी के मामले की बैंक जांच कर रहा है। इस शाखा के प्रधान कैशियर को भी आरोप पत्र दिया गया है और प्रशासनिक चेतावनी का दंड दिया गया है।

(घ) से (च) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने सूचित किया है कि उनकी दिल्ली की शाखाओं में विवेकपूर्ण शक्तियों के अतिक्रमण करने वाले सभी मामले दैनिक कारोबारी लेन-देन से संबंधित हैं और शाखा प्रबंधकों की कार्रवाइयों की बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि कर दी गई थी। चूंकि वास्तविक कारोबारी लेन-देन के लिए सामान्य कारोबार के तहत सभी चैकों की खरीद की गई थी, इसलिए बैंक ने कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी थी।

भारत नेपाल समझौते की समीक्षा

2654. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार के मध्यम तथा लघु उद्योगों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत-नेपाल समझौते की समीक्षा करने के लिए अभ्यावेदन दिया है जो समझौते के 'शुल्क-मुक्त' प्रावधान से प्रभावित होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) पश्चिम बंगाल सरकार से, भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत, नेपाल में विनिर्मित उत्पादों को शुल्क मुक्त आयात करने के लिए प्रावधान की समीक्षा करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महिला कामगार

2655. श्री महबूब जहेदी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. के राष्ट्रीयकरण के समय कितनी महिला कामगार थीं और 30 जून, 1997 तथा 31 दिसम्बर, 1996 को अनुषंगी कंपनियों-वार कितनी महिला कामगार थीं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला कामगारों की संख्या में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार कमी की दर क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) राष्ट्रीयकरण के समय महिला कामगारों की संख्या नीचे दर्शायी गई है:

भा० को० को० लि०	22,725
सी० एम० ए० एल०	32,452
जोड़	55,177

30.6.1997 तथा 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनी-वार महिला कामगारों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :

कंपनी	महिला कामगारों की संख्या	
	30.6.97 की स्थिति के अनुसार	31.12.1996 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
ई० को० लि०	9830	9772
भा० को० को० लि०	11260	11404
से० को० लि०	7708	7695
सा० ई० को० लि०	2958	2882
वे० को० लि०	3549	3445
म० को० लि०	768	757
ना० को० लि०	889	889
ना० ई० को०	298	298
के० खा० आ० डि० स० लि०	139	139
डी० सी० सी०	21	20
को० ई० लि० (मुख्या०)	175	174
जोड़	37095	36964

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में महिला कामगारों की संख्या में गिरावट आई है, जिसके संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष (1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार)	महिला कामगारों की संख्या
1997	37030
1996	37267
1995	42227
1994	44123
समग्र रूप में कमी (पिछले तीन वर्षों में)	7093
प्रतिशत कमी	16.08

(घ) महिला कामगारों की संख्या में आई गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) प्राकृतिक क्षति अर्थात् सेवा-निवृत्ति, मृत्यु आदि।

(ii) बी० पी० ई० तथा को० ई० लि० की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति।

(iii) महिलाओं के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति।

(iv) त्याग-पत्र।

(v) रोजगार से बर्खास्तगी/सेवा समाप्त किया जाना।

[हिन्दी]

महिला न्यायालयों में लंबित मामले

2656. श्री अशोक प्रधान : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में महिला न्यायालयों में अनेक मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय इन न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इन न्यायालयों की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कोई महिला न्यायालय नहीं है।

[अनुवाद]

नमक का उत्पादन खपत

2657. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार नमक का कितना उत्पादन तथा खपत थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में नमक का निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान नमक (खाद्य तथा औद्योगिक दोनों) का राज्यवार उत्पादन तथा खपत क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यातित नमक की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यातित मात्रा (हजार टन)
1994	472.9
1995	516.4
1996	546.8

विवरण-I

राज्यवार नमक का उत्पादन

क्र॰ सं॰	राज्य	हजार टन में उत्पादन		
		1994	1995	1996
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान	1096.7	1526.2	1131.4
2.	गुजरात	8881.4	8824.4	10403.5
3.	महाराष्ट्र	185.8	224.3	245.9
4.	कर्नाटक	21.9	17.2	18.9
5.	तमिलनाडु	2010.9	1738.8	2283.6
6.	आंध्र प्रदेश	262.0	139.9	276.4
7.	गोवा	2.2	1.7	2.5
8.	उड़ीसा	50.6	26.5	47.0
9.	पश्चिम बंगाल	14.2	19.3	21.7
10.	हिमाचल प्रदेश	2.1	1.9	2.5
11.	दमन और द्वीव	16.4	23.8	32.7
	कुल	12344.2	12544.0	14466.1

विवरण-II

खाद्य तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए राज्यवार नमक की खपत

(सभी आंकड़े हजार टन में)

क्र॰ सं॰	राज्य	1994			1995			1996		
		खाद्य	औद्योगिक	कुल	खाद्य	औद्योगिक	कुल	खाद्य	औद्योगिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	339.7	132.0	471.7	253.4	134.9	388.3	116.8	137.1	253.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.5	—	3.5	4.1	—	4.1	8.6	—	8.6
3.	असम	184.4	27.6	212.0	179.6	45.4	225.0	225.1	33.5	258.6
4.	बिहार	580.0	57.1	637.1	709.9	58.0	767.9	707.6	79.4	787.0
5.	गोवा	3.7	—	3.7	1.8	—	1.8	2.2	0.2	2.4
6.	गुजरात	1425.9	2847.2	4273.1	188.3	3224.7	3413.0	118.7	3899.5	4018.2
7.	हरियाणा	5.8	74.6	80.4	39.0	60.1	99.1	17.7	48.0	65.7
8.	हिमाचल प्रदेश	2.1	2.1	4.2	9.0	1.9	10.9	8.2	2.3	10.5
9.	जम्मू तथा कश्मीर	19.7	—	19.7	26.5	0.1	26.6	17.9	—	17.9
10.	कर्नाटक	164.0	127.6	291.6	161.2	82.4	243.6	80.3	102.6	182.9
11.	केरल	161.3	87.6	248.9	137.4	108.7	246.1	103.7	69.9	273.6
12.	मध्य प्रदेश	181.5	210.3	391.8	245.4	272.3	517.7	260.7	278.0	538.7
13.	महाराष्ट्र	358.6	261.2	619.8	538.3	306.7	845.0	575.8	275.7	851.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मणिपुर	12.3	—	12.3	15.3	—	15.3	18.8	—	18.8
15.	मेघालय	3.6	—	3.6	12.4	—	12.4	7.4	—	7.4
16.	मिजोरम	5.0	—	5.0	3.4	—	3.4	9.8	—	9.8
17.	नागालैण्ड	11.0	—	11.0	10.1	—	10.1	13.5	—	13.5
18.	उड़ीसा	167.5	38.5	206.0	185.9	44.6	230.5	183.1	35.5	218.6
19.	पंजाब	29.4	214.7	244.1	65.0	190.0	255.0	50.4	178.3	228.7
20.	राजस्थान	42.0	280.7	322.7	114.0	248.8	362.8	135.0	245.6	380.6
21.	सिक्किम	3.3	—	3.3	6.9	—	6.9	3.9	—	3.9
22.	तमिलनाडु	676.1	384.4	1060.5	533.3	418.6	951.9	50.8	488.9	539.7
23.	त्रिपुरा	13.2	—	13.2	11.6	—	11.6	17.4	—	17.4
24.	उत्तर प्रदेश	606.8	137.6	744.4	653.3	191.4	844.7	694.7	152.2	846.9
25.	पश्चिम बंगाल	571.4	19.8	591.2	496.4	32.0	528.4	594.2	29.4	623.6
26.	दिल्ली	216.1	85.5	301.6	223.4	132.2	355.6	350.4	157.0	507.4
27.	अंडमान तथा निकोबार	0.2	—	0.2	0.6	—	0.6	1.0	—	1.0
28.	चंडीगढ़	5.2	2.0	7.2	13.5	11.2	24.7	10.9	11.9	22.8
29.	पांडिचेरी	1.1	30.0	31.1	3.6	27.9	31.5	8.5	27.9	36.4
	रक्षा	5.0	—	5.0	6.8	—	6.8	12.4	—	12.4
	कुल	5799.4	5020.5	10819.9	4849.4	5591.9	10441.3	4505.5	6252.9	10758.4

आयकर विभाग का जनता के प्रति रुख संबंधी सर्वेक्षण

2658. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के बारे में जनता के रुख को जानने के लिए कुछ स्वतंत्र एजेंसियों ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह अध्ययन आयकर विभाग द्वारा अपने आपको करदाताओं के मित्र तथा पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत करने की कड़ी है; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि आयकर विभाग के बारे में जनता के रुख को जानने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों ने कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है।

(ख) और (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

कोयला खानों में आग

2659. श्री तरित बरण तोपदार : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि॰ की विभिन्न अनुषंगिक कोयला खानों में लगी आग की घटनाओं का अनुषंगिक कोयला खानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उल्लिखित अवधि के दौरान इन कोयला खानों में आग के कारण अनुषंगिक कोयला खानवार कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या कुछ कोयला खानों में अभी भी आग लगी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कोयला खानों को आग से बचाने तथा इसमें लगी आग को बुझाने हेतु क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि॰ द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि॰ की सहायक कंपनियों में पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान (1994, 1995, 1996) आग की हुई दुर्घटनाओं की संख्या तथा इसके कारण हुई वित्तीय क्षति के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सहायक कंपनी	ऐसी खानों की सं॰ जहां कि आग लगी थी			वित्तीय क्षति (लाख रु॰ में)		
	1994	95	96	94	95	96
ईस्टर्न कोलफील्ड् लि॰	12	24	19	732	25	30
भारत कोकिंग कोल लि॰	—	—	—	—	—	—
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰	—	—	1	—	—	—
महानदी कोलफील्ड्स लि॰	—	—	1	—	—	10
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰	4	1	2	—	—	—
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰	—	—	—	—	—	—
नॉर्दन कोलफील्ड्स लि॰	—	—	—	—	—	—

(ग) और (घ) उपर्युक्त आगों में से कोई भी आग सक्रिय नहीं है, किंतु 47 पुरानी सक्रिय आगें, भा॰ को॰ को॰ लि॰ में 38 आगें, ई॰ को॰ लि॰ में 9 आगों को पृथक कर दिया गया है और ये नियंत्रण अधीन हैं।

(ङ) कोयला खानों में आगों पर रोक लगाए जाने/नियंत्रित किए जाने/न्यूनतम किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(क) उद्भवन अवधि के अनुसार पैनल का आकार प्रतिबंधित किया जाना।

(ख) अकस्मात ताप का शीघ्र पता लगाने के लिए डीपिल्लरिंग क्षेत्र में ताप तथा कार्बन डायक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड पर नियमित रूप से निगरानी रखा जाना।

(ग) पुराने उत्खनन क्रियाकलापों से गिरे कोयले को साफ किया जाना।

(घ) हाइड्रेटों के साथ जलीय रेंज मुहैया किया जाना।

(ङ) पॉट होल्स को भरा जाना तथा दरारों की आच्छदित करना।

(च) आपातकालीन स्थिति के लिए तरल नाइट्रोजन की व्यवस्था।

(छ) कार्यस्थल से सतह तक दूरभाष संचार सेवा स्थापित किया जाना।

(ज) खाली समय में पुराने खानों का निरीक्षण किया जाना।

[हिन्दी]

आर्थिक सर्वेक्षण

2660. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1997 के "नवभारत टाइम्स" में "सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए किए गए अपने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में गलत विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) दिनांक 25 जून, 1997 के "नवभारत टाइम्स" में "सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था।

फरवरी, 97 में संसद में प्रस्तुत की गई 1996-97 की बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा देश की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक व्यापक और प्रामाणिक दस्तावेज हैं। समीक्षा सत्यापित आंकड़ों के विश्लेषण और विभिन्न मंत्रालयों/विभाग तथा विभिन्न अन्य स्रोतों पर आधारित होती है।

[अनुवाद]

कॉयर-जिओ टेक्सटाइल्स

2661. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉयर में जिओ टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए और बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय मेलों/सेमिनारों में भाग लेने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने कॉयर में जिओ-टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) कयर जिओ टेक्सटाइल सहित कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कयर बोर्ड को निम्नलिखित मेलों/सम्मेलनों/सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की है :

— भारत अमरीका प्रदर्शनी अमरीका 14 - 16 जून, 1995

— डोमोटैक्स विश्व व्यापार मेला, जर्मनी, 7 -10 जनवरी, 1996

— अंतर्राष्ट्रीय इरोसन नियंत्रण संघ का वार्षिक सम्मेलन, अमरीका, 27 फरवरी—1 मार्च, 1996

— सैटेक्स विश्व व्यापार मेला, दक्षिणी अफ्रीका 22 - 26 अक्टूबर, 1996

— एकस्पों इण्डिया 96, दुबई 7-11 दिसम्बर, 1996

— डोमोटैक्स विश्व व्यापार मेला, जर्मन, 11-14 जनवरी, 1997

— इंटरनेशनल इरोसन कंट्रोल एसोसिएशन अमरीका 22-28 फरवरी, 1997

(ग) से (ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल कयर तथा कयर उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, केरल सरकार, जिओ टैक्सटाइल सहित कयर तथा कयर उत्पाद को बढ़ाने हेतु तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्पर्क में है। सरकार को जानकारी है कि कयर जिओ टैक्सटाइल का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। इसलिए, कयर बोर्ड के परामर्श से सरकार एक दीर्घकालीन निर्यात नीति पर कार्य कर रही है, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं जैसे विदेशी मार्किट सहित मार्किट में मांग पर्यावरणीय दृष्टि गुणवत्ता, मानकीकरण, प्रयोग, किस्में, कीमत प्रतियोगात्मकता आदि का गहराई से अध्ययन करना शामिल है। जिनकी बिक्री जिओ टैक्सटाइल की बिक्री पर प्रभाव है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

2662. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष में आज की तिथि तक कोयला खानों में कोयला खानवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए/हताहत हुए और विकलांग हो गए;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष की अद्यतन अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सिं. को. कं. लि.) की कोयला खानों में हुई मृतक/गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या उनके कारणों सहित क्रमश: विवरण-I तथा विवरण-II में दी गई है। सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सिं. को. कं. लि.) के दुर्घटनाओं से संबंधित खानवार आंकड़ों की सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) श्रमिक मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृतकों तथा स्थायी रूप से शारीरिक रूप में हुई विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे की अदायगी की जाती है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के अद्यतन तारीख तक को. इं. लि. तथा सिं. को. कं. लि. द्वारा अदा की गई मुआवजे की कुल राशि नीचे दी गई है :

(लाख रु. में)

वर्ष	को. इं. लि.	सिं. को. कं. लि.
1994	147.93	294.72
1995	138.92	290.58
1996	128.12	368.94
1997	73.81 (4.8.97 तक)	136.38 (मार्च, 97 तक)

(ङ) कोयला खान विनियमन 1957, खान सुरक्षा महानिदेशालय के निर्देशों, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों तथा विभिन्न जांच समितियों की सिफारिशों, सुरक्षा सम्मेलनों आदि द्वारा निर्धारित निवारात्मक उपायों को खान प्रबंधन द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इन उपायों के बेहतर अनुपालन के लिए, सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा, सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समीक्षाओं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण, सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने तथा सुरक्षा अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों, आदि के माध्यम से कोयला कंपनियों द्वारा स्व-विनियमन को प्रोत्साहित कर रही है।

विवरण-I

वर्ष 1997 (दिनांक 4.8.97 तक) के दौरान कोल इंडिया लि. में हुई मृतक दुर्घनाएं
(अनंतिम-खान महानिदेशालय के साथ समाधान प्रक्रियाधीन है)

कंपनी	कोलियरी	दुर्घटनाओं के कारण	मृतक	घायल
1	2	3	4	5
भा. को. को. लि.	आकाशकिनारी	व्यक्तियों का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	अंगपथरा	व्यक्तियों का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	भोरा (दक्षिण)	हॉलेज	1	0
भा. को. को. लि.	भोरा (उत्तर)	छत का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	भोरा (एस. ओ. का. प.)	डम्पर	1	0
भा. को. को. लि.	डाबीवारी	हॉलेज	1	0
भा. को. को. लि.	धनसर	डम्पर	1	0
भा. को. को. लि.	धनुडीह	छत का गिरना	2	0
भा. को. को. लि.	जीलगोरा	छत का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	जोरखपुर	छत का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	केसलपुर	छत का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	खासकुसुंडा	दीवार गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	लोहापट्टी	हॉलेज	1	0
भा. को. को. लि.	मुराईडीह ओ. का. प.	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
भा. को. को. लि.	नीचितपुर	छत का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	फुलारीटांड	बिजली गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	राजापुर ओ. का. प.	डम्पर	1	0
भा. को. को. लि.	रामकनाली	छत का गिरना	1	0
भा. को. को. लि.	तुतुलमारी	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
सें. को. लि.	अशोका ओ. का.	बिजली	1	0
सें. को. लि.	हुतार	हॉलेजली	1	0
सें. को. लि.	झारंगडीह	छत का गिरना	1	0
सें. को. लि.	कारो ओ. का. प.	व्यक्तियों का गिरना	1	0
सें. को. लि.	के. डी. एच.	व्यक्तियों का गिरना	1	0
सें. को. लि.	केडला ओ. का. प.	डम्पर का गिरना	1	0
सें. को. लि.	पूंडीह	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0

1	2	3	4	5
सें॰ को॰ लि॰	सौंदा ए॰ के॰	वैगन	1	0
सें॰ को॰ लि॰	सौंदा डी ओ॰ का॰ प॰	ट्रक	1	0
सें॰ को॰ लि॰	ठरिमारी	जी॰ ए॰ डस्ट	1	0
सें॰ को॰ लि॰	ठरिमारी	विस्फोटक	1	0
ई॰ को॰ लि॰	चापापुर-II	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	चपुई खास	विस्फोट करना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	चिनाकुरी	अन्य रेल परिवहन/हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	चोरा	डम्पर	1	0
ई॰ को॰ लि॰	घोसिक	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
ई॰ को॰ लि॰	जेकेनगर	व्यक्तियों का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	खेराबाद	छत का गिरना	2	0
ई॰ को॰ लि॰	कोटाडीह	छत का गिरना	3	2
ई॰ को॰ लि॰	कुमारडुमी	व्यक्तियों का गिरना	1	0
	के॰ आई॰ एन॰ सी			
ई॰ को॰ लि॰	मधुजोर	हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	मधरबोनी	हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	पटकोबोना	हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	श्रीपुर	छत का गिरना	1	0
म॰ को॰ लि॰	दिओलबेडा	छत का गिरना	1	0
म॰ को॰ लि॰	दिओलबेडा	छत का गिरना	1	0
म॰ को॰ लि॰	जगन्नाथ ओ॰ का॰ प॰	डम्पर	1	0
म॰ को॰ लि॰	जगन्नाथ ओ॰ का॰ प॰	ट्रकर	1	0
म॰ को॰ लि॰	लिंगराज ओ॰ का॰ प॰	ट्रकर	1	0
ना॰ ई॰ को॰	लीडो	छत का गिरना	1	0
सा॰ ई॰ को॰ लि॰	गेवरा	कन्वेयर गिरना	1	0
सा॰ ई॰ को॰ लि॰	जयनगर न्यू	डम्पर गिरना	1	0
सा॰ ई॰ को॰ लि॰	जमुना ओ॰ का॰	छत का गिरना	1	0
सा॰ ई॰ को॰ लि॰	कोटमा ओ॰ का॰	ट्रक का गिरना	1	0
सा॰ ई॰ को॰ लि॰	मीरा इन्कलाइन	छत का गिरना	1	0

1	2	3	4	5
सा० ई० को० लि०	नारायण इन्कलाइन	गैस धूल	2	0
सा० ई० को० लि०	राजनगर पुराना इन्कलाइन	हॉलेज	1	0
सा० ई० को० लि०	सूराकचार 5/6	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	सूराकचार मुख्य खान	व्यक्ति का गिरना	1	0
वे० को० लि०	घटाडीह ओ० का०	विविध	1	0
वे० को० लि०	छिन्दा	छत का गिरना	1	0
वे० को० लि०	दमुआ	व्यक्ति का गिरना	1	0
वे० को० लि०	दुर्गापुर ओ० का०	कन्वेयर	1	0
वे० को० लि०	गणपति	दीवार का गिरना	1	0
वे० को० लि०	महादेवीपुरी	हॉलेज	1	0
वे० को० लि०	शोभापुर	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
जोड़			71	2

1996 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में हुई मृतक दुर्घटनाएं (अनंतिम-खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ समाधान प्रक्रियाधीन है)

कंपनी	कोलियरी	दुर्घटनाओं के कारण	मृतक	घायल
1	2	3	4	5
भा० को० को० लि०	आकाशकिनारी	डम्पर	1	0
भा० को० को० लि०	अल्कुशा	छत का गिरना	2	1
भा० को० को० लि०	अमलाबाद	धूल गैस आदि	2	0
भा० को० को० लि०	अंगारापाथेरा	हॉलेज	1	0
भा० को० को० लि०	बारबीह	व्यक्ति का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	बेनीडीह ओ० का० प०	डम्पर	1	0
भा० को० को० लि०	ब्लॉक-II	ट्रक	1	0
भा० को० को० लि०	बूढ़ागढ़	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	दाहिबाड़ी	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	ईस्ट भुग्गतडीह	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	गोधूल	हॉलेज	1	0
भा० को० को० लि०	गांड्डीह	व्यक्ति का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	गोपालीचक	हॉलेज	1	0
भा० को० को० लि०	कच्छी बोलिहारी	हॉलेज	1	0

1	2	3	4	5
भा० को० को० लि०	कतरास गोयटूडीह	ट्रक	1	0
भा० को० को० लि०	खरखरी	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	कूडीडीह	हॉलेज/छत का गिरना	3	1
भा० को० को० लि०	कुसुन्डा	छत का गिरना	4	5
भा० को० को० लि०	लोयाबाद	सामान का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	मुराईडीह	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	2
भा० को० को० लि०	नॉर्थ तीसरा ओ० का० प०	डम्पर	2	0
भा० को० को० लि०	पाथेरडीह	व्यक्ति का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	पुटकी	छत का गिरना	2	2
भा० को० को० लि०	सिमलाबहल	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	विक्टोरिया वेस्ट	व्यक्ति का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	विक्टोरिया वेस्ट	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	वेस्ट मूडीडीह	विद्युत	1	0
सें० को० लि०	अशोका ओ० का० प०	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
सें० को० लि०	अशोका ओ० का० प०	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
सें० को० लि०	बोकारो	डम्पर	1	0
सें० को० लि०	डकरा बुका	ट्रक	1	0
सें० को० लि०	डकरा बुका	ट्रक	1	0
सें० को० लि०	हैन्डेगीर	छत का गिरना	1	0
सें० को० लि०	के० डी० ओ० का०	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	के० डी० ओ० का०	विद्युत	1	0
सें० को० लि०	कल्याणी	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	कारगली ओ० का०	विविध	1	0
सें० को० लि०	कारगली भू० ग०	छत का गिरना	2	2
सें० को० लि०	कठारा	डम्पर	1	0
सें० को० लि०	सरुबेरा	हॉलेज	1	0
सें० को० लि०	सियालडीह	छत का गिरना	1	1
सें० को० लि०	सिरका	छत का गिरना	1	0

1	2	3	4	5
सें॰ को॰ लि॰	सिरका भू॰ ग॰	छत का गिरना	1	1
सें॰ को॰ लि॰	तडकी	डम्पर	1	0
सें॰ को॰ लि॰	उरिमारी	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
ई॰ को॰ लि॰	बी॰सी॰ इन्कलाइन	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
ई॰ को॰ लि॰	भनोरा	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	दाबोर	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	दाबोर	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	दलोरा बान	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	धेमोमा इन॰	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	कुआरडीह	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	मधईपुर	हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	मधुसूदनपुर		1	0
ई॰ को॰ लि॰	नवाकजोरा	हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	हींगरा	छत का गिरना	1	3
ई॰ को॰ लि॰	नॉर्थ सिरसोली	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	पाथोरोना	व्यक्ति का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	सतग्राम इन॰	छत का गिरना	4	0
ई॰ को॰ लि॰	सतग्राम प्रोजेक्ट	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
ई॰ को॰ लि॰	सोनापुर बाजारी प्रो॰	सामान का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	सोनापुर बाजारी प्रो॰	विद्युत	1	0
म॰ को॰ लि॰	बलानदा ओ॰ का॰ प॰	सामान का गिरना	1	0
म॰ को॰ लि॰	भरतपुर	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	0
म॰ को॰ लि॰	लिंगराज ओ॰ का॰ प॰	डम्पर	1	0
म॰ को॰ लि॰	लिंगराज ओ॰ का॰ प॰	व्यक्ति का गिरना	1	0
म॰ को॰ लि॰	समलेश्वरी ओ॰ का॰	डम्पर	1	0
म॰ को॰ लि॰	समलेश्वरी ओ॰ का॰	गैस धूल आदि	1	0
म॰ को॰ लि॰	समलेश्वरी ओ॰ का॰	ट्रक	1	0
ना॰ को॰ लि॰	अमलोरी ओ॰ का॰	डम्पर	1	0

1	2	3	4	5
ना० को० लि०	झिंगुरदा ओ० का०	गैस धूल	1	1
ना० को० लि०	टिपांग	हॉलेज	2	1
ना० को० लि०	टीरेप ओ० का० प०	ट्रक	1	0
सा० ई० को० लि०	अमलाई भू० ग०	व्यक्ति का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	चिरमिरी ओ० का०	डम्पर	1	0
सा० ई० को० लि०	चिरमिरी ओ० का०	व्यक्ति का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	जयनगर III तथा IV	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	जमुना 9 तथा 10	सामान का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	कोरिया	हॉलेज	1	0
सा० ई० को० लि०	कुसमुण्डा ओ० का० प०	ट्रक	1	0
सा० ई० को० लि०	लक्ष्मण ओ० का०	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	1
सा० ई० को० लि०	लक्ष्मण ओ० का०	विद्युत	1	0
सा० ई० को० लि०	लक्ष्मण ओ० का०	परिवहन के अतिरिक्त मशीनरी	1	1
सा० ई० को० लि०	नॉर्थ चिरमिरी	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	नॉर्थ चिरमिरी	छत का गिरना	2	2
सा० ई० को० लि०	राजनगर आरओ	सामान का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	सूराखा 3 तथा 4	विविध	1	1
वे० को० लि०	अम्बाडा	छत का गिरना	1	0
वे० को० लि०	डी० आर० सी	छत का गिरना	1	0
वे० को० लि०	ई० डी० सी०	छत का गिरना	4	0
वे० को० लि०	गोरी I ओ० का०	ट्रक	1	0
वे० को० लि०	गोरी II ओ० का०	सामान का गिरना	1	0
वे० को० लि०	पेंच ईस्ट ओ० का०	डम्पर	1	0
वे० को० लि०	पिंपल गांव ओ० का०	ट्रकर	1	0
वे० को० लि०	शोभापुर	छत का गिरना	1	0
वे० को० लि०	तावा	कन्वेयर	1	0
	जोड़		114	26

1995 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में हुई मृतक दुर्घटनाएं

(अनंतिम - खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ समाधान प्रक्रियाधीन है)

कंपनी	कोलियरी	दुर्घटनाओं के कारण	मृतक	घायल
1	2	3	4	5
भा० को० को० लि०	आकाशकिनारी	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
भा० को० को० लि०	बरारी	धूल गैस आदि	1	1
भा० को० को० लि०	बरारी	धूल गैस आदि	1	0
भा० को० को० लि०	बसंतीमाता	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
भा० को० को० लि०	बेरा	जलमग्न	3	1
भा० को० को० लि०	बूरागढ़	सामान का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	दामोदा ओ० का	डम्पर	1	0
भा० को० को० लि०	दोबारी	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	ईस्ट बसुरिया	हॉलेज	1	0
भा० को० को० लि०	गैसलीटांड	जलमग्न	64	0
भा० को० को० लि०	गानूडीह	विस्फोटक	1	0
भा० को० को० लि०	गोविंदपुर	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	हरिलाडीह	स्थल का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	कंकरी	कन्वेयर	1	0
भा० को० को० लि०	कंकरी	विंडिंग	1	0
भा० को० को० लि०	कतराम चुआटुडीह	जलमग्न	4	0
भा० को० को० लि०	केसलपुर	जलमग्न	1	0
भा० को० को० लि०	कुसुन्डा ओ० का० प०	धूल गैस आदि	3	4
भा० को० को० लि०	कुसुन्डा ओ० का० प०	खान का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	लोडना	विद्युत	1	0
भा० को० को० लि०	लोयाबाद	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	लोयाबाद	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	मधुबंद	स्थल का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	नरूलीडीह	छत का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	नीचितपुर	जलमग्न	2	0
भा० को० को० लि०	पाथेरडीह	छत का गिरना	1	0

1	2	3	4	5
भा॰ को॰ को॰ लि॰	कोलारीटांड	छत का गिरना	1	1
भा॰ को॰ को॰ लि॰	रनकनाली	छत का गिरना	3	1
भा॰ को॰ को॰ लि॰	एस गोविंदपुर	जलमग्न	3	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	सुदामडीह इन॰	हॉलेज	1	1
सें॰ को॰ लि॰	उरगादा	छत का गिरना	1	0
सें॰ को॰ लि॰	भुरकुन्डा ओ॰ का॰ प॰	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सें॰ को॰ लि॰	चूडी	छत का गिरना	1	0
सें॰ को॰ लि॰	दरका बुकबुका	कन्वेयर	1	0
सें॰ को॰ लि॰	गोविंदपुर	स्थल का गिरना	1	0
सें॰ को॰ लि॰	हुटार	ट्रक	1	0
सें॰ को॰ लि॰	कारो स्पेशल II	छत का गिरना	1	0
सें॰ को॰ लि॰	कारो स्पेशल II	छत का गिरना	2	0
सें॰ को॰ लि॰	कथारा ओ॰ का॰	विद्युत	1	0
सें॰ को॰ लि॰	के॰ डी॰ हसलॉग	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सें॰ को॰ लि॰	कुजू	हॉलेज	1	0
सें॰ को॰ लि॰	पिंडरा	विस्फोटक	2	0
सें॰ को॰ लि॰	पीपरवार	ट्रक	1	0
सें॰ को॰ लि॰	राजरप्पा ओ॰ का॰ प॰	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सें॰ को॰ लि॰	रायबाचरा	स्थल का गिरना	1	0,
सें॰ को॰ लि॰	रायबाचरा	हॉलेज	1	0
सें॰ को॰ लि॰	सौंडा ए॰ के॰	छत का गिरना	1	0
सें॰ को॰ लि॰	सौंडा डी॰	ट्रक	1	0
सें॰ को॰ लि॰	सिलेक्टेड डोरी	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सें॰ को॰ लि॰	सिलेक्टेड डोरी	व्यक्ति का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	बेजाडीह	हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	चकबलौपुर	व्यक्ति का गिरना	1	3
ई॰ को॰ लि॰	ढलूरबंद	हॉलेज	1	0
ई॰ को॰ लि॰	धेमोमेन	विस्फोटक	1	2
ई॰ को॰ लि॰	हडियाजाम	स्थल का गिरना	1	3

1	2	3	4	5
ई॰ को॰ लि॰	जामबाद	छत का गिरना	1	1
ई॰ को॰ लि॰	जमुरिया	छत का गिरना	1	2
ई॰ को॰ लि॰	खुदिया	छत का गिरना	1	1
ई॰ को॰ लि॰	कोटाडीह	कन्वेयर	1	0
ई॰ को॰ लि॰	मदईपुर	स्थल का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	न्यू केन्डा	व्यक्ति का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	नूतनडंगा	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	पारसकोली	व्यक्ति का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	परासिया	विस्फोटक	1	0
ई॰ को॰ लि॰	संग्रामगढ़	छत का गिरना	1	3
ई॰ को॰ लि॰	शंकरपुर	स्थल का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	सौदेपुर	छत का गिरना	1	0
ई॰ को॰ लि॰	सौदेपुर	स्थल का गिरना	2	0
ई॰ को॰ लि॰	सोनपुर बाजारी	सामान का गिरना	1	0
म॰ को॰ लि॰	अनन्ता ओ॰ का॰ प॰	ट्रक	1	0
म॰ को॰ लि॰	बलामदा ओ॰ का॰ प॰	ट्रक	1	1
म॰ को॰ लि॰	बेलपहाड़	ट्रक	1	0
म॰ को॰ लि॰	हिंगरामपुर	छत का गिरना	1	0
म॰ को॰ लि॰	जगन्नाथ	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
म॰ को॰ लि॰	कलिंगा ओ॰ का॰ प॰	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
म॰ को॰ लि॰	लचकुरा ओ॰ का॰ प॰	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
म॰ को॰ लि॰	ओरिएण्ट	छत का गिरना	1	1
म॰ को॰ लि॰	तालचर	छत का गिरना	1	0
ना॰ को॰ लि॰	बीना	ट्रक	1	0
ना॰ को॰ लि॰	बीना	डम्पर	1	0
ना॰ को॰ लि॰	गोरबी	विद्युत	1	0
ना॰ को॰ लि॰	जयंत	विद्युत	1	0
ना॰ को॰ लि॰	ककरी	ट्रक	1	0
ना॰ को॰ लि॰	टिराप ओ॰ का॰ प॰	डम्पर	1	0

1	2	3	4	5
सा० ई० को० लि०	बाल्गीर	कन्वेयर	1	0
सा० ई० को० लि०	बाकीमईन	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	विश्रामपुर ओ० का० प०	ट्रक	1	0
सा० ई० को० लि०	चिरमिरी	विस्फोटक	2	1
सा० ई० को० लि०	गेवरा ओ० का० प०	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सा० ई० को० लि०	कपिलधारा	कन्वेयर	1	0
सा० ई० को० लि०	कपिलधारा	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	कटकोना	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	कुमदा 7/8 इन०	हॉलेज	0	0
सा० ई० को० लि०	कुसमुण्डा ओ० का० प०	ट्रक	1	0
सा० ई० को० लि०	महामाया	हॉलेज	1	0
सा० ई० को० लि०	माणिकपुर ओ० का० प०	विविध	1	0
सा० ई० को० लि०	नवेगांव	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	एन० सी० पी० एच०	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	ओल्ड जिमुआन	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	राजेन्द्र भू० ग०	छत का गिरना	2	0
सा० ई० को० लि०	राजगमार 6/7 इन०	छत का गिरना	1	1
सा० ई० को० लि०	राजनगर ओ० का० प०	ट्रक	1	0
सा० ई० को० लि०	वेस्ट चिरमिरी	वायु विस्फोट	2	1
सा० ई० को० लि०	वेस्ट चिरमिरी 7/8	स्थल का गिरना	1	1
सा० ई० को० लि०	वेस्ट झगराखंड	हॉलेज	1	0
वे० को० लि०	चांदामेटा	छत का गिरना	1	1
वे० को० लि०	छिन्दा	छत का गिरना	1	0
वे० को० लि०	धामुआन	सामान का गिरना	1	0
वे० को० लि०	ई० डी० सी०	छत का गिरना	1	1
वे० को० लि०	गोरी ओ० का० प०	स्थल का गिरना	1	0
वे० को० लि०	शास्ती ओ० का० प०	ट्रक	1	0
वे० को० लि०	शास्ती भू० गत०	स्थल का गिरना	1	1
वे० को० लि०	शास्ती भू० गत०	हॉलेज	1	0

1	2	3	4	5
वे॰ को॰ लि॰	सुकरी	छत का गिरना	1	0
वे॰ को॰ लि॰	उमरेर ओ॰ का॰ प॰	गैर परिवहन मशीनरी	1	1
	जोड़		195	34

1994 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में हुई मृतक दुर्घटनाएं

कंपनी	कोलियरी	दुर्घटनाओं के कारण	मृतक	घायल
1	2	3	4	5
भा॰ को॰ को॰ लि॰	आसकिनारी ओ॰ का प॰	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	बडारी	विंडिंग	4	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	वासुदेवपुर	छत का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	बस्ताकोला	छत का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	भवरानॉर्थ	छत का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	भवरासाउथ	सामान का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	ब्लॉक II ओ॰ का॰ प॰	धूल गैस आदि	2	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	दामागुरिया	ट्रक	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	दामागुरिया ओ॰ का॰ प॰	व्यक्ति का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	दोबारी	व्यक्ति का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	ई॰ भुग्गाडीह 11/12	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	ई॰ भुग्गाडीह	छत का गिरना	2	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	ईस्ट कटरास	दीवार का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	गोपालीचक	हॉलेज	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	हुडीलाडीह	छत का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	हुडीलाडीह	छत का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	जीलगोरा	व्यक्ति का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	जयरामपुर ओ॰ का॰ प॰	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	कुईया	छत का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	लोडना	छत का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	लोयाबाद	दीवार का गिरना	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	मुराईडीह कोलियरी	ट्रक	1	0
भा॰ को॰ को॰ लि॰	नॉर्थ अमलाबाद प्रोजेक्ट	छत का गिरना	1	0

1	2	3	4	5
भा० को० को० लि०	फुलारीटांड	ट्रक	1	0
भा० को० को० लि०	राजापुर ओ० का०	डम्पर	1	0
भा० को० को० लि०	रामकनाली	दीवार का गिरना	1	0
भा० को० को० लि०	रामकनाली	डम्पर	1	0
भा० को० को० लि०	सेंड्रा बांसजोडा	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	साउथ तीसरा	विस्फोटक	1	0
सें० को० लि०	साउथ तीसरा ओ० का० प०	डम्पर	1	0
सें० को० लि०	टेटुलमारी	छत का गिरना	2	1
सें० को० लि०	आमलो	डम्पर	1	0
सें० को० लि०	भुरकुन्डा ओ० का०	विस्फोटक	3	1
सें० को० लि०	बोकारो कोलियरी	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	बोकारो ओ० का०	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	बोकारो ओ० का०	ट्रक	1	0
सें० को० लि०	बोकारो ओ० का०	डम्पर	1	0
सें० को० लि०	चूडी ओ० का० तथा भू० ग०	हॉलेज	1	0
सें० को० लि०	गिड्डी ए ओ० का० प०	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सें० को० लि०	गिड्डी सी	ट्रक	1	0
सें० को० लि०	न्यू सिलेक्टेड भोरी	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	राजरप्पा परियोजना	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सें० को० लि०	रायबच्छा	छत का गिरना	1	0
सें० को० लि०	रोहिणी प्रोजेक्ट	विद्युत	1	0
सें० को० लि०	सौंडा डी (ईस्ट)	ट्रक	1	0
सें० को० लि०	सौंडा डी (ईस्ट)	हॉलेज	1	0
सें० को० लि०	सौंडा डी (ईस्ट)	हॉलेज	1	0
सें० को० लि०	सौंडा डी (ईस्ट)	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	सयालडीह ओ० का० प०	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सें० को० लि०	सिरका	सामान का गिरना	1	0
सें० को० लि०	सवांग	व्यक्ति का गिरना	1	0
सें० को० लि०	तारमी ओ० का०	गैर परिवहन मशीनरी	1	0

1	2	3	4	5
ई० को० लि०	राजना	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
ई० को० लि०	चोरा ओ० का० प०	डम्पर	1	0
ई० को० लि०	दलूरबंद	सामान का गिरना	1	0
ई० को० लि०	दुबेश्वरी	विस्फोटक	1	0
ई० को० लि०	धनश्याम	हॉलेज	1	0
ई० को० लि०	गौवांगडीह बेगुनिया	छत का गिरना	1	0
ई० को० लि०	कुवारडीह	छत का गिरना	1	0
ई० को० लि०	मंदरबोनी	सामान का गिरना	2	0
ई० को० लि०	मदमन	छत का गिरना	1	0
ई० को० लि०	मेथानी	स्थल का गिरना	1	0
ई० को० लि०	मीठापुर	छत का गिरना	1	0
ई० को० लि०	मीठापुर	विविध	1	0
ई० को० लि०	मोहनपुर ओ० का० प०	डम्पर	1	0
ई० को० लि०	न्यू कैंडा	धूल गैस आदि	55	0
ई० को० लि०	न्यू कैंडा	हॉलेज	1	0
ई० को० लि०	न्यू कैंडा	स्थल का गिरना	1	0
ई० को० लि०	पारसकोल वेस्ट	हॉलेज	1	0
ई० को० लि०	परवेलिया	हॉलेज	1	0
ई० को० लि०	राजमहल प्रोजेक्ट	डम्पर	1	0
ई० को० लि०	सामला 3 इ०	हॉलेज	1	0
ई० को० लि०	श्याम सुंदरपुर	हॉलेज	1	0
ई० को० लि०	श्याम सुंदरपुर	हॉलेज	1	0
ई० को० लि०	श्याम सुंदरपुर	धूल गैस आदि	1	0
ई० को० लि०	सिदुली	डम्पर	1	0
ई० को० लि०	सोनपुर बाजारी प्रो०	दीवार का गिरना	1	0
ना० को० लि०	लाजकूरा	ट्रक	1	0
ना० को० लि०	दुधीचुआ ओ० का० प०	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
ना० को० लि०	गोरबी बी	डम्पर	1	0
ना० को० लि०	खडिया ओ० का० प०	गैर परिवहन मशीनरी	1	0

1	2	3	4	5
ना० को० लि०	निगाही ओ० का० प०	डम्पर	2	0
सा० ई० को० लि०	अमलाई ओ० का० प०	ट्रक	1	0
सा० ई० को० लि०	बांकी	छत का गिरना	1	1
सा० ई० को० लि०	बिरसिंगपुर	हॉलेज	1	0
सा० ई० को० लि०	चिरमिरी ओ० का० प०	खान का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	चुर्चा वेस्ट	छत का गिरना	3	0
सा० ई० को० लि०	धनपुरी	गैर परिवहन मशीनरी	1	0
सा० ई० को० लि०	धलभादी	कन्वेयर	1	0
सा० ई० को० लि०	गोविंदा	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	कटकोना 1/2	दीवार का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	कोटमावेस्ट, जमुना 3/	छत का गिरना	6	1
सा० ई० को० लि०	कुसमुण्डा प्रोजेक्ट	लामोस्लाइड	1	0
सा० ई० को० लि०	मणिकपुर ओ० का०	ट्रक	1	0
सा० ई० को० लि०	पाली प्रोजेक्ट	छत का गिरना	1	3
सा० ई० को० लि०	पालकी मारा इन०	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	राजगमार 6 तथा 7 इन०	छत का गिरना	1	0
सा० ई० को० लि०	सूराकचार 3/4 इन०	विस्फोटक	1	2
वे० को० लि०	बल्लापुर भू० ग० 3 तथा 4	हॉलेज	1	0
वे० को० लि०	दमुआ भू० ग० 24 तथा 25	दीवार का गिरना	1	0
वे० को० लि०	काम्पटी ओ० का० प०	डम्पर	1	0
वे० को० लि०	मोहन	धूल गैस आदि	1	0
वे० को० लि०	न्यू माजरी संख्या 3	छत का गिरना	1	0
वे० को० लि०	पिपला	कन्वेयर	1	0
वे० को० लि०	पी० के० डी० आई०	छत का गिरना	1	1
वे० को० लि०	राजुरपिट	छत का गिरना	1	1
वे० को० लि०	रावनवारा 8 इन०	दीवार का गिरना	1	0
वे० को० लि०	रावनवारा खास	छत का गिरना	1	2
वे० को० लि०	सिलेवाडा	हॉलेज	1	0
वे० को० लि०	सिलेवाडा ए० डी० इ०	हॉलेज	1	0

1	2	3	4	5
वे॰ को॰ लि॰	विष्णुपुरी खान संख्या 2	हॉलेज	1	0
वे॰ को॰ लि॰	विष्णुपुरी ओ॰ का॰	डम्पर	1	0
वे॰ को॰ लि॰	वालीन	ओवरहान का गिरना	1	0
वे॰ को॰ लि॰	वालनी	छत का गिरना	3	1
	जोड़	186	15	

विवरण-II

सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰ में हुई दुर्घटनाएं

मृतक दुर्घटनाएं

(6.8.97 की स्थिति के अनुसार)

कारण	1994		1995		1996		1997	
	ए	एफ	ए	एफ	ए	एफ	ए	एफ
छत का गिरना	12	23	8	11	7	7	8	8
दीवार का गिरना	4	5	—	—	2	2	5	5
रोप हॉलेज	9	9	2	2	5	5	3	3
मशीनरी	2	2	1	1	5	5	1	1
विस्फोटक	1	1	1	1	1	1	—	—
विद्युत	1	1	—	—	—	—	1	1
व्यक्ति का गिरना	2	2	1	1	1	1	2	2
सामान का गिरना	3	3	—	—	3	3	1	1
कोयले का गिरना	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य कारण	4	4	5	5	4	5	2	2
जोड़	38	50	18	21	28	29	23	23
गंभीर दुर्घटनाएं			(5.8.97 की स्थिति के अनुसार)					
छत का गिरना	22	27	25	26	11	14	5	5
दीवार का गिरना	19	20	5	6	16	16	4	4
रोप हॉलेज	58	58	49	49	38	38	20	20
मशीनरी	4	5	3	3	1	1	—	—
विस्फोटक	3	4	1	1	4	4	2	2
विद्युत	1	1	—	—	—	—	—	—

1	2		3		4		5	
व्यक्ति का गिरना	75	75	53	53	34	34	23	23
सामान का गिरना	34	34	21	21	17	17	8	8
कोयले का गिरना	8	8	9	9	4	—	—	—
संकट में फंसना	3	3	—	—	—	—	—	—
वायु विस्फोट	—	—	1	13	—	—	—	—
अन्य कारण	19	19	10	10	19	19	7	7
जोड़	246	254	177	191	144	147	69	69

ए = दुर्घटना एफ = मृतक दुर्घटना आई = गंभीर रूप से घायल

आन्ध्र प्रदेश में सिक्कों की कमी

2263. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से हैदराबाद के दोनों शहरों में दो रुपये, एक रुपये और पचास पैसे के सिक्कों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि सिक्कों का सीमित भण्डार उपलब्ध है और ऐसी कमी का मुख्य कारण यही है;

(ग) क्या यह बताया गया है कि दलालों ने इस स्थिति का लाभ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो सिक्के उपलब्ध कराने और व्यापारियों द्वारा कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) देश में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की अस्थायी कमी है। जनता के लिए सिक्कों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के टकसालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अल्पकालिक उपाय के रूप में, सरकार ने 1 रुपए के 700 मिलियन अदद और 2 रुपए के 300 मिलियन अदद सिक्के आयात करने का निर्णय किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों की कालाबाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) सुरक्षा अधिकारी एक समय में लगभग 50-60 व्यक्तियों को ही बैंकिंग हालों में प्रवेश करने देते हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका कार्य समाप्त होते ही वे चले जाएं।

(ii) पहले दो घण्टों के दौरान अर्थात् प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक छोटी मात्रा में सिक्के चाहने वाली आम जनता को प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) देश के विभिन्न भागों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चुनिन्दा शाखाओं से सिक्के वितरित करने के प्रबंध किए गए हैं।

[हिन्दी]

कोयला घोटाला

2664. श्री ललित उरांव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 1997 के "हिन्दी दैनिक", "रांची एक्सप्रेस" में "जलावन कोयले में करोड़ों का घोटाला" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) दिनांक 30 मई, 1997 को हिन्दी दैनिक "रांची एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार में कोयला नियंत्रक के कार्यालय द्वारा फरवरी, 1995 में सॉफ्ट कोक का अनियमित रूप में आबंटन किए जाने संबंधी आरोप लगाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए इस मामले की गहनता से जांच करें।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के लिए ऋण का लक्ष्य

2665. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के कितने युवाओं को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं;

(ग) क्या ऋण उपलब्ध कराने के बाद इस संबंध में प्रगति निगरानी की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त रूप से 22.5 प्रतिशत का आरक्षण का विचार किया गया है। राज्य/संघ क्षेत्र सरकारें उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य में से जिलावार लक्ष्यों का आबंटन करती है।

(ख) राजस्थान में 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के उन युवकों की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया, दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) इस योजना की प्रगति का प्रबोधन जिला स्तर पर जिला प्रधानमंत्री रोजगार योजना समिति द्वारा, राज्य स्तर पर राज्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना समिति द्वारा तथा केन्द्रीय स्तर पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाता है। इस योजना का मूल्यांकन प्रगति पर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

(ङ) राजस्थान में 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान तथा अखिल भारतीय स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उन युवकों की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बताया गया है 1994-95,1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राजस्थान में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उन अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के युवकों की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत तथा वितरित किया गया है निम्न प्रकार है :

वर्ष	अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
	ऋण स्वीकृत (संख्या)	ऋण वितरित (संख्या)	ऋण स्वीकृत (संख्या)	ऋण वितरित (संख्या)
1994-95	276	66	1686	412
1995-96	418	231	2250	1258
1996-97	465	182	2238	945

विवरण-II

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राजस्थान तथा अखिल भारत में 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान जिन युवकों को ऋण स्वीकृत तथा वितरित किया गया उनकी संख्या जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बताया गया है :

	1994-95		1996-96		1996-97	
	ऋण स्वीकृत (संख्या)	ऋण वितरित (संख्या)	ऋण स्वीकृत (संख्या)	ऋण वितरित (संख्या)	ऋण स्वीकृत (संख्या)	ऋण वितरित (संख्या)
राजस्थान	7666	5152	10273	6796	10632	5455*
अखिल भारत	198221	142144	299333	214748	288710	163397*

*वर्ष 1996-97 के लिए वितरण अभी भी जारी है।

भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन की शाखाएं

2666. श्री शिबू सोरेन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन सभी राज्यों की राजधानियों तथा विदेशों में भी अपनी शाखाएं स्थापित करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई० टी० वी० ओ० में श्रेणी-वार तथा शाखा-वार कितने कर्मचारी हैं;

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या तथा प्रतिशतता क्या है;

(ङ) क्या आई० टी० वी० ओ० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति के कई मामले पांच वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) आई० टी० वी० ओ० के पहले से ही कार्य कर रहे मौजूदा 5 विदेशी कार्यालयों तथा भारत में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर कहीं कोई नई शाखा खोलने का फिलहाल इसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग)

मुख्यालय/शाखा कार्यालय नई दिल्ली स्थित मुख्यालय	श्रेणीवार/पदों का समूह क	ख	ग	घ	कुल
1	2	3	4	5	6
	165	94	437	496	1192
मुंबई	7	4	26	7	44

1	2	3	4	5	6
बंगलौर	1	1	4	1	07
चेन्नई	2	2	3	2	09
कलकत्ता	—	1	2	1	04
कानपुर	1	—	2		
न्यूयार्क	2	—	1	—	03
फ्रैंकफ्रट	1	—	1	—	02
टोक्यो	1	—	1	—	02
दुबई	1	—	1	—	02
मास्को	1	—	1	—	02
कुल योग :	182	102	479	508	1271

(घ)	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
समूह	संख्या	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
क	29	15.93	8	4.39
ख	20	19.60	4	3.92
ग	94	19.62	16	3.34
घ	199	39.17	5	0.98

(ङ) 5 वर्षों से अधिक लंबित रिक्त पद पर विचार करने के लिए किसी योग्य अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवार का कोई मामला नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यात के क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण

2667. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों को अभिप्रेरित कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने तथा निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

2668. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 में 2.19 लाख टन की मात्रा में मसालों का निर्यात 1000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,180 करोड़ हो गया है;

(ख) 1996-97 के लिए निर्धारित लक्ष्य कहां तक प्राप्त किये गये;

(ग) 1995-96 के दौरान लाल मिर्च का कितना निर्यात किया गया तथा वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी अधिक मात्रा में इसका निर्यात किया गया था; और

(घ) 1997-98 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) 1996-97 के दौरान, 824 करोड़ रुपए मूल्य के 1,95,840 मी. टन मसाले के निर्यात लक्ष्य की तुलना में 1180 करोड़ रुपए मूल्य के 2,19,400 मी. टन मसालों का निर्यात किया गया। वर्ष 1996-97 में मसालों के निर्यात के लक्ष्य में कुल उपलब्धि मात्रा के रूप में 112% और मूल्य के रूप में 143% हुई।

(ग) वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात क्रमशः 194.15 करोड़ रुपए मूल्य के 56,073 टन का और 209.64 करोड़ रुपए मूल्य के 51,900 टन का हुआ था।

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए 1200 करोड़ रुपए मूल्य के 2,25,000 टन मसालों के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों से बंगला देश को निर्यात

2669. श्री बादल चौधरी :

श्री सुशील चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सात पूर्वोत्तर राज्यों से बंगलादेश, वर्मा तथा थाइलैंड को कितना निर्यात किया गया;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों तथा पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) निर्यात के लिए कौन-कौन से मार्ग खोले गए हैं; और

(घ) क्या ऐसे देशों जिनके साथ व्यापार संबंधों को विकसित किया जाना है के अधिकारियों को पूर्वी राज्यों में नियुक्त किया गया

है ताकि आयात और निर्यात में समन्वय स्थापित किया जा सके तथा समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों को शीघ्र दूर किया जा सके?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) वाणिज्य मंत्रालय निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से बंगलादेश, बर्मा तथा थाइलैंड को किए गए कुल निर्यात निम्नानुसार है :

(निर्यात करोड़ रुपये में)

देश	1994-95	1995-96	1996-97
बर्मा	71.10	100.94	140.61
थाइलैंड	1276.65	1581.91	1577.09
बंगलादेश	2024.13	3509.09	2912.41

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अपनी निर्यात आयात नीति (1997-2002) में यह व्यवस्था की है कि निर्यात घराने, स्टार ट्रेनिंग हाउसिंग आदि को उत्तर-पूर्वी राज्यों से किए गए कुल कारोबार का 1% पर विशेष आयात लाइसेंस दिए जाएंगे। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए अन्य उपाय में ये शामिल हैं : सीमावर्ती व्यापार सहित बैंकिंग, सीमाशुल्क, आप्रवास तथा अन्य व्यापारिक प्रबंध।

(ग) म्यांमार में तामू के साथ-साथ मणिपुर के मोरेह के रास्ते से सीमावर्ती व्यापार 12.4.1995 से शुरू किया गया है। भारत और म्यांमार के बीच सीमावर्ती व्यापार करार में की गई परिकल्पना के अनुसार सीमावर्ती व्यापार दूसरे स्थान से अर्थात् मिजोरम में चम्पई के रास्ते तथा म्यांमार में रीह के रास्ते अवस्थापना संबंधी सुविधाओं तथा अन्य प्रबंधों के पूरे होते ही शुरू हो जाने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

2670. श्री सुरेश प्रभु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मूल्य और मात्रा के हिसाब से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात विविधीकरण सहित भावी बाजारों और उत्पादनों की पहचान सहित विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) यू० एस० डॉलर के निर्यातों के मूल्य के रूप में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि निम्नानुसार है :

	निर्यात	आयात
1994-95	18.4%	22.9%
1995-96	20.8%	28.0%
1996-97 (अ)	4.1%	5.1%

भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मात्रा वृद्धि का ब्यौरा जैसा कि मात्रा इन्डैक्स से प्रदर्शित होता है, वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० से उपलब्ध हुआ है, जो निम्नलिखित वृद्धि दर दर्शाता है :

	निर्यात	आयात
1994-95	14.0%	24.0%
1995-96	31.1%	26.2%

(ख) और (ग) तीव्र निर्यात वृद्धि प्राप्त करने के लिए, निर्यात विविधता सहित क्षेत्रीय तथा दिशात्मक कार्यनीति पहलुओं को कवर करते हुए मंत्रालय एक मध्यम-अवधि निर्यात कार्यनीति तैयार कर रहा है। इस मध्यम-अवधि कार्यनीति का उद्देश्य 2002 तक 75.90 मिलियन डॉलर का निरंतर निर्यात स्तर प्राप्त करना है तथा विश्व निर्यातों का एक प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना है। यह कार्यनीति आंकड़ों के गहन विश्लेषण तथा व्यापार और उद्योग जगत के घनिष्ट सहयोग से कार्य करने पर आधारित है।

भूमि का अधिग्रहण

2671. श्री अनिल बसु : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पिछले कई वर्षों से यह रिपोर्ट करता आ रहा है कि धनबाद जिले में मौजा लोदना की प्लाट संख्या 177 लोदना कोयला खान का अंग नहीं है और इसलिए वह राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनी का भी भाग नहीं है और अब यह सिद्ध हो चुका है कि यह संपूर्ण भूमि लोदना कोयला खान के अंतर्गत ही आती है इसलिए यह राष्ट्रीयकृत संपत्ति है;

(ख) यदि हां, तो गलत सूचना देने और इतने लंबे समय से राष्ट्र को इस संपत्ति से वंचित रखने के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कथित भूमि और इसकी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1982 में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा० को० को० लि०) द्वारा सूचित किया गया था कि मौजा लोदना का भू-खण्ड संख्या 177, जिस पर शालीमार टार संयंत्र का परिसर स्थित है, उसका स्वामित्व भा० को० को० लि० की लोडना कोलियरी के पास न होकर मैसर्स शालीमार टार

प्रोडक्ट्स लि० के पास था। यह सूचना भा० को० को० लि० के पास उपलब्ध दस्तावेजों/प्रपत्रों पर आधारित है, जो कि इसे कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से विभिन्न भूमियों के संबंध में प्राप्त हुए थे।

तत्पश्चात् संबद्ध दस्तावेजों की खोज की गई तथा यह पाया गया कि प्लाट संख्या 177 तत्कालीन मैसर्स टर्नर मौरीसन एवं कंपनी लि० के नाम पर दर्ज़ था, जो कि मैसर्स लोडना कोलियरी कंपनी लि० के प्रबंधन अभिकर्ता हैं, जिसे वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। अतः प्लाट संख्या 177 कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1971 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत भा० को० को० लि० में ही निहित है।

(ख) वर्ष 1982 की रिपोर्ट उक्त समयावधि के दौरान उपलब्ध सूचना पर आधारित थी। चूंकि भूमि रिकॉर्ड तत्काल रूप में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भूमि के स्वामित्व की स्थिति के बारे में पता लगाने में विलंब हुआ था। अतः यह गलत सूचना दिए जाने का मामला नहीं है।

(ग) भा० को० को० लि० के संपदा अधिकारी के न्यायालय में मामला संख्या 101/91 के एवज में वर्ष 1991 में बेदखली का मुकदमा दायर किया, जिसका निर्णय भा० को० को० लि० के पक्ष में हुआ था। किंतु, मैसर्स शालीमार टार प्रोडक्ट्स लि० के मालिक ने धनबाद जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील दायर कर दी। यह मामला अब ए०डी०जे०-IV, धनबाद के न्यायालय में लंबित पड़ा है। अतः यह मामला न्यायालय के अधीन है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध अभ्यावेदन

2672. श्री सौम्य रंजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों पर प्रकाश डालने के कारण न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा मजदूर संघ के पदाधिकारियों का शोषण किए जाने के विरुद्ध कर्मचारी संघों और संसद सदस्यों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके शोषण को रोकने हेतु तथा मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ हुए अन्याय को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) इन शिकायतों को सतर्कता और लेखा दोनों दृष्टिकोण से देखा गया और इसकी आवश्यक जांच की गई। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर कंपनी के प्रबंध ने कोई अनियमितता नहीं पाई भारतीय साधारण बीमा निगम के अंतर्गत भी उस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। मुख्य कार्यालय से एक वरिष्ठ कार्यकारी ने भी मजदूर संघ के पदाधिकारियों तथा साथ ही साथ दिल्ली क्षेत्र में प्रभारी अधिकारी के साथ इस विषय पर बातचीत की और बातचीत के दौरान सम्बद्ध अधिकारी ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि उनके मस्तिष्क में उत्पीड़न अथवा सताने की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयला खनन कार्य

2673. प्रो० जितेन्द्र नाथ दास : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के बावजूद लीज होल्ड क्षेत्रों के बाहर कोयले का खनन कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे नियमित करने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों द्वारा जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भी शामिल है, उक्त को कोयला खनन अधिकार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई० को० लि०) द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के किसी भी क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित किसी भी अधिनियम के अंतर्गत खनन अधिकारों की प्राप्ति किए बिना कोयले के उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप नहीं किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को पेंशन

2674. श्री राधा मोहन सिंह :

डॉ० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध नहीं कराता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क)

से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए पहले ही दि॰ 1.11.1993 से पेंशन योजना प्रारम्भ कर दी गई है। यह योजना दि॰ 1.1.1986 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना का विवरण भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 में अंतर्विष्ट हैं जिसे सदन के पटल पर दि॰ 8.12.1995 को रख दिया गया था।

पी॰ एल॰ एस॰ फाइनेंस ऑफ देहली

2675. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21, जून, 1997 को हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "पी॰ एल॰ एस॰ कंपनी का मामला सी॰ बी॰ आई॰ को" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी द्वारा निवेशकर्ताओं के साथ की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने एक वित्तीय कंपनी, "पी॰ एल॰ एस॰ फाइनेंस ऑफ देहली" द्वारा निवेशकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर की गई धोखाधड़ी से संबंधित जांच कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कंपनी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पी॰ एल॰ एस॰ टैक्नीकल्स लिमिटेड एक गैर-बैंककारी, गैर-वित्तीय कंपनी है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने बहुत अधिक प्रतिलाभ का प्रस्ताव देकर कुछ जमाकर्ताओं से जमाराशियां प्राप्त कीं। यह भी आरोप है कि कंपनी के कुछ-एक चैक जो उसने अपने कुछ-एक जमाकर्ताओं को जारी किए थे, बिना भुगतान हुए वापिस आ गए हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री महोदय को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। कुछ निवेशकों द्वारा स्थानीय पुलिस के पास दर्ज़ कराई गई शिकायत के आधार पर जांच कार्य शुरू किया गया है। ये जांच कार्य अपने हाथ में लेने के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2676. श्री सुशील चन्द्र : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत निवेश की तुलना में वास्तविक निवेश का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदकर उन्हें अधिकार में ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ख) वर्ष 1991 से 1997 (मई तक) के दौरान 105957.00 करोड़ रु॰ (15832.00 करोड़ रु॰ के यूरो-इश्यू को छोड़कर) के बराबर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों के प्रति वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंत:प्रवाह 26619.00 करोड़ रु॰ (मई, 1997 तक) है। यह लगभग 4:1 अनुमोदन:अंत:प्रवाह अनुपात दर्शाता है। तथापि, परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि अलग-अलग होती है और बड़ी परियोजना (पावर, रिफाइनरी आदि) अपेक्षाकृत अधिक अवधि लेती हैं। बड़ी परियोजनाओं (जिनमें लगभग 50% अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त होता है) को छोड़कर, अनुमादन : अंत:प्रवाह अनुपात 2:1 है जो उचित है। अंत:प्रवाह में सदैव बढ़ोत्तरी का रुख दिखाई दे रहा है। जो इस प्रकार है : 1991 में 351 करोड़ रु॰ से बढ़कर 1992 से 675 करोड़ रु॰, 1993 से 1787 करोड़ रु॰, 1994 में 2982 करोड़ रु॰, 1995 में 6370 करोड़ रु॰, 1996 में 8441 करोड़ रु॰, 1997 (मई तक) में 6012.84 करोड़ रु॰। 1996 में यह अंत:प्रवाह 8441 करोड़ रु॰ है जो पिछले 4 वर्षों के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंत:प्रवाह से अधिक है। यह प्रवृत्ति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अंत:प्रवाह में वृद्धि की सूचक है।

(ग) से (ङ) उन मामलों में जिनके लिए मौजूदा कंपनी के बोर्ड द्वारा उनके समर्थन में संकल्प पारित किया जाता है, मौजूदा भारतीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी में वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है। नई नीति के बाद की अवधि में अर्थात् अगस्त, 1991 से मई, 1997 तक इक्विटी में वृद्धि के कुल 494 मामले अनुमोदित किए गये हैं जिनमें 8777.91 करोड़ रु॰ का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त था।

विश्व व्यापार में भारत का अलग-थलग पड़ना

2677. श्री बी॰ एल॰ शंकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिनांक 20 जुलाई, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इंडिया रिक्स आइसोलेशन इन ग्लोबल ट्रेड अरेना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1997-98 के दौरान देश को विश्व व्यापार से अलग-थलग पड़ने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) जी, हां। प्रश्न में जिस समाचार का संदर्भ है वह टैरिफ

और व्यापार के सामान्य समझौते (गाट) 1994 के अनुच्छेद 18:बी के प्रावधानों के अंतर्गत भारत द्वारा आयातों पर लगाए रखे मात्रात्मक प्रतिबंधों पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) की भुगतान संतुलन प्रतिबंधों संबंधी समिति में भारत के साथ हुए विचार-विमर्श के बारे में है। इस समाचार मद में यह बताया गया है कि बाधाओं को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य समय सीमा को अस्वीकार करके भारत ने विश्व व्यापार क्षेत्र में अलग-थलग पड़ने का जोखिम उठाया, तथा वार्ताओं के वि ल होने से ई० यू० यू० एस०, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा स्वीटजरलैंड सहित विश्व की प्रमुख व्यापारिक शक्तियों को भारत के विरुद्ध विवाद निपटान कार्रवाई शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया।

भारत सरकार ने भुगतान संतुलन प्रतिबंधों से संबंधित डब्ल्यू० टी० ओ० समिति के सामने गाट की धारा 18:बी के अंतर्गत आयातों पर लगाए शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने की एक योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना पर समिति की 10-11 जून, 1997 की हुई बैठक एवं 30 जून-1 जुलाई, 1997 को पुनः हुई बैठक में चर्चा की गई, जब समिति के सदस्यों के बीच विचारों की भिन्नता के कारण विचार-विमर्श बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। क्योंकि कुछ सदस्यों ने यह कहा कि वह सम्पूर्ण समयावधि जिसमें प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे, काफी लंबी है और कुछ सदस्यों ने कहा कि भारत की योजना व्यावहारिक है। इस प्रकार, यह कहना सही नहीं है समिति के विचार-विमर्श के दौरान भारत अलग-थलग हो गया था।

आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, न्यूजीलैंड, स्वीटजरलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे कुछ सदस्यों जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत की योजना काफी लंबी है, उन्होंने गाट 1994 के अनुच्छेद 22 तथा विवादों के निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं संबंधी समझौते (डी० एस० यू०) के अंतर्गत भारत से औपचारिक विचार-विमर्श की पृथक मांग यह आरोप लगाते हुए की है कि भारत द्वारा भुगतान संतुलन के उद्देश्य से आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को जारी रखा है जबकि डब्ल्यू० टी० ओ० के अंतर्गत भारत के दायित्व के अनुरूप उसके भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है। भारत ने विचार-विमर्श की पेशकश स्वीकार कर ली है। ऐसे संकेत हैं कि शिकायतकर्तागण आपसी स्वीकार्य समाधान की दिशा में कार्य करना चाहेंगे। इन विचार-विमर्शों के प्रति भारत का रुख भी वैसा ही होगा।

बीमा कंपनियों द्वारा मछुवारों को मुआवजा

2678. श्री के० पी० नायडू :

श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आए तूफान के परिणामस्वरूप उन मछुवारों जिनकी नौकाएं समुद्र में डूब गई थीं, को मुआवजे का भुगतान करने में बीमा कंपनियों द्वारा किए जा रहे विलंब के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में चक्रवात के परिणामस्वरूप दावों के निपटान के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। इन दावों के शीघ्र निपटान के लिए, साधारण बीमा निगम ने एक अंतर्कम्पनी मशीनरी स्थापित की थी। समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए और दावों के शीघ्र कार्रवाई करने और उनके निपटान हेतु विशेष बूथ स्थापित किए गए। इन उपायों के परिणामस्वरूप 165 मछुवारों द्वारा दर्ज दावों में से, जिनकी नावें समुद्र में डूब गई थीं, 95 दावों का निपटान कर दिया गया है। लंबित 69 दावों में से 41 दावों पर कार्रवाई की जा रही है और शेष 28 दावों के संबंध में जांच/सर्वेक्षण रिपोर्ट और दावेदारों द्वारा दिए जाने वाले अन्य संबंधित दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। बीमा कंपनियों द्वारा इस मामले में निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

व्यय प्रबंधन तथा सुधार आयोग

2679. श्री लिंगाराज बल्याल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय व्यय प्रबंधन तथा सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) व्यय प्रबंधन तथा सुधार आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रगति में बाधाएं

2680. श्री जय सिंह चौहान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक प्रगति के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में पूंजी निर्माण की निम्न दर के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास के पूंजी निर्माण में सुधार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) 1996-97 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में कमी मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोल, विद्युत, उर्वरक, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजी वस्तु क्षेत्रों तथा पूंजी की उच्च लागत के कम निष्पादन के कारण रही है। कम निष्पादन क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट नीतियां पहले ही आरंभ कर दी गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित ऋण नीति के उद्योग को आसान शर्तों पर ऋण की उपलब्धता में सुधार हुआ है। निवेश वातावरण तथा समग्र औद्योगिक विकास को तीव्र करने और आगे सुधार करने के लिए केन्द्रीय बजट में भी कदम उठाये गये हैं।

(घ) से (छ) समग्र सकल घरेलू पूंजी संरचना 1994-95 में 26.0% तथा 1993-94 में 23.6% की तुलना में 1995-96 में सकल घरेलू उत्पादन का 27.4% थी। कारपोरेट तथा वैयक्तिक आय कर तथा निवेशकों के लिये आरंभ किये गये प्रोत्साहन के लिए केन्द्रीय बजट में कमी की देश में पूंजी संरचना में और आगे सुधार होने की संभावना है।

[अनुवाद]

महिलाओं से संबंधित न्यायालय के मामले

2681. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में आज तक महिलाओं से संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए तथा महिलाओं को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

2682. श्री येल्लैया नंदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी मूल्यांकन योजना सरकार के वित्त मंत्रालय के पास अनुमोदनार्थ लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई॰ सी॰ एम॰ आर॰) के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक मूल्यांकन स्कीम शुरू करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था और पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय लंबित होने के कारण प्रशासनिक मंत्रालय को वापस भेज दिया गया है।

"पोस्ट हार्वेस्ट आपरेशन" योजना

2683. श्री रमाकांत यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट आपरेशन योजना को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत दिए गए कार्य की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार इस योजना को बंद करने के पश्चात् इसके अधीन कार्यरत 700 वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की विशेषज्ञता को किस प्रकार से उपयोग में लाने का है और खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाए किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) पोस्ट हार्वेस्ट आपरेशन स्कीम उन स्कीमों में से एक है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने खत्म करने की सिफारिश की है। इस समिति का गठन फालतू और गैर-जरूरी किस्म की स्कीमों की पहचान के लिए किया गया था। इन स्कीमों के बारे में तत्संबंधी मंत्रालयों/विभागों को अगला कदम उठाने के लिए सूचित कर दिया गया है। जहां तक इस स्कीम का सवाल है इसके लिए खाद्य मंत्रालय को अगली उचित कार्रवाई करनी है।

सऊदी अरब के साथ व्यापार

2684. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार में अत्यधिक असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत-सऊदी अरब संयुक्त आयोग की दो दिवसीय बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इस अत्यधिक व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11933.43 करोड़ रु॰ का हुआ था जबकि सऊदी अरब से आयात 9931.35 करोड़ रु॰ का हुआ और निर्यात 2002.08 करोड़ रु॰ का हुआ जिससे व्यापार संतुलन अत्यधिक सऊदी अरब के पक्ष में था। ऐसा मुख्य रूप से उस देश से तेल के आयातों के कारण हुआ।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत सऊदी संयुक्त आयोग की दो दिवसीय बैठक 11-12 जून, 97 को हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी। द्विपक्षीय व्यापार के मौजूदा स्तर का और विस्तार करने के लिए दोनों पक्षों ने परिवहन, कृषि, उपकरण, सॉफ्टवेयर, निर्माण सामग्री, खाद्य तथा कृषि उत्पाद, औषध और भेषज पदार्थों पेट्रो-रासायन तथा भेषज सामग्री के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार तथा संयुक्त उद्यमों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी, वाणिज्यिक जानकारी का आदान-प्रदान, वाणिज्यिक शिष्टमंडलों का विनिमय तथा व्यापार मेलों में सहभागिता को प्रोत्साहन देने पर सहमत हुए।

पूर्वोत्तर राज्य (असम) में प्रधानमंत्री रोजगार योजना

2685. डॉ॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रणी बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्रों, विशेषकर असम में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को वित्त प्रदान करने के अनिच्छुक हैं क्योंकि पूर्व स्वीकृत ऋण की वसूली नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान असम में विभिन्न बैंकों में कितनी योजनाएं लंबित पड़ी हैं और उनकी मंजूरी के लिए मंत्रालय ने क्या प्रयास किये हैं;

(ग) क्या असम के लखीमपुर जिले में गत वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सभी 15 योजनाएं यू॰ बी॰ आई॰ द्वारा अस्वीकृत की गई; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में किये जाने वाले प्रस्तावित उपाय क्या हैं ताकि उद्यमी स्वरोजगार के इन अवसरों को प्राप्त कर सकें तथा वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, असम राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों का कार्य निष्पादन संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है। आर॰ बी॰ आई॰ ने आगे सूचित किया है कि अभी हाल में हुई समीक्षा बैठक में बैंकों ने अन्य बातों के साथ-साथ असम राज्य में पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा वसूली कार्य की खराब स्थिति के बारे सूचित किया था। तथापि, वर्ष 1996-97 के दौरान बैंकों ने पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ के अंतर्गत असम राज्य में मोटे तौर पर अपने लक्ष्य के 55% तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60% ऋण स्वीकृत किए हैं।

(ख) आर॰ बी॰ आई॰ ने सूचित किया है कि पिछले वर्षों की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों में लंबित मामले निम्नानुसार हैं :

वर्ष	संख्या
1994-95	1254
1995-96	3252
1996-97	3014

आर॰ बी॰ आई॰ ने बैंकों से कहा है कि वे योजना वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च तक सभी लंबित मामलों को अगले योजना वर्ष में स्वीकृति के लिए उठाएं।

(ग) और (घ) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि वर्ष 1996-97 में लखीमपुर जिले में 208 प्रायोजित प्रस्तावों में से 55 प्रस्ताव, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिए गए :

(i) गैर अर्थक्षमता

(ii) प्रायोजित करने में विलम्ब

(iii) योग्यता मापदण्ड (आय/शैक्षिक योग्यता) का न पूरा होना

(iv) पूर्व ऋणों में चूक

(v) पहले से ही परिचालित अन्य योजनाओं द्वारा कवर होना।

उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार की निगरानी करने के लिए आर॰ बी॰ आई॰ ने विशेष कक्ष स्थापित किया।

विवरण-I

शिक्षित बेरोजगार युवक के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰-कार्यक्रम वर्ष 1994-95 31 मार्च, 1995 को समाप्त तिमाही में संचयी स्थिति को दर्शाने वाली रिपोर्ट

बैंक का नाम—पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या	मंजूर किया गया कुल ऋण			कुल संवितरित ऋण		
			संख्या	राशि	कालम 2 की तुलना में 4 का %	संख्या	राशि	कालम 4 की तुलना में 7 का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	6600	7481	5582	4209.90	84.6	2575	1832.76	46.1
मिजोरम	2000	2316	1834	1175.90	91.7	398	324.05	21.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	300	350	282	187.40	94.0	91	55.59	32.3
नागालैंड	250	237	205	183.59	82.0	126	94.25	61.5
त्रिपुरा	1000	1171	775	626.95	77.5	83	54.02	10.7
अरुणाचल प्रदेश	250	254	159	98.30	63.6	98	15.02	61.6
मिजोरम	250	392	193	165.13	77.2	11	7.89	5.7

विवरण-II

शिक्षित बेरोजगार युवक के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰) - कार्यक्रम वर्ष 1995-96

मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए संचयी स्थिति को दशनि वाली रिपोर्ट (लाख रुपये में)

बैंक का नाम—पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या	मंजूर किया गया कुल ऋण			कुल संवितरित ऋण		
			संख्या	राशि	कालम 2 की तुलना में 4 का %	संख्या	राशि	कालम 4 की तुलना में 7 का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	10125	11868	8781	6773.13	86.8	7478	5404.77	85.1
मणिपुर	4000	1974	1272	1113.24	31.8	1134	820.85	89.2
मेघालय	550	601	534	115.77	97.1	391	211.67	73.2
नागालैंड	300	312	295	228.78	98.3	282	210.49	99.0
त्रिपुरा	1300	1799	1407	964.85	108.2	673	432.79	47.8
अरुणाचल प्रदेश	300	305	256	190.81	85.3	226	139.07	88.3
मिजोरम	250	350	250	230.99	100.0	215	162.04	86.0

विवरण-III

शिक्षित बेरोजगार युवक के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰) - कार्यक्रम वर्ष 1996-97

मार्च 1997 की अंत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ के अंतर्गत प्रगति (राशि-लाख रुपए)

बैंक का नाम सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त हुए आवेदन	मंजूर किए गए आवेदन		लक्ष्य की तुलना में %	संवितरित आवेदन पत्र		मंजूरी में %	लंबित आवेदन
			सं॰	राशि		सं.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	15000	12517	8307	6404.69	55.4	3611	2179.99	43.5	1909
मणिपुर	3000	2327	1908	1437.76	63.6	1046	786.01	54.8	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेघालय	825	472	417	324.96	50.5	133	61.52	31.9	28
नागालैंड	450	411	380	248.21	84.4	293	142.00	77.1	21
त्रिपुरा	1950	2627	1553	1073.23	79.6	288	124.8	18.5	692
अरुणाचल प्रदेश	450	418	387	264.89	86.0	106	67.17	27.4	15
मिजोरम	375	572	217	200.78	57.9	17	14.45	7.8	183

वस्त्र कामगारों के लिए पुनर्वास योजना

2686. श्री चर्चिल अमेलाओ : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र कामगारों के लिए पुनर्वास निधि योजना की शुरुआत की गई थी, उसे वर्षवार कितना धन आबंटित किया गया और इस योजना से लाभान्वित होने वाले वस्त्र कामगारों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) वस्त्र आयुक्त के पास इस योजना के अंतर्गत मुआवजे के लिए लंबित पड़े आवेदनों की क्षेत्रवार और मिलवार संख्या कितनी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाई गई सरकार, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र की मिलों का ब्यौरा क्या है और उनकी क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली मिलों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ अब तक केवल 28 निजी क्षेत्र की मिलों को दिया गया है। क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्षेत्र	उन मिलों की संख्या जिनको लाभ दिया गया है। (टी डब्ल्यू आर. एफ. एस. के अंतर्गत)
1. क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	3
2. क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	22
3. क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर	2
4. क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर	1
कुल	28

(घ) दो निजी क्षेत्र की मिलों अर्थात् मैसर्स बिनोद मिल्स तथा मैसर्स मेट्टूर टैक्सआइल्स इं. लि. के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा पात्रता के मामलों की जांच की जा रही है।

विवरण

(क) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना 15.9.86 को लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार आबंटन तथा शामिल कामगारों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	वस्त्र मंत्रालय द्वारा आंबटित वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि (करोड़ रु.)	राज्य सरकार/सरकारी समापहर्ता/कामगार यूनियन संघ बताए गए अनुसार कामगारों की संख्या (नीचे दर्शाए गए आंकड़े निजी कामगारों से आवेदन प्राप्त होने पर कामगारों की पात्रता के सत्यापन जांच के अध्यधीन हैं। इसलिए आंकड़े परिवर्तनशील हैं।
1988-89	4.00	3145
1989-90	4.00	10184
1990-91	24.00	20849
1991-92	10.00	3806
1992-93	16.40	2500
1993-94	10.82	6776
1994-95	5.46	9228
1995-96	3.15	—
1996-97	5.89	—
1997-98 (जुलाई, 1997 तक)	10.21	2882

(ख) वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में 3425 आवेदन लंबित हैं। मिल-वार लंबित पड़े आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है:

	मिल का नाम	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	मैसर्स भारत सूर्योदय मिल्स	23
2.	मै॰ प्रसाद मिल्स	2
3.	मै॰ अहमदाबाद रामकृष्णा मिल्स	1
4.	मै॰ अहमदाबाद जुबली मिल्स	3
5.	मै॰ अयोध्या जिनिंग और मैन्यु॰ का॰ लि॰	2
6.	मै॰ कालोल मिल्स	1
7.	मै॰ अहमदाबाद कमर्शियल मिल्स	3
8.	मै॰ अयोध्या स्पिनिंग मिल्स	1
9.	मै॰ अमरूता मिल्स	5
10.	मै॰ विवेकानंद मिल्स	8
11.	मै॰ विजय मिल्स	473
12.	मै॰ नूतन मिल्स	761
13.	मै॰ अरूना मिल्स	1012
14.	मै॰ रूस्तम मिल्स	481
15.	मै॰ न्यू राजपुर मिल्स	649
	कुल	3425

आकाश के माध्यम से खरीद

2687. श्री नंद कुमार साय : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार के गरीबों के लिए हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित 200 करोड़ रुपये की धोती और साड़ियों की खरीद के लिए "एसोसिएशन ऑफ द कारपोरेशन एंड अपैक्स सोसाइटीज़ ऑफ हैंडलूम (आकाश) के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) क्या आकाश द्वारा अब बिहार सरकार को आपूर्ति की गई धोतियां और साड़ियों बिजली करघे से बनी हैं जबकि वह इन्हें हथकरघा उत्पादन का प्रमाणपत्र दे रहा है/दावा कर रहा है;

(ग) क्या बिजली करघे से बनी एक जोड़ी साड़ी और धोती की कीमत 110/- रुपये होती है जबकि हथकरघे से यह 160/- रुपये बैठती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त अनियमितताओं के लिए मंत्रालय के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) हथकरघों पर उत्पादित 14.12 लाख साड़ियों तथा 16.99 लाख धोतियों की आपूर्ति की गई थी।

(ग) से (ङ) बिहार सरकार द्वारा हथकरघा साड़ी तथा धोती क्रमश: 87.50 रुपये तथा 73.00 रुपये प्रत्येक की दर से आपूर्ति करने हेतु अनुमोदित की गई है। एक जोड़े की लागत 160.50 रुपये है। तदनुसार आपूर्ति की गई है।

घोष समिति

2688. श्री जी॰ एल॰ कनौजिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में जालसाजी और दुरुपयोग के विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए श्री घोष की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों में से स्केल V और उससे ऊपर के अधिकारियों के अंतर बैंक स्थानांतरण के द्वारा उन्हें एक स्थान पर बहुत समय टिके न रहने देने की सिफारिश की थी ताकि उनमें और उनके साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों में वर्षों साथ रहने के बाद पनपने वाली सांठगांठ को रोका जा सके;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार समिति की इस सिफारिश को कब तक लागू करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बैंक घोटाला मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों को देखते हुए विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के कार्यकाल को आगे बढ़ाने या पुन: नियुक्त करने का है ताकि घोष समिति के सुझावों के अनुसार जालसाजी और दुरुपयोग के मामलों को कम से कम किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती के तरीकों और प्रथाओं की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से वरिष्ठ/मध्य प्रबंधन स्तरों में बैंक के भीतर पार्श्विक अंतरणीयता की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के लिए सेवा को बढ़ाने/अगली सेवा अवधि (सैकेण्ड टर्म) की मंजूरी के संबंध में घोष समिति द्वारा कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है। राष्ट्रीयकृत

बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति बैंकों को नियंत्रित करने वाली संगत सांविधियों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। उनकी नियुक्ति आम तौर पर 5 वर्ष के लिए की जाती है और 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए उनकी पुन: नियुक्ति पर सामान्यतया विचार किया जाता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के कोई निदेश नहीं हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर ऋण

2689. श्री राजकेशर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर ऋणों की राशि पिछले तीन वर्षों के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰ डी॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ की कुल स्वीकृतियों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, 1993-94 में जो राशि 12287 करोड़ रुपए थी, 1994-95 में बढ़कर 18335 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि 1995-96 के दौरान स्वीकृतियों में 3.1% की कमी हुई और 1996-97 में 4.2% की गिरावट आई। 1993-94 से 1996-97 के दौरान आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ की स्वीकृतियां और संवितरण नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु॰)

	स्वीकृतियां	संवितरण
1993-94	12287	8300
1994-95	18335	10711
1995-96	17796	10693
1996-97	17050	11439

(ग) आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ ने सूचित किया है कि 1995-96 के दौरान स्वीकृतियों में गिरावट का प्रमुख कारण आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ द्वारा विविध प्रकार के कारोबार में परिवर्तन होना था। 1994-95 के दौरान अधिकांश अंश (20%) तात्कालिक ऋणों और अल्पावधि उत्पादों के लिए था। 1995-96 के दौरान, चलनिधि की स्थिति कड़ी होने और आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा तात्कालिक ऋणों पर रोक लगाने के कारण कुल स्वीकृतियों में गिरावट दर्ज की गई।

इसके अतिरिक्त 1996-97 के दौरान स्वीकृतियों में गिरावट के मुख्य कारण थे, बड़ी परियोजनाओं के लिए निवेश के वातावरण कमी और गैर-परियोजना ऋणों के अंतर्गत परिचालनों में गिरावट तथा पूंजी बाजार उत्पादों की कमी।

(घ) आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ ने सूचित किया है कि पूर्ववर्ती वर्षों में प्रत्यक्ष वित्तपोषण के अंतर्गत स्वीकृतियों में विकास का कारण निजी निवेश के लिए बनाए गए नवीन औद्योगिक क्षेत्र में जैसे पावर टेलीकॉम, तेल-रिफॉइनिंग और साथ ही, आयरन व स्टील जैसी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृतियां थी। स्टील और तेल-रिफॉइनिंग क्षेत्रों में पहले से ही क्रियान्वयन के बहुत अधिक सामर्थ्य होने का वजह से 1996-97 के दौरान इन क्षेत्रों में सहायता के लिए इच्छुक बहुत थोड़ी परियोजनाएं थीं। तथापि, पावर और टेलीकॉम क्षेत्रों में कुछ ऐसी ही परियोजनाएं चल रही हैं और ऐसी आशा की जाती है कि इन क्षेत्रों के लिए आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ महत्वपूर्ण सहायता देगा। चूंकि आर॰ बी॰ आई॰ अल्पावधि संसाधान जुटाने के लिए वित्तीय संस्थाओं को गैर-परियोजना वित्त प्रदान करता है इसलिए आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ ने सहायता प्राप्त यूनिटों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए यह प्रस्तुति पेश की है।

निप्पन को खनन संबंधी अधिकार

2690. श्री अमरपाल सिंह : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में 1993 में भद्रावती आयुध कारखाने के निकट निप्पन डेनरो इस्पात लिमिटेड ग्रुप को खनन संबंधी अधिकार देने में कुछ अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा कोयले के खनन हेतु पट्टेदारी दिए जाने से पूर्व, खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के परंतुक के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुध कारखाना, चन्द्रपुर के समीप बरान्ज ब्लॉक में कोयला खनन हेतु पट्टेदारी दिए जाने के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान नहीं किया गया था, अत: निप्पोन डेनरो इस्पात लि॰ (एन॰ डी॰ आई॰ एल॰) द्वारा स्थापित की जाने वाली भद्रावती विद्युत परियोजना में गृहीत उपभोग हेतु कंपनी को अक्टूबर, 1993 में पेशकश किए गए बरान्ज ब्लॉक में कोयले के खनन हेतु एन॰ डी॰ आई॰ एल॰

द्वारा स्थापित कंपनी, सेंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि० (सी० आई० सी० सी० ओ०) को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पट्टेदारी अथवा खनन अधिकार प्रदान नहीं किए जा सके थे।

अप्रैल, 1997 में, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उल्लेख किया गया था कि पर्यावरण एवं विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र द्वारा अक्टूबर, 1993 में एन० डी० आई० एल० को पेशकश किए गए बरान्ज ब्लॉक की ओपनकास्ट कोयला खान में प्रस्तावित विस्फोट के कारण आयुध कारखाने के उत्पादन की सुरक्षा को होने वाले खतरे के संबंध में जुलाई, 1996 में शंका व्यक्त की गई थी। परामर्श प्राप्त होने के बाद, रक्षा मंत्रालय को सूचित किया गया कि प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किए जाने हेतु आयुध कारखाने, चन्द्रपुर में 25 कि० मी० की परिधि के भीतर लगभग 1000 मि० टन० के कुल भण्डार वाली लगभग 40 खानों में कई वर्षों से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है तथा कोयला मंत्रालय को पिछले तीन दशकों के दौरान आयुध कारखाने पर इस प्रकार के खनन क्रियाकलापों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। रक्षा मंत्रालय से यह अनुरोध भी किया गया है कि कोयला मंत्रालय को आयुध कारखाने से 25 कि० मि० की परिधि के भीतर खनन क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किए जाने वाले नियम के बारे में सूचित किया जाए। रक्षा मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) से (च) इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में अनधिकृत चाय बागान

2691. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वाणिज्य** मंत्री दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1603 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग, उत्तर दीनाजपुर जलपाईगुड़ी और गोवबेहर जिलों में अनधिकृत चाय बागानों द्वारा उत्पादित की जा रही चाय की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है;

(ख) क्या ऐसे चाय बागानों द्वारा उत्पादित घटिया किस्म की चाय के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे देश की बदनामी हो रही है; और

(ग) अनधिकृत चाय बागानों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के चाय बागानों द्वारा घटिया किस्म की चाय के उत्पादन के बारे में चाय बोर्ड को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सभी प्रकार की चाय खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 में निर्धारित विनिर्देशन के अनुरूप होनी चाहिए।

(ग) भूमि और उसका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत शासित होता है जो उन्हें लागू करती हैं और भूमि के दुरुपयोग को रोकती हैं।

टी० डब्ल्यू० आर० एफ० योजना

2692. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० डब्ल्यू० आर० एफ० योजना के अंतर्गत मैसर्स हिमाचल वस्टैड मिल्स लिमिटेड, नालागढ़ की बंद इकाइयों के प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के संबंध में क्षेत्रीय कपड़ा आयुक्त, अमृतसर ने दिनांक 17 जून, 1993 के अ० शा० पत्र सं० 8 (331)/आई० एन० डी०/टेक्स/ए० एस० आर/169-70 में यह उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी से बजट प्राप्ति के बाद इन कामगारों को इस योजना के अंतर्गत मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि यह मामला सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दिनांक 25 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्र० सं० 603 के उत्तर में यह कैसे बताया कि टी० डब्ल्यू० आर० एफ० योजना सरकारी क्षेत्र की मिलों में लागू नहीं की गई है तथा इसका औचित्य क्या है;

(ग) इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(घ) इन प्रभावित लोगों को भुगतान तत्काल जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार मिलों के स्थायी/आंशिक रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र पुनर्वासन निधि योजना चलाती है। यह योजना अभी तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के क्षेत्र के वस्त्र उपक्रमों लागू नहीं की गई है और यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांचाधीन अफसर को प्रोन्नति

2693. श्री पी० एस० गढ़वी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1997 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में 30 जून, 1997 के "सी० बी० आई० सॉफ्ट पेड्ल्स सेंसिटिव केस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) किस परिस्थिति में नामित अधिकारी को प्रोन्नति दी गई तथा महत्वपूर्ण जगह पर तैनात किया जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही थी तथा परिणाम प्राप्त नहीं किए गए थे;

(ग) क्या इस परिस्थितियों में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उचित जांच के लिए क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) "दि इंडियन एक्सप्रेस" में 30 जून, 1997 को "सी॰ बी॰ आई॰ सॉफ्ट पेड्लस सेंसिटिव केस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में जिस अधिकारी का उल्लेख किया गया है, उसकी न तो अभी पदोन्नति ही की गई है और न ही उसे किसी महत्वपूर्ण जगह पर तैनात किया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समाचार में उल्लिखित अधिकारी की कथित पदोन्नति के लिए उत्तरदायी लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट

2694. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **वित्त** मंत्री पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में 7 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5030 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बाहरी ब्रादर्स और नामी पब्लिकेशन द्वारा सरकार की अनुमति के बिना पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट छापने और उसे प्रकाशित करने पर उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई;

(ख) क्या निजी प्रकाशकों द्वारा सरकारी प्रकाशनों का अवैध प्रकाशन तथा बिक्री करने के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी अवैध व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

एडवांस रूलिंग अथॉरिटी

2695. श्री संतोष मोहन देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए कोई एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और मूल्यांकन निदेशालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निकायों को स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अभी किसी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिनांक 2.6.97 के आदेश द्वारा मुम्बई में एक मूल्यांकन निदेशालय (सीमा शुल्क तथा के॰ उ॰ शु॰) की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) मूल्यांकन निदेशालय आरंभ में आयातित माल के सीमा शुल्क मूल्यांकन के संदर्भ में न्यून मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी धोखाधड़ी से संबंधित विषयों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके पश्चात् यह के॰ उ॰ शु॰ मूल्यांकन के पहलुओं की भी जांच करेगा। यह निदेशालय विविध सीमा शुल्क कार्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में सूचना प्रसारित करेगा और मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों पर निगरानी रखेगा। इस समय आयुक्त स्तर का एक अधिकारी इस निदेशालय का मुखिया है और उसकी सहायता के लिए पूरक स्टॉफ है। सीमा शुल्क मूल्यांकन संबंधी मामलों में बेहतर आसूचना रखने और सीमा शुल्क मूल्यांकन में हेराफेरी रोकने के लिए विशेष रूप से आयातों के संबंध में न्यून मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी धोखाधड़ियों से निपटने के प्रयासस्वरूप इस निदेशालय की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

अमलो परियोजना

2696. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सनसनी खेज अमलो परियोजना में हुई डकैती की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सतर्कता विंग ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है;

(घ) क्या जांच पूरी हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने विभागीय अथवा अन्य व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 5 जुलाई, 1994 को रात में लगभग 1.30 बजे, चार डाकू मुख्य गेट पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को अपने अभिभूत करके सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सें॰ को॰ लि॰) के अमलो परियोजना कार्यालय के रोकड़ अनुभाग में घुस गए। डाकुओं ने स्ट्रांग रूम में घुसकर, तिजोरी तथा रोकड़ के बक्से तोड़ डाले और लगभग 7.5 लाख रुपए की राशि ले गए।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) बरमो थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी में लापरवाही बरतने संबंधी विभिन्न आरोपों के आधार पर सें॰ को॰ लि॰ के 5 तथा 6 कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

भंसाली के चेकों को स्वीकार करने संबंधी परिपत्र

2697. श्री सनत मेहता :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1997 को कलकत्ता से प्रकाशित "द स्टेट्समैन" में "सी॰ जी॰ एम॰ आस्कड आल एस॰ बी॰ आई॰ ब्रांचिज टू ऑनर भंसाली चेक्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में मुंबई सर्किल के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा 13 फरवरी, 1997 को एक परिपत्र जारी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो परिपत्र का सारांश और उसका प्रशासनिक औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक (एस॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि बैंक की सामान्य प्रथा के अनुसार, संबंधित संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी (इस मामले में बैंक की मुंबई मुख्य शाखा के उप महाप्रबंधक) द्वारा सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ को सावधि जमाराशि वापसी आदेश/ब्याज वारंटों/ब्रोकरेज वारंटों की "सममूल्य पर" भुनाई की सुविधा के अनुमोदन के पश्चात् एक परिपत्र जारी किया गया था। यह परिपत्र सर्किल वित्तीय अधिकारी के हस्ताक्षर के बैंकिंग परिचालन विभाग, मुंबई स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा किया गया था। उपयुक्त स्तर पर मंजूरी के पश्चात् सभी परिपत्र अनुदेश स्थानीय प्रधान कार्यालय में विभिन्न पदनामित अधिकारियों द्वारा "कृते मुख्य महाप्रबंधक" (मुंबई सर्किल स्थापना के प्रधान होने के कारण) के रूप में जारी किए जाते हैं। इस मामले में पदनामित/प्राधिकृत अधिकारी सर्किल वित्तीय अधिकारी था।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰, को मंजूर की गई सुविधाओं से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है/जांच के अधीन है और इसलिए इस मामले में की गई कार्रवाई के औचित्य पर टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में बैंक

2698. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषरूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आज तक कितने निजी और राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन बैंकों में जमाराशियों की स्थिति क्या है और गुजरात राज्य विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य जिलों में लोगों को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या इन बैंकों ने जमाराशियों की प्राप्ति और ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे कितने लोगों को विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उक्त अवधि के दौरान वितरित किये गये ऋणों का लाभ प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) के अनुसार, गुजरात राज्य के आदिवासीय जिलों में कार्य कर रहे गैर सरकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तथा वर्ष 1994, 1995, 1996 और 1997 के मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया जमाराशि एवं ऋण निम्नानुसार हैं :

(राशि लाख रुपए में)

जिले का नाम	बैंक समूह का नाम	31.3.97 के अनुसार बैंकों की संख्या	1994 जमाराशि	1994 ऋण	1995 जमाराशि	1995 ऋण	1996 जमाराशि	1996 ऋण	1997 जमाराशि	1997 ऋण
भड़ौच	राष्ट्रीयकृत बैंक	13	27.97	17.38	30.76	21.01	38.90	18.46	45.29	23.43
	गैर-सरकारी बैंक	0	—	—	—	—	—	—	—	—
दांग्स	राष्ट्रीयकृत बैंक	1	0.68	0.20	0.79	0.19	0.91	0.25	1.13	0.28
	गैर-सरकारी बैंक	0	—	—	—	—	—	—	—	—
पंचमहल	राष्ट्रीयकृत बैंक	7	17.75	13.25	20.87	16.66	22.14	18.82	26.36	19.90
	गैर-सरकारी बैंक	0	—	—	—	—	—	—	—	—
वल्साड़	राष्ट्रीयकृत बैंक	15	114.03	29.10	131.41	91.89	152.00	46.32	178.57	38.01
	गैर-सरकारी बैंक	2	—	—	—	—	0.17	0.04	0.82	0.96

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसी सूचना नहीं प्राप्त होती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य निष्पादन

2699. श्री नारायण अठावले :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों का वर्ष 1996-97 के दौरान कार्य निष्पादन कैसा रहा और गत तीन वर्षों से परफोरमेंस प्रोफाइल रिव्यू की क्या प्रवृति रही है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अनेक उपायों विशेषकर वर्ष 1996-97 के दौरान उठाए गए कदमों और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जालसाजी/घोटाले/वित्तीय गड़बड़ी/अनुपादेय आस्तियों/अशोध्य ऋण में फंसी धनराशि का पिछले तीन वर्षों का राष्ट्रीयकृत बैंक वार ब्यौरा क्या है और असामान्य स्थितियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) रुग्ण राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए तैयार/कार्यान्वयन आधीन पुनर्वास पैकेज का बैंक वार ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन के संबंध में क्या प्रगति की गई और प्राप्त किए गए परिणाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों का निवल लाभ 1359.57 करोड़ रुपए (अनन्तिम) था। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य निष्पादन में समग्र रूप से सुधार हुआ है। जबकि 1994-95 में, 8 बैंकों में निवल घाटा दर्शाया था, यह संख्या 1995-96 में कम होकर 7 हो गई और 1996-97 में केवल 3 बैंकों ने निवल घाटा दर्शाया है (इसमें इंडियन बैंक शामिल है, जिसे अभी अपने लेखों को अंतिम रूप देना है)।

(ख) भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के समग्र कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे उच्च लाभ प्रदता और ग्राहकों की जमाराशियों की सुरक्षा हो सकेगी। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : कम लागत की जमाराशियां जुटाने पर जोर देना, उच्च लागत जमाराशि प्रमाण-पत्रों को कम करना, अनिष्पादित आस्तियों के स्तर को कम करना, स्टॉफ उत्पादकता में वृद्धि, घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा नवीन पूंजी व्यय में वृद्धि पर रोक, कम्प्यूटरीकृत/स्वचलीकृत शाखाओं की संख्या में वृद्धि, संगठनात्मक संरचना को युक्तियुक्त बनाना आदि।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनिष्पादित आस्तियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। धोखाधड़ियों के संबंध में तत्काल उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

बैंकों ने मुख्यालयों में महाप्रबंधक के अधीन वसूली कक्ष स्थापित किए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मासिक आधार पर वसूलियों की निगरानी करते हैं। शाखा-वार वसूली के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर वसूली की निगरानी करता है। आस्तियों की कोटि का पुनरीक्षण भी निदेशक मंडल आवधिक रूप से करता है। बैंकों की देय राशियों की वसूली संबंधी मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए 8 ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के स्थल पर निरीक्षण के साथ-साथ स्थलेतर पर्यवेक्षण भी शुरू किया है।

इन बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। ये उपाय हैं: बैंकों में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) द्वारा व्यापक मार्गनिर्देश जारी करना, आर० बी० आई० द्वारा सतत् आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा, विशिष्ट मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय सहित बैंकों को ऐसे मामलों की कार्य प्रणाली के बारे में बताना, परिचालन कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण और बड़ी धोखाधड़ी के सूचित मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच तथा संवीक्षा करना और धोखाधड़ी बहुल क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण करना, जिसमें प्रणालियां, प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण व्यवस्था शामिल है।

(घ) यद्यपि बैंक कार्य निष्पादन में सुधार लाने और एन० पी० ए० की वसूली बढ़ाने के लिए उपाए कर रहे हैं, भारत सरकार ने भी कमजोर बैंकों के आठ प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए उन्हें पुन:पूंजीकृत किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और विजया बैंक ने, जिन्हें वर्ष 1995-96 के दौरान हानि हुई थी, वर्ष 1996-97 के दौरान लाभ की सूचना दी है। यूको बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के घाटों में कमी हुई है यह भी आशा की जाती है कि वर्ष 1995-96 में हुई हानि की तुलना में इंडियन बैंक इस वर्ष कम हानि की सूचना देगा।

यूको बैंक ने आमूल सुधार हेतु अपनी यूनियनों/संघों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने भी आमूल सुधार रणनीति के लिए अपनी संबंधित यूनियनों/संघों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया है।

विवरण-I

अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति

बैंक का नाम	1995-96		1993-93		1994-95	
	राशि	कुल अग्रिम की तुलना में %	राशि	कुल अग्रिम की तुलना में %	राशि	कुल अग्रिम की तुलना में %
इलाहाबाद बैंक	1025.03	24.74	1235.11	26.88	1255.00	23.98
आंध्रा बैंक	520.78	23.35	377.65	14.30	332.20	11.61
बैंक ऑफ बड़ौदा	2630.16	18.77	2689.68	16.58	2840.09	16.16
बैंक ऑफ इंडिया	3772.00	29.96	2961.00	20.66	2434.00	14.49
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	647.67	36.23	734.59	25.71	694.26	21.87
केनरा बैंक	1653.00	18.22	1523.00	12.93	2647.32	17.93
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2443.00	35.29	2154.78	24.98	2420.00	23.91
कार्पोरेशन बैंक	259.01	16.41	260.01	11.69	251.83	9.67
देना बैंक	564.00	22.51	557.00	17.34	541.00	14.70
इंडियन बैंक	2040.51	26.79	2102.41	24.09	3140.00	34.15
इंडियन ओवरसीज बैंक	2175.18	37.75	2001.41	26.85	2020.00	22.59
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	210.95	8.00	221.94	6.14	271.30	5.68
पंजाब एंड सिंध बैंक	637.28	31.63	619.32	22.53	957.53	27.70
पंजाब नेशनल बैंक	2179.03	21.41	2033.00	17.01	2518.00	18.74
सिंडिकेट बैंक	1409.60	29.40	1452.97	27.48	1311.75	20.97
यूको बैंक	1961.81	34.61	1745.60	29.40	1839.52	24.54
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	693.49	12.87	695.95	9.41	945.86	10.38
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1509.00	45.95	1309.68	36.90	1401.00	38.00
विजया बैंक	532.88	26.96	439.40	17.47	545.38	20.36
कुल	27064.38	25.84	25114.50	19.98	28366.04	19.52

विवरण-II

वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में पाई गई धोखाधड़ियों की बैंकवार संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रू० लाख में)

क्र० सं०	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की सं०			अंतर्ग्रस्त राशि		
		1994	1995	1996	1994	1995	1996
1.	इलाहाबाद बैंक	39	48	14	2343.58	105.32	121.19
2.	आंध्रा बैंक	25	41	07	131.00	523.80	4.80
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	159	114	23	2905.71	1151.74	120.49
		15*	10*		528.63	52.85	
					+U.Sh 9844000		
4.	बैंक ऑफ इंडिया	215	156	48	728.62	496.82	122.30
		11*	04*	01*	988.51	8.84	4.65
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	50	31	08	465.11	1891.65	43.73
6.	केनरा बैंक	217	167	49	1402.21	1953.01	43.11
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	130	73	38	347.46	188.64	19.50
8.	कार्पोरेशन बैंक	38	23	07	38.28	86.13	4.16
9.	देना बैंक	22	14	06	1049.62	140.04	18.42
10.	इंडियन बैंक	60	37	14	286.26	83.08	34.23
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	71	43	10	356.97	326.92	5.39
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14	12	04	230.88	630.80	1.94
13.	पंजाब नेशनल बैंक	118	56	27	2000.36	212.70	191.05
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	17	17	04	163.26	74.38	14.11
15.	सिंडिकेट बैंक	103	109	22	1371.80	782.43	22.68
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	39	59	18	336.54	251.71	131.53
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	43	40	09	171.09	41.21	23.80
18.	यूको बैंक	58	74	08	416.89	374.17	26.84
19.	विजया बैंक	32	39	12	45.93	147.77	2.19

*भारत के बाहर U.Sh = युगांडा शिलिंग

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक में ग्राहक सेवा

2700. श्री विश्वेश्वर भगत :

श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा बहुत असंतोषजनक है जिसके कारण ग्राहक निजी बैंकों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं;

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के कार्यकरण के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान जनता से प्राप्त हुई शिकायतों की रीजनल कार्यालय-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन शिकायतों के आधार पर कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय स्टेट बैंक (एस० बी० आई०) ने सूचित किया है कि बैंक का यह संगत प्रयास रहा है कि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराई जाए। बैंक ने आगे बताया है कि शाखाओं का अत्यधिक विस्तार और लेन-देनों के वृहत मात्रा के कारण, ग्राहकों की शिकायतें हो सकती हैं और होती भी हैं। बैंक ने प्राप्त हुई शिकायतों की जांच और तेजी से शिकायतों को निपटाने हेतु कक्षों/विभागों की स्थापना की है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ग्राहकों ने एस० बी० आई० को छोड़ दिया है और वे गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ओर आकर्षित हुए हैं। दूसरी ओर, विशाल शाखा नेटवर्क और दूर-दराज तक फैले हुए विविध प्रकार के ग्राहकों को दी गई सेवा, यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहक एस० बी० आई० के पास ही रहें।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी० आर० बी० घोटाले की चपेट में आए बैंकों की संख्या

2701. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० आर० बी० घोटाले की चपेट में आए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है; और

(ख) इस धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई स्थित मुख्य शाखा ने सी० आर० बी० कैपिटल मार्केट्स लि० (सी० आर० बी० एम० एल०) को कंपनी द्वारा जारी सावधि जमाराशियों, उस पर देय ब्याज और दलाली की कंपनी द्वारा वापसी अदायगी में सममूल्य पर जारी वारंटों को भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में भुनाने की अनुमति दी थी। कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ सहमति दी थी कि संबंधित खातों में पहले से ही राशि डाल दी जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जब वारंटों को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए तो खातों में पर्याप्त राशि हो। तथापि, कंपनी ने धोखाधड़ीपूर्वक 58 करोड़ रुपए (अनंतिम) से अधिक की राशि खाते से निकाली। कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कैपिटल मार्केट्स डिवीजन मुंबई मुख्य कार्यालय के ब्याज वारंट खाते और दलाली वारंट खाते से भी लगभग 1.90 करोड़ रुपए (अनंतिम) की अधिक राशि निकाली। कंपनी ने सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की ऋण सुविधाओं का लाभ भी उठाया था और इन बैंकों का निवेश वर्तमान में 12 करोड़ रुपए के आस-पास होने का अनुमान है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, की धारा 45 एम० सी० के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर की गई याचिका के परिणामस्वरूप, दिल्ली उच्च न्यायायलय ने एक अनंतिम सरकारी परिसमापक नियुक्त किया है। परिसमापक ने कंपनी की परिसम्पत्तियों और देयताओं के निर्धारण के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं। उसे इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के अधिकारियों द्वारा सहायता दी जा रही है। बैंकों सहित लेनदारों के दावों के निपटान के मुद्दे पर कानून के प्रावधानों और दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी।

पी० एन० बी० घोटाला

2702. श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1996 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "हाई कोर्ट नोटिस टू पी० एन० बी० ओवर अलेज्ड स्कैम" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक ने न्यायालय को विवरण प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देख लिया है। समाचार में अखिल भारतीय न्यू बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघ द्वारा कुछ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दायर की गई रिट याचिका के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का उल्लेख किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों को देखते हुए, उसने याचिका में लगाए आरोपों

के संबंध में बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और कृत कार्रवाई के ब्यौरे देते हुए अप्रैल, 1997 में अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया था। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और मामले पर निर्णय लिया जाना है।

लम्बे समय से लंबित डेबिट प्रविष्टियां

2703. श्री राम सागर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर-शाखा खातों में लंबे समय में कितनी प्रविष्टियां लंबित हैं तथा क्या निरीक्षकों के अपने निरीक्षण रिपोर्ट में इसका विशेष उल्लेख किए जाने हेतु जिम्मेदार ठहराया गया था;

(ख) यदि हां, तो बैंकों के अंतर शाखा खातों में अभी भी लंबे समय से कितनी प्रविष्टियां लंबित हैं तथा इन प्रविष्टियों का कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अंतर-शाखा खातों में समायोजित नहीं की गई कतिपय प्रविष्टियों में धोखाधड़ी होने की संभावना है तथा यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में कोई धोखाधड़ी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) के अनुसार, 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंको (पी० एस० बी०) के अंतर शाखा खातों में 31.3.96 तक लंबे समय से बकाया डेबिट प्रविष्टियों की संख्या 9.68 लाख थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करते समय उनके निरीक्षण अधिकारी अंतर शाखा खातों में लंबित प्रविष्टियों से संबंधित पहलुओं की जांच करते हैं और अपनी टिप्पणियां देते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंको के अंतर-शाखा खातों में लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों के समाधान में तेजी लाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20.6.95 के पत्र द्वारा सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को सलाह दी कि वे लंबित प्रविष्टियों के समायोजन के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करें।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, लंबे समय से असमायोजित डेबिट प्रविष्टियों से धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि जनवरी 1996 से सात धोखाधड़ी के मामले जिनमें 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त है, को सूचना बैंकों ने दी है। जबकि एक मामले में पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है। अन्य मामलों में बैंक द्वारा पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान किया जाना

2704. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं तथा अधिक ब्याज दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) विदेशी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिचालनों में उनके आकार, शाखाओं के नेटवर्क, प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप, विभिन्न ग्राहक वर्गों, शाखाओं के स्थान, प्रौद्योगिकी के स्तर, भर्ती पैटर्न और अन्य प्रासंगिक प्रतिफलों के कारण अंतर है। जहां तक ब्याज दर का संबंध है, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को जमाराशियों/अग्रिमों पर ब्याज की दरें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित/प्रभारित करनी होती हैं।

[अनुवाद]

कंटेनर फ्रेट स्टेशन

2705. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के लिये कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) और (ख) जी, हां। देश में अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई० सी० डी०)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सी० एफ० एस०) स्थापित करने की मंजूरी प्रदान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई० एम० सी०) कार्य कर रही है। उपरोक्त आई० एम० सी० द्वारा विशाखापत्तनम बंदरगाह पर एक सी० एफ० एस० की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी० डब्ल्यू० सी०) के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। सी० डब्ल्यू० सी०, बंदरगाह की सीमाओं के भीतर निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहा है तथा यह उम्मीद की जाती है कि यह सुविधा अगले वर्ष के दौरान तैयार हो जाएगी।

कॉफी निर्यात

2706. श्री एन० डेनिस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी निर्यात को खुला सामान्य लाइसेंस योजना के अंतर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कॉफी के मूल्य को उचित स्तर पर बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (घ) कॉफी एक्ट, 1942 के उन प्रावधानों के अधीन कॉफी एक मुक्त निर्यात वाली वस्तु है, जिसमें से यह शर्त है कि कॉफी बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किए बिना भारत से कोई कॉफी निर्यात नहीं की जा सकती है। वसूल किया जाने वाला निर्यात मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति कर निर्भर करता है। इस समय, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्यातकों तथा किसानों के लिए काफी हद तक लाभकारी है।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

2707. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 के दौरान चीनी के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने चीनी के उपरोक्त निर्धारित लक्ष्य के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी नहीं किये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1997-98 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी के निर्यात का लाइसेंस जारी किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (ङ) सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के मौसम के उत्पादन में से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाणपत्र (आर॰ सी॰ ए॰ सी॰) के आधार पर निर्यात के लिए 2.50 लाख मी॰ टन मुक्त बिक्री चीनी रिलीज की गई जिसके लिए एपीडा ने 17.2.97 का एक ट्रेड नोटिस जारी किया था। एपीडा द्वारा 94,342 मी. टन चीनी का आबंटन इस व्यापार नोटिस के उत्तर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया गया। एपीडा द्वारा अन्य व्यापार नोटिस 25.4.97 को जारी किया गया था जिसमें 1,55,658 मी॰ टन शेष चीनी की मात्रा के लिए आर॰ सी॰ ए॰ सी॰ जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इसके आधार पर 29.7.97 तक 1,29,155.50 मी॰ टन चीनी के निर्यात के लिए आर॰ सी॰ ए॰ सी॰ जारी किए जा चुके हैं।

पान मसाला उत्पाद इकाइयां

2708. श्रीमती कमल रानी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान मसाला का उत्पादन करने वाली इकाइयां कर अपवंचन कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार कर अपवंचन को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखती है। जब कभी कर अपवंचन के किसी मामले का पता चलता है विधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

राज्यों को केन्द्रीय धन

2709. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को कितना धन आबंटित किया गया तथा उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों को आबंटित धनराशि देश के अन्य विकसित राज्यों को आबंटित की गई धनराशि से कम है; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर परिषद् के लिए आबंटित धनराशि को इस क्षेत्र के राज्यों के लिए आबंटित धनराशि में से कम कर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) योजना आयोग ने सूचित किया है कि नौवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को देय केन्द्रीय सहायता को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। आठवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटित प्रति राज्य धनराशियां देश के अन्य विकसित राज्यों को आबंटित धनराशि से कहीं अधिक थीं। नौवीं योजना अवधि के लिए भी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर काफी जोर दिया है।

(ग) जी, नहीं। पूर्वोत्तर परिषद् के लिए आबंटित धनराशि की कटौती इस क्षेत्र के संबंधित राज्यों को आबंटित धनराशि से नहीं की गई है।

[अनुवाद]

देना बैंक में अनियमितताएं

2710. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के देना बैंक की तिरुअनंतपुरम शाखा में कथित कदाचार की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) देना बैंक ने सूचित किया है कि उसे ग्राहकों और स्टाफ सदस्यों से तिरुअनंतपुरम शाखा के बैंक कर्मचारियों द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों और भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर शाखा की विशेष लेखा-परीक्षा के आदेश दिए गए थे। बैंक ने आगे सूचित किया है कि बैंक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

लोक शिकायत आयोग

2711. श्री छतर सिंह दरबार :

कुमारी उमा भारती :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक शिकायतों का निवारण करने के लिए दिल्ली सरकार के लोक शिकायत आयोग निर्णय नियुक्त करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयोग अपना कार्य कब तक आरंभ कर देगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जा रहे हैं, जिसे सदन के पटल पर विवरण के रूप में रखा गया है। संकल्प के रूप में यह विवरण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है।

(ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार की तारीख का विनिश्चय करना है।

विवरण

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार
(प्रशासनिक सुधार विभाग)

संकल्प नई दिल्ली, तारीख

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार ने, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों, स्वायत्त संगठनों/उपक्रमों तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के स्वामित्व वाली अथवा तात्विक रूप से उसके द्वारा वित्त पोषित अन्य संस्थाओं के विरुद्ध जनता की व्यथाओं के प्रभावी निराकरण के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने की आवश्यकता पर सतर्कत: विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में एक लोक शिकायत आयोग बनाने का विनिश्चय किया है, जो उक्त संगठनों में कार्यरत लोक कर्मचारियों के किन्हीं कृत्यों के लोप या किए जाने के विरुद्ध जनता की शिकायतों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने वाला एक उत्तरदायी निकाय होगा और ऐसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा, जो ऐसी शिकायतों के निराकरण के लिए आवश्यक समझी जाएं। आयोग, इस समय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग से संबद्ध होगा, किन्तु अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के अनुपालन में, उसे वैसी ही स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त होगी जैसे संघ लोक सेवा आयोग को है। आयोग के कृत्य उसी अर्थ में परामर्शी होंगे जिस अर्थ में संघ लोक सेवा आयोग के हैं।

2. आयोग की संरचना, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य और व्यापक रूपरेखा, जिसमें वह कृत्य करेगा, निम्नवत होंगी।

(क) संरचना

(i) आयोग एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों, (जिनमें दो अंशकालिक सदस्य होंगे) से मिलकर बनेगा, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(ii) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार की राय में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में स्वयं विशिष्टता प्राप्त कर ली है। दो अंशकालिक सदस्य लोक प्रतिष्ठा के ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें शिक्षा या विज्ञान या विधि या साहित्य या सामाजिक सेवा या मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है। इन दो अंशकालिक सदस्यों में से कम-से-कम एक सदस्य महिला होगी;

(iii) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यक्ष और सदस्य (अंशकालिक सदस्यों सहित साधारणत: दो वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के लिए, इनमें से जो भी पूर्वात्तर हो, पद धारण करेंगे।

(iv) अध्यक्ष, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल को लिखित रूप से सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और कोई अन्य सदस्य, जिसमें अंशकालिक सदस्य भी है, अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, यथास्थिति, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने पर, अध्यक्ष या सदस्य (जिसमें अंशकालिक सदस्य भी है) के बारे में समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(v) अध्यक्ष को 8,000 रु० का समेकित वेतन संदत्त किया जाएगा, परंतु यह और कि यदि अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति के समय उसके द्वारा भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन की

गई किसी पूर्व सेवा के बाबत पेंशन (नि:शक्तता या युद्ध पेंशन से भिन्न) पा रहा है तो प्राधिकरण में उसकी सेवा पर विचार किए बिना, उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम घटा दी जाएगी। पूर्णकालिक सदस्य को उन्हीं शर्तों के अध्याधीन प्रतिमास 7,000 रु० का वेतन और ऐसे भत्ते जो समय-समय पर अनुज्ञेय हों, संदत्त किए जाएंगे। अंशकालिक सदस्यों को 7,500 रु० प्रतिमास की एक नियत फीस संदत्त की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों (जिनमें अंशकालिक सदस्य भी है) की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो भारत सरकार के तुल्य प्रास्थिति के अधिकारियों को लागू होती हैं।

(vi) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य (जिसमें अंशकालिक सदस्य भी हैं) के रूप में नियुक्त किए जाने से निर्रहित होगा, यदि वह (क) भारत का नागरिक नहीं है या (ख) विकृत्तचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है, या (ग) अनुन्मोचित दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है, या (घ) ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष और कारावास से दंडित किया गया है जिसमें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है।

(ख) शक्तियां और कृत्य

(i) आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करती हैं तो जनता के सदस्यों द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों, स्वायत्त संगठनों/उपक्रमों तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा तात्विक रूप से वित्त पोषित अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के लोप या किए जाने के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध निष्क्रियता या तंग करना, या शोषण या भ्रष्टाचार या शक्ति या प्राधिकर के दुरुपयोग के मामले भी हैं, की गई शिकायतों पर विचार करेगा। तथापि, आयोग की परामर्शी अधिकारिता का विस्तार दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण पर नहीं होगा।

(ii) आयोग को स्वप्रेरणा से मिडिया रिपोर्टों में अंतर्विष्ट या अन्यथा प्राप्त सूचना के आधार पर पूर्वोक्त लोक कर्मचारियों के किसी लोप या किए जाने की बाबत, स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी। आयोग उसे विनिर्दिष्टत: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मुख्य मंत्री, या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मुख्य सचिव द्वारा उसको निर्दिष्ट मामलों पर भी विचार करेगा। तथापि, आयोग ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं करेगा जो न्यायाधीन हैं।

(iii) उक्त लोक कर्मचारियों के किसी कृत्य के लोप या किए जाने से व्यथित अपनी शिकायत के निवारण के लिए, सम्यक् रूप से सशपथ शपथपत्र से समर्थित मामले के विनिर्दिष्ट ब्यौरे देते हुए, आयोग को आवेदन कर सकेगा। आवेदक इस आशय की एक विनिर्दिष्ट घोषणा करेगा कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार शिकायत की विषय-वस्तु न्यायाधीन नहीं है।

(iv) आयोग मामले की सुनवाई एकल रूप से या न्यायपीठों के रूप में, जो अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्यों में से एक से मिलकर बनेगी, कर सकेगा। वह व्यथित व्यक्ति, जिसने शिकायत की है, स्वयं प्राधिकरण के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेगा और इस प्रयोजन के लिए विधिक व्यवसायी को नियोजित करने का हकदार नहीं होगा।

(v) आयोग, शिकायत प्राप्त होने पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि इस पर जांच की जानी आवश्यक ऐसे अभिलेख मंगाएगा और ऐसे कर्मचारियों को समन करेगा जो वह आवश्यक समझे, उन्हें सुनेगा और एक त्वरित विनिश्चय पर पहुंचेगा कि क्या संबद्ध कर्मचारियों की ओर से कोई अवहेलना है। आयोग शिकायत के शीघ्र निपटान पर विशेष जोर देगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मुख्य सचिव और संबद्ध विभाग के प्रधान के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि आयोग द्वारा मंगाए गए दस्तावेज, आयोग को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान किए जाते हैं और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि आयोग द्वारा समन किए गए कर्मचारी, यदि कोई हैं, आयोग के समक्ष ऐसे समय और तारीख पर उपसंजात होते हैं तो उस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा नियत की जाती है, और

(vi) आयोग, शिकायत की सुनवाई समाप्त होने पर, एक समुचित 'स्पष्ट' आदेश पारित करेगा और ऐसे मामलों में, जहां यह अवधारित किया जाता है कि संबद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध किए गए अभिकथन प्रथम दृष्टया स्थापित हो गए हैं, वहां आयोग दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की भी सिफारिश करेगा। आयोग द्वारा इस प्रकार की गई सिफारिशों पर उनके त्वरित कार्यान्वयन के लिए समुचित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा। तथापि, जहां समुचित प्रशासनिक प्राधिकारी मामले के गुणागुण के आधार पर अपनी विपरीत राय देते हैं, उसे आयोग को उन विनिर्दिष्ट कारणों को, जिनके कारण उनकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकती, लिखित रूप में संसूचित करेगा। यदि आयोग का अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के संबंध में, उपदर्शित कारणों से समाधान नहीं होता है तो इसे वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार किए जाने के मामले के रूप में संप्रदर्शित करेगा।

3. आयोग, शिकायतों के क्रमबद्ध हेतुकों के संबंध में, नियमिति आधार पर अनुसंधान भी कर सकेगा और ऐसी रिपोर्ट देगा, जिनसे उन क्षेत्रों में, जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है, प्रशासनिक सुधार लाने का आधार बनाया जा सकेगा ताकि प्रशासन अधिकाधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन सके। लोक शिकायत आयोग के स्थापना के होते हुए भी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों और अभिकरणों में आंतरिक शिकायत निवारण मशीनरी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते रहेंगे और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, जनता, आदि को जानकारी का स्वतंत्र प्रवाह आदि सुनिश्चित कराएंगे। अत:, आयोग मूलत: भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों या उन मामलों, जो व्यष्टिक अभिकरणों के नियंत्रण से परे है, से संबंधित विषयों की शिकायतों पर विचार करेगा।

(ग) वार्षिक रिपोर्ट

आयोग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक सुधार विभाग को अपने क्रियाकलापों के बारे में विशेष रूप से उसके द्वारा की गई किसी ऐसी सिफारिश, जिसे स्वीकार नहीं किया गया या जिस पर कार्रवाई नहीं की गई है, के बारे में विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और आयोग की किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों का स्पष्टीकरण करते हुए, एक ज्ञापन के साथ रिपोर्ट की एक प्रति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के सभी विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संगठनों/उपक्रमों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा तात्विक रूप से वित्त पोषित किन्हीं अन्य संस्थाओं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के सभी संगठनों, आदि को संसूचित की जाएगी और यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(टी॰ टी॰ जोसेफ)
प्रधान सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार।

उपबंध - 'क'

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, की सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले लोक शिकायत आयोग की कर्मचारीवृंद पद्धति।

क्र॰	पद का नाम	पदों की सं॰	वेतनमान	
1.	अध्यक्ष	1	8000/-नियत	यथा अनुज्ञेय अन्य भत्ते
2.	सदस्य (शासकीय)	1	7500/-नियत	
3.	सदस्य (गैर-शासकीय)	2	7500/-नियत	
4.	आयोग का सचिव	1	3000-4500	
5.	अध्यक्ष का निजी सचिव	1		इन पदों के वेतनमान वही होंगे, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार में प्रचलित हैं।
6.	सदस्यों के निजी सचिव	3		
7.	अध्यक्ष/सदस्यों की निजी सहायक	4		
8.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	1		
9.	अवर श्रेणी लिपिक	2		
10.	चपरासी	6		

विदेशी निवेश प्रक्रिया

2712. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों को वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश की प्रक्रिया में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के अनुरोध पर कुछ राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों तथा कार्य प्रणाली की समीक्षा की है ताकि निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सरकार अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली परियोजनाओं के सक्रिय क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। तदनुसार सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें निवेशकों और राज्य सरकारों के साथ परस्पर संबंध शामिल हैं ताकि अवरोधों और समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता चल सके और जिससे उनका समाधान करने के लिए प्रयास किया जा सके। राज्य सरकारों को खुला, पारदर्शी तथा निवेशक अनुकूल अनुमोदन तंत्र बनाये रखने के लिए उपयुक्त सुझाव दिए गए हैं।

भारत में विदेशी बैंक

2713. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी बैंकिंग एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई है और उन्हें कब से कार्य आरंभ करने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या उनकी कार्यकुशलता और अच्छी सेवाओं के कारण अनेक व्यक्ति भारतीय बैंकों में अपने खाते बंद कर रहे हैं और विदेशी बैंकों में अपने खाते खोल रहे हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी बैंक-वार कितने नए खाते खोले गए और कितने चालू खाते तथा सावधि जमा खाते खोले गए और उनमें कितनी राशि जमा की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दिनांक 1 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की सूची और साथ ही उनकी पहली शाखा खोलने की तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) महानगरीय क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की सीमित संख्या की तुलना में पूरे देश में फैले हुए बैंकों के जाल को ध्यान में रखते हुए और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों श्रेणियों के बैंकों में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के स्तर भिन्न-भिन्न हैं, उनकी दक्षता की तुलना करना उचित नहीं है। इसके अलावा, इस बात

का भी कोई प्रमाण नहीं है कि ग्राहक भारतीय बैंकों में अपने खाते बंद करके विदेशी बैंकों में खाते खोल रहे हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसी सूचना नहीं मिलती है।

विवरण

क्र॰ सं॰	विदेशी बैंक का नाम	निगमन का देश	भारत में उनकी पहली शाखा खोलने की तारीख
1	2	3	4
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि॰	यू॰ एस॰ ए॰	06.5.1922
2.	बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एण्ड एसए	तदैव	20.05.1964
3.	सिटि बैंक एन ए	तदैव	15.12.1903
4.	चेस मैनहटन बैंक	तदैव	21.09.1994
5.	ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिलईस्ट	यू॰ के॰	01.01.1954
6.	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	तदैव	29.03.1900
7.	बार्कलेज बैंक	तदैव	08.10.1990
8.	बैंको नेशनल दे पेरिस	फ्रांस	00.00.1862
9.	बैंको इंडोसूज	फ्रांस	21.09.1981
10.	सोसायटी जेनरल	तदैव	15.04.1985
11.	क्रेडिट लायोनेस	तदैव	23.10.1989
12.	बैंक ऑफ टोकियो मितुबशी लि॰	जापान	12.03.1953
13.	दि सकूरा बैंक लि॰	तदैव	28.05.1955
14.	दि सनवा बैंक लि॰	तदैव	12.12.1990
15.	पुंजी बैंक	तदैव	20.05.1996
16.	सुमिटोमो बैंक	तदैव	20.06.1997
17.	ड्यूश बैंक	जर्मनी	01.10.1980
18.	ड्रस्नर बैंक	तदैव	21.08.1995
19.	कमर्ज बैंक	तदैव	01.12.1995
20.	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी	आस्ट्रेलिया	00.03.1892
21.	हांगकांग बैंक	हांगकांग	00.00.1853
22.	आबूधाबी कमर्शियल बैंक लि॰	यू॰ ए॰ ई	09.12.1980
23.	माशर्क बैंक	यू॰ ए॰ ई॰	22.10.1980
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	सल्तनत ऑफ ओमान	04.10.1985
25.	बैंक ऑफ बहरीन कुवैत बीएससी	बहरीन	09.08.1986
26.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	कनाडा	14.05.1984
27.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	नीदरलैंड	25.10.1920

1	2	3	4
28.	आईएनजी बैंक	तदैव	01.06.1994
29.	सोनाली बैंक	बंगलादेश	03.09.1974
30.	अरब बंगलादेश बैंक	तदैव	06.04.1996
31.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	मारीशस	01.11.1994
32.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	सिंगापुर	15.03.1995
33.	ओवरसीज चाइनीज बैंक कार्पोरेशन	तदैव	31.01.1997
34.	बैंक ऑफ सिलोन	श्रीलंका	30.10.1995
35.	सियाम कमर्शियल बैंक	थइलैण्ड	14.12.1995
36.	क्रुंग थाई बैंक पी॰ सी॰ एल॰	तदैव	06.01.1997
37.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	04.04.1996
38.	चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	ताइवान	08.04.1996
39.	चाउ हुंग बैंक	साऊथ कोरिया	06.05.1996
40.	कमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लि॰	तदैव	12.03.1997
41.	हनिल बैंक	तदैव	02.04.1997

[अनुवाद]

आवास वित्त पोषण कंपनियां

2714. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री पवन दीवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न गैर भरोसेमंद आवास वित्त कंपनियां चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा ग्राहकों को ठगे जाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) आवास वित्त कंपनियों के लिए विनियामक प्राधिकरण राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि आवास वित्त कंपनियों द्वारा अनियमितताएं करने या निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने पर वह कार्रवाई करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अब तक 13 आवास वित्त कंपनियों को जमाराशि स्वीकार करने से रोका है और 23 आवास वित्त कंपनियों को स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाली एक आवास वित्त कंपनी के मामले में आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की है। अपने सामान्य विनियामक एवं पर्यवेक्षण कार्यों के अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक विशेषकर 50 लाख रुपए या इससे अधिक की स्वाधिकृत निधि वाली आवास वित्त कंपनियों के मामले में स्थलेतर निगरानी करता है।

[हिन्दी]

आमों का उत्पादन तथा निर्यात

2715. श्री श्यामलाल बंशीवाल :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) देश में कितनी तरह के आमों का उत्पादन होता है;

(ग) आम के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है;

(घ) किन-किन देशों को आम का निर्यात किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार ने आम का उत्पादन तथा इसका निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया):

(क) और (ख) भारत विश्व का सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश है। देश में उत्पन्न आम की प्रमुख किस्मों में ये शामिल हैं : अल्फांसो, बांगनपल्ली, चौसा, तोतापुरी, केसर, नीलम और लंगड़ा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आम के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	मूल्य (लाख रु. में)
1994-95	4502.72
1995-96	3851.91
1996-97 (अप्रैल-अक्टूबर)	3788.98

(घ) जिन देशों को आमों का निर्यात किया जाता है, उनमें ये शामिल हैं : संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, यू. के., सिंगापुर, नीदरलैंड, बंगलादेश, बहरीन, मलेशिया, कतर, यू. एस. ए., दक्षिणी अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ओमान, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, बैल्जियम, नीदरलैंड, एंटीलास, मॉरीशस, मालदीव, ब्रूनी, अर्जेंनटीना, सिशैल, केन्या, स्वीडन, भूटान, नेपाल, पुर्तगाल, बुरूंदी, उक्रेन, ऑस्ट्रिया, जापान, यमन अरब गणराज्य, श्रीलंका, थाइलैंड, इटली, स्लोवेनिया, सीरिया, अरब गणराज्य तथा इस्राइल।

(ङ) और (च) आमों सहित फलों का उत्पादन तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) उष्णकटिबंधीय, उष्ण तथा शुष्क क्षेत्र के फलों के एकीकृत विकास से संबंधित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के तहत गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति करना, नर्सरियों की स्थापना करने हेतु सहायता देना, टिश्यू कल्चर, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में सुधार करना तथा किसानों को प्रशिक्षण देना।

(ii) ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी मंचों, राइपनिंग/क्यूरिंग चैम्बर्स की स्थापना करने तथा गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों के लिए सुलभ ऋण देने की व्यवस्था करना;

(iii) अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास जैसे विशेषीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, फ्री-कूलिंग/शीत भंडारों की स्थापना करने के लिए निर्यातकों/उपजकर्ताओं/सरकारी समितियों को वित्तीय सहायता देना;

(iv) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(v) विदेशों के बाजारों में विशेष रूप से आम जैसे उत्पाद की स्वीकार्यता में सुधार करने के लिए पेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना करना;

(vi) अल्फांसो को छोड़कर सभी किस्मों के ताजे आमों सहित चुनिंदा ताजे फलों के निर्यात के लिए वायु भाड़ा अनुदान देना;

(vii) संवर्धनात्मक अभियान चलाना जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

सिक्कों/नोटों का आयात

2716. श्री धावर चन्द गेहलोत :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को एक सौ रुपये, और पांच सौ रुपये मूल्यवर्ग के सिक्कों/नोटों का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से आयात करने की अनुमति दी गई है और विदेशों में मुद्रित किए जा रहे नोटों का मूल्य और मूल्यवर्ग क्या है; और

(ग) इन नोटों के मुद्रण के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार ने एक बारगी उपाए के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को 3600 मिलियन अदद मुद्रित नोटों का आयात करने के लिए अधिकृत किया है। भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद, को भी 1000 मिलियन अदद सिक्कों के आयात के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है।

(ख) भारतीय रिवर्ज बैंक ने मुद्रित नोटों के आयात के लिए संविदाओं को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया है :

आपूर्तिकर्ता का नाम	मूल्यवर्ग	मात्रा	
		परिमाणवार (मिलियन अदद में)	मूल्यवार (करोड़ रुपए में)
1. मै. गिएसेक एवं डेवरिएन्ट, जर्मनी के नेतृत्व में यूरो-केन संघ	500	800	40,000
2. कनाडियन बैंक नोट कंपनी	500	800	40,000
3. मै. थोमस डी ला रुई लि. यू. के. के नेतृत्व में संघ	100	1300	13,000
4. अमेरिकन बैंक नोट कंपनी	100	600	6,000
5. बुन्देस ड्रूकेरेई, जी. एम. बी. एच. जर्मनी	100	100	1,000
		3600	1,00,000

सिक्कों के आयात के लिए संविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) इन आयातित नोटों की छपाई के लिए निर्धारित शर्तों में यह निर्दिष्ट है कि उन्हें सभी दृष्टियों से भारतीय नोटों के नमूनों के अनुरूप होना है तथा समूची प्रक्रियाओं के अंत तक कड़ी सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाए रखी जाएगी। इस पर व्यय की जाने वाली अनुमानित लागत 95.28 मिलियन अमरीकी डालर होगी।

[अनुवाद]

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा व्यक्तियों को गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखना

2717. श्री थामस हंसदा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों/निर्देशों के विपरीत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शारीरिक यातनाओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन हो, निर्देश जारी करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में लंबित मामले

2718. डॉ. जी. आर. सरौदे : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के दो सदस्यों में मतभेद होने के कारण तीसरे सदस्य के पास भेजे जाने की आवश्यकता है;

(ग) कुल कितने मामलों को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष खंडपीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता है;

(घ) ये सभी मामले कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) आय-कर अपील अधिकरण में 1.7.97 को लंबित मामलों की कुल संख्या 3,04,059 थीं।

(ख) 33 मामले।

(ग) 6 मामले।

(घ) (i) अधिकरण के समक्ष लंबित 3,04,059 मामलों की कुल संख्या में से 2,22,966 मामले वर्ष 1995 तक के हैं, 51,529 मामले वर्ष 1996 के हैं जबकि 29,564 मामले वर्ष 1997 के हैं।

(ii) तृतीय सदस्य को निदेश के लिए लंबित कुल 33 मामलों में से 5 मामले वर्ष 1996 के हैं और 28 मामले वर्ष 1997 के हैं।

(iii) सभी छः लंबित विशेष न्यायपीठ वाले मामले वर्ष 1996 के हैं।

मामलों को संस्थित किए जाने में हो रही वृद्धि लंबित होने का मुख्य कारण है।

(ङ) सरकार ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए अधिकरण की 15 न्यायपीठों का सृजन हाल में ही अनुमोदित किया है।

उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क की चोरी

2719. श्री एन. एस. वी. चित्थन :

श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न तम्बाकू उत्पादकों द्वारा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की भारी धनराशि की चोरी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की शुल्क चोरी की राशि तथा प्रत्येक उत्पादक का ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाया शुल्क वसूल करने तथा दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस घोटाले में विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किये जाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्यम और कमजोर वर्गों के लिए बीमा योजना

2720. श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के मध्यम और कमजोर वर्गों के

लाभ के लिए बीमा क्षेत्र की सेवाओं में विस्तार की योजनाओं का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम और उसकी विशेषताएं क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम समाज के मध्यम तथा कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की देखभाल हेतु विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं प्रस्तुत करता है।

भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के परिवार के मुखिया की प्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में 2000/रू० के बीमा कवच की व्यवस्था है। लाभभोगी द्वारा कोई प्रीमियम देय नहीं है। ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना में 5000/रू० के बीमा कवर की व्यवस्था है जो बीमित व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को देय है। यह 60 से 70 रू० वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर लाभभोगी के आयु में प्रवेश पर निर्भर है। यदि परिवार का एक सदस्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से संबंध रखता है तो प्रीमियम पर 50 प्रतिशत राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है। लाभभोगी को प्रीमियम राशि का केवल 50 प्रतिशत भुगतान करना अपेक्षित होता है। जीवन बीमा निगम 18 से 60 वर्ष के आयु समूह में 23 व्यवसायों हेतु समूह बीमा योजना भी संचालित करता है। इस योजना में 50 रू० प्रति वार्षिक की दर से प्रीमियम का भुगतान करने पर जिसमें जीवन बीमा निगम द्वारा 25/- रू० की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, प्राकृतिक मृत्यु की दशा में 5000/- रू० का मृत्यु कवच तथा दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा स्थाई रूप से पूर्ण अक्षम होने की स्थिति में 25000/- रू० देने की व्यवस्था है।

साधारण बीमा निगम में गरीब परिवारों के लिए जिनकी पारिवारिक आय सभी स्रातों से 7200/- रू० प्रति वार्षिक से ज्यादा नहीं है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना की व्यवस्था है। इन परिवारों के अर्जक सदस्य की मृत्यु होने पर इसके आश्रितों को 3000/- रू० की राशि दी जाती है। लाभभोगी द्वारा कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता। साधारण बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए झोपड़ी बीमा योजना भी संचालित करता है जो उनके झोपड़ी के नष्ट होने की दशा में 1000/- रू० की सीमा तक राहत प्रदान करता है और यदि झोपड़ी में रखा सामान भी आग में नष्ट हो जाए तो 500/- रू० की सहायता देता है। लाभभोगी से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। साधारण बीमा निगम मोटर दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए जहां वाहन की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती, क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था करता है। मृत्यु की दशा में 25000/- रू० तथा गंभीर चोट की दशा में 12,500/- रू० की राशि दी जाती है।

केरल में रबड़ पार्क

2721. श्री पी० सी० थामस :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में कतिपय रबड़ पार्क बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या "किनफ्रा" के सहयोग से रबड़ पार्क बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो पार्क में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (घ) सरकार ने केरल औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम (किन्फ्रा) के सहयोग से केरल के एर्णाकुलम जिले में इरापुरम में एक रबड़ पार्क की स्थापना के लिए रबड़ बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पार्क का उद्देश्य 100 एकड़ भूमि में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं जैसे विद्युत तथा जल, रबड़ उत्पादों की गुणवत्ता का केन्द्रीकृत परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, सामान्य उपचार तथा फैक्टरी के बहि:स्राव की निकासी, संचार सुविधाओं की व्यवस्था करना है। इस पार्क में 60 से 70 औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने की संभावना है।

उड़ीसा ग्रामीण आवास तथा विकास निगम लि० और राष्ट्रीय आवास बैंक

2722. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ग्रामीण आवास तथा विकास निगम लि० देश का प्रथम ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुन: वित्तपोषण के लिए पात्र बना है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम को प्रस्तावित ग्रामीण आवासीय योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि इस समय 25 आवास वित्त कंपनियां पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। उड़ीसा रूरल हाउसिंग एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० (ओआरएचडीसीएल) राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र होने वाली दूसरी सरकारी कंपनी है। ओआरएचडीसीएल को प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं की सूची में शामिल किया गया है, जो प्रस्तावित ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ओआरएचडीसीएल को इस योजना के परिचालन के प्रथम वर्ष के

दौरान 100 ऋण संवितरित करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रति मकान एक लाख रुपए औसत ऋण की परिकल्पना करने पर, ओआरएचडीसीएल द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की राशि एक करोड़ रुपए होगी। प्रथम वर्ष के दौरान 100 से अधिक ऋण मंजूर करने के लिए ओआरएचडीसीएल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने ओआरएचडीसीएल को मिलने वाली पुनर्वित्त सहायता कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों, कंपनी के प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक के एक्सपोजर और कंपनी के वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

कोयले की कीमतें

2723. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद अन्य खनिज उत्पादों की तुलना में कोयले की कीमत में अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कोयले की कीमत में हुई उक्त वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में कोयले की उत्पादन लागत बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कोयले की उत्पादन लागत में कमी करके कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से पिछले दशक के दौरान अन्य खनिज उत्पादों तथा अन्य मदों की तुलना में कोयले की कीमत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। 1996-97 तक पिछले 10 वर्षों के दौरान कोयले की कीमतों में वार्षिक वृद्धि 8.63% रही है, जबकि समवर्ती अवधि के दौरान थोक कीमत सूचकांक में 8.99% की वृद्धि हुई है। थोक कीमत सूचकांक, विभिन्न मदों की कीमतों पर आधारित है, जिसमें खनिज उत्पाद भी शामिल है।

(ख) इस प्रश्न के भाग क के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) अद्यतन सूचना के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में कोयले के उत्पादन की प्रति टन कीमत कई अन्य देशों, जैसे कि जर्मनी, युनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया, की कोयले की उत्पादन की प्रति टन कीमत की तुलना में बहुत कम है। भारत में कोयले की उत्पादन की कीमत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) श्रम-शक्ति का युक्तिकरण किया जाना।

(ii) क्षमता उपयोगिता में वृद्धि किया जाना।

(iii) अलाभकारी प्रचालनों को समाप्त किया जाना।

कोयले पर रायल्टी

2724. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

डॉ॰ कृपा सिंधु भोई :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि॰ का कोयला उत्पादक राज्यों को कोयले के माप के बजाय कोयले की कीमत के आधार पर रायल्टी देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि कोयले की कीमत के आधार पर रायल्टी तय की जाती है तो क्या राज्य सरकारों को दी जाने वाली रायल्टी में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रायल्टी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को कोयले की रायल्टी दर निर्धारित करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। इस धारा के परन्तुक के अंतर्गत यह किसी भी तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक की रायल्टी की दर में वृद्धि नहीं कर सकती है। चूंकि पिछली बार कोयले पर रायल्टी की दर में वृद्धि 11.10.94 को की गई थी, अत: आगामी वृद्धयात्मक संशोधन केवल 10.10.97 के बाद ही देय है। कोयले की रायल्टी दर में संशोधन के प्रश्न पर विस्तार से विचार करने के लिए कोयला मंत्रालय में 28.1.97 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया है, जो कि कोयले की रायल्टी के सभी पहलुओं पर विचार करेगा, जिसमें रायल्टी के निर्धारण की प्रणाली शामिल है अर्थात् कीमत अथवा भार के आधार पर। इस अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट 31.8.97 तक प्रस्तुत की जानी है। इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

विदेशी कर्ज

2725. डॉ॰ कृपा सिंधु भोई :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री हरिन पाठक :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी ऋण की किश्तों का ब्याज सहित शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय में भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान ब्याज सहित ऋण की किश्तों के रूप में किन-किन विदेशी वित्तीय संस्थानों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) मार्च, 1995, मार्च, 1996 और मार्च, 1997 में कितने रुपये और डॉलर (के रूप में) का विदेशी कर्ज था और मार्च, 1988 में इस में कितनी वृद्धि हो जाने की संभावना है;

(घ) विदेशी कर्ज में वृद्धि होने के क्या कारण हैं, यदि कोई है; और

(ङ) विदेशी कर्ज को निर्धारित समय सीमा में वापिस करने और कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जाने की विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) से (ङ) अद्यतन उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 1995 को बकाया कुल विदेशी ऋण 311,685 करोड़ रुपए (99,008 मिलियन अमरीकी डॉलर) और 31 मार्च, 1996 को 315, 435 करोड़ रुपए (92,199 मिलियन अमरीकी डॉलर) थे।

सरकार द्वारा अपनायी गई ऋण प्रबंध नीति की मुख्य विशेषताओं में निर्यातों की उच्च वृद्धि दर बनाए रखना, गैर ऋणकारी निवेशों के सृजन को प्रोत्साहित करना और परिपक्वता ढांचे के साथ-साथ वाणिज्यिक ऋणों की कुल राशि को नियंत्रण में रखना शामिल है।

विवरण

वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक स्रोतवार मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज भुगतान (सरकारी लेखा)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं॰	देश/संस्था का नाम	मूलधन की वापसी अदायगी			ब्याज भुगतान*		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ए॰ डी॰ बी॰	54.05	143.78	209.34	247.66	345.49	409.61
2.	आई॰ बी॰ आर॰ डी॰	2369.53	2718.26	2648.77	2020.96	2124.20	1950.36
3.	आई॰ डी॰ ए॰	608.47	759.29	834.04	382.64	437.08	465.21
4.	आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰	16.24	18.30	16.80	6.37	7.22	8.60
5.	ओ॰ पी॰ ई॰ सी॰	38.01	40.81	43.51	3.16	2.72	2.20
	जोड़	3086.30	3680.44	3752.46	2660.79	2916.71	2835.98
6.	आबू धाबी निधि	3.89	4.11	0.00	0.27	0.12	0.00
7.	अस्ट्रिया	10.40	11.58	12.57	3.90	4.48	4.02
8.	बेल्ज़ियम	19.98	26.54	24.93	1.54	1.67	1.37
9.	कनाडा	45.20	49.52	51.31	0.02	0.02	0.02
10.	चेक और स्लोवाकिया गणराज्य	4.28	4.28	4.28	0.59	1.55	0.91
11.	डेनमार्क	13.65	21.90	24.60	0.00	0.24	0.03
12.	ई॰ ई॰ सी॰ (एलएसी)	1.94	1.60	1.66	0.50	1.17	1.17

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	फ्रांस	249.98	287.67	290.62	161.98	168.75	152.41
14.	जर्मनी	436.98	523.69	549.14	207.25	228.96	206.71
15.	हंगरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	आईएमएफ (न्याय निधि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	ईरान	0.00	0.00	0.00	9.03	0.02	0.00
18.	इराक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	इटली	20.21	21.37	22.78	11.86	12.63	12.51
20.	जापान	564.28	725.83	731.24	627.01	733.69	703.09
21.	कुवैत निधि	46.04	48.90	51.40	16.97	16.23	16.11
22.	नीदरलैंड	143.76	246.12	193.60	67.36	71.43	67.47
23.	पोलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	सऊदी निधि	46.94	36.37	55.83	6.62	4.68	4.11
25.	स्पेन	0.00	0.00	0.00	2.90	3.02	3.23
26.	स्वीडन	0.00	0.00	0.00	19.08	2.18	2.06
27.	स्विटजरलैण्ड	17.29	24.90	27.18	13.11	16.62	14.45
28.	यू॰ ए॰ ई॰	21.03	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
29.	यू॰ एस॰ ए॰	398.90	434.15	458.76	181.56	174.42	176.53
30.	रशिया संघ	247.05	214..00	218.13	41.59	55.19	20.60
31.	युनाइटेड किंगडम	91.47	78.07	75.71	0.00	0.00	0.00
32.	आस्ट्रेलिया	0.00	0.00	1.11	0.21	0.45	0.63
	जोड़	2383.7	2760.60	2794.85	1373.93	1497.52	1387.43
	कुल जोड़	5469.37	6441.04	6547.31	4034.72	4414.23	4223.41

*इसमें वचनबद्धता प्रभार शामिल हैं।

महिलाओं द्वारा चलाई जा रही बैंक शाखाएं

2726. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में सभी वाणिज्यिक बैंकों को महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली बैंक शाखाएं खोलने के निर्देश दिये है;

(ख) यदि हां, तजो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खोले गये ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और देश में महिलाओं द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में और ऐसी शाखाएं खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने अनन्यरूप से महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1996 तक, निम्नलिखित बैंक शाखाएं केवल महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही थीं :

बैंक का नाम	शाखा का स्थान	
1. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	(i)	तिरुवनन्तपुरम, केरल
2. सिंडिकेट बैंक	(ii)	करोलबाग, नई दिल्ली।
	(ii)	शेषाद्रिपुरम, बेंगलूर।
3. करूर वैश्य बैंक लि॰	(i)	अन्ना नगर, चेन्नई

(घ) ऐसी शाखाएं खोलने के संबंध में निर्णय लेने का कार्य संबंधित बैंकों का है, न कि सरकार का।

जनजातीय आबादी के लोगों को आयकर से मुक्त करना

2727. श्री पी॰ नामग्याल : क्या **वित्त** मंत्री 14.3.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3192 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में लद्दाख की 95% आबादी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में यथापरिभाषित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 खंड 26 को लद्दाख की जनजातीय आबादी में लागू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लद्दाख की जनजातीय आबादी को आयकर से छूट दिए जाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) महोदय, वर्ष 1989 से पहले लद्दाख क्षेत्र सहित जम्मू और कश्मीर में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं थी। जम्मू तथा कश्मीर में संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 द्वारा पहली बार अनुसूचित जनजातियों की घोषणा की गई थी। चूंकि जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं की गई थी इसलिए लद्दाख क्षेत्र सहित जम्मू और कश्मीर के लिए अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े इस जनगणना के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) अन्य कर-लाभों अर्थात् (i) वेतनभोगी करदाताओं के मामले में मानक कटौती की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये करने (ii) बचतों के संबंध में धारा 80-ठ के अंतर्गत 15000 रुपए तक की कटौती; (iii) धारा 88 के अंतर्गत 14,000 रुपए तक की धनराशि की कर रिबेट सहित आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 40,000 रुपए तक किए जाने से भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले निम्न और मध्यम आय वर्ग के अधिकांश व्यक्ति आयकर के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इस वजह से और पिछले बजट में कर दरों में की गई अत्यधिक कमी के कारण भी सरकार का यह विचार है कि आयकर अधिनियम, 1961 में निहित बड़ी संख्या में कर छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 के खंड (26-क) में निहित आयकर छूट के बारे में यह अनुभव रहा कि बेईमान व्यापारियों द्वारा लद्दाख के निवासियों के माध्यम से अपने काले धन को वैध धन में परिवर्तित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत कमीशन के भुगतान में अनियमितताएं

2728. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संगठन की योजनाओं को डाकघरों और बैंकों के माध्यम से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संगठन पर पर्यवेक्षी नियंत्रण न होने के कारण कमीशन के भुगतान में अनियमितताएं की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कमीशन के भुगतान में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, संबंधित अधिकारियों द्वारा परिकलनात्मक गल्तियों के कारण पाई गई अनियमितताओं में तत्काल सुधार कर दिया जाता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्राकृतिक रबर का निर्यात

2729. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात किये गये प्राकृतिक रबर की मात्रा क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इसके निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इसका उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) वर्ष 1995-96 के दौरान, 1130 मी॰ टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात में 41.40% की वृद्धि दर्ज हुई।

(ग) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ के रोपण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देने, रोपण सामग्री की रियायती दर पर आपूर्ति करने, प्रसंस्करण इत्यादि के लिए मुफ्त तकनीकी जानकारी और सहायता प्रदान करने सहित अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। रबड़ बोर्ड के अनुमानों के अनुसार, देश में कोई निर्यात योग्य बेशी प्राकृतिक रबड़ नहीं है। प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि, यद्यपि घरेलू बाजार में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से अधिक हैं, इसलिए प्राकृतिक रबड़ का बड़े पैमाने पर निर्यात करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र का उदारीकरण

2730. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए॰ एस॰ एस॰ ओ॰ सी॰ एच॰ ए॰ एम॰ ने वस्त्र क्षेत्र के चरणबद्ध उदारीकरण के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। तथा मल्टी फाइबर एग्रीमेंट उदारीकरण सूची में और उत्पादों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र तथा परिधान बाजार के उचित पुनर्गठन के लिए विश्व व्यापार संगठन की सामान्य रूपरेखा के अनुसार वस्त्र व्यापार के समन्वय हेतु उत्पादों को संतुलित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) से (घ) सरकार को विभिन्न वस्त्र उत्पादों का उदारीकरण करने के लिए व्यापार क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

उरूग्वे दौर के अंतिम अधिनियम में शामिल वस्त्र तथा क्लोदिंग करार (ए॰ टी॰ सी॰) में वस्त्र क्षेत्र को गाट/डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के बहुपक्षीय ढांचे में 1.1.2005 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह एकीकरण करने की परिकल्पना है। आयातक देश अपने वस्त्र उत्पादों को ए॰ टी॰ सी॰ के उपबंधों के अनुसार एकीकृत कर रहे हैं।

दक्षेस समिति की बैठक

2731. श्री हरिन पाठक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आर्थिक सहयोग (सी॰ ई॰ सी॰) संबंधी दक्षेस समिति की छठी बैठक का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दक्षेस देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सी॰ ई॰ सी॰ द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां। आर्थिक सहयोग संबंधी दक्षेस समिति (सी॰ ई॰ सी॰) की छठी बैठक नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 16-17 नवंबर, 1995 को हुई। इसके बाद दिल्ली में दो और बैठकें 28-29 अक्टूबर, 96 और 21-22 अप्रैल, 97 को हुईं।

(ख) सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं-सार्क क्षेत्र में व्यापार विवादों के निपटारे के लिए संस्थागत व्यवस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव 1997 की समाप्ति से पहले सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के अंतर्गत व्यापार वार्ताओं के तीसरे दौर का आयोजन करना, साप्टा के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों पर से गैर-टैरिफ बाधाओं एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों को शीघ्र समाप्त करना, गैर-आपसी आधार पर क्षेत्र के सबसे कम विकसित देशों के लिए अधिमानी टैरिफ रियायतें प्रदान करना, क्षेत्र में परिवहन अवस्थापना तथा पारगमन सुविधाओं में सुधार करना, शीर्ष व्यापार निकायों की कार्यकारी समिति के सार्क में कार्य करने वाले सदस्यों एवं व्यापारियों को शामिल करके सार्क वीसा छूट योजना का विस्तार करना तथा 1997 के अंत तक दूसरा सार्क व्यापार मेला एवं सार्क वाणिज्य मंत्रियों की पाकिस्तान में दूसरी बैठक आयोजित करना।

विश्व बैंक से प्राप्त ऋण

2732. श्री जनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार भारत को अपनी सहायता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो भारत को और विश्व बैंक के ऋणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वे कौन-सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए सरकार का इरादा विश्व बैंक से और अधिक सहायता लेने का है तथा प्राप्त की जाने वाली और सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन ऋणों का कब तक चुकाये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारत के लिए विश्व बैंक की वचनबद्धताएं सामान्यतया 2.5-3 बिलियन अमरीकी डॉलर के बीच रही हैं और जुलाई, 1997 में संपन्न हुई भारत विकास मंच की बैठक के दौरान, विश्व बैंक ने भारत के लिए 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की वचनबद्धता दी है, जो वर्ष 1996 के लिए दी गई 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बचनबद्धता से अधिक है।

(ग) बैंक के वित्त वर्ष 1998 (जुलाई, 97-जून 98) के दौरान संभावित सहायता के लिए विश्व बैंक को अनेक परियोजनाएं भेजी गई हैं। इन परियोजनाओं में कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का निपटान, आंध्र प्रदेश पुनर्संरचना, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी,

उ० प्र० वानिकी, केरल वानिकी, उ० प्र० विविध कृषि, राजस्थान विद्युत, हरियाणा विद्युत, गुजरात राष्ट्रीय राजमार्ग, उ० प्र० प्राथमिक शिक्षा-II, डी० पी० ई० पी० III, पावरग्रिड-II, खाद्य एवं औषधि क्षमता निर्माण हैं। ये परियोजनाएं प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और प्रत्येक परियोजना की सहायता राशि सहित विस्तृत ब्यौरों का पता विश्व बैंक के साथ परियोजनाओं के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही चलेगा।

(घ) ऋणों की पुनः अदायगी प्रत्येक ऋण के करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों की अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष की होती है और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के ऋण 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 35 से 40 वर्ष में देय होते हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

2733. श्री वी० वी० राघवन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारी डेरी संघ ने केन्द्र सरकार से खुले सामान्य लाइसेंसों के अंतर्गत आयातित मदों की सूची से दुग्ध उत्पादों को हटाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। वाणिज्य मंत्रालय को भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेरी संघ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बनाए रखने तथा भारतीय डेरी उद्योग का तेजी से विकास करने के लिए "स्किम्ड मिल्क पाउडर" और बटर ऑयल को वर्तमान निर्यात और आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस से हटा कर नकारात्मक सूची में रख दिया जाए। तथापि, प्रस्ताव की वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी किंतु इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकों को ऋण

2734. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण किन योजनाओं के लिए दिया जाता है;

(ग) क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सांसद का आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई वित्तीय सहायता से है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीधे कोई ऋण नहीं देता है, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी सामान्य ऋण शृंखला (जी० एल० सी०) I और II से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि नाबार्ड अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं को मौसमी कृषि कार्यों, फसल के विपणन, कृषि निविष्टियों के विपणन और वितरण, कृषि के उन्नयन के लिए अन्य कार्यकलापों तथा कारीगर, लघु उद्योग तथा ग्रामोद्योगों और कुटीर उद्योगों आदि के उत्पादन और विपणन कार्यों के लिए अल्पावधिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने में सक्षम बन सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1997-98 के लिए, जी० एल० सी० I और II के तहत नाबार्ड के पक्ष में क्रमशः 4850 रुपए और 850 रुपए की ऋण सीमाएं मंजूर की हैं।

[अनुवाद]

धोवनशालाओं की स्थापना

2735. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिल्ड ओन आपरेट आधार पर धोवनशालों की स्थापना के लिए कितने ठेके प्रदान किए गए और ये धोवनशालाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी;

(ख) अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्थापित करने में आने वाली अड़चनों, यदि कोई हों तो को दूर करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) अभी तक "स्व-निर्मित-स्व चालित" आधार पर वाशरियों की स्थापना किए जाने हेतु कोई ठेका प्रदान नहीं किया गया है। किंतु, निम्नलिखित वाशरियों की स्थापना किए जाने हेतु आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं :

वाशरी का नाम	क्षेत्र	निर्धारित क्षमता (मि० टन प्रतिवर्ष)
1. कलिंगा	उड़ीसा में तलचर कोयला क्षेत्र	8.0
2. अनंता-भरतपुर	—तदैव—	5.2
3. दीपीका	मध्य प्रदेश में कोरबा कोयला क्षेत्र	6.0
5. सास्ती	महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र	1.5

(ख) और (ग) इन वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए ठेकों को पूरा किए जाने के क्रियाकलाप अंतिम चरण में हैं। विभिन्न कारकों,

जिसमें वाशरी प्रचालक के साथ किए गए ठेके के अनुरूप धुले कोयले को स्वीकार करने में क्रेता विद्युत गृहों द्वारा दिखाई जा रही अनिच्छा भी शामिल हैं, के कारण धुले कोयले की आपूर्ति किए जाने संबंधी ठेके को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब हुआ है। ऐसे संबद्ध उपभोक्ता, जो कि समय-समय पर कई मामलों को उठाकर विभिन्न स्तरों पर लंबी अवधि तक उन मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके साथ आपूर्ति किए जाने संबंधी ठेकों को पूरा करने में हो रहे विलंब के कारण वाशरी हेतु ठेका प्रदान करने का कार्य रुका हुआ है।

वाशरियों की स्थापना किए जाने के लिए ठेके को पूरा करने हेतु धुले कोयले के क्रेता के साथ एक "बैक-टू-बैक" ठेका किया जाना पूर्णतः आवश्यक है।

सीमाशुल्क संबंधी अधिसूचनाएं

2736. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-2002 की दीर्घकालीन निर्यात-आयात नीति में उल्लिखित प्रभारों से संबंधित सीमाशुल्क संबंधी अनेक अधिसूचनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अधिसूचनाएं जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उन अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) नई निर्यात-आयात नीति 1997-2002 की अधिसूचना के बाद, वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के बारे में बहुत-सी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। उक्त मंत्रालय के परामर्श से कुछेक विषयों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

मोर पेशेंट्स टोटर इन टू बीआईएफआर हॉस्पिटल

2737. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1997 को समाप्त हुए छह माह में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा की गई जैसा कि 14.7.1997 के "दि इकानॉमिक टाइम्स" में "मोर पेशेंट्स टोटर इन टू बीआईएफआर होस्पिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में छपा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट की गई टिप्पणियों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा औद्योगिक रुग्णता के क्या तथ्य हैं तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा ऐसे मामलों की निपटान स्थिति क्या है;

(ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को मजबूत करने की दिशा के संबंध में पूरी क्षमता के साथ इसके कार्यपालन, बढ़ते हुए कार्यभार तथा संबंधित सुधार से निबटने के लिए अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में की गई/विचार की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1997-98 के दौरान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लिए तैयार की गई "कार्य योजना" का ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 1.1.1997 से 30.6.1997 की अवधि के दौरान, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) के उपबंधों के अंतर्गत बाइफर के पास 92 मामले दर्ज किए गए थे। उसी अवधि के दौरान, बाइफर ने 26 पुनर्वास योजनाएं मंजूर कर और 55 मामलों को परिसमापन के लिए सिफारिश कर 103 मामले निपटाएं हैं। 22 मामलों को सिका के अंतर्गत रख-रखाव योग्य न होने के कारण खारिज कर दिया गया 30.6.1997 की स्थिति के अनुसार, 369 मामले जांच के विभिन्न स्तरों पर लंबित थे जबकि 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार 336 मामले लंबित थे।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्तमान रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक, 1997 नामक एक विधेयक संसद में पेश किया है।

देना बैंक में धोखाधड़ी

2738. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री मोहन रावले :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने "हाल ही में मुम्बई स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक में 31.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह धनराशि वसूल कर ली गई है;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बैंक कर्मचारियों का इनमें शामिल होना भी प्रकाश में आ गया है;

(च) यदि हां तो, इस वर्ष प्रकाश में आई बैंक धोखाधड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देना बैंक द्वारा उसकी मुम्बई (गुलालवाड़ी) शाखा में जून, 1997 के अंतिम सप्ताह के दौरान 31.79 करोड़ रु० की अंतर्ग्रस्तता वाली धोखाधड़ी की सूचना दी गई थी। धोखाधड़ी का पता तब चला जब बैंक ने गुलालवाड़ी और सेवा शाखा के केन्द्रीय समाशोधन विभाग के खाते की शेष राशि में भारी अंतर के मिलान के लिए कदम उठाया। कंपनियों के एक समूह ने देना बैंक की गुलालवाड़ी शाखा और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की काल्बादेवी शाखा दोनों में खाते खोले थे। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, काल्बादेवी शाखा के खाते में आहरित चेकों को देना बैंक की गुलालवाड़ी शाखा में उनके खातों में जमा कराया गया था। खाता धारकों के खाते में तत्काल धनराशि जमा करके देना बैंक की गुलालवाड़ी शाखा द्वारा पार्टियों को अप्राधिकृत रूप से सहायता पहुंचायी गई थी और लिखतों को समाशोधन के लिए देरी से, जो कुछ मामलों में 7-10 दिन था, भेजा गया था यद्यपि गुलालवाड़ी शाखा उच्च मूल्य वाली समाशोधन शाखाओं के क्षेत्र में नहीं आती थी, तथापि इन पार्टियों को अप्राधिकृत रूप से भी सहायता दी गई थी ताकि वे उच्च मूल्य वाली समाशोधन शाखाओं के समाशोधन तंत्र के माध्यम से अपने चेकों का समाशोधन करा सकें। 31.04 करोड़ रु० के 49 चेक नवम्बर-दिसम्बर, 1996 में जमा किए गए थे और इन चेकों को समाशोधन के लिए न भेजकर धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से धन निकाल लिया गया।

देना बैंक की गुलालवाड़ी शाखा के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बैंक ने अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस बारे में एक नियमित मामला दर्ज किया है और बैंक के दो कर्मचारियों तथा एक गैर-सरकारी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

(ङ) और (छ) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई धोखाधड़ियों की संख्या क्रमश: 2266, 1890 और 1954 थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, से 31 मार्च, 1997 की तिमाही के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने 631 धोखाधड़ियों की सूचना दी है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में ये शामिल हैं : बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक दिशानिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ियों के मामलों की पुनरीक्षा करना, विशेष मामलों में कार्यप्रणाली और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षोपाय से बैंक को अवगम कराना, परिचालनात्मक कर्मियों को उचित प्रशिक्षण, बड़ी धोखाधड़ियों के सूचित किए गए मामलों का निरीक्षण और संवीक्षा तथा धोखाधड़ी की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में प्रणालियों और प्रक्रियाओं एवं नियंत्रण व्यवस्थाओं की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अचानक निरीक्षण करना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वस्त्र मिलें

2739. डॉ० सत्य नारायण जटिया : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्त्र उद्योग में सुचारु संचालन के लिए कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं और इनके क्या परिणाम रहे;

(ग) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में चल रही वस्त्र मिलों की संख्या कितनी है और इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) उज्जैन में विनोद विमल मिल्स के कामगारों के पुनर्वास के लिए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन कामगारों को भविष्य निधि की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है; और

(च) उनकी भविष्य निधि की बकाया राशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) विद्यमान वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक ढंग से शामिल किया गया है तथा सरकार भी वस्त्र क्षेत्र की व्यवस्था का निरंतर मानीटर करती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके विकास में किसी प्रकार से रुकावट नहीं आए तथा जब कभी भी वस्त्र उद्योग के किसी क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना जरूरी होता है तब नीतिपरक हस्तक्षेप करके उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(ग) 31.5.1997 तक की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश में 9 मिलों के बंद होने के कारण 21091 कामगार बेरोजगार हो गए हैं।

(घ) भारत सरकार मिलों के स्थायी/आंशिक रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए कामगारों को अंतिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना चलाती है। यह योजना समूचे देश में लागू है।

(ङ) और (च) यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अचल संपत्ति की खरीद

2740. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग से अचल संपत्ति की खरीद के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अचल संपत्ति खरीदने के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अचल संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त किए हैं :

क्रम सं॰	अचल संपत्ति का विवरण
1.	भुवनेश्वर में अपने राज्य कार्यालय हेतु सी॰ पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ के माध्यम से 29 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।
2.	कलकत्ता में अपने राज्य कार्यालय हेतु पश्चिम बंगाल आवासीय बोर्ड से 34 स्टाफ क्वार्टरों (तैयार) की खरीद।
3.	कलकत्ता सुधार न्याय से 5000 वर्ग फुट आवृत्त क्षेत्र को कार्यालय आवास की खरीद।
4.	एम॰ डी॰ टी॰ सी॰ केन्द्र हलद्वानी के लिए हलद्वानी में संपत्ति की खरीद।

(ग) और (घ) सरकार ने इस प्रकार की शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

2741. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री के॰ पी॰ सिंह देव :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एम॰ सी॰ एल॰) के अंतर्गत वसुन्धरा खुले मुंह वाली कोयला खान में कोयला खनन कार्य रुक गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस कोयला खान में खनन कार्य फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) जून, 1989 में स्वीकृत की गई वसुन्धरा ओपनकास्ट परियोजना संरचनात्मक सुविधाओं तथा कोयले के संयोजित उपभोक्ताओं की कमी के कारण रद्द कर देनी पड़ी। किंतु, वर्ष 1994 में कोयला आपूर्ति हेतु उपयुक्त संयोजन स्थापित किए जाने तथा संरचनात्मक विकास हेतु कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के पश्चात् परियोजना को फिर से आरंभ कर दिया गया। परियोजना से कोयले का उत्पादन मई, 1997 में आरंभ हो गया था और यह अभी भी जारी है।

[हिन्दी]

इंदौर स्थित बैंक ऑफ राजस्थान में घोटाला

2742. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बैंक ऑफ राजस्थान की इंदौर शाखा मध्य प्रदेश में 2.41 करोड़ रुपए का घोटाला होने के कारण लोगों में असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसे घोटालों में लिप्त कर्मचारियों को दंडित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण इकाइयों की संख्या और बकाया ऋण

2743. डॉ॰ राम विलास वेदांती :

श्री सोहनवीर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 के अनुसार देश में रुग्ण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रुग्ण इकाइयों के पास बैंक का कितना ऋण बकाया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार रुग्ण लघु उद्योग एककों और रुग्ण गैर-लघु उद्योग एककों की संख्या और उनके पास बकाया बैंक ऋण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत बैंक रुग्ण औद्योगिक एककों को आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी प्रदान करते हैं। पुनरुज्जीवन के लिए संभावित रूप से अर्थक्षम पाए गए रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों से संबंधित पुनर्वास पैकेजों की तैयारी/कार्यान्वयन के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों की व्यवस्था है :— चरणबद्ध ढंग से देयराशियों की अवधि को बढ़ाने के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की विद्यमान देयराशियों की निधीयन, ब्याज रियायतें, नए सावधि ऋण और साथ ही नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं की मंजूरी। रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध (अधिनियम, 1985) एसआईसीए के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड निरोधी, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय का निर्धारण करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे उपायों को लागू करने के लिए रुग्ण गैर-लघु उद्योग एककों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए भी कहा है।

विवरण

करोड़ रुपए

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	गैर-लघु उद्योग, रुग्ण औद्योगिक एककों की सं॰	बकाया राशि	लघु उद्योग रुग्ण औद्योगिक एककों की सं॰	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	234	1037.42	14794	296.41
2 असम	37	116.57	19831	51.85
3. अरुणाचल प्रदेश	1	1.77	104	0.96
4. बिहार	56	103.19	16695	97.54
5. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	26	125.97	6045	247.46
6. गोवा	4	11.42	717	15.39
7. गुजरात	117	670.07	7476	228.37
8. हरियाणा	63	305.56	2332	97.76
9. हिमाचल प्रदेश	20	38.72	5.67	18.01
10. जम्मू एंड कश्मीर	7	27.89	3728	25.62
11. कर्नाटक	114	493.34	11196	247.24
12. केरल	69	412.38	8984	163.50
13. मध्य प्रदेश	99	323.86	11748	172.30
14. महाराष्ट्र	337	1688.84	20100	744.14
15. मेघालय	2	1.31	4985	15.80
16. मिजोरम	—	—	62	1.81

1	2	3	4	5
17. मणिपुर	1	2.37	913	8.06
18. नागालैंड	1	1.30	1445	11.39
19. उड़ीसा	53	194.72	7826	47.57
20. पंजाब	37	137.35	2362	64.16
21. राजस्थान	61	229.58	15668	84.11
22. सिक्किम	1	6.35	116	0.58
23. तमिलनाडु	129	762.63	8293	326.97
24. त्रिपुरा	6	9.13	1356	2.73
25. उत्तर प्रदेश	173	993.58	38349	340.72
26. पश्चिम बंगाल	225	1080.37	56214	388.26
जोड़ :	1873	8775.69	261906	3698.71
संघ शासित क्षेत्र				
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	41	0.18
2. चंडीगढ़	12	32.85	205	12.51
3. दमन एवं दीव	1	1.98	5	1.88
4. दादरा एवं नगर हवेली	2	4.22	1	0.90
5. पांडिचेरी	8	8.54	218	7.78
6. लक्षद्वीप	—	—	0	0.00
जोड़ :	23	47.59	470	23.25
समग्र जोड़ :	1896	8823.28	262376	3721.96

[अनुवाद]

आई॰ आर॰ ई॰ को ई॰ ओ॰ यू॰ का दर्जा देना

2744. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में आई॰ आर॰ ई॰ के ई॰ ओ॰ यू॰ दर्जे को समाप्त (डिबांड) करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू बाजारों में उत्पादों को बेचने के लिए आई॰ आर॰ ई॰ द्वारा अदा किये जाने में उत्पाद शुल्क की वसूली में छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) मैं इंडियन रेअर अर्थ लिमि॰, जो एक 100% निर्यातोन्मुख एकक है, को निर्यातोन्मुख एकक योजना से बाहर निकलने की अनुमति मानक शर्तों के अधीन दी गई है। मानक शर्तों में योजना के बाहर निकलते समय लागू सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क का भुगतान किया जाना शामिल है। लेकिन, उन्होंने ई॰ ओ॰ यू॰ का दर्जा समाप्त करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं।

(घ) और (ङ) घरेलू बाजार में परिष्कृत उत्पादों की बिक्री के लिए

उत्पाद/सीमाशुल्क में छूट देने के एकक के अनुरोध की राजस्व विभाग के परामर्श से जांच की जा रही है क्योंकि इसमें शुल्क की पर्याप्त राशि शामिल है।

[हिन्दी]

बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां, लघु औद्योगिक इकाइयों से ज्यादा खतरनाक

2745. जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1997 के "द डेली आब्जर्वर" में एसएसआई यूनिट्स लेस रिस्की दैन लार्ज यूनिट्स, सेज आरबीआई स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों की तुलना में लघु औद्योगिक इकाइयों को दिये गये ऋणों में जोखिम कम है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या रिजर्व बैंक की इस अध्ययन रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने ऋण नीति में व्यापक सुधार के लिए कोई विनिर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

दवे समिति

2746. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी बाजार के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी दवे समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूंजी बाजार हेतु आधार ढांचा सुविधाओं से संबंधित दवे समिति डॉ॰ एस॰ ए॰ दवे की अध्यक्षता में एसोसिएशन ऑफ मर्चेन्ट बैंकर्स ऑफ इंडिया (ए एम बी आई) द्वारा गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट सरकार को नहीं बल्कि ए एम बी आई को 30 जून, 1997 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) इस समिति की प्रमुख सिफारिशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) कानूनी आधारढांचा;

(ii) संस्थागत आधारढांचा;

(iii) जानकारी संबंधी आधारढांचा; और

(iv) प्रौद्योगिकीय आधारढांचा।

इन सिफारिशों में वित्तीय क्षेत्र को शासित करने वाले विभिन्न अधिनियमों और कानूनों की समीक्षा, कम्पनी अधिनियम के तहत निवेशक के संरक्षण संबंधी कार्य कलापों का सेबी को अंतरण, मूल्य-निर्धारण के लिए बही तैयार करने के तंत्र को बढ़ावा देने, बाजार-निर्माण, विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के बीच अंत: संपर्क, निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना, कम्पनियों द्वारा सूचना का एक-समान प्रचार-प्रसार और इन्टरनेट के साथ कार्पोरेट संपर्क की स्थापना आदि जैसे विभिन्न संस्थागत सुधारों से संबंधित सिफारिशें शामिल हैं।

(ग) पूंजी बाज़ार में नीतिगत सुधार करना एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और सरकार पूंजी बाज़ार की कानूनी एवं संस्थागत आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा करती रहती है। सरकार ने सेबी की विनियामक शक्तियों को मज़बूत बनाने के लिए 1995 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया। प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण तथा स्क्रिपरहित कारोबार की व्यवस्था करने के लिए निक्षेपागारों की स्थापना करने हेतु कानूनी ढांचे का प्रावधान करने की दृष्टि से सरकार ने 1996 में निक्षेपागार अधिनियम भी अधिनियमित किया है। सेबी को निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए पूंजी बाज़ार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निर्देश जारी करने के लिए भी शक्तियां दी गई हैं। दवे समिति की रिपोर्ट की अनेक सिफारिशें पहले से ही लागू की जा रही हैं जैसे कि मूल्य-निर्धारण के लिए बही तैयार करने की प्रक्रिया का प्रावधान, समाशोधन और निपटान संबंधी लेन-देनों में होने वाली देरी को कम करने के लिए समाशोधन-गृहों तथा समाशोधन-निगमों की स्थापना करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को प्रोत्साहित करना, स्टॉक एक्सचेंजों में माध्यस्थम तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देना, कम्पनियों द्वारा सूचना प्रकट किया जाना।

ई॰ पी॰ सी॰ जी॰ योजना

2747. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ई॰ पी॰ सी॰ जी॰ योजना के अंतर्गत कुल, कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं आयात की गईं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ई० पी० सी० जी० योजना से लाभान्वित होने वाले संगठनों द्वारा कितनी मात्रा में अनिवार्य निर्यात किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतपाल महाराज) : (क) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (नि० स० पू० मा०) स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष किए गए आयात के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में लगभग)
1994-95	1489.50
1995-96	2892.80
1996-97	6631.89

(ख) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (नि० स० पू० मा०) स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष किए गए निर्यात के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में लगभग)
1994-95	3242.64
1995-96	138.16
1996-97	10.01

15% रिआयती शुल्क के सम्बन्ध में निर्यात-बाध्यता 5 वर्ष तथा शून्य शुल्क के सम्बन्ध में 8 वर्ष है। अत: उपर्युक्त अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों के लिए निर्यात-बाध्यता अवधि अभी समाप्त होनी है।

कोयले का आयात

2748. श्री आर० एल० पी० वर्मा :

श्री कचरु भाऊ राउत :

श्री सुशील चन्द्र :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार कुल कितना कोयला आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान यह कोयला किन-किन देशों से किन-किन उद्योगों के लिए आयातित किया गया;

(ग) आयातित कोयले का प्रति टन मूल्य क्या है;

(घ) क्या 1997-98 के दौरान भी कोयला आयात के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी (डीजीसीआई एंड एस) कलकत्ता से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की आयातित मात्रा तथा ऐसे देश जिनसे कोयले का आयात किया जाता है, उनके बारे में ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़ा पूर्णत: अनंतिम है)

वर्ष	ऐसे देशों के नाम जिनसे कोयले को आयातित किया गया है	कुल आयात (मि०टन में)
1994-95	तीन ताइपेइ, चीन गणराज्य, नार्वे, यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, भूटान, जापान।	11.39
1995-96	चीन ताइपेइ, चीन गणराज्य, जर्मनी, नार्वे, यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, जापान, सिंगापुर	13.68
1996-97	चीन ताइपेइ, चीन गणराज्य, जापान, नार्वे, यू० के०, वियतनाम एस० गणराज्य, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, भूटान, जर्मनी, सिंगापुर, यू० एस० ए०	13.25

(ग) विद्यमान आयात नीति के अनुसार कोयले का स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है तथा ऐसे आयात सामान्यत: कोयले के वास्तविक उपभोक्ताओं, जैसे कि विद्युत, सीमेंट इस्पात, आदि द्वारा किया जाता है। अत: आयातित कोयले के एवज में अदा की गई कोयले की प्रतिटन कीमत तथा भारत में आयातित कोयले की कीमत के संबंध में ब्यौरा कोयला मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने हेतु कोयले का आयात किया जाना प्रस्ताव नहीं किया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं तथा वाणिज्यिक हितों को दृष्टिगत करने हेतु कोयले का आयात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

फिल्मी सितारों पर बकाया आयकर

2749. श्री काशीराम राणा :

श्री इलियास आज़मी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिने कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों के नाम क्या हैं जिनकी ओर 1 जुलाई, 1997 को 10 लाख रुपये या इससे अधिक की आयकर की राशि बकाया है;

(ख) तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(3) तथा दूसरी अनुसूची के नियम 48 के अंतर्गत खंड (छ) में उल्लिखित कर अदा न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चल और अचल सम्पत्ति कुर्क कर ली है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) अद्यतन सूचना के अनुसार उन सिने कलाकारों, निर्देशकों और निर्माताओं आदि के नाम जिनकी तरफ दिनांक 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार आयकर/निगम कर की 10 लाख रु० से अधिक राशि की मांग बकाया थी, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

प्रत्येक फिल्मी हस्ती के मामले में वर्षवार बकाया आयकर की मांग के ब्यौरे प्राप्त करने हेतु पूरे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से पत्र-व्यवहार करना अपेक्षित होगा। चूंकि मांगों से संबंधित संचित आंकड़े उपलब्ध हैं अत: ऐसे पत्र-व्यवहार में बहुत अधिक समय लगेगा।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(3) और दूसरी अनुसूची के नियम 48 के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों का कर निर्धारण अधिकारियों और कर वसूली अधिकारियों द्वारा प्रयोग उचित मामलों में बकाया कर की मांग वसूल करने के लिए चल और अचल परिसम्पत्तियों की कुर्की करने के लिए किया जाता है। तथापि, प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई के परिणामों सहित संक्षिप्त ब्यौरे प्राप्त करने हेतु पूरे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से पत्र-व्यवहार करना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त सभी मामलों में ऐसी सूचना को एकत्र करने और उसे संकलित करने संबंधी कार्य काफी भारी भरकम होगा और इसमें काफी अधिक समय लगेगा। इस मामले में किए जाने वाले प्रयास और लगने वाला श्रम प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट फिल्मी हस्ती के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

विवरण

क्र० सं०	सिने कलाकारों, निदेशकों और निर्माताओं आदि के नाम	दिनांक 31-3-1997 की स्थिति के अनुसार आयकर/निगम कर की दस लाख रुपये से अधिक की मांग बकाया बनी रही
1	2	3
		(लाख रु० में)
1.	श्री सुभाष घई	122.79
2.	श्री अशोक घई	11.00
3.	मैसर्स मुक्ता आर्ट्स प्रा० लि०	23.49
4.	मैसर्स एडलैब्स फिल्म्स प्रा० लि०	88.05
5.	श्री शाहरूख खान	16.68
6.	सुश्री पूजा भट्ट	11.00
7.	श्री महेश भट्ट	12.40
8.	स्व० श्री किशोर कुमार गांगुली	42.55
9.	श्री जयराम रेड्डी	21.83
10.	श्री जैकी श्राफ	26.91
11.	मैसर्स नडयाडवाला ग्रांडसंस	43.53
12.	मैसर्स नासिर हुसैन फिल्म्स लि०	46.82
13.	सुश्री नन्दिता मोरारजी	19.58
14.	श्री पहलाज एन० निहलानी	32.74
15.	श्री राजेश खन्ना	40.57
16.	श्री परवेज अहमद	10.99
17.	श्री राजन सिप्पी	51.14
18.	मैसर्स अनास फिल्म्स	17.48
19.	श्री मुकेश दुग्गल	19.55
20.	श्री फारुख ए० फारुकी	13.88
21.	मैसर्स सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शन	11.83
22.	मैसर्स पी० एम० प्रोडक्शन	11.88
23.	श्री ओ० पी० रल्हन	74.08
24.	श्री त्रिखा सुदेश	12.48
15.	मैसर्स ए० के० मूवीज	34.39
25.	सुश्री बरखा राय	10.32
27.	श्री सतराम रोहड़ा	42.89
28.	श्री जोसफ वैलनकुझी	29.86
29.	श्री एम० मणि	18.54
30.	मैसर्स श्रीमती मूवी कम्बाइन्स	17.26
31.	मैसर्स भाग्य नगर स्टूडियोज (प्रा०) लि०	17.67
32.	मैसर्स दीप्ति पिक्चर्स	16.67
33.	मैसर्स ड्रिलू सिने एन्टरप्राइजेज (प्रा०) लि०	12.68

1	2	3
34.	*मैसर्स विनय एन्टरप्राइजेज*	10.80
35.	*मैसर्स रोमेश फिल्म्स प्रा० लि०*	19.26
36.	श्रीमती अनुराधा पौडवाल	15.46
37.	मैसर्स सृजन फिल्म्स	18.40
38.	श्री प्रभाकर	19.07
39.	श्री एन० आर० सुधीर	18.59
40.	मैसर्स गोपाल फिल्म्स	10.33
41.	श्री कृष्ण कुमार	27.93
42.	श्री गुलशन कुमार	12.64
43.	श्री राघवेन्द्र राव	10.14
44.	श्री आर० डी० भास्कर	12.71
45.	मैसर्स राधा एन्टरप्राइजेज	15.07
46.	मैसर्स आर० के० फिल्म एसो०	27.20
47.	श्रीमती एस० विजय शान्ति	22.02
48.	श्रीमती पी० सौन्दर्य	17.27
49.	श्री आर० राजू बाबू	15.45
50.	सुश्री के० सुरेखा	11.58
51.	श्री अर्जुन	19.68
52.	श्री मुरली कान्तन	24.31
53.	सुश्री खुशबू उर्फ नखात खान	12.13
54.	श्रीमती श्रीविद्या	12.13
55.	कु० टी० गौतमी	10.17
56.	सुश्री ए० श्रीदेवी	77.44
57.	श्री के० भाग्यराज	11.36
58.	श्री कमल हासन	10.80
59.	सुश्री आर० जयप्रदा	113.29
60.	मैसर्स अरुणा इन्टरनेशनल	508.78
61.	मैसर्स अंजना प्रोडक्शन	14.30
62.	श्री आदि नारायण रेड्डी	20.02
63.	श्री अल्लू अरविन्द बाबू	17.73
64.	श्री के० सी० बोकाडिया	242.81
65.	श्री पी० भारतीराजा	15.38
66.	श्री फ्रांसिस जोसफ	27.49
67.	श्री जी० गोपाल राव	30.63
68.	श्री जी० हनुमन्त राव	27.80
69.	श्री कोथौडा रमैया	26.25
70.	श्री के० टी० कुंजूमन	31.55
71.	मैसर्स पदमालय फिल्म्स	24.19
72.	श्री के० एस० रामाराव	21.98
73.	श्री एस० रामनाथन	35.47
74.	मैसर्स सेवन आर्ट फिल्म्स	12.89
75.	मैसर्स सुजाता फिल्म्स प्रा० लि०	650.42
76.	स्व० स्मिता	10.26
77.	श्री के० सुब्रमणियन	213.75
78.	श्री जी० वेंकटेश्वरन	71.99
79.	श्री के० जे० येशुदास	16.55
80.	श्री आर० विजय चन्द्रन	34.29
81.	श्री अंजान चौधरी	28.96
82.	मैसर्स मिश्री लाल पिक्चर्स (प्रा०) लि०	69.42
83.	श्री मनोतोष दास गुप्ता	15.40
84.	मैसर्स शान्ति फिल्म कारपो०	10.78
85.	मैसर्स नैप्च्यून एन्टरप्राइजेज	16.22
86.	मैसर्स नवरंग सिने शियेटर्स प्रा० लि०	83.33
87.	मैसर्स जैफो फिल्म्स प्रा० लि०	12.89
88.	मैसर्स सुमीत फिल्म	10.14
89.	मैसर्स बी० आर० टी० वी०	18.99
90.	श्री प्रकाश मेहरा	17.03
91.	मैसर्स धर्म प्रोड० प्रा० लि०	16.47

1	2	3
92.	श्री सावन कुमार टाक	29.04
93.	श्री पंकज उधास	27.84
94.	मैसर्स डीलक्स पिक्चर्स (दिल्ली)	12.58
95.	मैसर्स एसोसिएटेड फिल्म इंड० प्रा० लि०	25.50

रबड़ का आयात

2750. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक उत्पादक को अनुमति देने की बजाय आवश्यकतानुरूप राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रबड़ के आयात को सारणीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागजों पर दंडात्मक शुल्क

2751. श्री अय्यन्नापटरूथु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज उद्योग ने तीन देशों से अखबारी कागज आयात पर दंडात्मक शुल्क लगाने संबंधी वाणिज्य मंत्रालय के एंटी डम्पिंग प्रकोष्ट की सिफारिशों के निष्कर्षों के विरुद्ध विरोध जताया है; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी अखबारी कागज उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय समाचार पत्र संघ तथा अन्यों ने सरकार से संयुक्त राज्य अमेरीका, कनाडा और रूस से आयातित अखबारी कागज पर अनन्तिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क न लगाने का अनुरोध किया है जिसे लगाने के संबंध में अभिहित प्राधिकारी द्वारा 1.4.96 से 31.10.96 की अवधि के संबंध में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में सिफारिश की गई है।

(ख) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अखबारी कागज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी और घरेलू अखबारी कागज उद्योग के उत्पादन की औसत लागत को ध्यान में रखकर 29.10.1996 से आयातित अखबारी कागज पर पहले ही मूल्यानुसार 10% सीमा शुल्क लगाया है। तथापि, सरकार अनन्तिम प्रति-पाटन शुल्क के संबंध में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों की भी जांच कर रही है और उस पर उपयुक्त समय में निर्णय ले लिया जाएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

2752. श्री के० परसुरामन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था का निराशाजनक कार्यकरण, औद्योगिक वृद्धि में लगातार गिरावट तथा कम विदेशी व्यापार के कार्य-निष्पादन के कारण है जिसकी वजह से धन संबंधी तथा वित्तीय व्यवस्था संबंधी कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) के० सां० सं० के त्वरित अनुमानों के अनुसार, अप्रैल, 1997 में, चालू वित्तीय वर्ष में वह अद्यतन महीना जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आई० आई० पी०) द्वारा यथा मापित समग्र औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल, 1996 में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र में विगत वर्ष के इसी महीने में 9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 11.7 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-जून, 1997 के दौरान, वह अद्यतन अवधि जिसके लिए विदेशी व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यातों (अमरीकी डॉलर के रूप में) में 0.95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तथापि, आयातों में (पुनः अमरीकी डॉलर के रूप में) 4.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और गैर-तेल-आयातों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कच्ची सामग्री और पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं, में इसी अवधि के दौरान 8.42 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।

केन्द्रीय बजट, 1997-98 में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया की रूप रेखा प्रस्तुत की गई है। बजट में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 1996-97 (सं० अ०) में 5 प्रतिशत से कम करके 1997-98 (बं० अ०) में 4.5 प्रतिशत तक लाना परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर की कमी के परिणामस्वरूप, बैंकों की प्राथमिक उधार दरों में कमी आई है और इससे नकदीकरण बाध्यताओं में काफी कमी आई है। बैंकों में सुविधाजनक नकदी की स्थिति के कारण 91 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की ब्याज दरों में भी कमी आई है। अप्रैल-जून, 1997 के बीच, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरियों में भी 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

उपर्युक्त उपायों से चालू वर्ष में औद्योगिक वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

जापानी कम्पनियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

2753. श्री सिदैय्या कोटा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित कुछ जापानी कंपनियां विशेष प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं जैसा कि स्थानीय लोगों द्वारा रोजगार देने की मांग;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि उस देश से निवेश को हतोत्साहित नहीं किया जाये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली परियोजनाओं के सक्रीय क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। तदनुसार, सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें निवेशकों और राज्य सरकारों के साथ परस्पर संबंध शामिल हैं ताकि अवरोधों और समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता चल सके और जिससे उनका समाधान करने के लिए प्रयास किये जा सकें। यह जापान सहित सभी देशों के लिए लागू होगा। जहां अपेक्षित होता है, उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ताकि एक खुला, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल अनुमोदन तंत्र उपलब्ध हो सके और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जा सके।

सरकार को इसकी प्रतिपुष्टि मिली है कि अनेक जापानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों ने भारत में आर्थिक सुधारों का सकारात्मक मूल्यांकन किया है। वे अब मानते हैं कि भारत में बहुत बड़ा बाजार होने के साथ-साथ मांग भी काफी है।

प्रस्तावित निर्यात खण्ड के अंतर्गत प्रोत्साहन

2754. श्री जी० वेंकट स्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली, तेल और गैस क्षेत्र में अधिरचित परियोजनाओं के निर्यात के लिए प्रस्तावित निर्यात खण्ड के अंतर्गत प्रोत्साहन वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, नहीं। बिजली, तेल तथा गैस क्षेत्र को सामान की आपूर्ति के लिए माने गए निर्यातों के लाभ एग्जिम नीति (1997-2002) के पैरा 10.2 (जी) तथा पुस्तिका खण्ड 1 (1997-2002) के सदृश पैरा 10.11 के अनुसार उपलब्ध हैं। इन लाभों को रिफाइनरी परियोजनाओं को भी प्रदान करते हुए, इन पैराग्राफों में क्रमश: दिनांक 29.7.97 की अधिसूचना सं० 10 तथा दिनांक 29.7.97 की सार्वजनिक सूचना सं० 29 के द्वारा और संशोधन किए गए हैं। इससे परिशोधन परियोजनाओं को ऐसे लाभ मिल जाएंगे।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

2755. श्री शिवराज सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की लौह अयस्क खानों से कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया; और

(ख) लौह अयस्क में किन-किन दरों पर निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) गत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश की खदानों से हुए लौह अयस्क के निर्यात की मात्रा इस प्रकार है :

(मात्रा : लाख मी० टन)

	1994-95	1995-96	1996-97
ढेले	26.58	26.97	22.04
परिष्कृत	15.26	13.13	15.81
योग	41.84	40.10	37.85

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान की दरें जिन पर लौह अयस्क निर्यात किया गया, इस प्रकार है :

(मूल्य : अमरीकी डालर/टन)

(एफ० ओ० बी० विजाग पोर्ट)

	1994-95	1995-96	1996-97
ढेले	20.85	22.49	23.61
परिष्कृत	16.02	16.95	17.96

[अनुवाद]

महंगाई भत्ता

2756. डॉ० एम० जगन्नाथ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीमतों तथा मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के मद्देनजर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार अर्थात् पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को किया जाता है, जिसका भुगतान क्रमश: मार्च तथा सितम्बर के वेतन के साथ किया जाता है। 01.07.1997 से प्रभावी महंगाई भत्ते की किस्त से संबंधित

निर्णय सितम्बर, 1997 में उसके भुगतान के समय से पर्याप्त पहले से लिया जाएगा।

[हिन्दी]

रेशम उत्पादन परियोजनाएं

2757. श्री दत्ता मेघे :

श्री अरुण कुमार शर्मा :

श्री केशव महंत :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं का वित्तीय आबंटन सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम उत्पादन के विकास के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है और इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष सहित राज्यवार कितना आबंटन किया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के एक शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेशम उत्पादन के विकास के लिए उन राज्य में जिला स्तर पर गठित की गई समितियों की कुल संख्या कितनी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सभी 4 प्रकार की रेशम के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम आयोजित किए थे इनमें अनुसंधान व विकास का विस्तार करने, प्रशिक्षण देने, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क द्वारा इस क्षेत्र को अवस्थापनात्मक तथा विकास संबंधी सहायता प्रदान करने की योजनाएं तथा क्वालिटी के रेशम का उत्पादन करने के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन देने संबंधी कुछ विकासात्मक/प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है।

इनको अंतिम रूप देने के लिए राज्य-वार आवंटन करना संभव नहीं है क्योंकि कोई पृथक आवंटन नहीं किया जाता है लेकिन संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर व्यय किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त राज्य-वार व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी हुई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं :—

1. **अंतर्राष्ट्रीय तसर परियोजना (आईएसटीपी)**

0.43 करोड़ रु. मूल्य की बढ़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय तसर परियोजना मार्च, 1993 में समाप्त हो गई। इस परियोजना के अंतर्गत तसर रोपण का 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ाने के लक्ष्य की तुलना में 1100 हैक्टेयर क्षेत्र में तसर रोपण किया गया। इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में निम्नलिखित इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया गया :

1.	अनाज भंडार काम्पलैक्स	—	4
2.	लघु रीलिंग एकक	—	5
3.	रीलिंग सैट	—	2
4.	प्रौयोगिक परियोजना केन्द्र	—	2
5.	कोसा बाजार	—	2
6.	शीत भंडारण	—	1

2. **राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन एस पी)**

विश्व बैंक तथा स्विस विकास सहयोग की वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र के 2 जिलों अर्थात् बुलदाना तथा अकोला में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित की गई। यह परियोजना 1989-90 में शुरू हुई तथा 8वीं योजना में भी जारी रही जो कि 31 दिसंबर, 1996 को समाप्त हो गई। परियोजना के अंतर्गत रेशम रीलिंग/कलाई के लिए एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त एक मूल बीज फार्म, एक अनाज भंडारण, 8 तकनीकी सेवा केन्द्र, 2 चौकी कीट पालन केन्द्र, एक कोसा बाजार, 4 कोसा ड्राइंग चेम्बर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई। परियोजना के अंतर्गत 4.06 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

1. **राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन एस पी)**

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना असम के दो जिलों अर्थात् जोरहाट और शिवसागर में क्रियान्वित की गई। परियोजना के अंतर्गत असम में जोरहट में क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र को सुदृढ़ बनाने तथा स्वालकुची में रीलिंग/कताई के लिए प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त 9 तकनीकी सेवा केन्द्र, 1 पी-2 रेशम फार्म-सह-रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र, 4 उष्ण कोटियां तथा 1 कोसा बाजार स्थापित किया गया। परियोजना के अंतर्गत 4.60 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

2. **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्य योजना**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। कार्य योजना में इन राज्यों

में शहतूती, ऐरी तथा मूंगा किस्मों की रेशम के संवर्धन तथा विकास की परिकल्पना है। इस कार्य योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र के सभी 7 राज्यों (अर्थात् असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश) को शामिल किया जाना है। परियोजना में 7000 एकड़ क्षेत्र में शहतूती रोपण को बढ़ाना, तकनीकी सेवा केन्द्रों, आर ई सी परियोजना कार्यालयों तथा पी-2 फार्म सह अनाज भंडार तथा ऐरी और मूंगा के लिए रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र की 426.10 लाख रु० की कुल लागत से स्थापन करने की परिकल्पना है तथा इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक है।

(ग) सरकार ने रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदमों की सिफारिश करने के उद्देश्य से वस्त्र संबंधी मुख्य कार्यकारी समूह के अंतर्गत रेशम उत्पादन संबंधी एक उप समूह की स्थापना की है। उसकी सिफारिशों के आधार पर रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए 9वीं योजनावधि के दौरान अनेक उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। कोई पृथक राज्य वार आवंटन नहीं किए जाते हैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर ही व्यय निर्भर करेगा। चालू वित्तीय वर्ष के लिए इन योजनाओं के लिए 10.26 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का एक क्षेत्रीय विकास कार्यालय गुवाहाटी में पहले से ही कार्य कर रहा है।

(च) इनका निर्धारण राज्य सरकारों के विवेक पर किया जाता है तथा समितियों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है।

विवरण

8वीं योजनावधि के लिए व्यय के राज्य-वार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य	व्यय (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	093
3.	असम	21.32
4.	बिहार	24.56
5.	दिल्ली	4.31
6.	गुजरात	1.79
7.	हरियाणा	1.21
8.	हिमाचल प्रदेश	0.58
9.	जम्मू व कश्मीर	15.62
10.	कर्नाटक	136.59
11.	केरल	5.60
12.	मध्य प्रदेश	10.60
13.	महाराष्ट्र	8.90
14.	मणिपुर	2.80
15.	मेघालय	2.60
16.	मिजोरम	0.20
17.	नागालैंड	0.41
18.	उड़ीसा	12.20
19.	पंजाब	0.24
20.	राजस्थान	3.43
21.	सिक्किम	4.25
22.	तमिलनाडु	24.75
23.	त्रिपुरा	0.28
24.	उत्तर प्रदेश	16.34
25.	प० बंगाल	45.52
26.	सामान्य निवेश	31.26
	योग	397.06

[अनुवाद]

विदेशी निवेश संस्थाएं

2758. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने भारतीय ऋण के माध्यम से 20.30 करोड़ अमरीकी डालर निवेश करने के लिए तीन विदेशी निवेश संस्थाओं को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 9.11.96 की प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ० आई० आर०) जिन्होंने स्वयं को 100 प्रतिशत ऋण निधियों के

रूप में सेबी के पास अलग से पंजीकृत कराया हुआ है, को भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सूचीबद्ध आप सूचीबद्ध की जाने वाली कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति देते हुए दिशानिर्देश प्रकाशित किए। 1996-97 और 1997-98 (9 मई, 1997 तक) के दौरान सेबी द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों को 100 प्रतिशत ऋण मार्ग के जरिए प्रदत्त अनुमोदन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

अनुमोदित विदेशी संस्थागत निवेशक ऋण निधियों की सं.	अमरीकी मिलियन डालर में अनुमोदित निवेश सीमा
9	1178.0
3	490.0

(ग) और (घ) ऋण प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत ऋण मार्ग के जरिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश उच्चतम सीमा के अधीन हैं और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए निर्धारित वार्षिक समग्र सीमा के अन्तर्गत इनका अनुवीक्षण और प्रचालन किया जाता है।

*** महाराष्ट्र में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय**

2759. श्री अनन्त गुढे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती-डिवीजनल मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव था तथा इस संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है तथा रिपोर्ट के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय स्थिति तथा अन्य सकारात्मक तथा उपयोगी और सहायक तथ्यों को देखते हुए सरकार अमरावती में भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का उपबंध करेगी ताकि अमरावती के 4 जिलों में कारगर तथा ग्राहकों को सुविधाजनक बैंक सेवा उपलब्ध करायी जा सके; और

(घ) अमरावती डिवीजन और मुख्यालय में बैंकिंग नेटवर्क को विकसित करने, अपग्रेड करने, सुदृढ़ करने और आधुनिक बनाने के लिए 1997-98 हेतु विचाराधीन/तय की गई कार्य योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अमरावती में अंचल कार्यालय बनाने के लिए वर्ष 1995 में और 1996 के प्रारंभ में जब-तब मांगें की जाती रही हैं। यह मांग स्वीकार नहीं की गई थी, क्योंकि नागपुर में इसका अंचल कार्यालय है जो उप महाप्रबंधक के अधीन कार्य कर रहा है तथा 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में एक सहायक महाप्रबंधक है, जो विदर्भ क्षेत्र में 9 जिलों (अमरावती जिले सहित) की शाखाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इससे जिलों की बैंकिंग संबंधी आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो जाती है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उनका नागपुर स्थित अंचल कार्यालय परिवहन, संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं से पूरी तरह जुड़ा है, जिससे ग्राहकों और साथ ही बैंक कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य तत्परता से करने में आसानी होती है।

(घ) इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनाई है।

मुख्य मंत्री द्वारा विदेशी दौरा

2760. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री और अन्य 21 सदस्यों ने जून, 1997 के माह में विदेशी दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया है तथा सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य मंत्री के चिकित्सोपचार के लिए विदेशी मुद्रा मंजूर की थी;

(घ) यदि नहीं, तो डालर में कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें विदेशी कम्पनियों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापन तथा अन्य समझौते करने की अनुमति दी है;

(च) क्या शिष्टमंडल में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि था; और

(छ) कर्नाटक के उक्त दौरे से अनुमानतः कितना विदेशी निवेश प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) श्री जे. एच. पटेल, मुख्य मंत्री, कर्नाटक के नेतृत्व में आठ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 14 जून से 27 जून, 1997 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और युनाइटेड किंगडम का दौरा किया था। इस प्रतिनिधि मंडल में उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

(ख) से (घ) प्रतिनिधि मंडल ने पिट्सबर्ग, वाशिंगटन, न्यूयार्क, बोस्टन और लंदन का दौरा किया था। निम्नलिखित पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए भारतीय दूतावास/उच्चायोग को प्राधिकृत किया गया था :

(i) सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार दैनिक भत्ता और होटल आवास के लिए व्यवस्था।

(ii) सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मनोरंजन भत्ता और आकस्मिक व्यय।

(iii) वास्तविक आधार पर परिवहन व्यय।

(iv) 5000/- अमरीकी डालर सत्कार भत्ते और 500 अमरीकी डालर सचिवीय सहायता के रूप में।

(v) प्रतिनिधि मंडल के लिए दो लिमोजाइन कार भाड़े पर लेना।

अपनी संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान मुख्य मंत्री को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी लेना पड़ा था जिसके लिए 18,350 अमरीकी डालर की राशि कर्नाटक सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जी, नहीं।

(छ) बताया गया है कि 36 कम्पनियों ने कर्नाटक में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के प्रति रुचि दिखायी है और यह संभावित निवेश 1100 करोड़ रुपए के लगभग होने की आशा है।

असम में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम की वसूली

2761. श्री केशव महन्त :

श्री समीक लहिरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देश में अपने पॉलिसी धारकों से राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी प्रीमियम राशि वसूल की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों में विकास कार्य के लिए राज्यवार कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ग) क्या प्रीमियम राशि की वसूली की तुलना में विकास कार्य के लिए निवेश में कितनी गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि कुल प्रीमियम आय के सम्बन्ध में कुल निवेश प्रतिशतता में वर्ष 1994-95 के 36.84 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1996-97 में 37.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, अनुकूल विकासात्मक और आधारभूत परियोजनाओं के अभाव के कारण वर्ष 1995-96 में निवेश घटकर 33.69 प्रतिशत रह गया।

विवरण

भारत में निगम की प्रीमियम आय और निवेश को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य/क्षेत्र	वर्ष के दौरान राज्य/क्षेत्र में प्रीमियम आय			वर्ष के दौरान कुल प्रीमियम का प्रतिशत			वर्ष के दौरान राज्य/क्षेत्र में निवेश			कुल निवेश का प्रतिशत		
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	96-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केन्द्रीय क्षेत्र												
क. मध्य प्रदेश	503.32	606.02	731.41	4.36	4.27	4.50	202.56	243.92	298.22	4.77	5.11	4.96
उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र												
क. उत्तर पदेश	1135.58	1331.43	1622.56	9.85	9.89	9.99	656.98	350.38	383.03	15.47	7.33	6.37
पूर्वी क्षेत्र												
क. अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—	0.62	1.00	—	0.01	0.01	—
ख. अरुणाचल प्रदेश	2.36	4.95	4.11	0.02	0.03	0.03	1.00	—	2.00	0.02	—	0.03
ग. असम	205.85	239.10	286.59	1.79	1.69	1.76	97.88	57.78	51.87	2.30	1.22	0.86
घ. बिहार	523.23	597.92	757.23	4.54	4.22	4.66	145.50	132.62	192.80	3.44	2.78	3.20
ङ. मणिपुर	12.66	15.26	18.41	0.11	0.11	0.11	4.96	7.58	8.95	0.12	0.16	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
च. मेघालय	8.66	12.42	15.48	0.08	0.09	0.10	1.00	6.00	6.34	0.02	0.13	0.11
छ. मिजोरम	1.12	1.26	1.72	0.01	0.01	0.01	4.55	8.62	7.63	0.11	0.18	0.13
ज. नागालैंड	6.14	7.73	9.63	0.05	0.05	00.6	5.00	15.76	15.98	0.12	0.33	0.27
झ. उड़ीसा	201.21	240.60	293.94	1.74	1.69	1.81	115.69	178.11	133.64	2.72	3.73	2.22
ट. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	4.00	7.38	10.50	0.09	0.15	0.17
ठ. त्रिपुरा	20.32	22.58	27.77	0.18	0.16	0.17	7.72	10.34	15.90	0.18	0.22	0.26
ड. प० बंगाल	965.02	1166.49	1373.00	8.37	8.23	8.45	208.42	244.84	291.20	4.91	5.12	4.84
उत्तरी क्षेत्र												
क. चण्डीगढ़	110.24	50.35	155.29	0.96	0.36	0.96	—	—	5.50	—	—	0.09
ख. दिल्ली	639.99	759.33	952.57	5.55	5.35	5.87	449.34	606.26	637.32	10.58	12.69	10.59
ग. हरियाणा	176.89	246.63	262.04	1.53	1.73	1.61	70.07	79.43	78.98	1.65	1.66	1.31
घ. हिमाचल प्रदेश	60.09	70.78	86.09	0.52	0.50	0.53	15.91	25.29	28.24	0.37	0.53	0.47
ङ. जम्मू और कश्मीर	58.95	74.45	93.68	0.51	0.52	0.58	26.76	43.78	31.15	0.63	0.92	0.52
च. पंजाब	268.12	383.57	354.55	2.33	2.70	2.18	86.45	88.81	113.18	2.04	1.86	1.88
छ. राजस्थान	493.83	580.84	701.45	4.28	4.11	4.32	207.69	205.63	257.23	4.89	4.30	4.28
दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र												
क. आंध्र प्रदेश	954.93	1089.41	1288.62	8.28	7.68	7.94	189.26	272.00	282.32	4.46	5.65	4.69
ख. कर्नाटक	736.16	852.82	1002.31	6.39	6.02	6.17	202.65	327.67	295.57	4.77	6.86	4.91
दक्षिणी क्षेत्र												
क. केरल	514.95	634.41	720.82	4.47	4.48	4.44	141.05	182.55	236.85	3.32	3.82	3.94
ख. पांडिचेरी	10.94	13.02	20.64	0.09	0.09	0.13	2.00	2.00	—	0.05	0.04	—
ख. तमिलनाडु	963.96	1138.52	1322.94	8.36	8.02	8.15	322.44	268.51	448.97	7.59	5.62	7.46
पश्चिमी क्षेत्र												
क. गोवा और दमन	60.54	69.72	82.90	0.53	0.49	0.51	9.63	9.77	34.58	0.23	0.20	0.57
ख. गुजरात	915.26	1061.06	1255.09	7.94	7.48	7.73	355.82	302.68	534.88	8.38	6.34	8.89
ग. महाराष्ट्र	1978.32	2911.40	2798.95	17.16	20.53	17.23	711.94	1099.01	1611.61	16.76	23.00	26.78
घ. दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	—	—	0.05
सकल जोड़ :	11528.64	14181.77	16239.79	100.00	100.00	100.00	4246.89	4777.72	6017.44	100.00	100.00	100.00

प्रीमियम आय की तुलना में निवेश का प्रतिशत	1994-95	1995-96	1996-97
	36.84	33.69	37.05

नोट : जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1996-97 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

2762. श्री डी. पी. यादव :

श्री कचरू भाऊ राउत :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन न्यायालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के उन सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती है जिनमें व्यक्तियों की जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने समय-समय पर, राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को बाहर से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पत्र लिखे हैं जो सापेक्षत: ऐसे अवप्रतिनिधित्व प्रवर्गों, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रवर्गों के हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

[हिन्दी]

प्रचार के लिए निजी एजेंसियां

2763. श्री हरिवंश सहाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सभी व्यावसायिक कार्यों के प्रचार और प्रसार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के बजाए निजी व्यावसायिक एजेंसियों की सेवाओं का सहारा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त कार्य पर होने वाले इस अनावश्यक व्यय को न रोकने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) वित्त अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत नई योजनाओं के संबंध में बहु मीडिया प्रचार अभियान दो प्रमुख निजी एजेंसियों को उनकी तकनीकी योग्यता तथा क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् सौंपा गया है। बहु-मीडिया प्रचार में टेलीविजन, समाचार-पत्रों, रेडियो, पत्रिकाओं, होर्डिंगों, टेलीमार्केटिंग, इश्तहारों, सीधी डाक आदि के द्वारा विज्ञापन देना और प्रचार करना शामिल है। इसका उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना, और अधिक कर निर्धारितियों को कर के दायरे में लाना तथा प्रत्यक्ष कर राजस्व को बढ़ाना है। आकाशवाणी और दूरर्शन माध्यमों का भी इस अभियान के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में किया गया व्यय आवश्यक नहीं समझा जाता है। इस अभियान के लिए 30 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की समस्याएं

2764. श्री संदीपान थोरात : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में लघु औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को अपना बकाया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योगों से समय पर नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी लघु अनुषंगी इकाइयों की समस्याओं पर कार्य दल द्वारा गहराई से अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस विषय में कार्य दल के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों को समय से भुगतान किये जाने के संबंध में लघु क्षेत्र की इकाइयों के हितों की रक्षा के लिये अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना/नयी पहल का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लघु उद्योगों पर कार्यदल, ने उल्लेख किया है कि 1993 में बनाये गये विलंबित भुगतानों के कानून का उपयुक्त आह्वान मुख्यत: लघु पार्टियों द्वारा इस कानून के प्रावधानों के आह्वान में दिखायी जा रही हिचकिचाहट के कारण नहीं हो पा रहा था। कार्यदल का विचार था कि इस कानून को कुछ विशेष उपायों के माध्यम से बल प्रदान करना आवश्यक है, जैसे कि :—

1. एक निर्धारित समय, जैसे 60/90 दिन, के बाद किये गये भुगतानों पर बैंक की मूल ऋण दरों के अतिरिक्त आवश्यक रूप से 5 प्रतिशत का अनिवार्य ब्याज लागू होना चाहिए।

2. खरीददार कंपनी/विभाग के तुलन पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से भुगतान न किये गये लघु उद्योग के बिलों द्वारा देर से किये गये भुगतानों का विवरण होना चाहिए।

3. सार्वजनिक निर्गमों/आवधिक जमाओं और बॉडों के माध्यम से बाजार से धन उगाहने हेतु जारी की गयी सूचनाओं में भी ऊपर उल्लिखित विवरण दिये जाने चाहिए।

4. कंपनी विधि-बोर्ड में दायर सभी विवरणियां आदि में उपर्युक्त विवरण भी स्वाभाविक तौर पर शामिल होने चाहिए ताकि इस संबंध में जो भी व्यक्ति कंपनी की स्थिति जानना चाहें, कंपनी विधि बोर्ड में दायर दस्तावेजों का निरीक्षण करके वह आसानी से जान सके।

5. राज्य लघु उद्योग निगमों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को जो विपणन सहायता प्रदान करते हैं, लघु औद्योगिक एककों की ओर से क्रेताओं पर मुकदमे चलाने की अनुमति होनी चाहिए।

(घ) संबंधित मंत्रालयों के परमार्श से मामले की जांच का प्रस्ताव है।

वातित जल

2765. श्री प्रताप सिंह सैनी :

डॉ॰ अरविन्द शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वातित जल की मूल्य सापेक्षता क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 में वातित जल पर तीन वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क लगाए जाने के लिए वातित जल की बिक्री पर क्या प्रस्ताव पड़ेगा; और

(ग) यदि उत्पाद शुल्क की दर 40 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और शून्य पर निर्धारित की जाती है तो वातित जल उद्योग के विकास पर क्या सम्भावित प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वित्त मंत्रालय ने वातित जल की मूल्य सापेक्षता के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) वातित जल पर वर्ष 1970-71 के दौरान उत्पाद शुल्क लगाया गया था। वर्ष 1997-98 के बजट में वातित जल पर लागू उत्पाद शुल्क की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः, वर्ष 1997-98 में लागू शुल्क की दर का गत तीन वर्षों में प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी उद्योग का विकास बहुत से कारकों पर निर्भर करता है और इसलिए विभिन्न उत्पाद शुल्क की दरों पर वातित जल उद्योग के विकास को बताना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

सतना सीमेंट फैक्ट्री

2766. श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना सीमेंट फैक्टरी आयकर समय पर जमा नहीं करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा आयकर कब से जमा नहीं कराया गया है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) डाक घर बिड़ला विकास, सतना, मध्य प्रदेश में स्थित मैसर्स सतना सीमेंट वर्क्स, बिड़ला जूट एंड इंडस्ट्रीज लि॰ (जिसका दिनांक 31-3-97 से नाम बदलकर बिड़ला कारपोरेशन रखा गया है) की एक इकाई है और इसका आयकर निर्धारण कलकत्ता में किया जाता है। एकत्र की गई सूचना के अनुसार उक्त कम्पनी ने अपना अग्रिम कर और स्व-निर्धारित कर समय पर जमा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कर की कोई धनराशि बकाया नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दी गई सूचना को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

रेशम का आयात

2767. श्री एस॰ पी॰ जायसवाल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेशम के आयत संबंधी कड़े नियमों और विनियमों के कारण इसका बड़ी मात्रा में चीन से अवैध रूप से आयात किया जा रहा है/तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रेशम के आयात संबंधी विनियमों में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इसे छोटे उद्योगों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सके तथा सरकार इस पर आयात शुल्क अर्जित कर सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश तथा नेपाल की सीमाओं से देश में कुछ मात्रा में अपरिष्कृत रेशम की तस्करी हो रही है।

(ख) और (ग) आयात-निर्यात की विद्यमान नीति में रेशम को बराबर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

2762. श्री डी० पी० यादव :

श्री कचरू भाऊ राउत :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन न्यायालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के उन सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती है जिनमें व्यक्तियों की जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने समय-समय पर, राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को बाहर से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पत्र लिखे हैं जो सापेक्षत: ऐसे अवप्रतिनिधित्व प्रवर्गों, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रवर्गों के हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

[हिन्दी]

प्रचार के लिए निजी एजेंसियां

2763. श्री हरिवंश सहाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सभी व्यावसायिक कार्यों के प्रचार और प्रसार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के बजाए निजी व्यावसायिक एजेंसियों की सेवाओं का सहारा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त कार्य पर होने वाले इस अनावश्यक व्यय को न रोकने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) वित्त अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत नई योजनाओं के संबंध में बहु मीडिया प्रचार अभियान दो प्रमुख निजी एजेंसियों को उनकी तकनीकी योग्यता तथा क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् सौंपा गया है। बहु-मीडिया प्रचार में टेलीविजन, समाचार-पत्रों, रेडियो, पत्रिकाओं, होर्डिंगों, टेलीमार्केटिंग, इश्तहारों, सीधी डाक आदि के द्वारा विज्ञापन देना और प्रचार करना शामिल है। इसका उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना, और अधिक कर निर्धारितियों को कर के दायरे में लाना तथा प्रत्यक्ष कर राजस्व को बढ़ाना है। आकाशवाणी और दूरर्शन माध्यमों का भी इस अभियान के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में किया गया व्यय आवश्यक नहीं समझा जाता है। इस अभियान के लिए 30 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की समस्याएं

2764. श्री संदीपान थोरात : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में लघु औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को अपना बकाया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योगों से समय पर नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी लघु अनुषंगी इकाइयों की समस्याओं पर कार्य दल द्वारा गहराई से अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस विषय में कार्य दल के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों को समय से भुगतान किये जाने के संबंध में लघु क्षेत्र की इकाइयों के हितों की रक्षा के लिये अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना/नयी पहल का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लघु उद्योगों पर कार्यदल, ने उल्लेख किया है कि 1993 में बनाये गये विलंबित भुगतानों के कानून का उपयुक्त आह्वान मुख्यत: लघु पार्टियों द्वारा इस कानून के प्रावधानों के आह्वान में दिखायी जा रही हिचकिचाहट के कारण नहीं हो पा रहा था। कार्यदल का विचार था कि इस कानून को कुछ विशेष उपायों के माध्यम से बल प्रदान करना आवश्यक है, जैसे कि :—

1. एक निर्धारित समय, जैसे 60/90 दिन, के बाद किये गये भुगतानों पर बैंक की मूल ऋण दरों के अतिरिक्त आवश्यक रूप से 5 प्रतिशत का अनिवार्य ब्याज लागू होना चाहिए।

2. खरीददार कंपनी/विभाग के तुलन पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से भुगतान न किये गये लघु उद्योग के बिलों द्वारा देर से किये गये भुगतानों का विवरण होना चाहिए।

3. सार्वजनिक निर्गमों/आवधिक जमाओं और बॉडों के माध्यम से बाजार से धन उगाहने हेतु जारी की गयी सूचनाओं में भी ऊपर उल्लिखित विवरण दिये जाने चाहिए।

4. कंपनी विधि-बोर्ड में दायर सभी विवरणियां आदि में उपर्युक्त विवरण भी स्वाभाविक तौर पर शामिल होने चाहिए ताकि इस संबंध में जो भी व्यक्ति कंपनी की स्थिति जानना चाहें, कंपनी विधि बोर्ड में दायर दस्तावेजों का निरीक्षण करके वह आसानी से जान सके।

5. राज्य लघु उद्योग निगमों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को जो विपणन सहायता प्रदान करते हैं, लघु औद्योगिक एककों की ओर से क्रेताओं पर मुकदमे चलाने की अनुमति होनी चाहिए।

(घ) संबंधित मंत्रालयों के परमार्श से मामले की जांच का प्रस्ताव है।

वातित जल

2765. श्री प्रताप सिंह सैनी :

डॉ॰ अरविन्द शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वातित जल की मूल्य सापेक्षता क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 में वातित जल पर तीन वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क लगाए जाने के लिए वातित जल की बिक्री पर क्या प्रस्ताव पड़ेगा; और

(ग) यदि उत्पाद शुल्क की दर 40 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और शून्य पर निर्धारित की जाती है तो वातित जल उद्योग के विकास पर क्या सम्भावित प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वित्त मंत्रालय ने वातित जल की मूल्य सापेक्षता के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) वातित जल पर वर्ष 1970-71 के दौरान उत्पाद शुल्क लगाया गया था। वर्ष 1997-98 के बजट में वातित जल पर लागू उत्पाद शुल्क की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अत:, वर्ष 1997-98 में लागू शुल्क की दर का गत तीन वर्षों में प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी उद्योग का विकास बहुत से कारकों पर निर्भर करता है और इसलिए विभिन्न उत्पाद शुल्क की दरों पर वातित जल उद्योग के विकास को बताना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

सतना सीमेंट फैक्ट्री

2766. श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना सीमेंट फैक्टरी आयकर समय पर जमा नहीं करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा आयकर कब से जमा नहीं कराया गया है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) डाक घर बिड़ला विकास, सतना, मध्य प्रदेश में स्थित मैसर्स सतना सीमेंट वर्क्स, बिड़ला जूट एंड इंडस्ट्रीज लि॰ (जिसका दिनांक 31-3-97 से नाम बदलकर बिड़ला कारपोरेशन रखा गया है) की एक इकाई है और इसका आयकर निर्धारण कलकत्ता में किया जाता है। एकत्र की गई सूचना के अनुसार उक्त कम्पनी ने अपना अग्रिम कर और स्व-निर्धारित कर समय पर जमा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कर की कोई धनराशि बकाया नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दी गई सूचना को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

रेशम का आयात

2767. श्री एस॰ पी॰ जायसवाल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेशम के आयत संबंधी कड़े नियमों और विनियमों के कारण इसका बड़ी मात्रा में चीन से अवैध रूप से आयात किया जा रहा है/तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रेशम के आयात संबंधी विनियमों में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इसे छोटे उद्योगों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सके तथा सरकार इस पर आयात शुल्क अर्जित कर सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश तथा नेपाल की सीमाओं से देश में कुछ मात्रा में अपरिष्कृत रेशम की तस्करी हो रही है।

(ख) और (ग) आयात-निर्यात की विद्यमान नीति में रेशम को बराबर

निषिद्ध सूची में गया गया है। शुल्क छूट योजना के अंतर्गत निर्यातकों को अपने निर्यात उत्पादों में प्रयोग करने के लिए रेशम सामग्री का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अपरिष्कृत रेशम तथा ड्यूपिओन रेशम के इनपुट-आउटपुट के समानुपात में 1.20:1 किग्रा॰ से 1.35:1 किग्रा॰ तक की वृद्धि की है जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों तथा लघु उद्योगों के लिए समान रूप से रेशम की उपलब्धता बढ़ेगी।

[अनुवाद]

ऋण प्रणाली

2768. श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल कितना धन उधार दिया गया है;

(ख) चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक द्वारा कितनी राशि उधार दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा बैंक ऋण के लिए मांग कम होती जा रही है, और यदि हां, तो इसमें कितनी कमी आई है;

(घ) वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक ऋणों में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार अर्थव्यवस्था के हित में ऋण में बढ़ोत्तरी के लिए बैंक की उधार दर में (ब्याज दर) और कमी करने पर विचार करेगी; और

(च) प्रतिस्पर्धात्मक दर पर बैंक ऋण में वृद्धि करने तथा प्रतिकूल प्रभाव यदि कोई हो, से बचने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) बैंक ऋण की तुलना में सस्ते निधि स्रोतों की उपलब्धता सहित कई कारणों से कम्पनी क्षेत्र द्वारा ऋण का उठाव आशातीत स्तर तक नहीं रहा है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, जमा प्रमाण-पत्र और वाणिज्यिक पत्रों सहित सभी परिपक्वताओं और लिखतों पर मध्य अप्रैल, 1997 से ब्याज की दरों में निश्चित और स्पष्ट गिरावट दिखाई पड़ी है। अधिकांश बैंकों की प्राथमिकता उधार दरें एक से डेढ़ प्रतिशत बिन्दु तक कम कर दी गई हैं। वास्तविक क्षेत्र की वृद्धि को सहायता देने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक उधार दरों को नीचे लाए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1997 में कई उपाय किए हैं। तद्नुसार, 25 जून, 1997 को कारोबार की समाप्ति से बैंकों की दर को 12.0 प्रतिशत वार्षिक से 11.0 प्रतिशत वार्षिक ओर आगे 10.0 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया था। ऋण सुपुर्दगी प्रणाली और उद्योग को संसाधनों के प्रवाह में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—50 करोड़ रु॰ से अधिक की ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं को ऋण की बाध्यकारी संघीय प्रणाली के निर्धारण का आहरण और उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने की बैंकों को स्वतंत्रता।

झिंप और समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात

2769. श्री एल॰ रमना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा निर्यात किये गये झिंपों और अन्य समुद्री खाद्य उत्पाद की खेपों को अनेक देशों ने घटिया होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अस्वीकार करने वाले देशों के नाम अस्वीकार की गई खेपों का मूल्य और अस्वीकृत मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) जिन देशों में वर्ष 1997 में खेपों को अस्वीकार कर दिया गया था, उन देशों के नामों के साथ संयंत्रों के नाम तथा मदों का विवरण और मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) (1) भारत से निर्यातित मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद संबंधी गुणवत्ता मानक और प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा पूरा किए जाने वाले मानकों का निर्धारण मत्स्य, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं निगरानी) आदेश एवं नियमावली, 1995 में किया गया है।

(2) इस दिशा में उठाये गये कदमों में हैं—तीन समुद्री खाद्य निर्यातक एककों द्वारा निर्यातों को रोकना और एक समुद्री खाद्य निर्यातक इकाई के खिलाफ विदेश व्यापार विकास नियमन अधिनियम 1992 के संगत प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए डी जी एफ टी को सूचना देना।

विवरण

आयातक देशों द्वारा अस्वीकृत समुद्री उत्पादों के खेपों का ब्यौरा

क्रम सं॰	वर्ष/महीना	संयंत्र का नाम	मद	देश	मात्रा किग्रा॰	मूल्य अमरीकी मिलियन डालर
1.	जनवरी, 1997	अबद मत्स्यकी कोचीन पि॰ कोड॰ नं॰ 700	ताजास्किवड (कलमारी और गम्बेरी)	इटली	10,000 2,640	22,500 33,114
2.	जनवरी, 1997	हिन्दुस्तान लीवर लि॰ कोचीन	ताजा स्किवड एवं कटल फिश	इटली	23,000	66,100
3.	अप्रैल, 1997	कार्तिका मेराईन इंडस्ट्रीज प्रा॰ लि॰ कोचीन	स्किवड रिंग्स/हेड्स	फ्रांस	14,688	31,641
4.	मई, 1997	विवा फ्रोजन फूड्स मुंबई	ताजा स्किवड	इटली	21,996	58,077
5.	मई, 1997	सलेट सीफुड्स वेरावले	ताजा स्किवड/रिंग्स हैड्स	फ्रांस	उपलब्ध नहीं	
6.	मई, 1997	ओसियन बुटी लिमि॰ अरूर	श्रिम्प	डेनमार्क	11,000	64,174
7.	मई, 1997	हिरावती आईस एंड कोल्ड स्टोरेज पोरबंदर	स्किवड होल	ग्रीस	1,030 एम सी टी एन एस	40,217
8.	जून, 1997	रेमन ग्लूज एंड केमिकल्स कोचीन	कट्लफिश स्किवड एंड ओक्टोपस	इटली	23,000	42,080
9.	जून, 1997	स्टर्लिंग फूड्स मंगलोर	ताजा स्किवड रिंग्स/ हैड्स	फ्रांस	उपलब्ध नहीं	
10.	जुलाई, 1997	रेमन फुड्स कोचीन	ताजा कट्लफिश	इटली	1,000	2,100

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

2770. डॉ॰ बलिराम : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकृत आरक्षित पदों की तुलना में इन श्रेणियों के कितने कर्मचारी वहां कार्यरत हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कम संख्या के क्या कारण हैं; और

(ग) इन श्रेणियों के लिये रिक्त पड़े आरक्षित पदों को कब तक भरा जायेगा ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति (अ॰ जा॰)/अनुसूचित जनजाति (अनु॰ ज॰ जा॰)/अन्य पिछड़े वर्गों (अ॰ पि॰ व॰) के लिए अलग से स्वीकृत पदों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। किन्तु, भर्ती/पदोन्नति के समय अनु

जाति/अनु॰ जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान मानदंडों/रोस्टर के अनुसार किया जाता है। वे॰ को॰ लि॰ में कुल स्वीकृत पद, अनु॰ जाति/अनु॰ जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या और रोस्टरों के अनुसार पिछली रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

स्वीकृत पदों की कुल संख्या (सभी वर्गों के लिए)	कार्यरत विशिष्ट समुदाय के कामगारों की संख्या			पिछली रिक्तियां		
	अ॰ जा॰	अ॰ ज॰ जा॰	अ॰ पि॰ वर्ग	अ॰ जा॰	अ॰ ज॰ जा॰	अ॰ पि॰ वर्ग
85,194	20,754	11,700	24,939	7	22	शून्य

अनु॰ जाति और अनु॰ जन जाति के समुदायों से योग्यता प्राप्त तकनीकी उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने के कारण अनु॰ जाति के 7 पद तथा अनु॰ जन॰ जाति के 22 पद रिक्त पड़े हैं।

(ग) स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से तथा समाचार पत्रों और रोजगार समाचार में विज्ञापन दिए जाने के द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाकर अ॰ जा॰/अनु॰ जन॰ जाति के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

2771. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले की अनुपलब्धता के कारण उत्तरी छोटा नागपुर की "हार्ड कोक फैक्ट्रियां" बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बंद पड़ी इन "हार्ड कोक फैक्ट्रियों" को कोयला आपूर्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन फैक्ट्रियों को कोयले की आपूर्ति कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ङ) भविष्य में इन फैक्ट्रियों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि॰ से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें कोयले की कमी होने के कारण उत्तरी छोटा नागपुर में हार्ड कोक का उत्पादन करने वाली इकाइयों के बंद किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र की हार्ड कोक का उत्पादन करने वाली इकाइयों को सेंट्रल कोलफील्डस लि॰ की कोलियरियों से कोककर कोयले की गैर-संयोजित वाशरी (एन॰ एल॰ डब्ल्यू॰) से आपूर्ति की जा रही है। कोयला कंपनियों द्वारा एन॰ एल॰ डब्ल्यू॰ कोककर कोयले की उपलब्धता होने की सीमा तक इस क्षेत्र की मांग को पूरा किए जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दलबदल कानून

2772. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का सामना करने के लिए वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 'दल बदल कानून' की पुनरीक्षा करने संबंधी कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का विचार सर्वदलीय बैठक बुलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (ग) राजनैतिक दलों की 29 जुलाई, 1997 को हुई बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि सरकार दल परिवर्तन विरोधी विधि के विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए राजनैतिक दलों की एक पृथक बैठक आहूत करेगी। तथापि, राजनैतिक दलों की बैठक के लिए अभी कोई तारीख नियत नहीं की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को धनराशि

2773. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसी रुग्ण कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके लिए धनराशि आबंटित की गई तथा इनके लिए कितनी राशि की वित्तीय सहायता आबंटित की गई;

(ग) क्या गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी एकक द्वारा ऐसी कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण इकाइयों को सरकार की पुनर्चालन योजना के अनुमोदन के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। पुनर्चालन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ बकाया ऋणों को खत्म करने, बकाया ऋणों को इक्विटी में बदलने, सरकार के कारण ऋणों को समाप्त करना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए सहायता अनुदान तथा नई निधियों का निषेचन भी शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को क्रमवार दी गई वित्तीय सहायता के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) पैट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि., बड़ौदरा (गुजरात) की पुनर्चालन योजना प्राप्त हो चुकी है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों को चरण-बद्ध करने कार्यरत पूंजी और नई इक्विटी/ब्याज मुक्त ऋणों का निषेचन आदि शामिल है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम जिसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलें भी शामिल हैं, की पुनर्चालन योजना भी प्राप्त हो चुकी हैं। इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

एयरकंडीशनर बनाने वाली कम्पनियों पर बकाया आयकर

2774. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एयरकंडीशनर बनाने वाली कम्पनियों की संख्या कितनी है और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है, उन पर यह राशि कब से बकाया है तथा सरकार द्वारा आयकर की शेष राशि वसूल करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली स्थित "शिव एयरकंडीशनर कम्पनी" पर अब भी आयकर बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो आयकर की वसूली से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) व्यापार-वार अथवा विनिर्माण की मदों के अनुसार बकाया आयकर के बारे में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। इसके अलावा, बहुत ही कम कंपनियों द्वारा पूर्णतया तथा अनन्यतया वातानुकूलकों का विनिर्माण किया जाता है। इसलिए इस संबंध में सूचना एकत्र करने हेतु समूचे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से पत्र-व्यवहार करना अपेक्षित होगा। ऐसी सूचना को एकत्र और समेकित करने के कार्य में काफी अधिक समय लगेगा और इस मामले में किए जाने वाले प्रयास और परिश्रम प्राप्तव्य उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कंपनी के बारे में सूचना चाहते हैं तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) और (ग) 2811, ए ब्लाक, पूर्वी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली स्थित मैसर्स शिव एयरकंडीशनिंग कंपनी वातानुकूलकों को किराए पर देने, मरम्मत करने और उनका विनिर्माण करने के कार्य में लगी एक मालिकाना संस्था है। एकत्र की गई सूचना के अनुसार इस मामले में आयकर की बकाया राशि 1207 रु. है, जिसके लिए मांग, जनवरी, 1997 में जारी की गई थी।

उपर्युक्त मांग की वसूली करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चालान भेज दिए गए हैं।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान फोरम

2775. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय कमीशन, विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान फोरम में भारत को शामिल करने के संबंध में निर्णय लेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) यूरोपीय समुदाय ने अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट), 1994 के अनुच्छेद xxi1 तथा विवाद निपटान को शासित करने वाले नियमों तथा विनियमों संबंधी समझौते के तहत भारत के साथ औपचारिक विचार-विमर्श की मांग यह आरोप लगाते हुए की है कि भारत द्वारा आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को निरंतर कायम रखना विश्व व्यापार संगठन के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है। भारत ने विचार-विमर्श के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश

2776. श्री जगमोहन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत, कोयला उत्खनन, तेल और गैस अनुसंधान/उपयोग, नागर विमानन, अन्तर-क्षेत्रीय जल मार्गों तथा सड़कों के क्षेत्र में सात पूर्वोत्तर राज्यों में नई आर्थिक नीति स्वीकार किये जाने के समय से कुल कितना गैर-सरकारी निवेश किया गया है;

(ख) ऐसी परियोजना का विवरण क्या है जिनमें उक्त गैर-सरकारी निवेश किया गया है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के लिये दिये गये विशेष प्रोत्साहनों से कितने गैर सरकारी निवेशकों ने लाभ उठाया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) नई आर्थिक नीति के स्वीकार करने के बाद जून, 1997 तक उत्तरी पूर्वी राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु 16 आशय पत्र जिनमें 2431 करोड़ रुपये का

निवेश अन्तर्ग्रस्त है, मंजूर किये गये थे तथा 87 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जिसमें 4017 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, दायर किये गये थे। तथापि, विद्युत कोयला उत्खनन, तेल और गैस अनुसंधान/उपयोग, नागर विमानन, अन्तरदेशीय जलमार्गों तथा सड़कों के क्षेत्र में किये गये निजी निवेश अथवा निजी निवेशकों द्वारा प्राप्त विशिष्ट प्रोत्साहनों से संबंधित ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

कोयला उपलब्ध कराया जाना

2777. **श्री बी० के० गढ़वी :**

श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उपलब्ध कराये जाने हेतु इसके तिमाही आवंटन संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात विद्युत बोर्ड की कोयले की त्रैमासिक मांग कितनी है तथा वास्तव में कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या कोयले की आपूर्ति मांग के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गुजरात विद्युत बोर्ड को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने हेतु इसके आवंटन और आपूर्ति संबंधी भविष्य की योजना क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) गुजरात विद्युत बोर्ड (गु० वि० बो०) के विद्युत गृहों सहित देश में विद्युत गृहों को संयोजनों की स्वीकृति, स्थायी संयोजन समिति (लघु-अवधि) द्वारा दीर्घावधि प्रक्षेपणों, विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचारों, कोयले की उपलब्धता, भुगतान एवं परिवहन संबंधी अवरोधों तथा विद्युत गृह, आदि के उतराई संबंधी कार्य-निष्पादन, आदि को ध्यान में रखकर, तिमाही आधार पर की जाती है।

चूंकि गु० वि० बो० की देय बकाया राशि एकत्रित हो गई थी और गु० वि० बो० द्वारा अविवादित देय राशि के भुगतान की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, अत: गु० वि० बो० के विद्युत गृहों को किए जाने वाले संयोजनों को कभी-कभी भुगतान की सीमा तक प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान गु० वि० बो० के विद्युत गृहों को कोयले की वास्तविक आपूर्ति की तुलना में स्थायी संयोजना समिति (एस० एल० सी०) द्वारा स्वीकृत संयोजन की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

('000 टन में)

वर्ष	संयोजन	वास्तविक प्रेषण	
1994-95	13965	11343	
1995-96	13425	12135	
1996-97	12240	12148	(अनंतिम)

(ङ) विद्युत गृहों द्वारा उतराई संबंधी कार्य निष्पादन में सुधार किए जाने तथा भुगतान की सीमा के अधीन गु० वि० बो० की भविष्य में कोयले की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा।

विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय बैंक

2778. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद् ने विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय को विद्युतकरघा विकास तथा निर्यात संवर्द्धन परिषद् से विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय विद्युतकरघा विकास बैंक की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) विद्युतकरघा क्षेत्र की कार्यशील पूंजी तथा अन्य ऋण आवश्यकताएं नाबार्ड तथा सिडबी द्वारा पूरी की जा सकती हैं, इसलिए विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए एक पृथक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आई० टी० ए० न्यायाधिकरण

2779. **डॉ० अरविन्द शर्मा :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा में सोनीपत, रोहतक अथवा हिसार जिलों में अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य सरकार आयकरदाता जन, प्रतिनिधि, वकीलों तथा कर-वार एशोसिएशन से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त स्थानों में से किसी एक स्थान पर उक्त न्यायाधिकरण कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) जी, हां। हिसार में आय-कर अपील अधिकरण की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए मांग की गई है।

(ख) कार्य की अपर्याप्त मात्रा के कारण इस मांग को स्वीकार कर पाना संभव नहीं पाया गया है। तथापि, सरकार ने हाल ही में अधिकरण की एक दूसरी न्यायपीठ चंडीगढ़ में गठित करने का अनुमोदन किया है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

2780. श्री बुद्ध सेन पटेल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के बन्द/रुग्ण उपक्रमों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में राज्य सरकारों को कब तक सूचित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और भारतीय उद्योग की औद्योगिक पुनर्संरचना के कारण प्रभावित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मुहैया कराने के लिए फरवरी, 1992 में एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, वर्तमान में राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श देने, पुनर्प्रशिक्षित करने पुनर्नियुक्ति में सहायता योजनाओं तक ही सीमित है।

ब्रिटो फाइनेंस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी

2781. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक वित्तीय कंपनियां विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रही हैं और वे ऋण प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ताओं से ऋण की राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा ले लेती हैं और फाइल प्रभारों के नाम पर हजारों रुपए पहले ही वसूल कर लेती हैं परन्तु न तो ऋण ही दिया जाता है और नही दी गई अग्रिम राशि वापस लौटायी जाती है और आवेदनकर्ता को अपनी राशि वापस लेने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को ब्रिटो फाइनेंस ट्रेनिंग कंपनी (रजिस्टर्ड) बी-255, फेज-I, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-20 के खिलाफ कुछ संसद सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जबकि देश के विभिन्न भागों से कुछ गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा अनियमितताएं किए जाने की रिपोर्ट मिलती रही हैं, कमीशन के रूप में ऋण का 10 प्रतिशत लेने और आवेदकों से फाइल प्रभार लेने का कोई मामला भारतीय रिजर्व बैंक के सामने नहीं आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में जांच करने के लिए एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया था और उसे सूचित किया गया है कि ब्रिटो फाइनेंस एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लि., नई दिल्ली एक परामर्शदात्री फर्म है जो औद्योगिक परियोजना ऋण, संयंत्र और मशीनरी के लिए बैंक ऋण, कार्यशील पूंजी आदि का कार्य करती है। यह फर्म उधारकर्ताओं को ऋण मंजूर करवाने में सहायता प्रदान करती है और दी गई सेवा के लिए कमीशन लेती है।

(ख) पिछले कुछ समय में बैंकिंग प्रभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

(ग) और (घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

विदेशी दान

2782. श्री तिलक राज सिंह :

श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे :

श्री आर. देवदास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1997 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "एफर्ट्स आन टू लेट कांग्रेस आफ दि हुक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचारपत्र के संवाददाता का अभिमत है, सरकार का अभिमत नहीं।

(ग) यह विषय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। चूंकि विषय न्यायाधीन है, अतः, इस प्रक्रम पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया जा सकता।

आयात पर प्रतिबंध

2783. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय कृषि और उपभोक्ता समान के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कतिपय कोर्स संबंधी सामान के आयात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) चालू निर्यात और आयात नीति के तहत कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध जारी है। तथापि, कतिपय कृषिजन्य और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की या तो मुक्त रूप से अथवा हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस पर अनुमति है। अनेक वस्तुओं की वस्तु-वार आयात नीति, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में दर्शायी गयी है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) निर्यात और आयात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

2784. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत से कितने मूल्य के स्वर्ण आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही के महीनों में देश से स्वर्ण आभूषणों का निर्यात एक प्रकार से ठप्प पड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले प्रत्येक तीनों वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए स्वर्ण आभूषणों की कीमत नीचे दी गई है :—

(यू एस मिलियन डालर)

वर्ष	मूल्य
1994-95	421.20
1995-96	480.40
1996-97	511.80

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)

(ख) जी, नहीं। अप्रैल-जून, 96 की तुलना में अप्रैल-जून, 97 की अवधि के दौरान स्वर्ण आभूषणों का निर्यात नीचे दिया गया है :—

(यू एस मिलियन डालर)

अप्रैल-जून" 97 (अनंतिम)	156.23
अप्रैल-जून" 96	146.97

(स्रोत : जी जे ई पी सी, मुम्बई)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषणों की एक अत्यधिक ध्यान देने योग्य उत्पाद के रूप में पहचान की गई तथा यह हमारे निर्यात का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। तदनुसार, सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं :

(i) सोने की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, मूल्यवान धातुओं का आयात करने के लिए तथा इसकी आपूर्ति निर्यातकों को करने के लिए अतिरिक्त एजेंसियों को नामित करने का भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है;

(ii) छोटे निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए तृतीय पार्टी निर्यात की अनुमति दी गई है;

(iii) मूल्यवर्द्धन मानदण्डों को और अधिक सरलीकृत किया गया है; तथा

(iv) निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अवधि में उचित वृद्धि की गयी है।

'एअर इंटेलिजेंस यूनिट'

2785. श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'एअर इंटेलिजेंस यूनिट' स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विमानपत्तनों पर तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा; और

(ग) देश में बढ़ते हुए आर्थिक अपराधों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सीमा शुल्क के एअर इंटेलिजेंस यूनिट संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर पहले ही काम कर रहे हैं। एअर इंटेलिजेंस यूनिट आसूचना एकत्र करने और तस्करी संबंधी गतिविधियों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए विशेष कार्यवाही करने में लगे हैं।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय देश में आर्थिक अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सतर्क हैं। किए गए विशेष उपायों में आसूचना लक्षित करना, तस्करी की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखना, सीमा शुल्क संबंधी न्यून मूल्यांकन के मामलों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन निदेशालय की स्थापना करना; तस्करी और आर्थिक अपराधों में शामिल पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

जवाहर रोजगार योजना/नेहरू रोजगार योजना के लिए मार्गनिर्देश

2786. श्री पी० आर० दासमुंशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्सनल लेजर अकाउन्ट अनुरक्षण, खजाना नियम इत्यादि बनाने के लिए संबंधित राज्यों के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को जवाहर रोजगार योजना/नेहरू रोजगार योजनाओं, रोजगार गारन्टी योजना इत्यादि के लिए पृथक खाते रखने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य बीमा

2787. श्री विजय गोयल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र को देने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कारोबार में प्रवेश करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए कोई मार्गनिर्देश/दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने मेडी-क्लेम के निपटान से संबंधित समस्याओं को सुलझा लिया है जो जन-असंतोष का प्रमुख स्रोत है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) आवश्यक संशोधन को लाने के सम्बन्ध में सरकार की मंशा बजट भाषण में घोषित की गई थी ताकि साधारण बीमा निगम संयुक्त उद्यम चला सके और देश में स्वास्थ्य बीमा कवच के निम्न प्रभाव तथा नई स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की मांग को देखते हुए स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में चुनिंदा भारतीय उद्यमियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सके। सभी स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध कराने वालों के लिए व्यापक विनियम बीमा विनियमन प्राधिकरण द्वारा बनाए जाएंगे तथा लागू किए जाएंगे।

(ग) साधारण बीमा निगम ने जुलाई/अगस्त, 1996 में मेडी-क्लेम बीमा पॉलिसी में कतिपय संशोधन किए थे ताकि योजना-प्रशासन तथा दावों के निपटान की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बनाया जा सके। संवितरण की समग्र सीमा को बढ़ा दिया गया है और कक्ष चार्ज प्रभार, इन्फ्रा शुल्क, औषधि तथा नैदानिक प्रभारों आदि जैसी विभिन्न उप-सीमाओं को हटा दिया गया है। इस सरलीकरण से दावेदारों द्वारा अपेक्षाओं की अनुपालना करने पर स्वास्थ्य बीमा दावों के त्वरित निपटान में सहायता मिलेगी।

आम का निर्यात

2788. श्री पी० उपेन्द्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अन्य देशों को आम का निर्यात किए जाने की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत से आम का आयात किए जाने तथा आंध्र प्रदेश में एक आम प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने में रुचि दिखायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आस्ट्रेलिया ने नाशक जीवों से ग्रस्त होने के आधार पर भारत से ताजे आमों के आयात पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। ज्योंही आमों को नाशक जीवों की चिन्ता से मुक्त करने का प्रभावकारी उपचार ढूंढ लिया जाएगा, त्यों ही आमों का निर्यात आस्ट्रेलिया को किया जा सकेगा सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आंध्र प्रदेश में आम प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने में आस्ट्रेलिया की रुचि है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

2789. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में गत दो वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई;

(ख) क्या राजभाषा की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों/उपक्रमों में हिन्दी में कितनी पत्रिकाएं/पुस्तिकाएं प्रकाशित होती हैं;

(ङ) क्या स्वर्ण जयंती वर्ष में उनके विशेषांक प्रकाशित किये जायेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) गत दो वर्षों के दौरान, हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है, क्योंकि समिति हाल ही में

18.6.1997 को गठित की गई और इसकी पहली बैठक 9.9.1997 को आयोजित होनी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग का पुनर्विलोकन करने के लिए, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं।

(घ) पांच।

(ङ) और (च) स्वर्ण जयन्ती वर्ष में "विधायी पत्रिका" नामक हिन्दी पत्रिका का विशेष अंक प्रकाशित करने के प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से ऋणों को दोगुना करने का अनुरोध

2790. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने विश्व बैंक से उसके द्वारा भारत को दिए जाने वाले ऋणों को दोगुना करने का आग्रह किया है तथा बैंक ने सकारात्मक उत्तर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए उपयुक्त कार्य-प्रणाली क्या है;

(ग) क्या सरकार, भारत द्वारा अब तक लिए गए विश्व बैंक ऋणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग गठित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। रिजर्व बैंक के गर्वनर ने विश्व बैंक से भारत के लिए ऋण दोगुना करने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विश्व बैंक से लिए गए उधार और ऋण दीर्घावधि परिपक्वता वाली रियायती दर पर हैं, जिससे सरकार सामाजिक तथा आधारभूत क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाओं को हाथ में ले सकेगी, जो देश को दीर्घावधि लाभ देंगे।

रूमानिया के साथ व्यापार समझौता

2791. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूमानिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री डोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां। भारत सरकार और रूमानिया की सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किया था।

(ख) इस करार की मुख्य-मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं :—

(i) सभी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों और मानकों के आधार पर दुर्लभ मुद्रा में होंगे।

(ii) परस्पर परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान किया जायेगा।

(iii) सीधा व्यापार स्तर पर संपर्क को प्रोत्साहित किया जाएगा उदाहरण के लिए, व्यापार मेलों, शिष्टमंडलों के दौरों का आदान-प्रदान इत्यादि के जरिए।

(iv) संयुक्त उद्यमों का और आर्थिक सहयोग अन्य रूपों का संवर्धन करना।

(v) प्रति व्यापार और इसके अन्य रूपों को प्रोत्साहित करना।

(vi) संयुक्त आयोगों का गठन करना और इस करार के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समय-समय पर इसकी बैठकें आयोजित करना;

(vii) संयुक्त उद्यम बैंक जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना; यह करार अनन्तिम रूप से दिनांक 1.4.1993 से लागू हुआ था।

एन॰ आई॰ सी॰ एल॰, मैसूर

2792. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मैसूर ने विभिन्न पालिसियों विशेषकर पालिसी सं॰ 62319, दिनांक 30 जून, 1994 के अन्तर्गत की गयी संविदात्मक दायित्वों को मानने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं तथा तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और किन परिस्थितियों में बीमा कर्ता को बीमा संबंधी अपने दायित्वों को मानने से इंकार करना पड़ा जबकि स्पष्ट रूप से नुकसान चोरी के कारण हुआ था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि मैसूर स्थित नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि॰ के पॉलिसी दस्तावेज सं॰ 62319 दि॰ 30.6.1994 को जारी नहीं किया है और साथ ही किसी भी पॉलिसी के अन्तर्गत संविदात्मक बाध्यता को अस्वीकार नहीं किया है।

ग्रामीण बैंकों में सरकार की कम भागीदारी : विश्व बैंक

2793. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रामीण बैंकों विशेष रूप से घाटे में चल रहे ग्रामीण बैंकों में सरकार की भागीदारी कम करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को महत्त्वपूर्ण एक्सपोजर देने का निर्णय लिया है उसके सुझाव के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को या तो प्रायोजक वाणिज्यिक बैंकों में मिला दिया जाए या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समूह को अधिक अर्थक्षम संस्थाओं में विलय कर दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक ने ग्रामीण बैंकों के बारे में अन्य क्या सुझाव दिए हैं और सरकार ने इन सुझावों को किस हद तक स्वीकार किया है उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) विश्व बैंक द्वारा 1996-97 में किए गए "आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन मिशन" के आधार पर, विश्व बैंक ने ग्रामीण ऋण के प्रसार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक सम्भावित योजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और उन्हें मजबूत बनाने के लिए सहायता पर इस परियोजना के एक घटक के रूप में विचार किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेते समय सरकार उनकी भूमिका और ग्रामीण ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी।

वैश्य बैंक घोटाला

2794. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या **वित्त** मंत्री वैश्य बैंक लिमिटेड में अनियमितताओं के बारे में 13.12.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में वैश्य बैंक लिमिटेड के उन अधिकारियों की शाखा-वार संख्या क्या है जो निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर जाली दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों पर चैक बुक जारी करने में संलिप्त हैं;

(ख) कितने अधिकारियों, उप प्रबंधकों और प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं;

(ग) अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला और अधिकारियों के खिलाफ अंतिम रूप से की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि मामलों को अभी भी अंतिम रूप से नहीं निपटाया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे शीघ्र अंतिम रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चेक बुकें जारी करने के मामले में वैश्य बैंक लि॰ के चार अधिकारी अंगग्रस्त थे।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, चेक बुकें जारी करने और फर्जी चेक पास करने के लिए वैश्य बैंक लि॰ के नौ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षी चेकों के लिए एक उप प्रबंधक और एक प्रबंधक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि वैश्य बैंक लि॰ ने चूक कर्ता अधिकारियों के खिलाफ बैंक के वर्तमान अनुशासनिक नियमों और कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा शर्तों के अनुसार कार्रवाई की है/कार्रवाई कर रहा है।

अमेरिका तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार

2795. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वित्तीय सेवा क्षेत्र में उसे अमरीका सहित प्रमुख व्यापारिक भागीदार से मिले परम मित्र राष्ट्र के दर्जे को लौटाना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा परम मित्र राष्ट्र के दर्जे को लौटाने के प्रस्ताव पर अमेरिका तथा अन्य प्रमुख व्यावसायिक भागीदारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) वित्तीय सेवाओं की बातचीत अभी जारी है और वह केवल 12 दिसम्बर, 97 को ही समाप्त होगी। इस बातचीत में भारत को संशोधित पेशकश अभी प्रस्तुत करनी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा हेतु ऋण

2796. श्री अशोक प्रधान : क्या **वित्त** मंत्री उच्च शिक्षा हेतु बैंक ऋण के बारे में 7 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5061 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस सूचना को सभा पटल पर कब तक रखे जान की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के लिए प्रयोजक

बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की शिक्षा के लिए विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों मे गत तीन वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में मंजूर ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों को दिए गए बैंक ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(राशि : रुपए लाख में)

बैंक का नाम	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि
भारतीय स्टेट बैंक	4	2.87	2	3.5	8	4.08
बैंक ऑफ इंडिया	—	—	—	—	12	3.75
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1	0.40	1	0.3	2	0.62
बैंक ऑफ बड़ौदा	5	3.25	7	7.5	6	5.50
केनरा बैंक	1	2.00	6	6.5	7	6.27
सिंडिकेट बैंक	15	3.34	1	1.0	11	1.92

[अनुवाद]

लघु उद्योग

2797. श्री राम नाईक : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में लघु उद्योग क्षेत्र के अनेक प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय लघु उद्योग परिषद् से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय लघु उद्योग परिषद् सहित लघु उद्योगों के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों से 3.6.97 को एक बैठक की थी। उक्त बैठक में भारतीय लघु उद्योग परिषद् ने अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योगों के लिये शुल्क छूट सीमा एक वर्ष में 30 लाख रुपये से 100 लाख रुपये करने, मोडवेट का लाभ उठाने वाले एककों और मोडवेट का लाभ न उठाने वाले दोनों प्रकार के एककों के लिये शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने की उच्च मूल्य सीमाओं (स्लैबो) की व्यवस्था करने, वर्ष में किसी भी समय मोडवेट का लाभ उठाने का विकल्प और वर्गीकरण संबंधी विवादों को हल करने के लिये समिति का गठन करने का सुझाव दिया था।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग संघों से विभिन्न सुझावों की ध्यानपूर्वक जांच-पड़ताल की है। चूंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्देश्य से 30 लाख रुपये की मौजूदा पूर्ण शुल्क संबंधी छूट सीमा, लघु उद्योग को यथार्थ आवश्यकताओं की देखरेख के लिये अपर्याप्त है क्योंकि अधिकांश लघु उद्योग एककों का किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादन 30 लाख रुपये से कम है इसलिये उक्त सुझाव को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं था। उत्पाद शुल्क की रियायती दर का भुगतान करते समय मोडवेट का लाभ उठाने की अनुमति हेतु अनुरोध के संबंध में सरकार ने दिनांक 27.6.97 की अधिसूचना संख्या 38/97-सीई के द्वारा एक संशोधित योजना अधिसूचित की है। इस योजना के अनुसार लघु एकक एक वित्तीय वर्ष में अपनी निविष्टियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किये शुल्क संबंधी मोडवेट ऋण का लाभ उठाते समय 0.50 लाख रुपये के बीच की निकासी के लिये सामान्य शुल्क के 60% की रियायती शुल्क छूट और 500-100 लाख रुपये के बीच की निकासियों के लिये सामान्य शुल्क के 80% की रियायती शुल्क छूट के पात्र हैं। 100 लाख रुपये से अधिक निकासियों के लिये सामान्य शुल्क होता है और एक लघु एकक उपर्युक्त रियायत का लाभ तब तक उठा सकता है जब तक वह एक वित्त वर्ष में 300 लाख रुपये की उत्पादन सीमा पार नहीं कर लेता। योजना में एक वित्तीय वर्ष में किसी भी समय मोडवेट का चयन करने की भी व्यवस्था है और एक बार अगर विकल्प चुन लिया जाता है तो यह विकल्प वित्तीय वर्ष के दौरान बदला नहीं जा सकता है। तथापि, विकल्प देने से पहले की गई उपर्युक्त निकासियों का उत्पादन-शुल्क की रियायती दरों की मूल्य संबंधी सीमाओं का निर्धारण करते समय हिसाब से लिया जायेगा।

जहां तक वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का निर्णय करने के लिये समिति के गठन करने संबंधी सुझाव का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन

शुल्क कानून के अंतर्गत जिन्सों का वर्गीकरण अपीलीय उपायों सहित एक न्यायिक कल्प कार्य है और इसलिये इस संबंध में दिये गये सुझाव को मानना व्यवहार्य नहीं है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि लघु उद्योग एकक मोडवेट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की उत्पादित वस्तुओं पर 1 करोड़ रुपये तक शुल्क की रियायती दर अदा करनी होगी। इस हिसाब से वर्गीकरण संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

विधि मेले

2798. श्री ए. सम्पथ : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए राष्ट्रव्यापी 'विधि मेलों' के आयोजन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी, नहीं। किन्तु जिस पर भी, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर, देश के विभिन्न भागों में, ऐसे लंबित मामलों को, जिन्हें लोक अदालतों पर सुलझाया जा सकता है, निपटाने के लिए लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। हाल ही में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में 15 अगस्त, 1997 से 15 अगस्त, 1998 तक अत्यधिक लोक अदालतें आयोजित करने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

माल के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाना

2799. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खेप के लिए सीमा शुल्क स्वीकृति में विलंब को कम करने के लिए माल के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 (3) में आयात संबंधी सामान्य मालसूची और आयात दस्तावेजों को देश में माल वाहक जलयान अथवा वायुयान के आगमन से पूर्व दायर करने एवं संसाधित करने की व्यवस्था है। दिनांक 4.7.1997 के परिपत्र सं. 22/97-के द्वारा सरकार के जलयान अथवा वायुयान के आगमन से पूर्व आयातकों के लिए दस्तावेज दायर करने और सीमाशुल्क गृहों में उन पर कार्यवाही करने की विस्तृत प्रक्रिया अधिसूचित की है। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ दस्तावेजों, नोटिंग और निर्धारण प्रस्तुत करने की विधि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

वस्त्र डिजाइन की प्रदर्शनी

2800. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में वस्त्र डिजाइन की प्रदर्शनी आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राप्त निर्यात क्रयादेशों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार की और प्रदर्शनियों का आयोजन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनी आयोजित नहीं की गई तथापि, राष्ट्रीय एकत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 12 डिजाइन सह-बिक्री प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी जिनमें से 3 लाजपत नगर में 2 लोधी होटल में एक-एक वजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीतमपुरा, साउथ एक्सटेंशन, खान मार्किट, रानी बाग, कृष्णा नगर तथा प्रगति मैदान में हुई। इसके अतिरिक्त, आधुनिक रंगाई, डिजाइनिंग को बढ़ावा देने तथा डिजाइनों को बुनकरों की दहलीज पर उपलब्ध कराने के लिए बुनकर सेवा केन्द्र, दिल्ली द्वारा हथकरघा बाहुल्य क्षेत्रों में 4 रंगाई तथा डिजाइन प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी अर्थात् 2 बुनकर सेवा केन्द्र, भारत नगर में तथा एक-एक सावन पार्क और नंद नगरी में हुई।

(ग) इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शित मदों के लिए कोई निर्यात आर्डर प्राप्त नहीं हुए।

(घ) तथा (ङ) बुनकर सेवा केन्द्र, दिल्ली द्वारा बुनकरों के लाभ के लिए 2 रंगाई तथा डिजाइन प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है। जिनमें से एक बुनकर सेवा केन्द्र, भारत नगर में तथा एक सावन पार्क में होगी।

[अनुवाद]

प्रमुख क्षेत्र में निवेश

2801. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार देश के प्रमुख क्षेत्र में 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों और आवश्यक निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस प्रयोजन हेतु इतने बड़े फार्मों की व्यवस्था किस प्रकार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) देश के केन्द्रीय और आधारभूत ढांचा क्षेत्र के लिए विस्तृत निवेश आवश्यकताएं इस समय तय की जा रही हैं और इन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में प्रस्तुत किया जाएगा।

उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करना

2802. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिये किसी आयोग की नियुक्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समिति/आयोग की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग-अलग बैंकों का यह सतत् प्रयास रहा है कि ग्राहक सेवा में सुधार किया जाए।

सितम्बर, 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इसमें स्पष्ट सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्री गोईपोरिया की अध्यक्षता में बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति का गठन किया था। इस समिति ने 97 सिफारिशें कीं जिनमें से 86 सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए बैंकों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्रता से निवारण करने के लिए बैंकिंग ओमबड्समैन योजना 1995 शुरू की गई है। समूचे देश को कवर करते हुए 14 केन्द्रों में बैंकिंग ओमबड्समैनों की नियुक्ति की गई है। इस योजना से अपनी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र/प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बनाने के लिए बैंक प्रेरित हुए हैं।

बैंक निरंतर आधार पर निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :

1. शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण में वृद्धि;
2. उच्च तकनीक वाली सूचना प्रौद्योगिकी का आरम्भ;
3. विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराने के लिए लघ उद्योग शाखाओं, औद्योगिक वित्त शाखा, विदेश शाखाओं जैसे विशेषज्ञ शाखाओं की स्थापना;
4. मानव संसाधन विकास के लिए मानव शक्ति प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना;
5. ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। ग्राहकों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में नोडल अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित की गई है।

साधारण बीमा निगम के आवासों का अधिवाहित अधिकारियों को आबंटन

2803. डॉ॰ रमेश चन्द्र तोमर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त समिति ने नियमों के अंतर्गत न आने वाले अविवाहित अधिकारियों को कंपनी का आवास आबंटित किए जाने की सिफारिश की है तथा क्या कंपनी द्वारा इस संबंध में दिनांक 22 मई, 1992 को जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में अविवाहित अधिकारियों को आवासों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साधारण बीमा निगम का विचार एन॰ आई॰ ए॰ सी॰ द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों को कंपनी के आवासों के आवंटन में अत्यधिक विलंब तथा अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच कराने का है;

(घ) क्या नियमों के विरुद्ध आवंटित किए गए आवासों का आवंटन रद्द किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन अनियमितताओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माल डिब्बा उद्योग

2804. श्री हाराधन राय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-98 के दौरान रेलवे द्वारा माल डिब्बों के क्रयादेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमानित क्रयादेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार वास्तव में कितनी कमी आई है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की माल डिब्बे विनिर्माण इकाइयों पर क्या

प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा परिस्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1996-97 के क्रयादेश की तुलना में रेलवे वर्ष 1997-98 के दौरान (5.7.97 तक) दिए गए वैगनों के क्रयादेश संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(ख) अनुमानित क्रयादेशों की तुलना में वैगन के वास्तविक क्रयादेश, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार, संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रत्याशित स्तर से कम वैगन क्रयादेश दिए जाने के परिणामस्वरूप स्थापित क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रोकड़ हानियों में वृद्धि होगी। रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पर्याप्त क्रयादेश दें।

विवरण-I

	1996-97		1997-98	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
पिछले वर्ष से आगे ले जाए गए क्रयादेश	9,742.5	7,467.5	5,230	6,875
वर्ष के दौरान जारी किए गए क्रयादेश	3,685.0	11,532.5	3,935	6,010
कुल	13,427.5	19,000.0	9,165	12,885
सर्वयोग		32,427.5		22,050

विवरण-II

(चार चक्का इकाइयों में)

इकाई का नाम	प्रत्याशित क्रयादेश	अब तक जारी किए गए वैगन क्रयादेश	कार्यभार में अन्तर
भारत वैगन व इंजीनियरिंग कं॰ लि॰	1,590	980	610
ब्रेथवेट एंड कं॰ लि॰	1,300	725	575
बर्न स्टैण्डर्ड कं॰ लि॰	2,850	347.5	2,502.5
जेसप एंड कं॰ लि॰	350	00.0	350
कुल	6,090	2,052.5	4,037.5

पंजीकरण से छूट

2805. श्री सुरेश प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा कुछ अन्य कम्पनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी के रूप में पंजीकरण से छूट देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर छूट मांगी जा रही है; और

(ग) इस पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले का उत्पादन तथा आपूर्ति

2806. श्री अनिल बसु : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के खानों से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कोयले का उत्खनन किया गया है;

(ख) इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों को कितने मात्रा में कोयले का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले का अतिरिक्त कोटा दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या निर्णय किया गया ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि॰ की पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित खानों से उत्पादित कोयले की मात्रा का विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

(मिलियन टन में)

1994-95	1995-96	1996-97
16.72	17.5	17.66

(ख) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन समग्र देश के लिए उद्योग-वार/क्षेत्रवार किया जाता है और न कि यह मूल्यांकन राज्य-वार किया जाता है। किन्तु, पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के लिए क्षेत्र-वार किए गए प्रेषणों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
विद्युत गृह	15.25	16.37	17.53
इस्पात	03.14	03.05	03.05
सीमेंट	00.003	00.005	00.003
उर्वरक	—	00.03	00.02
कागज	00.12	00.18	00.18
वस्त्र/रेयन	00.11	00.09	00.10
साफ्ट कोक	00.06	00.04	00.04
अन्य	02.50	02.63	02.61
जोड़ :	21.183	22.395	23.533

(ग) कोल इंडिया लि॰ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार से अतिरिक्त कोटा के आवंटन किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न के उपरोक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि॰ में आवास ऋण घोटाला

2807. श्री सौम्य रंजन : क्या **वित्त** मंत्री न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि॰ में आवास ऋण घोटाला के बारे में 19 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास ऋण घोटाले के बारे में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि॰ के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 4 जून, 1996 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार महत्वपूर्ण कागजात जैसे वाउचर, लेखा पुस्तिका तथा फ्लॉपी नष्ट कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जालसाजी में उपयोग की गयी विभिन्न कार्यप्रणालियों का ब्यौरा क्या है तथा फर्जी आवास ऋणों को मंजूर करने में लापरवाही बरतने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच कार्य किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) सूचित किया गया है कि आवास ऋण खाते से संबंधित जांच पूरी हो चुकी है। धोखा धड़ी के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी (अब सेवानिवृत्त), एक वरिष्ठ सहायक और दो सहायकों को जिम्मेदार पाया गया। वरिष्ठ सहायक को पहले ही निलम्बित किया जा चुका है। आरोप-पत्र तैयार किए जा रहे हैं। ऋणों को जारी किए जाने में अनेक अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं जैसे कि—स्वीकृत ऋण राशि की अपेक्षा अधिक मात्रा में राशि जारी किया जाना; कर्मचारियों की जानकारी के बगैर भवन निर्माताओं को सीधे ही भुगतान किया जाना; संबंधियों के नाम में ऋण की किस्तें जारी किया जाना; उन व्यक्तियों को ऋण जारी किया जाना जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन ही नहीं किया था; आवास ऋण खातों में हेरा-फेरी किया जाना आदि। चूंकि कंपनी द्वारा कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई विद्यमान आचरण/पेंशन नियमों के अन्तर्गत की जा सकेगी इसलिए कम्पनी ने जांच कार्य को किसी स्वतंत्र एजेंसी के हवाले करना आवश्यक नहीं समझा।

मशीनरी का निर्यात

2808. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोल इंडिया लि० और इनकी सहायक कंपनियों द्वारा मशीनों/उपकरणों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या ये आयातित मशीनें देश में उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके आयात किये जाने के क्या कारण है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मशीनरी और उपकरणों के आयात पर कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) तथा उसकी सहायक कंपनियों ने निम्नलिखित राशि का व्यय किया :—

वर्ष	उतराई के समय लागत (रु०)
1994-95	61,629,555
1995-96	19,44,33,336
1995-97	10,48,35,930

(ख) इस संबंध में अर्न्तग्रस्त विदेशी मुद्रा नीचे दर्शायी गई है :—

जापानी येन	34,42,16,000
डी० एम०	72,48,606
अमरीकी डालर	25,55,450
फ्रांसीसी फ्रैंक	6,17,200

(ग) और (घ) इस संबंध में निर्धारित निविदा प्रक्रिया को पूरा किए जाने के पश्चात् सभी मशीनरी/उपकरणों की खरीद की जा रही है। जब तक कि एल-1 आपूर्तिकर्ताओं को विगत कार्य-निष्पादन, सुपुर्दगी की समयावधि तथा गुणवत्ता के संबंध में क्रियाकलाप निम्न स्तर का न रहा हो तो ऐसी स्थिति में उक्त पर विचार किया जाता है, चाहे वे भारतीय कंपनियां हों अथवा विदेशी कंपनियां हों। समयावधि पर कार्यक्रम एवं आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति के एकल स्रोत से भी बचा जाता है। घरेलू निर्माताओं एवं आदेशों पर इसी सिद्धांत के आधार पर विचार किया जाता है।

स्टाक एक्सचेंज

2809. श्री सुशील चन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों भारत के सभी शेयर बाजारों में शेयर सूचकांक में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक और व्यापार क्षेत्र में व्याप्त मन्दी के बावजूद सूचकांक में यह वृद्धि विदेशी कम्पनियों तक अन्य संस्थाओं द्वारा भारतीय कम्पनियों के शेयरों की अत्यधिक खरीद करने और अन्य कारणों से हुई है;

(ग) क्या भारत में ब्याज की ऊंची दरों के कारण भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी कम्पनियों और निवेशकर्ताओं अथवा अनिवासी भारतीयों की भागीदारी बढ़ रही है; और

(घ) क्या विदेशी निधियों के भारतीय पूंजी बाजार में शामिल किए जाने के संबंध में सामान्य धारणा यह है कि इन विदेशी निधियों के रुपयों में परिवर्तित होने के पश्चात् इन्हें भारतीय पूंजी बाजार से वापस निकाले जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के प्रयासों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। 1.1.1997 तथा 31.7.1997 के बीच बड़े स्टाक एक्सचेंजों के सूचकांक में वृद्धि हो गई है।

(ख) शेयर कीमतों का उतार-चढ़ाव सामान्यत: कार्पोरेट क्षेत्र तथा अर्थव्यवस्था के निष्पादन के संबंध में निवेशकों की प्रत्याशाओं, सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में निवेशकों के अवबोध, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के घटनाक्रम तथा सट्टेबाजी की गतिविधि पर निर्भर करता है।

(ग) भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी कंपनियों तथा निवेशकों अथवा अनिवासी भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का श्रेय अनेक अनुकूल कारकों को दिया जा सकता है जिनमें ये शामिल हैं :—सुदृढ़ वृहद-आर्थिक मूल सिद्धांत, मजबूत विदेशी क्षेत्र जैसा कि नियंत्रणीय चालू लेखा घाटे में दर्शाया गया है, तथा बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार, विनिमय दर स्थिरता, विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, भारतीय पूंजी बाजारों में कार्यकरण में सुधार तथा उन देशों, जहां से निवेश आता है, में विद्यमान अनेक कारक।

(घ) वर्तमान में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में स्टाक एक्सचेंजों में निवेश के रूप में विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह, सार्वभौमिक निक्षेप प्राप्तियों (जी० डी० आर०) अमरीकी निक्षेप प्राप्तियों (ए० डी० आर०) के माध्यम से भारतीय कंपनियों द्वारा जुटाई गई राशि, विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों तथा ऋणपत्रों में निवेश तथा अनिवासी भारतीय द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों तथा ऋणपत्रों में किया गया अधिकांश निवेश पूर्णत: प्रत्यावर्तनीय है। 1993-94 की अवधि के दौरान भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी भागीदारी का अनुभव दर्शाता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बहिर्प्रवाह चाहे वह विनिवेश के रूप में हो अथवा लाभांश के रूप में हो, महत्त्वहीन रहा है।

तेल उद्योगों पर उत्पाद शुल्क

2810. श्री येल्लैया नंदी :

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों पर लगाये गये उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त भार के निर्णय ने उनको बड़े संकट में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगपतियों ने ये उत्पाद शुल्क हटाने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ग) क्या "इण्डियन ऑयल, कैस्ट्रोल इण्डिया" "टाइड वॉटर" मोबाइल जैसी अन्य कतिपय कम्पनियों को क्रमशः 200 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये तथा 20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वार्षिक भार को वहन करना पड़ेगा।

(घ) क्या अनेक फर्में अतिरिक्त भार से पिंड छुड़ाने संबंधी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय ने उनके सुझावों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1997-98 के बजट में, पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्ष 1996-97 के बजट में पेट्रोलियम क्रूड पर सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 25% कर दिया गया था और मिट्टी के तेल तथा लिक्विड पेट्रोलियम गैस को छोड़कर, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण तेल क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों के संकट में पड़ जाने की बात की वित्त मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(ख) से (च) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

एस. टी. सी. और एम. एम. टी. सी. द्वारा सेवा प्रभार

2811. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :

डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस. टी. सी. और एम. एम. टी. सी. द्वारा विभिन्न वस्तुओं के आयात हेतु प्रभार वसूला जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न वस्तुओं विशेषकर गेहूं और उर्वरकों के सेवा प्रभावों में भारी असंगति है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इन असंगतियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया) : (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए. एस. आई.), हैदराबाद ने एस. टी. सी. द्वारा निपटान की गई वस्तुओं पर सेवाशुल्क तथा ऊपरी खर्च के भुगतान के पहलू की जांच की थी। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए. एस. आई.) हैदराबाद की सिफारिशों जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था, के आधार पर सरकार एस. टी. सी. को ऊपरी खर्च का भुगतान बिक्री के अनुपात में करती थी जिसके साथ-साथ लागत पूंजी पर ब्याज एवं खाद्य तेलों के आयात पर सी. आई. एफ. कीमत का 0.5% सेवा शुल्क के रूप में दिया जाता रहा है। किन्तु, 1994-95 के दौरान चीनी के आयात के बारे में वित्त मंत्रालय ने एस. टी. सी. को सेवा शुल्क के रूप में सी. आई. एफ. मूल्य का सेवा प्रभार के रूप में 1.20% भुगतान करने का निर्णय लिया जिसका भुगतान एफ. सी. आई. द्वारा किया गया। गेहूं के आयात के लिए भी एफ. सी. आई. और एस. टी. सी. के बीच उसी दर पर सहमति हुई : जो शुल्क की दर चीनी के लिए थी क्योंकि गेहूं के मौजूदा आयात का काम केवल एस. डी. सी. को ही सौंपा गया है। यूरिया के आयात के लिए एस. टी. सी. और एम. एम. टी. सी. को 17 रु. पी. एम. टी. के सेवा शुल्क का भुगतान किया जा रहा है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

जहां तक धातुओं का संबंध है, एम. एम. टी. सी. आयात के लिए बिक्री कीमत की प्रतिशतता के रूप में तथा 'हाई सीज' पर बचनबद्ध बिक्री के आधार पर पूर्व निर्धारित सेवा प्रभार की वसूली करता है। स्टाक से गोदाम द्वार पर धातुओं की बिक्री के लिए सेवा प्रभार की वसूली एम. एम. टी. सी. द्वारा प्रचलित बाजार कीमतों के आधार पर की जाती है।

प्रमुख क्षेत्र में निजी निवेश

2812. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख क्षेत्र की परियोजनाओं में निजी निवेश की मात्रा सरकार की अपेक्षाओं से काफी कम है जबकि सन् 1991 से ही इसके संवर्धन के लिए विभिन्न नीतिगत प्रयास किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से नए उपाय किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) "प्रमुख क्षेत्र" में निजी निवेश संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की समग्र घरेलू पूंजी संरचना 1993-94 में 69,426 रुपये, 1994-95 में 83,709 करोड़ रुपये और 1995-96 में 89,589 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

25 लाख से अधिक राशि के धोखाधड़ी के मामलों की संख्या

2813. लेफ्टि॰ जनरल (रिटायर्ड) प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 25 लाख रुपये तथा इससे अधिक राशि के धोखाधड़ियों, घोटालों, वित्तीय गड़बड़ियों आदि के लम्बित मामलों का बैंकवार ब्यौरा क्या है तथा ऐसा प्रत्येक मामला किस तारीख को पता चला और यह किस चरण में लम्बित है;

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग और/अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास उक्त में से लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर उन बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध जो स्केल पांच और इससे ऊपर के वेतनमान में हैं तथा किसी न किसी प्रकार से वे ऐसे लम्बित मामलों में संलिप्त हैं, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकों का अपराध साबित हो जाने के पश्चात् उनके विरुद्ध सरकार का क्या निवारक कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे लम्बित मामलों में जांच पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों के संबंध में तत्काल उपलब्ध बैंक-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

धोखाधड़ियों के मामले, जांच के लिए सामान्यतया केन्द्रीय जांच ब्यूरो या स्थानीय पुलिस को सौंपे जाते हैं। जांचकर्ता एजेंसी, जांच पूरी होने पर, आरोप-पत्र दायर कर सकती है या विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है या मामले को बन्द कर सकती है। विभागीय कार्रवाई के मामले में, बैंकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करना होता है। धोखाधड़ियों के मामलों में अंतर्ग्रस्त दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में तत्काल उपलब्ध आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

	1994	1995	1996
दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	50	33	46
बड़ा/छोटा दंड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	1248	1160	1207
बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	331

जांच का स्वरूप और जांच को पूरा करने में लगने वाले समय प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न होता है। इसके अलावा, विभागीय कार्यवाहियां, अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के स्वरूप की होती हैं, जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का कड़ाई के साथ पालन करना होता है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विभागीय कार्यवाहियों को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है।

विवरण

वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की पता लगाई गयी मामलों की बैंक-वार संख्या

क्रम सं॰	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या		
		1994	1995	1996
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	616	554	468
				*7
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	21	18	13
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	23	40	36
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	26	09	16
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	37	38	23
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	30	33	19
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	12	09	13
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	25	22	29
9.	इलाहाबाद बैंक	39	48	59
10.	आंध्रा बैंक	25	41	37
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	159	114	101
		*15	*10	
12.	बैंक ऑफ इण्डिया	215	156	158
		*11	*04	
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	50	31	34
14.	केनरा बैंक	217	167	213
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	130	73	142
16.	कार्पोरेशन बैंक	38	23	23
17.	देना बैंक	22	14	27
18.	इण्डियन बैंक	60	37	34
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	71	43	49

1	2	3	4	5
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	14	12	30
21.	पंजाब नेशनल बैंक	118	56	66
22.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	17	17	24
23.	सिंडिकेट बैंक	103	109	154
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	39	59	79
25.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	43	40	33
26.	यूको बैंक	58	74	39
27.	विजया बैंक	32	39	28
	योग	2266	1890	1954

*भारत के बाहर। (आंकड़ा अनन्तिम)

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन

2814. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने मार्च, 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक को यह पता लगाने के लिए लिखा था कि क्या निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/विनियमनों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले की छानबीन की है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जब भी निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्गदर्शन/विनियमों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) को भेज दिया जाता है जो कि बैंकिंग उद्योग के लिए नियंत्रण के रूप में है।

(ख) और (ग) आर० बी० आई० के अनुसार उन्होंने एक प्रणाली विकसित करने के उपाय किए हैं जिसके जरिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा आर० बी० आई०/सरकार के निर्देशों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए एक सतर्क तंत्र सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बी० एफ० एस०) के गठन के बाद आर० बी० आई० ने बैंकों के पर्यवेक्षण की एक केन्द्रीकृत प्रणाली का विकास किया है।

विदेशों में इंडियन बैंक द्वारा घोटाला

2815. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्यरत इंडियन बैंक सहित सभी 28 सष्ट्रीयकृत बैंक घोटाले में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री ने सभी बैंक घोटालों की जांच कंराने हेतु सभी सम्बद्ध पक्षों को निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो बैंकों के विरुद्ध कुल कितनी जांच रिपोर्ट अभी तक सरकार को सौंपी गई है; और

(घ) भारत तथा भारत के बाहर कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उनकी विदेशी शाखाओं सहित पता लगाई गई धोखाधड़ियों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त राशि और धोखाधड़ियों में शामिल दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :—

		1994	1995	1996
(i)	धोखाधड़ियों की संख्या	2266	1890	1954
(ii)	अन्तर्ग्रस्त राशि (रु० लाख में)	20007.88 युगांडा सिलिंग्स 9844000	11551.12	31937.63
(iii)	दोषी ठहराए गए कर्मचारियों की संख्या	50	33	46
(iv)	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें छोटे/बड़े दंड दिए गए	1248	1160	1207
(v)	बर्खास्त/सेवा मुक्त/हटा दिए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	331

(ग) प्रधानमंत्री ने विभिन्न धोखाधड़ियों की जाँच के लिए किसी जांच एजेंसी को कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वरिष्ठ बैंक अधिकारियों पर मुकदमा चलाए जाने के संबंध में दिशानिर्देश

2816 प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ बैंक अधिकारियों पर पूर्वानुमति के बिना मुकदमा न चलाए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रालय के समक्ष मुकदमा चलाए जाने संबंधी लम्बित अनुरोधों की संख्या कितनी है तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुकदमा चलाए जाने के लिए दी गई स्वीकृति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। तथापि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे लोक सेवक, जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं, द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, कथित अपराध के समय उसे नियुक्त करने वाली केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, नहीं लेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1997 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक के एक भूतपूर्व पूर्णकालिक निदेशक के मामले में मुकदमा चलाने हेतु मंजूरी के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सूचित किया गया है। सूचना देने की तारीख तक, राष्ट्रीयकृत बैंक के सेवानिवृत्त पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित एक मामला मुकदमे की मंजूरी के लिए लम्बित है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर विचार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

लाभांश का भुगतान

2817. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई सांविधिक तंत्र स्थापित करने का है जो लाभांश भुगतान खातों संबंधी समझौता होने के पश्चात् भुगतान के लिए शेष लाभांशों का भुगतान करवाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने के साथ ही निर्धारित अवधि में लाभांशों का आवश्यक रूप से भुगतान लागू करवाने का उत्तरदायित्व भी वहन करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दावा न की गई उस लाभांश की धनराशि का ब्यौरा क्या है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 205क के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अंतरित कर दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क के अनुसार शेयरधारकों के लाभांश के शीघ्र भुगतान के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में पहले ही एक सांविधिक तंत्र का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 207 में अनुबंध है कि जहां कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन उसका भुगतान न किया गया हो, या उससे संबंधित वारंट लाभांश के भुगतान के पात्र किसी शेयरधारक को घोषणा की तारीख से 42 दिन के अंदर डाक के द्वारा नहीं भेजा गया हो, तो कंपनी के प्रत्येक निदेशक को, यदि वह जानबूझकर व्यतिक्रम का पक्षकार है, उस अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा दी जा सकेगी जो सात दिन तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा।

कंपनी विधेयक जिसे इस सत्र में पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है, में निवेशकों के हितों की और सुरक्षा के लिए प्रावधान होंगे।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य राजस्व खाते में अंतरित किए गए अदावाकृत लाभांश का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	धनराशि
1994-95	14,11,86,403/- रुपये
1995-96	17,47,35,388/- रुपये
1996-97	21,37,80,357-/ रुपये

[हिन्दी]

कोयला खान

2818. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फायदे में चल रही खुले मुहाने वाली भूमिगत कोयला खानों का उत्पादकता स्तर क्या है;

(ख) कोल इंडिया लि॰ तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰ के तहत ऐसी कितनी खानें हैं; और

(ग) प्रत्येक खान की उत्पादन क्षमता क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भू-खनन परिस्थितियों तथा नियोजित उपकरणों पर और खनन की पद्धति पर निर्भर करते हुए, किसी खान की लाभप्रदता में योगदान देने वाले कारक व्यक्ति तथा मशीन उत्पादकता और खनन किए जा रहे कोयले का विक्रय मूल्य है। अत: लाभप्रदता व्यक्ति की उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादकता) जैसे किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करती है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि॰ (को॰ इं॰ लि॰) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰ (सिं॰ को॰ कं॰ लि॰) की लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों की कुल संख्या उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता सहित नीचे दी गई है :

(मिलियन टन में)

कंपनी	खानों की संख्या	वार्षिक उत्पादन क्षमता
को॰ इं॰ लि॰	146	156.18
सिं॰ को॰ कं॰ लि॰	9	10.32

[अनुवाद]

राज्यों का कर आधार

2819. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की वित्तीय स्थिति इस समय कठिन दौर से गुजर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्यों के कर आधार को व्यापक बनाने की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 269 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कुछ राज्य आवधिक अर्थोपाय के दौर से गुजर चुके हैं। फिलहाल सभी राज्यों की अर्थोपाय स्थिति संतोषजनक है।

(ख) से (घ) वैकल्पिक योजना के लिए 10वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय बिक्री करों और प्रेषण कर के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 269 में दिए गए सभी करों को केन्द्रीय करों के संघ और राज्यों के बीच भागीदारी के लिए विभाज्य पूल में रखा जाता है। केन्द्रीय करों के समेकन का लाभ यह होगा कि केन्द्र और राज्यों दोनों में कुल राजस्व साझेदारी में वृद्धि होगी।

ऋण पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना

2820. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आने वाले मंदी के समय में ऋण नीति में "ब्रिज लोन्स" पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने यह सूचित किया है कि संदेहास्पद राजनीतिक परिस्थिति में तथा बाजार में कोई स्पष्ट स्थिति न होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए तथा ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे ब्याज दर में कम से कम एक प्रतिशत की कमी हो;

(ग) यदि हां, तो क्या पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिज लोन को प्रतिबंधित कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब इस प्रतिबंध को हटाने का अंतिम निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि तात्कालिक ऋणों पर प्रतिबंध हटाने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) एक ऐसी नीति बनाने के संबंध में, जिससे ब्याज में कम से कम एक प्रतिशत की कमी हो, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी 16 अप्रैल, 1997 से ब्याज दर घटाकर 11 प्रतिशत करने फिर 26 जून, 1997 से और कमी करके 10 प्रतिशत करने की नीति से प्रमुख बैंकों की उच्चतर बयाज दरों में तदुनुरूप कमी आई है, जो इस समय 13.5 से 15.0 प्रतिशत की सीमा में है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 अप्रैल, 1995 से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय कंपनियों सहित सभी कंपनियों को तात्कालिक ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तथापि, अक्टूबर 1995 में इस मामले की पुनरीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि ऋण संस्थाओं द्वारा अस्थायी रूप से नकदी की समस्या का सामना किए जाने के मामलों में जब किसी वित्तीय संस्थाओं और/या किसी दूसरे बैंक ने वायदा किया हो तो उसके लिए बैंको को सीमित मात्रा में तात्कालिक ऋण/अंतरिम वित्त की मंजूरी के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन तक अनुमति दी जा सकती है।

मत्स्यन को बढ़ावा

2821. कुमारी उमा भारती :

श्री आनंद रत्न मौर्य :

श्री सत्यदेव सिंह

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों का विचार मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक कब तक उपर्युक्त सहायता प्रदान कर देंगे; और

(घ) इस सहायता से कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) मत्स्य पालन विकास में मछली पकड़ने से लेकर मछली-निर्यात तक, मछली पालन के लिए आवश्यक उपकरणों के वित्तपोषण, टैंकों में सुधार, मत्स्य प्रजनन आदि कार्य कृषि के साथ सम्बद्ध समझे जाते हैं। अत: इन कार्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त अल्पावधि और आवधिक ऋण कृषि क्षेत्र को सीधे ऋण देना माना जाता है और इस प्रकार ये प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम का एक हिस्सा कहलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) द्वारा जारी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को अपने शुद्ध बैंक ऋण के 18% के बराबर कृषि क्षेत्र को देना होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं को देश में समुद्री, अंतर-स्थलीय और खारे पानी की मत्स्यपालन योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1996-97 के दौरान नाबार्ड की ओर से कुल पुनर्वित्त सहायता 40.59 करोड़ रु० थे जिसमें लगभग 10,000 से अधिक इकाइयां शामिल थीं।

बिक्री कर

2822. श्री टी० गोविन्दन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार को चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर बिक्री कर की वसूली करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया है जो संविदा संबंधी समझौते के अंतर्गत केन्द्र सरकार को सौंप दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार से वर्तमान में उन्हें प्राप्त हो रही राशि की तीन गुना राशि का संग्रह कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत विकास मंच

2823. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विकास मंच की हाल ही में पेरिस में हुई बैठक में दिए गए आश्वासन के अनुसार भारत को विदेशी सहायता मिलने की संभावना है; और

(ख) इस सहायता को किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पेरिस में 23 और 24 जून, 1997 को संपन्न भारत विकास मंच की बैठक में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाता देशों द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक विकास सहायता की कुल वचनबद्धता 6.74 बिलियन अमरीकी डॉलर थी।

(ख) भारत विकास मंच की बैठक में दाता देश समग्र रूप से की गई वचनबद्धताओं के संदर्भ में सहायता प्रदान करते हैं। दाता देशों/संस्थाओं के साथ सहायता बातचीत/करारों को अंतिम रूप देने के बाद ही दूसरे देशों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विदेशी सहायता का ब्यौरा और निबंधन तथा शर्तों का पता चलेगा।

चतुर्थ श्रेणी के सिख कर्मचारियों की वर्दी से पगड़ी का हटाया जाना

2824. श्री सत्य पाल जैन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के चतुर्थ श्रेणी के सिख कर्मचारी वर्दी के एक भाग के रूप में "पगड़ी" प्राप्त करते रहे हैं;

(ख) क्या अब भारतीय जीवन बीमा निगम के चतुर्थ श्रेणी के सिख कर्मचारियों की वर्दी से पगड़ी को निकाल दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

2825. श्री आनंद रत्न मौर्य :

श्री बृज भूषण तिवारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्याज के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत किन देशों को प्याज का निर्यात कर रहा है;

(घ) क्या प्याज के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार ने कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान सब्जियों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी नहीं। प्याज का निर्यात जो वर्ष 1990-91 में 90.88 करोड़ रु० मूल्य का था वह वर्ष 1996-97 में बढ़कर 271.16 करोड़ रु० हो गया है।

(ग) भारत मुख्य रूप से बहरीन, ब्रुनेई, बंगलादेश, जापान, कुवैत, माली, मलेशिया, मालद्वीव, मारीशस, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, पाकिस्तान, कतार, रूनियन, सऊदी अरब, सेसेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, सं० अ० अमीरात, यू० के० और यू० एस० ए० को प्याज का निर्यात कर रहा है।

(घ) और (ङ) प्याज के उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है मौजूदा बीज के किस्मों में सुधार करना उन्नत/नए किस्मों का विकास करना, गुणवत्ता स्तर में वृद्धि करना, आधुनिक भंडारन सुविधाओं की स्थापना करना, उन्नत पैकेजिंग का विकास करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और विदेशों में व्यापार शिष्टमंडलों को भेजना।

(च) गत तीन वर्षों के दौरान सब्जियों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

(मूल्य : लाख रुपए में)

वर्ष	निर्यात
1994-95	24798.10
1995-97	29740.80
1996-97*	34285.80

*अनन्तिम आंकड़े

(स्रोत: डी० जी० सी० आई० एंड एस., कलकत्ता)

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के संबंध में आरोप-पत्र और मुकदमे

2826. श्री मोहन रावले :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य बैंकों में जालसाजी, गबन धनराशि के दुरुपयोग तथा अन्य गंभीर अनियमितताओं के कितने मामलों का पता लगाया गया है और तत्संबंधी वर्षवार और बैंक वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने मामलों को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया और कितने मामलों में बैंक कर्मचारी संलिप्त पाए गए और कितने व्यक्तियों को आरोप पत्र दिए गए, कितने व्यक्ति निलंबित किए गए, कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और इस घोटाले में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों में बढ़ते घोटालों को रोकने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों की घटनाओं की बैंकवार संख्या की स्थिति के संबंध में तत्काल उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी तत्काल उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है :

		1994	1995	1996
(क)	दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	50	33	46
(ख)	छोटे/बड़े दण्ड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	1248	1160	1207
(ग)	बर्खास्त/सेवा मुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	331

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) के कहने पर घोटालों को रोकने के लिए समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर० बी० आई० द्वारा समेकित मार्गनिर्देश जारी करना, आर० बी० आई० द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ियों के मामलों की पुनरीक्षा, विशेष मामलों में बैंकों को कार्य-प्रणाली की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के अपेक्षित उपायों की जानकारी देना, परिचालन कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण और कथित बड़े घोटालों के मामलों की जांच तथा संवीक्षा के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी बहुल क्षेत्रों में प्रणाली और प्रक्रिया तथा नियंत्रण व्यवस्था सहित आकस्मिक निरीक्षण करना।

विवरण

वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की पता लगाई गई मामलों की बैंक-वार संख्या

क्रम सं॰	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या		
		1994	1995	1996
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	616	554	468
				*7
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	21	18	13
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	23	40	36
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	26	09	16
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	37	38	23
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	30	33	19
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	12	09	13
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	25	22	29
9.	इलाहाबाद बैंक	39	48	59
10.	आंध्रा बैंक	25	41	37
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	159	114	101
		*15	*10	
12.	बैंक ऑफ इंडिया	215	156	158
		*11	*04	
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	50	31	34
14.	केनरा बैंक	217	167	213
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	130	73	142
16.	कार्पोरेशन बैंक	38	23	23
17.	देना बैंक.	22	14	27
18.	इंडियन बैंक	60	37	34
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	71	43	49
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14	12	30
21.	पंजाब नेशनल बैंक	118	56	66
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	17	17	24
23.	सिंडिकेट बैंक	103	109	154
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	39	59	79
25.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	43	40	33
26.	यूको बैंक	58	74	39
27.	विजया बैंक	32	39	28
	योग	2266	1890	1954

*भारत के बाहर। (आंकड़ा अनंतिम)

पटसन श्रमिकों द्वारा हड़ताल

2827. श्री चित्त बसु : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में जूट मिल कर्मचारियों ने 3 जून, 1997 को एक दिन की सफल हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांग क्या थी; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन॰ जे॰ एम॰ सी॰ के अंतर्गत दो पटसन मिलों को छोड़कर 3 जून, 1997 को पश्चिम बंगाल में पटसन मिलें बंद थीं। मजदूर संघों ने हड़ताल के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जिसमें सामान्यतः उनकी मांगें शामिल होती हैं, तथापि, कुछ समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार उनकी मांग सभी क्षेत्रों में पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के बारे में थी।

(ग) खाद्यान्न और चीनी क्षेत्रों के संबंध में पटसन पैकेजिंग आदेश का पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है। उवर्रक क्षेत्र में भी इसका अनुपालन कुल मिलाकर संतोषजनक है। तथापि, सीमेंट क्षेत्र आदेशों का अनुपालन कर रहा है। पटसन आयुक्त ने सीमेंट एककों को 25 कारण बताओ नोटिस तथा उवर्रक एककों को 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उपयुक्त मानीटरिंग के लिए सभी सीमेंट तथा उवर्रक एककों से मासिक रिपोर्ट मांगी थी। कारण बताओ नोटिस जारी करने के फलस्वरूप सीमेंट एककों ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आदेश को चुनौती दी तथा कुछ मामलों में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

2828. श्री राम टहल चौधरी :

श्री पवन दीवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तियों, निगमित निकायों और अन्य संगठनों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक मामले में जांच की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अभियुक्त व्यक्तियों की श्रेणी के आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते । फिर भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उपबंधों के संदिग्ध उल्लंघन के गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1994	6061
1995	5633
1996	5486

(ख) इनमें से कुछ मामले प्रमाण के अभाव के कारण बंद कर दिए हैं। अन्य मामले जांच/न्याय निर्णयन/अपील के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं।

[अनुवाद]

निर्यात/आयात से अर्जित आय

2829. श्री सुधीर गिरि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जून, 1997 तक की अवधि के दौरान निर्यात से आय तथा आयात पर व्यय के बीच कितना अंतर रहा;

(ख) निर्यात से आय की तुलना में अधिक आयात व्यय के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) डी.जी.सी.आई.एण्ड.एस. के आंकड़ों के अनुसार, मार्च से जून, 1997 की अवधि के दौरान निर्यात से हुई आय और आयातों पर व्यय के बीच का अन्तर 1456.61 मिलियन अमरीकी डालर का घाटा है।

(ख) जहां आयात अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से संबंधित है, वहीं निर्यात अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं, घरेलू आधारभूत ढांचा, निर्यात ऋण की लागत, नीतिगत ढांचे आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) निर्यात से आय और आयात पर व्यय के बीच के अंतर को निर्यात संवर्द्धन के जरिए कम किए जाने का प्रयास किया जाता है। सरकार द्वारा निर्यात संवर्द्धन उपाय नीति और संवर्द्धनकारी योजनाओं के जरिए लगातार किए जाते रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात आयात नीति कार्यप्रणालियों का सरलीकरण, निर्यात ऋण पर ब्याज दरों में कमी, विशिष्ट देशीय पहलों को अपनाना, राज्य सरकारों को निर्यात संवर्द्धन में शामिल करते हुए गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना, निर्यात को बढ़ाने के उपाय तैयार करने की दृष्टि से निर्यात संवर्द्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों और व्यापार व उद्योग के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श करना शामिल हैं। निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक निर्यात संवर्द्धन बोर्ड भी स्थापित किया गया है।

कॉटन ग्रे फैब्रिक्स का निर्यात

2830. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अन ब्लीच्ड कॉटन ग्रे फैब्रिक्स का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या हमारे निर्यात में यूरोपीय संघ द्वारा डिफीनिटिव "एंटी डम्पिंग ड्यूटी" हटाने से वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अन ब्लीच्ड सूती फैब्रिक्स का निर्यात निम्न अनुसार हुआ है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु. में)
1994	1020.07
1995	1187.43
1996	1093.80

(ख) और (ग) यूरोपीय कमीशन ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत में अन ब्लीच्ड सूती फैब्रिक्स के आयात पर एन्टी डम्पिंग कार्रवाई पुनः शुरू की है। अन्य प्रकार से भी यूरोपीय यूनियन को सूती ग्रे फैब्रिक के निर्यात बढ़ाने की सीमित गुंजाइश ही है। क्योंकि भारत-यूरोपीय यूनियन द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारत से यूरोपीय यूनियन के देशों में निर्धारित मात्रात्मक सीमा तक उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है।

स्थायी खाता संख्या

2831. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 तक और अप्रैल से 15 जुलाई, 1997 तक माहवार आयकरदाताओं से स्थायी खाता संख्या (पी॰ ए॰ एन॰) के आबंटन के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के आयकर आयुक्त को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आयकरदाताओं को स्थायी खाता संख्या जारी की गई;

(ख) क्या स्थायी खाता संख्या जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयकरदाताओं को स्थायी खाता संख्या जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थायी खाता संख्या (पी॰ ए॰ एन॰) के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और आयकरदाताओं को आबंटित की गई स्थायी खाता संख्या (पी॰ ए॰ एन॰) की संख्या निम्न प्रकार है :

क्रमांक	अवधि	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं॰	आबंटित की गई स्थायी खाता सं॰ (पी॰ ए॰ एन॰) की सं॰
1.	31.3.97 तक	1,807,305	1,163,738
2.	अप्रैल, 1997	64,429	158,011
3.	मई, 1997	47,960	58,266
4.	जून, 1997	28,679	15,621
5.	1.7.97 से 15,7,97 तक	21,959	16,576
	कुल	1,970,332	1,412,212

(ख) और (ग) ऐसे सभी मामलों के संबंध में, जिनमें पूरे और सही भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31.8.1997 तक प्राप्त होंगे, स्थायी खाता संख्या का आबंटन दिनांक 31.12.1997 तक कर दिया जाएगा।

(घ) आयकरदाताओं को स्थायी खाता संख्या जारी करने के विलंब मुख्यत: आयकरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों की दी गई अधूरी सूचना के कारण होता है। इससे कमी को पूरा करने के लिए पत्र जारी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे सभी मामलों में आगे की कार्यवाही केवल तब की जा सकती है जब करदाताओं द्वारा इन कमियों को दूर कर दिया जाता है।

वस्त्र निर्यात

2832. श्री एन॰ डेनिस : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु द्वारा वस्त्र निर्यात में वृद्धि रिकार्ड की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों द्वारा निर्यात में वृद्धि रिकार्ड की गई; और

(ग) राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि भारत से वस्त्र निर्यातों में चालू वर्ष अर्थात अप्रैल-जून, 1997 के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) वस्त्र उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रोत्साहन नहीं दिए जाते हैं। तथापि, वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठा रही है, जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत सामग्रियों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ बैंकिंग निगम लिमिटेड

2833. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰) का विचार आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ बैंकिंग निगम लिमिटेड को अपने शेयर का 25 प्रतिशत देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि॰ (आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि वह आम जनता को 35/- रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर 4,12,50,200 शेयर दे रहा है। यह प्रस्ताव 5 अगस्त से 11 अगस्त, 1997 के बीच खुला हुआ है। यह प्रस्ताव, बैंक खोलने के लिए आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ को जारी किए गए लाइसेंस में भारतीय रिजर्व बैंक की शर्त की अनुपालना में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

2834. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष

में किन-किन राज्यों में कहां-कहां निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन पार्कों की स्थापना हेतु राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के देवास में निर्यात संवर्धन पार्क को स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह स्वीकृति किस तारीख को दी गई तथा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) विस्तृत ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (ख) मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, देवास जिले के सिया में स्थापित करने हेतु 24.7.1995 को एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई. पी. आई. पी.) की स्वीकृति दी गई थी। परंतु राज्य सरकार ने मूल स्थान पर पानी की कमी के कारण इस ध्यान को धार जिले के पीतमपुर में बदलने का निश्चय किया जिसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15.7.1997 को अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार द्वारा हाल ही की समीक्षा बैठक में बताया गया है कि पार्क-स्थल के विकास का शुरुआती कार्य शुरू कर दिया गया है।

विवरण

अनुमोदित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों का स्थल-वार विवरण

राज्य सरकार का नाम	ई.पी.आई.पी. का स्थान	राज्यों को अब तक जारी कुल केन्द्रीय अनुदान (करोड़ रु. में)
1	2	3
1994-95		
1. पंजाब	ढंडारी कलां जिला लुधियाना	5.90
2. महाराष्ट्र	अम्बरनाथ जिला थाणे	6.75
3. हिमाचल प्रदेश	बद्दी जिला सोलन	3.00
4. राजस्थान	सीतापुर, जिला जयपुर	10.00
5. कर्नाटक	हूदी, जिला बंगलौर	10.00
6. केरल	कक्कानाद जिला एर्नाकुलम	5.89
7. हरियाणा	कुंडली, जिला सोनीपत	4.00
8. उत्तर प्रदेश	सुराजपुर जिला गौतम	10.00
9. तमिलनाडु	गुम्मीदिपूंडी, जिला चेंगल पट्ट एम. जी. आर.	2.37
10. आंध्र प्रदेश	पशामिलारम, जिला मेडक	2.25
11. गुजरात	साव्ली, जिला बड़ौदा	5.20
1995-96		
12. बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली	3.00
13. प. बंगाल	दुर्गापुर, जिला बर्दवान	4.15
14. मेघालय	बिर्नीहाट, जिला रिभोई	4.50
15. उड़ीसा	भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	4.50
16. असम	अमीनगांव निकट गुवाहाटी जि. कामरूप	5.00
17. मध्य प्रदेश	सिया, जिला देवास*	4.50
18. जम्मू कश्मीर	साम्बा, जिला जम्मू	2.25
1996-97		
	शून्य	

*अब पीतमपुर, जिला धार में स्थानांतरित

[अनुवाद]

आई. टी. सी.

2835. श्री थामस हंसदा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. टी. सी. द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में देय अत्यधिक बकाया राशि के कारण आई. टी. सी. को कुल कितना नुकसान हुआ;

(ख) नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

चर्म शोधन संबंधी उद्योग

2836. श्रीमती कमल रानी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी चर्म शोधन संबंधी उद्योग की इकाइयां चल रही हैं;

(ख) उक्त उद्योग में कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ग) क्या श्रमिकों को भविष्य निधि, बीमा, आवास शिक्षा इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस उद्योग में कार्यरत श्रमिक कतिपय बीमारी से ग्रसित है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य रक्षा में उचित ध्यान देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या प्रत्येक उद्योग में जल उपचार संबंधी संयंत्र स्थापित किया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आर॰ ओ॰ बी॰ का आयात

2837. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री 20.12.96 और 7.5.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4430 और 5043 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) जानकारी सभा पटल पर कब तक रखे जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। दिल्ली के कुछेक आयातकों ने कंटेनरों में भर कर रफ ऑपथाल्मिक ब्लैंकों का आयात किया है।

(ख) दिल्ली में रफ ऑप्थाल्पिक ब्लैंकों के आयात के दो मामलों और मुंबई में एक मामले का पता चला है जिनमें न्यून मूल्यांकन का संदेह था। मैसर्स एंटरप्राइज ट्रेडिंग कं॰, नई दिल्ली के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद न्यायनिर्णयन कर दिया गया है और न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा न्यून मूल्यांकन की कोई भी बात प्रमाणित नहीं हो पाई है। मैसर्स इंडियन ऑप्टिक्स प्रा॰ लि॰ के मामले में 13.5.1997 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और यह न्यायनिर्णयन हेतु अनिर्णीत पड़ा है। मैसर्स अजय इंटरनेशनल, नई दिल्ली के मामले में, जिसमें माल मुंबई पत्तन के जरिए आयात किया गया था, जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

किसानों के लिए ऋण बैंक

2838. डॉ॰ जी॰ आर॰ सरोदे :

डॉ॰ राम विलास वेदान्ती :

श्री सोहन वीर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नलकूप लगाने/ट्रैक्टर तथा मवेशी खरीदने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश में किसानों को प्रदान किये गये ऋण की राज्य-वार धनराशि क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन बैंकों द्वारा किसानों को ऋण मंजूर करने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाए किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस प्रकार की सूचना नहीं मिलती जैसी कि मांगी गई है। बहरहाल, जून 1995 को समाप्त वर्ष तक (अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु सिंचाई के लिए और ट्रैक्टर व अन्य कृषि संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को दिए गए ऋण (बकाया) के संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता प्रदान करने में अनियमितताओं के बारे में बैंकों के विरुद्ध शिकायतें जब कभी प्राप्त होती हैं तो उपचारी उपाए करने के लिए उन्हें संबंधित बैंक के साथ उठाया जाता है।

विवरण-I

जून 1995 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को लघु सिंचाई और ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों आदि की खरीद के लिए दिए गए ऋणों (बकाया) की राशि का संघ राज्य क्षेत्र/राज्य-वार ब्यौरा (अद्यतन) देने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण की राशि (रु॰ हजार में)	
	लघु सिंचाई	ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण
1 2	3	4
1. अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	11165	80
2. आन्ध्र प्रदेश	1805963	1625511
3. अरुणाचल प्रदेश	405	2115

1	2	3	4
4.	असम	265315	127111
5.	बिहार	1402618	3145068
6.	चंडीगढ़	498094	65201
7.	दादरा व नगर हवेली	3992	4655
8.	दमन एण्ड दीव	330	948
9.	गोवा	12394	9410
10.	गुजरात	1506789	2576484
11.	हरियाणा	268014	4594551
12.	हिमाचल प्रदेश	18003	144990
13.	जम्मू एंड कश्मीर	1908	76713
14.	कर्नाटक	1339170	2154750
15.	केरल	576706	506642
16.	लक्षद्वीप	—	208
17.	मध्य प्रदेश	2760967	4882378
18.	महाराष्ट्र	3163407	2139880
19.	मणिपुर	1276	24970
20.	मेघालय	358	4159
21.	मिजोरम	—	973
22.	नागालैंड	—	15969
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1845	20282
24.	उड़ीसा	336608	623509
25.	पांडिचेरी	23229	208
26.	पंजाब	635846	7888255
27.	राजस्थान	1297683	4034183
28.	सिक्किम	299	—
29.	तमिलनाडु	1257701	3161766
30.	त्रिपुरा	1593	15969
31.	उत्तर प्रदेश	2765815	8071341
32.	पश्चिम बंगाल	850395	555801

विवरण-II

जून 1995 को समाप्त वर्ष के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को लघु सिंचाई और ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों आदि की खरीद के लिए दिए गए ऋणों (बकाया) की राशि का संघ राज्य क्षेत्र/राज्य-वार ब्यौरा (अद्यतन) देने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण की राशि (बकाया)	(रु. हजार में)
	लघु सिंचाई	ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण
1	2	3	4
1.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	11702	57490
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
4.	असम	—	—
5.	बिहार	—	—
6.	चंडीगढ़	—	—
7.	दादरा व नगर हवेली	—	—
8.	दमन एण्ड दीव	—	—
9.	गोवा	—	—
10.	गुजरात	—	—
11.	हरियाणा	383	1993
12.	हिमाचल प्रदेश	—	—
13.	जम्मू एंड कश्मीर	2926	15563
14.	कर्नाटक	98407	163236
15.	केरल	54076	90401
16.	लक्षद्वीप	—	—
17.	मध्य प्रदेश	2361	8485
18.	महाराष्ट्र	150433	156487
19.	मणिपुर	—	—
20.	मेघालय	—	—

1	2	3	4
21.	मिजोरम	—	—
22.	नागालैंड	—	—
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	17	—
24.	उड़ीसा	—	—
25.	पांडिचेरी	44	263
26.	पंजाब	—	178
27.	राजस्थान	44964	142078
28.	सिक्किम	—	—
29.	तमिलनाडु	42863	111693
30.	त्रिपुरा	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	12755	37577
32.	पश्चिम बंगाल	—	3

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा आबंटित और वसूल किया गया ऋण

2839. श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जुलाई, 1997 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित किये गये ऋण की धनराशि क्या है;

(ख) क्या इन ऋणों की पूरी राशि वसूल की जा चुकी है;

(ग) ऋण की शेष बकाया राशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार किसी ऐसी योजना बनाने का है जिससे ऋण की वसूली में बैंकों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मार्च, 1996, मार्च 1997 के अंतिम शुक्रवार और 20 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण निम्नलिखित है :

की स्थिति के अनुसार	बकाया ऋण (रुपए लाख में)
मार्च, 1996 का अंतिम शुक्रवार	21206361
मार्च, 1997 का अंतिम शुक्रवार	21910689
20 जून, 1997 (अनंतिम)	21326420

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों (एन॰ बी॰ ए॰) में वसूली 412062 लाख रुपए थी।

(ग) से (ङ) आर॰ बी॰ आई॰ की सलाह पर बैंकों ने निवेश नीति, ऋण नीति, ऋण वसूली नीति आदि बनाई हैं। उन्हें ऋण मूल्यांकन तंत्र तथा पश्च पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने की सलाह भी दी गई है। बैंकों ने मुख्यालय में महाप्रबंधक के अधीन वसूली कक्ष स्थापित किए हैं। मासिक आधार पर वसूलियों की जांच की जाती है। शाखावार वसूली लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर वसूली की जांच की जाती है। निदेशक मंडल द्वारा आवधिक आस्तियों की गुणवत्ता की समीक्षा भी की जाती है। बैंक देयताओं के शीघ्र निपटान के लिए आठ ऋण न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं। आर॰ बी॰ आई॰ ने बैंकों के स्थलतर पर्यवेक्षण के साथ ही स्थल पर निरीक्षण की शुरुआत की है।

[अनुवाद]

मूल्य-वर्धित कर

2840. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का बिक्री कर के स्थान पर मूल्य-वर्धित कर या लेवी लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) चूंकि बिक्री कर राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा ही कोई निर्णय लेना होता है।

अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते डाली गई ऋण राशि

2841. श्री राम कृपाल यादव :

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राष्ट्रीय बैंकों द्वारा ऐसा कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया जिसे शोध्य ऋण के रूप में दर्शाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की निगरानी तथा ऋण की पुनर्अदायगी के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा बैंकिंग सुपरवाइजरी बोर्ड गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो इन निकायों को कब गठित किया जाएगा;

(घ) क्या इन निकायों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्ष 1995-96 के लिए अनुपयोज्य आस्तियों के अद्यतन आंकड़ों की राशि 28366.04 करोड़ रुपए बैठती है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल अग्रिमों का 19.52% है।

(ख) से (ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार, 8 ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बैंकों में अनियमितताओं की निगरानी और ऋणों की वापसी अदायगी के लिए ऐसा कोई बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (बी॰ एफ॰ एस॰) विनियन, 1994 के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा 16 नवम्बर, 1994 को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बी॰ एफ॰ एस॰) का गठन किया गया है। बी॰ एफ॰ एस॰ का प्राथमिक कार्य वित्तीय क्षेत्र, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और बैंकों की अनुषंगियों जैसे पैरा-बैंकिंग संगठन सम्मिलित हैं का पर्यवेक्षण करना है।

विवरण

ऋण वसूली अधिकरण के ब्यौरे

स्थान	स्थापना की तारीख	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1. अहमदाबाद	21.12.1994	गुजरात और संघ शासित क्षेत्र, दादरा, नगर हवेली, दमन व दीव
2. बंगलौर	30.11.1994	कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
3. कलकत्ता	27.04.1994	पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
4. दिल्ली	05.07.1994	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
5. जयपुर	22.08.1994	हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ व राजस्थान
6. चेन्नई	01.11.1996	तमिलनाडु, केरल और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी
7. गुवाहाटी	07.01.1997	असम राज्य, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड
8. पटना	24.01.1997	बिहार राज्य और उड़ीसा

मुंबई में एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई।

'हॉट रोल्ड क्वायल्स' पर आयात शुल्क में छूट

2842. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1997 को एशियन एज में "इस्सार स्टील प्ली आन ड्यूटीज विन्स फेवर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'हॉट रोल्ड क्वायल्स' पर से आयात शुल्क में छूट देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) 'हॉट रोल्ड क्वायल्स' पर प्रति-पाटन शुल्क लगाने के लिए मैसर्स इस्सार स्टील लि॰ की याचिका, वाणिज्य मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जहां तक 'हॉट रोल्ड क्वायल्स' पर सीमा शुल्क का संबंध है, इसे 1997 के बजट में 30% से घटाकर 25% कर दिया गया था। फिलहाल, इस शुल्क ढांचे में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश को एशियाई विकास बैंक की सहायता

2843. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इन परियोजनओं को ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में वर्ष 1996-97 के दौरान भी एशियाई विकास

बैंक की सहायता से कोई कार्य किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा 30 अक्टूबर, 1990 को द्वितीय सड़क सुधार परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 31.318 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1996-97 के दौरान 38.29 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत शेष कार्य को 30 जून, 1998 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

उपर्युक्त परियोजना के अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक द्वारा केन्द्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र की सहायता प्राप्त परियोजनाएं जैसे सड़क सुधार परियोजना, द्वितीय रेलवे परियोजना ऊंचाहार तापीय विद्युत परियोजना भी है जिनमें उत्तर प्रदेश लाभभोगी राज्य है।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

2844. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्य-वार विभिन्न राज्यों में लगी लोक अदालतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लोक अदालतों में राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने मामले निपटाये गये;

(ग) इन अदालतों में किस तरह के मामले लाये गये तथा उन्हें किस प्रकार निपटाया गया;

(घ) क्या सरकार इन अदालतों को अधिक कारगर बनाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी लोक अदालतें लगाये जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सामान्यतया सिविल राजस्व और दांडिक विवाद, जो शमनीय है, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, भूमि भू-पट्टा, वन्यभूमि, के नामांतरण, बंधुवा, मजदूर, भूमि अर्जन, विवाह विषयक और कुटुंब विवाद तथा बैंक ऋण से संबंधित मामले लोक अदालतों में फाइल किए जा रहे हैं। इन विवादों को सुलहकारी और समझाने के तरीकों से विवाद के दोनों पक्षकारों के समाधानप्रद रूप में निपटाया जाता है।

(घ) और (ङ) लोक अदालतों को, यथा संशोधित, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन से 9 नवम्बर, 1995 से कानूनी आधार दिया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन, लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश है और लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षों पर आबद्धकर है तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती।

(च) लोक अदालतें, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर, देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जा रही हैं। हाल ही में विधि मंत्रियों के सम्मेलन में 15 अगस्त, 1997 से 15 अगस्त, 1998 तक अत्यधिक लोक अदालतें आयोजित करने का विनिश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

रुपये का मूल्य

2845. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉलर तथा विश्व की अन्य मुद्राओं के साथ में रुपये की समानता में काफी अंतर आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सम्पूर्ण स्थिति का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका की समीक्षा करना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया विगत लगभग एक वर्ष से अब तक युक्ति युक्त रूप से स्थिर बना हुआ है। अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त रुपए और अन्य किसी करेंसी के बीच विनिमय दरों में घट-बढ़ मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में करेंसी के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ घरेलू अर्थव्यवस्था में वृहत मांग और आपूर्ति स्थितियों को प्रतिबिम्बित करती है।

(ख) और (ग) विनिमय दर घटना चक्र पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा लगातार निगाह रखी जाती है। सुव्यवस्थित बाजार दशाओं को बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुपए की विनिमय दर आर्थिक मूलाधारों के अनुरूप बनी रहे, जब कभी आवश्यक हो, उपाय किये जाते हैं।

(घ) से (च) विगत वर्षों के दौरान भा० रि० बैंक द्वारा विनिमय दर का प्रबंधन बहुत सफल रहा है। इस संबंध में भा० रि० बैंक की भूमिका की किसी समीक्षा की इस स्थिति में जरूरत नहीं है।

लाभांश इत्यादि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र

2846. श्री तरित वरण तोपदार :

डॉ० असीम बाला :

श्री रामचन्द्र डोम :

प्रो० जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 1994 में बैंकों को लाभांश वारंट तथा धन वापसी आदेशों के भुगतान हेतु कंपनियों को दी गई "ऐट पार" सुविधाओं के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने बैंकों ने उक्त परिपत्र का अनुपालन किया है;

(ग) अन्य बैंकों द्वारा उक्त परिपत्र का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय स्टेट बैंक के कुछ अधिकारियों ने सी० आर० बी० ग्रुप को "एनकेशमेंट ऐट पार" सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दे दी जिससे बहुत ही कम समय में बैंक के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है;

(ङ) क्या इन अधिकारियों पर मंत्रालय के एकल निदेश निवेध नीति लागू होती है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकारी महकमे के भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के लिए ही प्रभावी उक्त नीति को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1994 में "सममूल्य" पर सुविधाओं के बारे में बैंकों को कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7.6.1994 को सावधानी संबंधी गुप्त सलाह (सीक्रेट काशन एडवाइस) जारी की थी जो 1994 में एक बैंक द्वारा सूचित की गई एक ऐसी धोखाधड़ी के आधार पर सभी वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को संबोधित थी, जिसमें एक बैंक को जिसे दो कंपनियों द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक निर्गम के संबंध में वापसी बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया था, ने सममूल्य पर सुविधाएं मंजूर की थी और कंपनियों ने सहमत हुई अथवा बैंक के साथ जमा की गई राशि से अधिक के वापसी आदेश जारी किये थे जिसका परिणाम ये हुआ कि खाते से काफी अधिक राशि आहरित की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की सावधानी संबंधी सलाह में कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया था और उसमें वर्णित कंपनियों से सावधान किया गया था। उसमें "सममूल्य" पर सुविधा से संबंधित विस्तृत मार्गनिर्देश अंतर्विष्ट नहीं थे।

(घ) सी० आर० बी० कैपिटल मार्किट्स लि० (सी० आर० बी० सी० एम० एल०) ने भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई मुख्य शाखा के अपने खाते से ब्याज वारंटों के भुगतान, जमाराशि धन वापसी और दलाली वारंटों से 58 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की धोखाधड़ीपूर्वक निकासी की थी।

(ङ) और (च) भारतीय स्टेट बैंक ने सभी स्तरों पर कार्रवाई प्रारंभ की है और तीन अधिकारियों को निलंबित किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी मई 1997 में एक मामला दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक के कोई भी अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए एकल निदेश (सिंगल डायरेक्टिव) में कवर नहीं होते हैं।

चर्मकारों को प्रशिक्षण

2847. डॉ० असीम बाला : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोचियों और चर्मकारों को देश में नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने चमड़ा प्रशिक्षण और सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से कार्यान्वित किये जा रहे राष्ट्रीय चर्म विकास कार्यक्रम के तहत फुटवेयर क्षेत्र और कारीगरों के प्रौद्योगिकी उन्नयन व प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, फुटवेयर डिजाइन तथा विकास संस्थान, केन्द्रीय फुटवेयर प्रशिक्षण केन्द्रों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय चर्म उत्पाद संस्थान और राज्य सरकारों में निर्धारित अनेक नामोद्दिष्ट एजेंसियों सहित अनेक कार्यान्वयन एजेंसियों ने मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय चर्म विकास कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। वर्ष 1997-98 में, कार्यक्रम का बल पूर्णत: कारीगर क्षेत्र में सुधार लाने तथा असंगठित और संगठित क्षेत्र में संपर्क कायम करने पर है।

[हिन्दी]

मेन्धाल आयल का निर्यात

2848. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कितने मेन्थाल और मेन्थाल तेल का निर्यात किया गया;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) सरकार ने 1997-98 के दौरान मेन्थाल और इसके तेल का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मेन्थाल की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

	मात्रा टनों में	मेन्थाल मूल्य करोड़ रुपये में
1994-94	710.25	25.06
1995-96	1109.83	64.79
अप्रैल 96-नवम्बर "96	1332.23	118.86

(स्रोत : डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एंड एस॰)

निर्यात और आयात मदों के आई॰ टी॰ सी॰ (एच॰ एस॰) वर्गीकरण में जिसके आधार पर डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एंड एस॰ निर्यात आंकड़े रखता है अलग से वर्गीकृत नहीं किया है इसलिए निर्यातित मेन्थाल तेल की मात्रा उपलब्ध नहीं है। तथापि, जापानी मिंट ऑयल (एक्स-मैन्था आरपेसिस) पिपरमिंट ऑयल (एक्स मैन्था पाइपरीटा) डीमैन्थोलाइज्ड जापानी मिंट ऑयल (एक्स मैन्था आरवेंसिज) (स्पियरमिंट ऑयल) (एक्स मैन्था स्पाइकेटा) वाटरमिंट ऑयल (एक्स मैन्था एक्वाटिक) होर्समिंट ऑयल (एक्स मैन्था सिलवेस्ट्रीज) तथा बैगमिंट ऑयल (एक्स-मैन्था साइट्रेट) के निर्यात आंकड़े तथा इनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु॰ में
1994-95	1338.42	37.69
1995-96	1256.18	44.82
अप्रैल "96-नवम्बर" 96	1556.56	73.13

संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एंड एस॰ का प्रकाशन "स्टैटिस्टिक्स ऑफ दी फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया वाई कंट्रीज" इन निर्यातों का देश-वार ब्यौरा देते हैं।

(ग) निर्यातों से संबंधित समस्याओं को पहचानने तथा उन्हें हल करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत के साथ परस्पर विचार-विमर्श जारी रखना, तथा विशेषीकृत व्यापार मेलों प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में सहभागिता के लिए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से निर्यातक समुदाय को बाजार विकास सहायता देना निर्यात को बढ़ाने के सतत् प्रयासों का एक भाग है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2849. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों/उपक्रमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक पद-वार कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पद-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय/उपक्रमों में इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) आरक्षित पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है और इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी अधिवक्ता तथा परामर्शदाता फर्म

2850. श्री बलाई चन्द्र राय :

श्री हाराधन राय :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी अधिवक्ताओं तथा परामर्शदाता फर्मों को भारत में वकालत करने, अपना कार्य करने की सुविधा प्रदान करने हेतु कानून में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हीरों का निर्यात

2851. श्री वी॰ एल॰ शंकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 की प्रथम तिमाही में हीरों के निर्यात में और भी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हुई विदेशी मुद्रा ही हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) हीरों के निर्यात में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान हीरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून, 1997 तिमाही में हीरे के निर्यात में मंदी पिछली तिमाही से कम रही है।

(ख) अप्रैल-जून, 1997 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

	मूल्य मिलियन यू० एस० डॉलर में	
	1997	1996
हीरों का निर्यात	870.51	931.16

स्रोत : जी० जे० ई० पी० सी०

(ग) हीरों के निर्यात में गिरावट मुख्यतः निम्न के कारण थी:

(i) जापान, यू० एस० ए० तथा यूरोप सहित प्रमुख बाजारों में तराशे तथा पोलिश किए गए हीरों तथा जड़ाऊ आभूषणों की मांग में मंदी,

(ii) अत्यधिक सम्पत्ति इकट्ठा करना जिसके परिणामस्वरूप लाभ में कमी, और

(iii) लदान-पश्चात् ऋण पर अपेक्षाकृत उच्च ब्याज तुलनात्मक दर जिससे भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आना।

(घ) हाल ही में सरकार ने देश में हीरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाए किए हैं, जिनमें शामिल हैं :

(i) लादान-पश्चात् रुपये निर्यात ऋण पर 26 जून 1997 से ब्याज दरों में कमी करना,

(ii) अपरिष्कृत हीरों के निर्यात पर 100% प्रतिपूर्ति करना

(iii) छोटे निर्माताओं तथा निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तृतीय पार्टी निर्यातों की अनुमति दे दी गई है, और

(iv) अधिकांश लाइसेंसधारकों को किसी भी स्रोत से अपरिष्कृत हीरों का आयात करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट

2852. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री सुरेश कलमाड़ी :

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन :

श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

श्री सुरेश प्रभु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन नोटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सरकार ने उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को आरंभ करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

चीन के साथ व्यापार समझौते

2853. श्री नन्द कुमार साय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और भारत के बीच व्यापार बढ़ानें संबंधी कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय भारत और चीन के बीच कितनी राशि का व्यापार किया जा रहा है; और

(घ) द्विपक्षीय व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) 15 अगस्त, 1984 को भारत और चीन जनवादी गणराज्य के बीच एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं : पारस्परिक परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करना, द्विपक्षीय व्यापार, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में होने वाले व्यापार लेन-देन का संवर्धन और विविधीकरण करना, अभिज्ञात मदों के व्यापार को सुकर बनाने के करार करना तथा नियमित द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना।

(ग) और (घ) डी० जी० सी० आई० एंड एस० द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-94 से चीन जनवादी गणराज्य को किए गए निर्यात तथा वहां से हुए कुल आयात निम्नानुसार हैं :

(लाख रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1993-94	85718.56	97235.44
1994-95	79971.57	236802.24
1995-96	109743.97	273283.82
1996-97	210648.80	264958.81

उपर्युक्त आंकड़े द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा तीव्र वृद्धि दर्शाते हैं। 1996 में चीनी राष्ट्रपति श्री जियांग जेमिन के भारत के दौरे के दौरान भारत और चीन 10 बिलियन यू. एस. डालर के व्यापार लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमत हुए। जिसे वर्ष 2000 तक प्राप्त किया जाएगा।

भारत में निवेश पर ए. एन. जैड. का दृष्टिकोण

2854. श्री दादा साहूराव परांजपे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व की प्रख्यात निवेश बैंकिंग संस्था ए. एन. जैड. निवेश बैंक ने यह कहा है कि अमरीकी निवेशकर्ता भारतीय सरकारी क्षेत्रीय संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं में दीर्घकालीन निवेश करने के इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार के क्या दृष्टिकोण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीकी कोयला उद्योग को भारत की सहायता

2855. श्री संतोष मोहन देव :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के कोयला उद्योग से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि उनकी खानों का भारत की सहायता से पुनरुद्धार किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

फटे-पुराने नोटों का निपटान

2856. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में नोटों की गड्डियों के निर्यात के लिए कोई योजना तैयार की है और सरकार ने इसके लिए नौ करोड़ रुपये मूल्य की मशीनों का आयात किया है;

(ख) क्या भारत में ऐसे कटे-फटे नोटों के निपटान के लिए बेहतर व्यवस्था न होने के कारण प्रतिवर्ष 4500 टन कटे-फटे नोट जलाए जाते हैं और अब इन कटे-फटे नोटों का प्रसंस्करण करके नोटों की गड्डी तैयार की जाएगी एवं आयातित मशीन 300 किलोग्राम नोटों के न केवल छोटे-छोटे टुकड़े करेगी अपितु इनसे नोटों की गड्डियां भी बनाएगी जिनका व्यावसायिक रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 15.38 करोड़ रुपए की लागत से मैले कुचैले/विरुपित नोटों को समाप्त करने के लिए नई दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई स्थित अपने कार्यालयों में आधुनिक मुद्रा विघटन और ब्रिकेटिंग व्यवस्था स्थापित की है। ब्रिकेट्स का निर्यात नहीं किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रत्येक वर्ष लगभग 5 बिलियन अनुपयुक्त नोटों को प्रचलन से बाहर किया जाता है। इसकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक के नकदी प्रसंस्करण केन्द्रों में वार्षिक रूप से 4500 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। बैंक ने अनुपयुक्त नोटों को समाप्त करने के लिए नई दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई में स्थित अपने कार्यालयों में आधुनिक मुद्रा विघटक और ब्रिकेटिंग व्यवस्था स्थापित की है। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य केन्द्रों में अनुपयुक्त नोटों को जलाकर नष्ट किया जाता है। आयातित व्यवस्था से प्रति-घण्टा 300 कि. ग्रा. बैंक नोट कागजों की कतरनें बनती हैं और उन कतरनों को ब्रिकेट्स के रूप में सम्पीड़ित किया जाता है। ब्रिकेट्स को पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित ढंग से समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारत यंत्र निगम लि.

2857. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत यंत्र निगम लि. की सहायक कंपनी, ब्रिज एंड रूफ कंपनी के पूंजीगत पुनर्संरचना की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिज एंड रूफ कंपनी को मुख्य कंपनी से अलग कर दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को इसकी धारक कंपनी भारत यंत्र निगम लि॰ से अलग करने का मुद्दा ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि॰ की वित्तीय पुनर्संरचना के प्रस्ताव पर विचार के दौरान उठा था। तथापि, सरकार द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

गुजरात को एशियाई विकास बैंक से सहायता

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने गुजरात की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 820 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्त प्रदान की जाने वाले परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी करार की क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने गुजरात सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबंध कार्यक्रम के लिए 18 नवंबर, 1996 को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। यह कार्यक्रम आधारभूत संरचना में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने हेतु बाजारोन्मुख नीतियों का संवर्धन करते समय, गुजरात सरकार को, घरेलू संसाधन जुटाने में वृद्धि करने, सार्वजनिक क्षेत्र के आबंटन एवं कार्यक्षमता में सुधार करने और वाणिज्यिक गतिविधियों में गुजरात सरकार की भूमिका को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। इस ऋण की निबंधन एवं शर्तें मानक एशियाई विकास बैंक साधारण पूंजीगत संसाधनों जैसी हैं तथा इसकी पुनर्अदायगी की अवधि तीन वर्ष की छूट अवधि सहित 15 वर्ष की है। इस ऋण का समापन दिसंबर, 1998 में होना निश्चित हुआ है।

केनरा बैंक में धोखाधड़ी

2859. श्री राम सागर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में केनरा बैंक की शाखाओं में करोड़ों रुपए की सुनियोजित धोखाधड़ी का पता लगाया है और इस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धोखाधड़ी में किसी भी प्रकार से संलिप्त पाए गए बैंक अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने, सांठ-गांठ करने, लापरवाही बरतने आदि संबंधित कानूनों के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उन्होंने बिहार में केनरा बैंक की भोरे शाखा और दरौधा शाखा में धोखाधड़ियों के दो मामले सितम्बर 1996 और दिसंबर, 1996 में दर्ज किए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापे मारे और केनरा बैंक के तीन कर्मचारियों सहित छः व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। केनरा बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने बैंक कर्मचारियों की मौन सहमति से बैंक की दरौधा शाखा और भोरे शाखा से 48 मांग ड्रॉफ्ट पर्चियां चुराई थीं। तत्पश्चात्, 20 मांग ड्रॉफ्टों को दुष्ट व्यक्तियों द्वारा बैंक की चार शाखाओं से धोखाधड़ी करके भुनाया गया जिनमें 100 लाख रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। दुष्टों ने बैंक के लेखा अनुभाग, मुंबई से भी 10 लाख रुपए की राशि के दो मांग ड्रॉफ्ट भुनाने के प्रयत्न किए थे। तथापि, यह धोखाधड़ी बचा ली गई। बैंक ने तीन कर्मचारियों को निलंबनाधीन रखा है। बैंक ने 22.30 लाख रुपए की राशि की वसूली की है।

(घ) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी तत्काल उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है :

	1994	1995	1996
(क) दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	50	33	46
(ख) छोटे/बड़े दंड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	1248	1160	1207
(ग) बर्खास्त/सेवा मुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	331

जमाराशि में वृद्धि

2860. श्री रमेश चेन्निथला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाराशि की वृद्धि में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1996-97 तथा मार्च 1997 तक जमाराशि वृद्धि के मुकाबले जमाराशि वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जमाराशि वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) पिछले वित्तीय वर्ष 1996-97 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 71,780 करोड़ रुपए (16.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि कुल बैंक ऋण में 24,386 करोड़ रुपए (9.6 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वित्तीय वर्ष में 18 जुलाई, 1997 तक कुल जमाराशियों में पिछले वित्तीय वर्ष में 19 जुलाई, 1996 तक 12,087 करोड़ रुपए (2.8 प्रतिशत) की तुलना में 15,688 करोड़ रुपए (3.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बैंक ऋण में पिछले वर्ष की समनुरूप अवधि में हुए 2,739 करोड़ रुपए (-1.1 प्रतिशत) के संकुचन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 18 जुलाई, 1997 तक 516 करोड़ रुपए (0.2 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई है। शेयरों, डिबेंचरों/बांडों और वाणिज्यिक पत्रों में किए गए बैंक निवेश, जिनसे भी उत्पादन और निवेश के लिए संसाधनों में बढ़ोत्तरी होती है, की राशि चालू वित्तीय वर्ष में 20 जून, 1997 तक 2,650 करोड़ रुपए है जो कि 1996-97 की समनुरूप अवधि में हुए केवल 1063 करोड़ रुपए के निवेश की तुलना में काफी अधिक है। 1996-97 में यह निवेश राशि 8075 करोड़ रुपए थी।

चालू वित्तीय वर्ष में अभी बैंक ऋण की कुछ हद तक धीमी गति के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक पूंजी बाजार में मंदी की प्रवृत्तियों, दूरदर्शी मानदंडों के अपनाने के कारण औद्योगिक वृद्धि में धीमा सुधार और व्यवस्थित सभायोजन को उत्तरदाई ठहराया जा सकता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण की वृद्धि का संवर्द्धन करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी प्रारक्षित अनुपात को 4 प्रातिशतांक बिंदु घटाकर 10 प्रतिशत किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए अपने ऋण नीति विवरण में बैंकों को प्रसार कम करके ब्याज दर को कम करने का प्रयास करने और स्थावर क्षेत्र की वृद्धि का समर्थन करने के लिए बैंक ऋण को पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 30 दिन और एक वर्ष तक की मरेलू सावधि जमाराशियों पर उच्चतम ब्याज दर को 2 प्रतिशतांक कम करके 8 प्रतिशत कर दिया गया है। छह महीने और एक साल तक की अवधि के अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते पर भी उच्चतम सीमा को 4 प्रतिशतांक कम करके 8 प्रतिशत कर दिया गया है। 90 दिन तक के लदान-पश्च निर्यात ऋण पर उच्चतम दर तथा 90 दिन के बाद तथा छह माह तक के ऐसे ऋणों पर भी ब्याज दर को प्रत्येक के संबंध में एक प्रतिशतांक कम कर दिया गया है। बैंकों को विद्यमान विवेकपूर्ण मार्गदर्शिकाओं और प्रकटन मानदंडों के भीतर अपने उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार दिया गया है। 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए संघ बनाने की बाध्यताओं को हटा दिया गया है। अप्रैल, 1997 से अधिकतर बैंकों की प्रमुख उधार दरों को वास्तव में एक से डेढ़ प्रतिशतांक कम कर दिया गया है।

विदेशी कंपनियों द्वारा बीमा क्षेत्र में व्यापार

2861. श्री के. परसुरामन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा बीमा व्यापार को सुनिश्चित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय व्यापारिक फर्मों के सहयोग से कुछ विदेशी व्यापारिक फर्मों द्वारा चेन्नई में करार पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) मौजूदा कानून के अंतर्गत, जीवन बीमा तथा साधारण बीमा कारोबार पर क्रमशः भारतीय जीवन बीमा निगम; भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार अनुषंगी कंपनियों का अनन्य विशेषाधिकार है।

(ग) और (घ) निजी पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित करारों में सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता सरकार के पास ऐसे करारों के संबंध में कोई सरकारी सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

नगरों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं द्वारा जमा की गई धनराशि

2862. प्रो. प्रेम सिंह चन्दू माजरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाओं में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1992 के अनुसार महानगरों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यरत बैंक शाखाओं की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों की शाखाएं ऋण प्रदान कर रही हैं तथा पैसा जमा करने के लिए समान दिशा निर्देशों का पालन करती है;

(घ) यदि हां, तो मार्च 1997 तक शहरों, नगरों और महानगरों में प्राप्त जमाराशि कुल जमाराशि का कितने प्रतिशत है; और

(ङ) मार्च, 1997 तक कुल ऋण में से इन शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण का प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च

1997 के अंत की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जनसंख्या समूह-वार शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :

जनसंख्या समूह	शाखाओं की संख्या
ग्रामीण	33024
अर्द्ध-शहरी	13652
शहरी	9194
महानगरीय	7509
कुल	63379

(ग) यही दिशा निर्देश, ऋण देने और जमाराशि स्वीकार करने के लिए, सभी बैंक शाखाओं पर लागू होते हैं।

(घ) और (ङ) मार्च 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जनसंख्या समूह-वार जमाराशि और ऋण का विवरण तथा उनका प्रतिशत शेयर नीचे दिया गया है :

(राशि लाख रुपए में)

जनसंख्या समूह	जमा राशि		ऋण	
	राशि	कुल राशि पर प्रतिशत शेयर	राशि	कुल राशि पर प्रतिशत शेयर
ग्रामीण	7251110	14.73	3237155	11.47
अर्द्ध-शहरी	9665784	19.63	3747817	13.28
शहरी	11029230	22.41	5129932	18.17
महानगरीय	21276629	43.23	16108756	57.08
कुल	49222743	100.00	28223660	100.00

[अनुवाद]

घटिया किस्म के बासमती चावल का निर्यात

2863. श्री जी॰ वेंकट स्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोपीय संघ से घटिया किस्म के बासमती अर्धोष्ण चावल का निर्यात किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने संबंधी मानदंड का निदेश अमरीकी लॉबी द्वारा दिया जा रहा है जो यूरोपीय संघ के बाजार में भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा से दूर रखना चाहते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को यूरोपीय संघ के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) यूरोपीय आयोग ने भारत सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि भारतीय बासमती चाव की गुणवत्ता कायम रखी जाए क्योंकि यूरोपीय संघ के बाजार में कुछ घटिया किस्म का अर्धोष्ण चावल पहुंच गया है।

(ग) से (ङ) यूरोपीय आयोग ने अनाज और चावल के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ पत्रों के आदान-प्रदान के रूप में किए गए एक करार के फलस्वरूप चावल पर कुछेक आयात शुल्कों का निर्धारण करने के लिए दिनांक 1.7.1997 से 1 वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए एक संचयी वसूली प्रणाली शुरू की है। भारत ने राजनयिक व्यवस्था के जरिये यूरोपीय संघ को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

व्यापार तथा निवेश प्रवाह में वृद्धि

2864. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार की नीति क्या है; और

(ख) विश्व में बड़े व्यापारिक ब्लॉकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) व्यापार के लिए और ज्यादा मुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाए किए गए हैं। वर्ष 1997-2002 को नई एक्जिम नीति में नीति और प्रक्रियाओं को काफी सबल बना दिया गया है, निर्यात क्षेत्र के कच्चे माल और निवेशों की उपलब्धता सुविधाजनक बनाने के लिए आयातों का क्रमिक रूप से उदारीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घरेलू उत्पादन आधार को विस्तृत एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है; व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश विशिष्ट प्रयास शुरू किए गए हैं; राज्य सरकारों की अपने निर्यात संवर्धन प्रयासों में मदद करने के लिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना लागू की गई है; विदेश में भारतीय उत्पादों की अच्छी छवि उत्पन्न करने के लिए भारत ब्राण्ड इक्विटी कोष का निर्माण किया गया है; निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों एवं व्यापार तथा उद्योग जगत के साथ पारस्परिक चर्चाएं की जाती हैं; निर्यात ऋण पर ब्याज दर में कमी की गई है तथा निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण के लिए एक अधिकार प्राप्त निर्यात संवर्धन बोर्ड स्थापित किया गया है।

निवेश की गति को बढ़ावा देने के लिए पृथक एफ॰ आई॰ आई॰/पृथक कंपनियों की कुल निर्गत पूंजी में एफ॰ आई॰ आई॰ के उप-लेखे को

बढ़ाकर 5% से 10% कर दिया गया जो कि कंपनी की निर्गत पूंजी में सभी एफ॰ आई॰ आई॰/एन॰ आर॰ आई॰/ओ॰ सी॰ बी॰ द्वारा किए गए सकल निवेश के 24% तक सीमित होने के अधीन होगा। 24% की सीमा को बढ़ाकर 30% तक किया गया है बशर्ते कि (क) कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त हो तथा (ख) कंपनी की सामान्य निकाय द्वारा 30% की बढ़ी हुई सीमा के बारे एक विशेष संकल्प पारित किया गया है। विश्व विद्यालय कोष, ट्रेक रिकार्ड वाले धर्मार्थ ट्रस्ट/सोसाइटी को शामिल कर एफ॰ आई॰ आई॰ को व्यापक आधार वाला बनाया गया है।

बुनियादी क्षेत्र में ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की भी एफ॰ आई॰ आई॰ की अनुमति दी गई है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ भारत ने हिन्द महासागर धुरी में सृजनात्मक भूमिका अदा की है जो हिन्द महासागर क्षेत्र में और ज्यादा नजदीकी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। साप्टा (दक्षिणी एशियाई अधिमानी व्यापार समझौता) का प्रचालन में आना इस दिशा में दूसरा कदम है और अब वर्ष 2001 तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साप्टा) प्राप्त करने का प्रस्ताव है। बैंककाक करार जिसका भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, एस्कैप के विकासशील सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास का संवर्द्धन व्यापार विस्तार की सतत् प्रक्रिया के जरिए करना चाहता है। जून, 1997 में शुरू की गई विस्ट-ई सी (बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड-आर्थिक सहयोग) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं स्थापित कर और परस्पर व्यापार रियायतें प्रदान कर और इन देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग बढ़ाना है।

विदेशी मुद्रा का भंडार

2865. श्री दत्ता मेघे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति वर्तमान समय में संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) 25 जुलाई, 1997 को भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार, स्वर्ण और एस॰ डी॰ आर॰ सहित 29.69 बिलियन अमरीकी डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर, जो 8 महीने से अधिक के आयात के समकक्ष है, संतोषजनक माना गया है। वृहत-अर्थव्यवस्था और संरचनात्मक सुधारों के जारी व्यापक कार्यक्रमों के परिणाम मिलने की संभावना है जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार सुविधाजनक स्तर पर बना रहेगा।

अनुसूचित जातियों को ऋण का भुगतान न करना

2866. डॉ॰ बलिराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला गाजियाबाद के सिंभावली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के खिलाफ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा इन लोगों के लिए स्वीकृत ऋण का इन्हें भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋणी व्यक्तियों को संबंधित विभागों से उस ऋण के पुनर्भुगतान की सूचना मिली है जिसका वास्तव में बैंक द्वारा उन्हें भुगतान नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठान का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवहन राजसहायता

2867. श्री केशव महन्त :

श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार और उद्योगवार दावा की गई तथा जारी की गई परिवहन राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजसहायता दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत राजसहायता के लिये दावों की प्रथमतया राज्य स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाती है तथा पात्र इकाइयों को राज्य सरकारों द्वारा वितरित की जाती है। उसकी प्रतिपूर्ति का दावा बाद में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 1997-98 (30 जून, 1997 तक) के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों को दी गई परिवहन राजसहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। शामिल उद्योगों में प्लाइवुड उद्योग, आटा मिल, स्टील फैब्रिकेशन, तेल तथा चावल मिलें आदि हैं।

(ख) और (ग) दावों के संबंध में जो राज सहायता सही पायी

जाती हैं उन्हें तुरंत राज्य सरकारों को रिलीज कर दिया जाता है। तथापि, जहां कहीं भी कतिपय कमियां ध्यान में आती हैं, राज्य सरकारों से उन्हें ठीक करने का अनुरोध किया जाता है तथा ऐसे मामलों में अपेक्षित ब्यौरों/स्पष्टीकरणों के प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् राज सहायता रिलीज की जाती है।

विवरण

परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष-वार दी गई राशि दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (30.6.97 तक)
असम	2217.90	3861.10	2091.89	1667.50
मणिपुर	128.70	—	—	—
त्रिपुरा	132.99	2.60	28.50	—
अरुणाचल प्रदेश	47.66	—	267.42	—
मेघालय	250.10	195.88	190.66	
नागालैण्ड	67.80	—	—	198.70
मिजोरम	272.32	405.30	—	—
योग :	3117.47	4464.88	2548.47	1866.20

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम

2868. श्री डी. पी. यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान प्रदान किए/प्रदान किये जाने वाले धन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान निगम की उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम नामक कोई निगम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा, चाय और चीनी का निर्यात

2869. श्री हरिकेश सहाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को कपड़ा, चाय और चीनी का निर्यात किया जा रहा है और इस निर्यात से सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है;

(ख) क्या भारत सरकार को इन वस्तुओं के निर्यात के बदले में कुछ सामान आयात करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं के निर्यात और आयात के लिए कितने वर्षों के लिए देशवार समझौता किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जोला बुल्ली रमैया): (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

विवरण

वस्तु का नाम	*वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात का मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	मुख्य आयातक
चाय	278.74	रूस, सी. आई. एस. देश, यू. के., जर्मनी, पोलैण्ड, यू. ए. ई., ईरान, मिश्र, जापान सऊदी अरब, इत्यादि।
चीनी तथा शीरा	295.75	पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, रूस, यूरोपीय संघ, तथा यू. एस. ए. इत्यादि
वस्त्र	7990.43	यूरोपीय संघ, यू. एस. ए., बंगलादेश, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, यू. ए. ई. कनाडा, स्विटजरलैंड इत्यादि

*स्रोत : डी. जी. सी. आई. एंड एस. आंकड़े

[अनुवाद]

न्यूनतम वैकल्पिक कर

2870. श्री प्रताप सिंह सैनी : क्या वित्त, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होल्डिंग कंपनी/निवेश कंपनी को अपनी अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त हुए उन लाभांशों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर देना होगा जिन पर आयकर अधिनियम में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार अनुषंगी कंपनियों ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने, कि होल्डिंग कंपनियों को एक बार घोषणाकर्ता कंपनियों के द्वारा दिए गए कर और दोबारा होल्डिंग कंपनियों द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर के रूप में दिए गए कर के रूप में लाभांशों पर दोबारा कर न देना पड़े के लिए एक समुचित विधान लाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 115-ग क के अंतर्गत आयकर अधिनियम के अध्याय-III में उल्लिखित आय, जिसमें अब लाभांशों के रूप में प्राप्त आय भी शामिल है, के संबंध में न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) में यथा-उल्लिखित कानून की स्थिति को देखते हुए किसी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली के बैंक कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

2871. श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1997 के "करंट न्यूज" में "सी॰ बी॰ आई॰ ने करोड़ों की जालसाजी पकड़ी, 4 गिरफ्तार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के अनेक मामले पकड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा बैंकों में भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि उन्होंने बिहार में केनरा बैंक की भोर शाखा और दरौधा शाखा में धोखाधड़ियों से संबंधित सितम्बर 96 और दिसम्बर 96 में दो मामले दर्ज किए हैं। सी॰ बी॰ आई॰ ने छापे मारे हैं और केनरा बैंक के तीन कर्मचारियों सहित छः व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। केनरा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बैंक कर्मचारियों की सांठ-गांठ से कुछ शरारती तत्वों ने बैंक की दरौधा शाखा और भोर शाखा से डिमांड ड्रॉफ्ट की 48 पर्चियां चुरा ली थीं। तदनंतर इन शरारती तत्वों द्वारा इस बैंक की चार शाखाओं से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से 20 डिमांड ड्रॉफ्ट भुना लिए गए जिनमें 100 लाख रु॰ की राशि अंतर्ग्रस्त थी। इन शरारती तत्वों ने बैंक के लेखा अनुभाग, मुंबई से 10 लाख रु॰ की राशि के दो डिमांड ड्रॉफ्ट भुनाने का भी प्रयास किया। तथापि, यह धोखाधड़ी बचा ली गई थी। बैंक ने तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बैंक द्वारा 22.30 लाख रु॰ की राशि वसूल कर ली गई है।

(ग) से (ङ) जहां कहीं आरंभिक जांच के बाद यह पता चलता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य के लिए कार्य किया था या ऐसा करने से विरत रहा था, वहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग उपयुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी को संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की जाने वाली उपयुक्त कार्रवाई के बारे में सलाह देता है। ऐसे किसी लेन-देन जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी पर यह संदेह या आरोप होता है कि उसने अनुचित उद्देश्य के लिए या भ्रष्ट तरीके से कार्य किया है या ऐसी किसी शिकायत, कि किसी सरकारी कर्मचारी ने अनुचित या भ्रष्ट अभिप्राय/प्रयोजन के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था या प्रयोग करने से बचा लिया गया था या किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से होने वाले दुराचार या सत्यनिष्ठा की कमी या किसी कदाचार या अपराध की शिकायत की भी यह जांच करवा सकता है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास सतर्कता तंत्र है जिसका संचालन मुख्य सतर्कता आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है।

यह सतर्कता तंत्र निवारक तथा पता लगाने संबंधी उपाय करने के लिए उत्तरदायी है ताकि बैंक कर्मियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ियों और भ्रष्ट तरीकों को रोका जा सके।

तत्काल उपलब्ध सूचनानुसार, वर्ष 1994, 1995 और 1996 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों की संख्या क्रमशः 2266, 1890 और 1954 है।

बैंकों ने पहले से ही ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी और संवितरणों के लिए विभिन्न प्रणालियां, नियम, मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित कर रखी हैं जिन्हें विभिन्न स्तरों पर उधार देने की शक्तियों और विवेकाधीन प्राधिकार का उपयोग करने संबंधी स्पष्ट और निश्चित मार्गनिर्देश निर्धारित करने के अतिरिक्त विभिन्न अनुदेशों के माध्यम से संपूरित भी किया जाता है। उधार देने की विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का प्रभावी पर्यवेक्षण करने और उस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के नियमित और अल्पावधि निरीक्षण/लेखा परीक्षा की प्रणाली भी है।

पैराजिनामाइड का मूल्य

2872. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान आयातित पैराजिनामाइड का प्रति किलो मूल्य मुंबई पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् क्या होता है;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान 2-कायनोपाराजिन ने आयात के पश्चात् प्रति किलो पैराजिनामाइड का मूल्य पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् क्या होता है;

(ग) क्या सी॰ बी॰ डी॰ 2-कायनोपाराजिन की बजाए पैराजिनामाइड पर लगाया गया है जिससे अंतिम उत्पाद पैराजिनामाइड का आयात करना पड़ता है तथा इससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गत तीन महीनों के दौरान आयातित पैराजिनामाइड का उतराई मूल्य मुंबई पत्तन पर पहुंचने के बाद 2200/-रू॰ प्रति किलोग्राम रहा है।

(ख) गत तीन महीनों के दौरान आयातित, 2-काइनोपाइराजीन का उतराई मूल्य लगभग 2008/- रुपये प्रति किलोग्राम रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की शर्तों के अधीन 2-काइनोपाइराजीन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उद्ग्रहणीय है किंतु पैराजिनामाइड पर इससे छूट प्राप्त है। पैराजिनामाइड को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है और इस वजह से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से भी छूट प्राप्त है क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में तपेदिक रोधी औषधियों में प्रयुक्त किया जाता है। 2-काइनोपाइराजीन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट की बहाली के विषय पर रसायन और पैट्रोरसायन विभाग के परामर्श से इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

बड़े औद्योगिक घरानों से ऋण की वसूली

2873. श्री समीक लहिरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंकों की 62 हजार शाखाओं में 4.3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 72 प्रतिशत जमाराशि मध्यम वर्ग के परिवारों से इकट्ठी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 80 प्रतिशत जमाराशि का उपयोग बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाता है और वे नियमित रूप से ऋण अदा नहीं करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 15 बड़े औद्योगिक घरानों से देय ब्याज सहित बकाया धनराशि कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा उन घरानों से ऋण तथा ब्याज की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसे आंकड़े/सूचना प्राप्त नहीं होती।

(च) अतिदेय राशियों की वसूली करने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एन॰ पी॰ ए॰ में कमी लाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. आर॰ बी॰ आई॰ ने बैंकों को सलाह दी है कि वे ऋण वसूली नीति संबंधी दस्तावेज निदेशक मंडल द्वारा विधिवत संवीक्षा करवा कर तैयार करवाएं। नीति में देयताओं की वूसली का तरीका, कमी का लक्ष्यगत स्तर, अनुज्ञेय घाटे/छूट आदि के मानदंड दिए जाते हैं।

2. न्यूनतम खर्चों पर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए वार्ता समझौतों के माध्यम से समझौते/बट्टे खातों के माध्यम से एन॰ पी॰ ए॰ में कमी।

3. प्रधान कार्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करना और एन॰ पी॰ ए॰ में कमी लाने के लिए शाखा-वार लक्ष्य नियत करना। वसूली के लिए शाखाओं के कार्यनिष्पादन पर प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर निगरानी रखी जाए और निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर इसकी सूचना देते रहना। आर॰ बी॰ आई॰ एन॰ पी॰ ए॰ में कमी लाने के कार्य पर भी निगरानी रखता है।

4. कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, गुवाहटी और पटना में वसूली अधिकरणों की स्थापना और मुंबई में एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना।

5. एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की बकाया राशियों वाले चूककर्ताओं/वाद-दाखिल खातों की सूची का समेकन और परिचालन।

6. स्टॉफ का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में विद्यमान प्रणाली के विशिष्ट संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 300 एन॰ पी॰ ए॰ की समीक्षा।

वातित जल पर उत्पाद शुल्क

2874. श्री प्रताप सिंह सैनी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न पैकेजों पर भारत में वातित जल पर लगाए गए उत्पाद शुल्क की दर क्या है;

(ख) श्रीलंका, बंगलादेश, सिंगापुर, थाइलैंड और फिलीपिन्स में समान पैकेजों में वातित जल पर लगाए गए उत्पाद शुल्क की दर क्या है; और

(ग) हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में वातित जल के अंतिम विक्रय मूल्य पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और चुंगी/प्रवेश कर कुल कितना होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सभी प्रकार के पैकेजों में वातित जल पर मूल्यानुसार 40% की दर से उत्पाद शुल्क लगता है।

(ख) श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर, थाइलैंड और फिलीपीन में वातित जल पर लागू उत्पाद शुल्क की दरों के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है।

(ग) बिक्री कर की दरें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं और जहां तक प्रवेश कर और चुंगी कर का संबंध है यह राज्य के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग-अलग होता है। वातित जल का अंतिम मूल्य भी एक-समान नहीं होता है और इसमें भिन्नता होती है। अत: अंतिम बिक्री मूल्य में उत्पाद शुल्क, बिक्री कर चुंगी और प्रवेश कर के कुल हिस्से को बताना संभव नहीं होगा।

सामाजिक सेवाओं पर प्रतिव्यक्ति व्यय

2875. श्री समीक लहिरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर वर्ष-वार प्रतिव्यक्ति कितना धन खर्च हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य-वार तथा अखिल भारत के लिए सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य	चालू कीमतों पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	56	115	180
2.	अरुणाचल प्रदेश	67	92	100
3.	असम	32	47	53
4.	बिहार	39	33	54
5.	गोआ	78	82	87
6.	गुजरात	57	64	48
7.	हरियाणा	106	107	146
8.	हिमाचल प्रदेश	103	102	133
9.	जम्मू व कश्मीर	69	62	70
10.	कर्नाटक	121	145	142
11.	केरल	77	89	83
12.	मध्य प्रदेश	36	39	48
13.	महाराष्ट्र	42	41	50
14.	मणिपुर	150	144	110
15.	मेघालय	68	88	84
16.	मिजोरम	301	319	484
17.	नागालैण्ड	91	171	151
18.	उड़ीसा	65	72	78
19.	पंजाब	64	58	59
20.	राजस्थान	49	55	61
21.	सिक्किम	63	131	1910
22.	तमिलनाडु	218	178	210
23.	त्रिपुरा	202	194	219
24.	उत्तर प्रदेश	35	47	51
25.	पश्चिम बंगाल	34	40	43
26.	दिल्ली@		51	59
27.	पांडिचेरी	191	188	271
	अखिल भारत	69	79	94

@ 1993-94 वितीय वर्ष से दिल्ली में विधान सभा है।

मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात

2876. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्यात सेवाओं और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के बढ़ाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) और (ख) सरकार मूल्य वर्धित उत्पादों तथा सेवाओं सहित सभी उत्पादों/वस्तुओं, के निर्यात को प्रोत्साहित करती है। मूल्य-वर्धित उत्पादों जैसे रत्न तथा आभूषण, प्रसंस्कृत खाद्य, इत्यादि के निर्यातों पर जोर दिया जा रहा है।

(ग) देश से सेवाओं और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत उपाय और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सेवाओं के निर्यातों के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है; सेवाओं के निर्यातों से

प्राप्ति लाभों के एक भाग पर कर में छूट भी उपलब्ध है। साफ्टवेयर सेवा निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर के 80 एच॰ एच॰ ई/ओ॰ प्रावधान के तहत लाभों पर लगने वाले करों पर छूट भी प्रदान की जा रही है। निर्यात संसाधन क्षेत्र योजना के तहत डाटा सम्प्रेषण सहित किसी भी किस्म के साफ्टवेयर की डी॰ टी॰ ए॰ बिक्री की अनुमति उत्पादन के 25% तक दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक्जिम नीति में निर्यात संवर्धन योजनाएं जैसे ई॰ पी॰ जेड॰/ई॰ ओ॰ यू॰ योजना, शुल्क छूट योजना इत्यादि मूल्य वर्धन के संबंध में शर्त लगाती है जो देश से मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है।

सेवा निर्यातों के संवर्धन सहित निर्यात संवर्धन एक सतत्-प्रक्रिया है और सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग जगत के विचार-विमर्श करके निर्यात संवर्धन करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

लघु बचत योजना के अंतर्गत राज्यों को ऋण

2877. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार लघु बचतों की वसूली से राज्यों को ऋण उपलब्ध कराती है और एक वर्ष में ऋण की राशि वर्ष में कुल वसूली का 75 प्रतिशत होती है; और

(ख) 75 प्रतिशत राशि का क्या औचित्य है और इसे 90 प्रतिशत तक क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता जबकि संपूर्ण धन जनता का है और राज्य ऋणों के पुनर्भुगतान में दोषी नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 5-वर्षीय ऋण स्थगन अवधि वाले 25 वर्ष के ऋण के रूप में लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारें निवल संग्रहण के 75 प्रतिशत की हकदार हैं। संग्रहण की प्रचालनात्मक लागत के साथ-साथ इन योजनाओं पर कर संबंधी आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए राज्यों के हिस्से का 90 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड की दूसरी रिपोर्ट

2878. श्री चिंतामन वानगा :

श्री अनन्त गुडे :

श्री नारायण आठवले :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड की दूसरी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रुग्ण घोषित की गई कंपनियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनियों द्वारा कुल कितना घाटा उठाया गया; और

(घ) औद्योगिक रुग्णता की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रस्तावित योजना और विभिन्न उद्योगों विशेषकर महाराष्ट्र के लिए तैयार की गई नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.12.1996 तक बोर्ड के पास 1853 मामले पंजीकृत थे जिनमें से 61 मामले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के थे और 84 राज्य सरकार के उपक्रमों के थे। बाइफर ने 593 पुनर्वास योजनाओं की स्वीकृति दी जिनमें से 162 योजनाएं क्रियान्वित की गई और जिन कंपनियों को बाइफर के सीमा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, उनकी शुद्ध निवल संपत्ति सकारात्मक हो गई। 496 कंपनियों को बन्द करने की सिफारिश की गई। बाइफर ने वर्ष 1996 के दौरान 275 मामलों का निपटान किया।

(ग) 31.12.1996 तक बाइफर में दर्ज 1853 मामलों में से 406 मामले रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम (सीका), 1985 के अन्तर्गत रख-रखाव योग्य न जानते हुए उन्हें रद्द कर दिये और शेष 1447 कंपनियों को रुग्ण घोषित कर दिया गया। बाइफर के पास पंजीकरण के समय इन कंपनियों ने अपनी कुल संचित हानियां 23793.34 करोड़ रुपए बतलाई। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) बाइफर के पास पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के बारे में सीका के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है। 31.12.1995 तक महाराष्ट्र राज्य से 290 कंपनियां बाइफर के पास पंजीकृत की गईं। इसमें से 111 कंपनियों के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की गई और 75 कंपनियों को बन्द करने की सिफारिश की गई।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने मौजूदा सीका के स्थान पर संसद में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक नामक एक विधेयक प्रवर्तित किया है।

विवरण

सीका, 1985 के उपबंधों के अधीन रुग्ण घोषित की गई कंपनियों द्वारा सूचित 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार संचित हानियां

	रुग्ण घोषित की गई कंपनियां	संचित हानियां (करोड़ रुपए)
1. आन्ध्र प्रदेश	182	1814.07
2. असम	4	1522.94
3. बिहार	44	3774.12
4. चंडीगढ़	2	2.49
5. दादरा व नगर हवेली	2	2.49
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8	242.60
7. गोवा	3	13.84
8. गुजरात	127	1391.99
9. हरियाणा	46	754.03
10. हिमाचल प्रदेश	24	83.98
11. जम्मू व कश्मीर	6	63.17
12. कर्नाटक	91	947.66
13. केरल	45	475.36
14. मणिपुर	1	9.87
15. मध्य प्रदेश	82	665.55
16. महाराष्ट्र	231	2393.11
17. उड़ीसा	31	340.65
18. पांडिचेरी	7	44.19
19. पंजाब	46	338.26
20. राजस्थान	65	269.16
21. तमिलनाडु	112	1663.81
22. उत्तर प्रदेश	144	3195.65
23. पश्चिम बंगाल	144	3784.35
कुल	1447	23793.34

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा भारत से झींगा के आयात पर प्रतिबंध

2879. श्री ईश्वर प्रसन्न हजारिका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत से झींगे की कुछ किस्मों के आयात करने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में ऐसी रोक को चुनौती दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। यू. एस. ए. ने भारत सहित कई देशों पर श्रिम्प अथवा श्रिम्प से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है जो कि ऐसी वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिकी से उपजाए जाते हैं जिससे यू. एस. सार्वजनिक कानून 101-162 के तहत समुद्री कछुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) और (घ) चूंकि विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान (डी एस यू) को शामिल करने वाले नियमों और कार्य विधियों संबंधी समझौतों के तहत जैसी कि व्यवस्था की गई है इस मामले को विचार विमर्श के जरिए नहीं सुलझाया जा सका इसलिए भारत ने विश्व व्यापार संगठन में एक विवाद निपटान पैनल की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है। इस समय यह पैनल भारत सहित अन्य कई देशों द्वारा की गई शिकायतों की जांच कर रहा है।

अपराह्न 12.0 1/2 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय सलाहकार परिषद् प्रक्रिया संबंधी (संशोधन) नियम, 1997 से संबंधित अधिसूचना

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय सरकार परिषद् प्रक्रिया संबंधी (संशोधन) नियम, 1997 जो 2 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 298(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) संशोधन नियम, 1997 जो 2 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 299(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2296/97]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ, के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2297/97]

31 मार्च, 1996 अादि को समाप्त हुए वर्ष के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :—

(एक) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुर्निया, बिहार।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2298/97]

(दो) बालासौर ग्रामीण बैंक, बालासौर, उड़ीसा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2299/97]

(तीन) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा, उत्तर प्रदेश।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2300/97]

(चार) अवध ग्रामीण बैंक, हरदोई, उत्तर प्रदेश।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2301/97]

(पांच) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2302/97]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बैंक ऑफ बड़ोदा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2303/97]

(दो) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2304/97]

(तीन) केनरा बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2305/97]

(चार) देना बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2306/97]

(पांच) ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2307/97]

(छह) विजया बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2308/97]

(3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2309/97]

वर्ष 1994-95 के लिये राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2310/97]

रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2311/97]

(3) (एक) काफी बोर्ड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2312/97]

15 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 388(अ) में प्रकाशित लागत लेखा विधि अभिलेख (चीनी) नियम

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा विधि अभिलेख (चीनी) नियम, 1997 जो 15 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 388(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2313/97]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 235(अ) जो 29 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वातित जल, जो साधारणत: शीतल पेय के नाम से जाने जाते हैं, पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने के प्रयोजनार्थ संशोधित टैरिफ मूल्य विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 236(अ) जो 29 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जनवरी, 1995 की अधिसूचना संख्या 2/95 के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 241(अ) जो 3 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कारखाने में उत्पादित तथा प्रयोग की गई भाप को सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 252(अ) जो 9 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयुर्वेदिक/यूनानी और सिद्ध दवाइयों के विनिर्माण के लिए इनका उत्पादन करने वाले कारखाने के भीतर प्रयुक्त वेजीटेबिल सैपों और एक्सट्रेक्ट्स पर उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 321 (अ) जो 13 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय श्रेणी के माल को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करना है यदि उनका विनिर्माण खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी और ग्रामीण बोर्डों आदि द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत सहकारी समितियों, महिला समितियों, संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 342(अ) जो 25 जून, 1997 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 4/97-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰ का॰ नि॰ 353(अ) जो 27 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद शुल्क माल को घरेलू खपत के लिए उन पर उद्ग्रहणीय उतने सामान्य उत्पाद शुल्क से, जितना अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका में विनिर्दिष्ट दर से संगठित रकम से अधिक है, छूट निकासी प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰ का॰ नि॰ 354(अ) जो 30 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें विनिर्दिष्ट कतिपय अधिसूचना में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰ का॰ नि॰ 368(अ) जो 7 जुलाई, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जुलाई, 1995 को अधिसूचना संख्या 1/95-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰ का॰ नि॰ 327(अ) जो 17 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह उपबंध करना है कि संगत समय में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार बिना ब्रांड नाम वाले चबाने के तम्बाकू और जिसे ब्रांड नाम वाले चबाने के तम्बाकू के विनिर्माण में कारखाना माल रूप से प्रयुक्त किया जाता है पर न लगाए जा रहे उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का 1 मार्च, 1994 से आरंभ होने वाली और 7 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2314/97]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 233(अ) जो 29 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97-सी॰ शु॰ में संशोधन करना है ताकि मोटर स्पिरिट से चलने वाले वाहनों को प्रोपेन से चलने वाले वाहनों में बदलने के लिए अपेक्षित किट को शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 269(अ) जो 21 मई, 1997 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 275(अ) जो 26 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड को अतिरिक्त सीमा शुल्क की उतनी राशि से छूट देना है जो तेल उद्योग अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रदेश में उत्पादित पेट्रोलियम क्रूड पर उद्ग्रहणीय उपकर के बराबर हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 300(अ) जो 2 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 301(अ) जो 3 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक्सटर्नल सिलिकोन ब्रेस्ट प्रोस्थीसिस पर मूल्यानुसार 10 प्रतशत की दर से मूल सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 1997, जो 5 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा॰ का॰ नि॰ 308(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2315/97]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा(7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 234(अ) जो 29 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्यातकों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका से बिस्फेनोल-ए के भारत में आयात पर डम्पिंग रोधी शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2316/97]

(5) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम 1997 जो 27 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 350(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰ आ॰ 503(अ) जो 16 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 27 के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के संबंध में लघु मात्रा की मात्रा विनिर्दिष्ट की गई है।

(तीन) का॰ आ॰ 527(अ) जो 23 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 27 के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए उसमें उल्लिखित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के संबंध में "लघु मात्रा" विनिर्दिष्ट की गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2317/97]

अपराह्न 12.02 1/2 बजे

[हिन्दी]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

लेफ्टि॰ जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलनात्मक श्रेणियों के संदर्भ में सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों के वेतन-भत्तों, पेंशन और प्रास्थिति के मामलों में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित विसंगतियों के बारे में नौसेना फाउन्डेशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष वाइस एडमिरल (रिडायर्ड) आर॰ बी॰ शूरी, मेजर जनरल (रिडायर्ड) एस॰ सी॰ शूरी तथा अन्य के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 11 अगस्त, 1997 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. 1997-98 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर आगे चर्चा और मतदान।

3. आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।

4. सरकारी निवास-स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में सरकारी निवास-स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।

5. संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार और पारित करना।

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मेम्बर्स सेलरी का क्या हुआ ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न को बार-बार नहीं उठाइए। यह ठीक नहीं है। आप इस प्रश्न को बार-बार क्यों उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि ऐसी बातों को सभा पटल पर बार-बार उठाना चाहिए ? कोई सीमा भी होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदस्य मंत्री जी के पास जाकर बात कर सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, निम्न मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में पिछले सप्ताह हमने एक को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, अब आपको अवसर मिलना चाहिए। कृपया इसे पढ़िए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, निम्न मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

1. जवाहर रोजगार योजना आरम्भ करने के बाद देश में सामाजिक वानिकी की कम प्रगति पर चर्चा।

2. भारत की ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य का गिरता हुआ स्तर, विशेषकर कि सैक्स द्वारा संक्रमित बीमारियों के संबंध में चर्चा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अनुरोध समाप्त होने तक इन्तजार कर सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां, महोदय।

प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

(1) कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता और कृषकों को सस्ती दर पर जूट बेचने से बचाने के लिए उत्पादकों द्वारा जूट की खरीद के लिए भारतीय जूट निगम को और धन प्रदान करना।

(2) मालदाह, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और दार्जलिंग जैसे जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता चूंकि ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. राजधानी दिल्ली सहित देश में बड़ी संख्या में ऐसी बहुत-सी शिक्षण संस्थाएं हैं, जिन्होंने पी॰ एफ॰ का करोड़ों रुपया बैंकों में जमा किया हुआ है और वह शिक्षकों तथा कर्मचारियों की पी॰ एफ॰ की राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों की इस पी॰ एफ॰ की राशि का दुरुपयोग रोके जाने हेतु,

2. भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया है तथा सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। देश की निजी शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के नाम पर भारी पैसा कमा रही हैं। इन निजी शिक्षण संस्थाओं को लाभ हानि के संचालित किया जाना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दिलाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष जी, मेरे निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ने का कष्ट करें।

1. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रेलवे लाइन पर नई मंडी रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता।

2. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, पढ़ने से पहले मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय से न हटिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : जिस प्रकार से 377 का जवाब आता है, सबमिशन का भी एकनॉलिजमेंट मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। ...*(व्यवधान)* क्योंकि बिना उसके बोलने के बाद कोई अर्थ नहीं रहता है। ...*(व्यवधान)*

कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा हेतु सम्मिलित कर लें।

1. अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों के लिए गठित न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशें शीघ्र लागू करने की घोषणा की जाए।

2. बरेली (उ॰ प्र॰) में एयर-फोर्स के निकट सिविल हवाई पट्टी के निर्माण हेतु वायुसेना द्वारा स्वीकृति दी जाए।

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय सम्मिलित करें :

1. देश में ऊर्जा संकट की स्थिति है तथा मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन, मांग और पूर्ति के अनुरूप नहीं है। अतएव बिजली उत्पादन की परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जाए।

2. देश का कपड़ा उद्योग संकट की स्थिति में है। उज्जैन में एन॰ टी॰ सी॰ का हीरा मिल, एस॰ टी॰ सी॰ का इन्दौर टेक्सटाइल्स द्वारा विनोद, विमल मिलों ने उत्पादन बंद कर दिया है। इसके कारण हजारों कपड़ा मिल मजदूर बेरोजगार/बेकार हो गए हैं। अतएव कपड़ा मिलों को बचाने के कारगर उपाय किए जाएं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय और जोड़े जाएं।

1. राजस्थान में बिजली की स्थिति चिंताजनक है। वहां बिजली की अनुपलब्धता दुर्भाग्यपूर्ण है। केन्द्र सरकार गैस आधारित विद्युत गृहों के गैस मुहैया करवाती है। दुर्भाग्य है कि एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को द्वितीय चरण हेतु गैस मुहैया नहीं करवा रही है, जबकि बाद में निर्मित योजना के उन राज्य को गैस मुहैया करवा दी जिससे राज्य के सामने बिजली संकट बरकरार है।

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : जो लिखा है, वही पढ़ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : दोनों विषय अलग-अलग हैं जो लिखा है, वही पढ़ रहा हूं।

2. कोटा नगर में गैस अनुपलब्धता चिन्ता का विषय है। वर्षों से लोग प्रतीक्षा सूची में चल रहे हैं। अन्य कई राज्यों को प्राथमिकता से कुकिंग गैस कनेक्शन मुहैया किए गए हैं परंतु दुर्भाग्य से कुकिंग गैस कनेक्शन कई वर्षों से नहीं दिए जा रहे हैं।

कृपया इन दोनों विषयों को कार्यसूची में जोड़ने की कृपा करें।

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) अध्यक्ष जी, निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) द्वारा बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को किसानों को ऋण देने हेतु दी गई राशि के वितरण में बरती गयी अनियमितता।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम में दंड के प्रावधान पर पुन: विचार कर अपराध जमानतीय बनाया जाए तथा अधिनियम की अवधि 15 वर्ष से 20 वर्ष न की जाए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषय सम्मिलित किये जाएं :

1. उत्तर प्रदेश के डीडीहाट, धारचूला, जौरासी, रानीखेत आदि में स्थित अति अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर रिले केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि किये जाने तथा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों की सुचारु व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।

2. केन्द्रीय सीमा सड़क संगठन तथा गैर विभागीय डाक कर्मियों की सेवाओं का नियमितिकरण किये जाने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.12 बजे

कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उत्तर प्रदेश में हिंसा उत्पन्न करने का प्रयत्न

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों से जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर जातीय और साम्प्रदायिक दंगे भड़काने का षडयंत्र रचा जा रहा है। लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है और मैं जहां से निर्वाचित हुआ हूं वहां कुछ समय पहले मुस्लिम सम्प्रदाय के दो भागों के बीच में बरसों से चले आए एक धार्मिक विवाद को एक राजनीतिक दल ने जिस तरह से हवा दी, अगर शासन सजग न होता और परिस्थिति पर तत्काल नियंत्रण न करता तो वह झगड़ा एक ही सम्प्रदाय के दो समुदायों तक सीमित न रहता, वह झगड़ा हिन्दू-मुस्लिम झगड़े में भी बदल सकता था।

महोदय, कल कानपुर से जो खबरें आई हैं ये हमारे संदेह को पुष्ट करती हैं कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ तत्व इस समय उत्तर प्रदेश में हिंसा का वातावरण बनाने पर तुले हुए हैं। मुंबई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जहां-जहां डॉ॰ अम्बेडकर की मूर्तियां स्थापित हैं उन पर पहरा बढ़ाया गया है, चौकरी बढ़ाई गई है। मगर कल कानपुर में सवेरे साढ़े छ: बजे नानाराव पार्क में डॉ॰ अम्बेडकर की मूर्ति को पोतने की कोशिश की गई। उनके चेहरे पर कालिख लगाने की कोशिश की गई। ऐसा लगता है कि जो पोतने वाले थे वे तय करके आए थे, अपने साथ कुछ लोगों को इस मामले को लेकर जनता में जाकर भड़काने की तैयारी करके आए थे। उस समय सवेरे पुलिस वाले शायद कहीं प्रातर-विधि से निपटने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस वाले तत्काल आ गए और जो पोतने वाले थे वे भाग गए। बाद में पता लगा कि यह केवल डॉ॰ अम्बेडकर की मूर्ति को ही अपमानित करने का मामला नहीं था बल्कि यह भी प्रयास था कि इंदिरा जी का जो स्टेचु वेस्टर्न रोड पर लगा हुआ है उसको भी खंडित करने का था। मूर्ति का एक हाथ तोड़ दिया गया, बाद में शासन ने उस हाथ को लगाया और स्थिति को बिगड़ने से रोका। लेकिन हाथ तोड़ा गया, यह एक सही घटना है। इसके साथ ही गांधी जी की प्रतिमा को भी बम से उड़ाने का पूरा प्रयास किया गया। जिन्होंने डॉ॰ अम्बेडकर की मूर्ति को काला रंग लगाने का प्रयास किया था, *...(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : आप सीतापुर की घटना भी जोड़ लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। *...(व्यवधान)* जिन्होंने काला रंग लगाने का प्रयास किया था वे दोनों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वे दोनों व्यक्ति इस समय जेल में हैं। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वे दोनों व्यक्ति जो राजनीतिक दलों से संबंधित हैं—एक जनता दल है और दूसरा समाजवादी दल है। *...(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : महोदय, यह आरोप निराधार है। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों का वर्णन कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक विरोध किया जाए, इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता के दिन कोई पूर्व प्रधानमंत्री वहां जाकर आमरण अनशन करे, इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन प्रदेश की शांति को भंग करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। यह सारे देश को खतरे में डालने की बात है। विदेशी शक्तियां इसका लाभ उठा सकती हैं। मैं अपने उधर बैठे भाइयों से कहूंगा कि राजनीतिक लड़ाई लड़िये, मगर उत्तर प्रदेश

को हिंसा की भट्टी में झोंकने का कुप्रयास मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का नाम आया है, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस तो मेरे पास है, उस पर विचार हो रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी डिबेट नहीं होगी।

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विपक्ष के नेता ने यह आरोप लगाया है कि जनता दल और समाजवादी दल इस तरह के कार्यकलापों को उकसा रहे हैं, इसलिए इन दोनों दलों को इस आरोप का खंडन करने के लिए कुछ कहने का मौका देना चाहिए। उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अतः आपको उन्हें अनुमति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में बहस कराएं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सही दिशा में सोचने वाले समाज के प्रत्येक सदस्य तथा विशेषकर संसद सदस्य को शान्ति तथा साम्प्रदायिक सामंजस्य को भंग करने के किसी भी प्रयत्न के प्रति चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। हम देखते हैं कि इन दिनों अनेक स्थानों पर लोगों को भड़काया जा रहा है। यहां मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। उस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच हो रही है। लेकिन अब इस तथ्य के बावजूद कि राज्य से संबंधित मामला उठाया जा रहा है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक यह कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें किसी भी तथा प्रत्येक राज्य संबंधी मामले को यहां लाकर संविधान के अंतर्गत अपनी कार्यप्रणाली के आधार को समाप्त नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हम यहां उठाए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य संबंधी मामला यहां उठाया जा रहा है और अब संयुक्त मोर्चा सरकार के दो घटकों के विरुद्ध खुले तौर पर आरोप लगाए हैं, जो कि सरकार में हैं।

महोदय, एक राज्य में, विपक्ष के राजनीतिक दल के नेता वहां सरकार में मिल गए हैं और मुझे इस बात का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है कि विगत में इनकी क्या भूमिका रही है। ...*(व्यवधान)* वे जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं और उन्हें ही कुछ करना चाहिए। लेकिन उनको आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। उन्होंने उस राज्य में सभी समुदायों के बीच साम्प्रदायिक सामंजस्य तथा शान्ति बहाल करने के लिए क्या किया ?

श्री वी. धनंजय कुमार (मैंगलोर) : जो कुछ वहां हुआ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समर्थन नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा है कि हमें पूर्ण शान्ति तथा सामंजस्य चाहिए। लेकिन अब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो कि उत्तर प्रदेश में हुई हैं और सभा पटल पर वह भी शून्यकाल में कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगाने की कोशिश करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिनके आधार पर निष्पक्ष नाराजगी का रवैया अपनाते हुए, मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र इस आरोप को झूठा साबित करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर प्रदेश की स्थिति पर नियम, 193 और नियम 184 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख रहा हूं। मेरे विचार में अब उत्तर देने की बजाय हम यहां निर्णय ले सकते हैं। मेरे विचार में यह बेहतर होगा। आपकी इच्छा है। यदि आप अब उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे दूसरे मुद्दे पर चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, समाजवादी दल के सदस्य तथा अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश में व्याप्त स्थिति पर चर्चा की अनुमति देने के लिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं। मामला उनके विचाराधीन है। आज, सुबह वे आपसे मिले और मैंने भी यह मामला पिछली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठाया था। लेकिन मुद्दा यह है कि विपक्षी दल के नेता ने शून्यकाल में समाजवादी दल और जनता दल पर आरोप लगाया है ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : श्री वाजपेयी ने किसी भी दल पर आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने केवल यह कहा था कि दो व्यक्ति पार्टी से जुड़े हुए थे लेकिन उन्होंने दलों का नाम नहीं लिया था। श्री वाजपेयी ने किसी दल पर आरोप नहीं लगाया है। संसदीय कार्य मंत्री, आप क्यों.....

श्री श्रीकान्त जेना : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : कृपया विपक्ष के नेता की बात सुनिए।

श्री श्रीकान्त जेना : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या ऐसा कहना उनको शोभा देता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने में सहायता की थी ? क्या आपने सबक नहीं सीखा है ? क्या यह आपको शोभा देता है ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, कानपुर में गांधी जी की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया। ...*(व्यवधान)* इसमें जनता दल और समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ था। ...*(व्यवधान)* आगरा में भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने रायमा गांव में गांधी जी की मूर्ति तोड़ी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जेना को बोलने का अवसर दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अपने नेता पर क्यों नहीं छोड़ देते ?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैंने विपक्ष के नेता की बात को बहुत ध्यान से सुना है। इस सभा में, हमारे विचारों में अन्तर हो सकता है लेकिन जब भी अटल जी खड़े होते हैं, सब उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा है कि दो दल हैं ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : यह सच है।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : रूडी जी आप बैठिए। अगर आप हल्ला करेंगे तो मैं कैसे अपनी बात कह सकूंगा ? ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात पहले सुन तो लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह सब सही बातें हैं। यह आरोप नहीं है लेकिन यह सच है। 'आरोप' और 'सत्य' के बीच अन्तर होता है। श्री वाजपेयी ने जो कहा है वह सच है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह सच है ...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, यह उनके द्वारा दिए गए नोटिस की नियम 184 के अन्तर्गत जानबूझ कर शामिल करने का प्रयास किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोशी, यह कोई तरीका नहीं है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय जब भी आप 'जोशी' शब्द पुकारते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे ही कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से लगभग सभी 'जोशी' अनुशासित रहते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं नियमों का पालन करता हूं और मेरी तरह ही वह भी अनुशासित सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना ने कहा कि जब विपक्ष के नेता सदन में बोलते हैं तो सभी सदस्य पूरे ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, अतः, जब संसदीय मामलों के मंत्री बोल रहे हैं या उत्तर दे रहे हों, तो आपके लिए भी यह उचित ही है कि आप उन्हें बीच में न टोकें और ध्यान से उनकी बात सुनें। आखिर वे संसदीय मामलों के मंत्री हैं।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय हम तैयार हैं। इस पर एक पूरी चर्चा होनी चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना :. मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यह आरोप ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह आरोप नहीं है, यह तथ्य है।

श्री के. पी. रामलिंगम् (तिरुचेंगोड़े) : आप व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, जैसा कि विपक्ष के माननीय नेता ने बताया है कि दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस छान-बीन कर रही है। विपक्ष के नेता को तुरंत सूचना दी गई कि जिन दो व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है वे जनता दल और समाजवादी पार्टी के हैं। यदि आप इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में जाएं, तो ऐसे लगेगा कि वे यह कह रहे हैं कि कानपुर तथा अन्य क्षेत्रों में यह सारा अभियान इन दोनों दलों द्वारा चलाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि तथ्यों को इस तरह से पेश किया जा सकता है। ताकि प्रभाव भी छोड़ा जा सके और पकड़ में भी न आएं।

मुझे लगता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉ. मुरली मनोहर जोशी इस कार्य में सबसे आगे हैं। मैं इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा। परन्तु यह सच नहीं है। इसीलिए मैंने यह कहा कि जनता दल और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने दिया जाना चाहिए। उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। फिर नियम 193 के अन्तर्गत बहस को जो आपके विचाराधीन है, को कार्य मंत्रणा समिति में उठाया जा सकता है। हम उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन्हें सदन में उठाया गया है।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : इसका सम्बन्ध मेरे चुनाव क्षेत्र से है। मुझे मौका दिया जाना चाहिए यदि आप मुझे आज्ञा दें मैं राजनीतिक दलों के नाम और उनके पदों का विवरण दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय नेता विरोधी दल ने कानपुर की घटनाओं के लिये चिन्ता व्यक्त की है और यह चिन्ता समाजवादी पार्टी के लोगों को भी है। मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो वातावरण बन रहा है, उसके लिये आपको और पीछे जाना पड़ेगा। इस देश में आजादी की दौड़ में गांधी जी से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश में जिम्मेदार पार्टी के दो नेता, जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं माना, वे कौन हैं ? ...*(व्यवधान)* दूसरा* .....और गांधी जी की प्रतिमा पर गोली चलाई गई। स्व. इन्दिरा गांधी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया। इसके पीछे भाजपा के लोगों का हाथ है और जो आरोप नेता विरोधी दल ने लगाया है, उसका समाजवादी पार्टी के लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इस सब के पीछे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और भाजपा के लोगों का हाथ है। हमारा 'जेल भरो' का जो आन्दोलन चलने वाला है, उसको वे दबा नहीं सकते।. . .*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (बन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान के अंदर दलितों पर होने वाली ज्यादतियां समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं और उनको उकसाते हैं। दलितों और स्वर्ण जाति

*...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।)

के लोगों में तो समरसता है, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इन सब बातों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो आरोप लगाया है कि जनता दल और समाजवादी पार्टी के दो सदस्य हैं, तो यह आरोप बेबुनियाद है मगर सच्चाई जाने बिना इस तरह का आरोप लगाना इतने महान् नेता को शोभा नहीं देता है। भाजपा के हमारे साथियों ने खुद कहा कि,

[अनुवाद]

यह आरोप सच नहीं है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि यह सच है।

[हिन्दी]

आपको क्या पता है ? आप दिल्ली में बैठकर यह बात कह रहे हैं कि यह सच्चाई है। ऐसा लगता है जैसे आपने पूरी घटना को करीब से देखा-जाना है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि यह आपका ही षड्यंत्र है। आप लोगों ने इसका प्लान किया है और आपने ही ये मूर्तियां तुड़वाई हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि डॉ॰ अम्बेडकर और महात्मा गांधी को हम अपना आदर्श मानते हैं, यह तो भाजपा है जो उन्हें नहीं मानती। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अब क्या हुआ ? क्या वहां पर जनता दल और समाजवादी पार्टी के लोग थे ?

पूरे देश में महाराष्ट्र की घटना को ढंकने के लिए भाजपा के लोगों ने कानपुर में यह षड्यंत्र किया है, महात्मा गांधी, डॉ॰ अम्बेडकर, इंदिरा गांधी की मूर्तियों को खंडित किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में घटित होने वाली घटना की पूरी तरह निन्दा करता हूं और भाजपा के सदस्यों पर आरोप लगाता हूं कि यह उन्हीं का सुनियोजित षड्यंत्र है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरी कांस्टीटुएंसी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह इनकी कांस्टीटुएंसी है और सारा कुछ किया-धरा भाजपा का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर पूरी बहस होनी चाहिए और मैं इनसे जवाब-तलब करता हूं कि यह बतायें कि इन्होंने कहां यह देख लिया कि वे समाजवादी पार्टी और जनता दल के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश में नंगा नाच कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आजमी को बोलने का मौका देता हूं क्योंकि वहां इनकी पार्टी सत्ता में है।

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : हमारी पार्टी के सदस्य मारे जा रहे हैं, डॉ॰ अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर पूरी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : इसलिए मैं मायावती की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं क्योंकि वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं इस मामले पर पूरी बहस करने की मांग करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस इश्यू पर मुझे बोलने का मौका दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस मामले को बंद कर रहा हूं क्योंकि दो नोटिस मुझे पहले ही मिल चुके हैं। वे मेरे विचाराधीन हैं। अब लम्बी बहस नहीं करनी है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : यह बात दिल की देहली की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में महसूस की जा रही है कि अब से मिस मायावती की सरकार वहां पर बनी है, वह कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सबसे पहले उन्होंने लखनऊ में शिया-सुन्नी फसाद कराने की कोशिश की। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि दो हफ्ते का कर्फ्यू और टेंशन होने के बावजूद न तो एक आदमी मारा गया, न जख्मी हुआ और न ही किसी का घर जला, बल्कि उसको कंट्रोल किया। जहां तक बाबासाहेब अम्बेडकर की तौहीन का सवाल है, तो वे जानते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर इसको किया गया तो फसाद रुक नहीं सकते। सिर्फ कानपुर में ही नहीं, मेरी कांस्टीटुएंसी में जगह-जगह यह हरकतें की गईं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम पूरी चर्चा कराने नहीं जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : बाबन कस्बे में जो हुआ था उसमें एक ही पार्टी के तीन आदमी आज भी जेल में हैं। मुझे पता लगा तो मैंने फोन करके वह सब रोका। मैं पार्लियामेंट का इजिलास छोड़कर भागकर हरदोई गया और मैंने वहां पर कोशिश की कि उस मामले को शांत किया जाए और मैंने प्रतिमा को फूलमालाओं से लदवाकर लोगों के जज्बात को ठंडा किया। अगर हम लोग संयम का सबूत नहीं देते तो यह लोग उत्तर प्रदेश में आग लगाने में कामयाब हो गये होते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त नहीं है। मुझे दो नोटिस पहले

ही मिले हैं जो नियम 193 और 184 के अंतर्गत हैं। मैं इन्हें पार्टी नेताओं के सामने रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : हम खुद इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई उत्तेजना न होने पाये। मैं नेता विरोधी दल की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वे साजिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को किसी तरह से बदनाम किया जाए। लेकिन हम पूरे सदन को विश्वास में लेना चाहते हैं कि हमारी पार्टी इस साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इतना क्यों बोल रहे हैं, यह तो लम्बा हो जायेगा।

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष महोदय, आज वे डॉ॰ अम्बेडकर की प्रतिमाओं को लेकर जो उत्तेजना फैलाना चाहते हैं, हम उस साजिश को उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होने देंगे। हम इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं। समाजवादी पार्टी के तीन आदमी मेरे क्षेत्र में बाबासाहेब की प्रतिमा को अपमानित करने में पकड़े गये और वे जेल में हैं। गृह मंत्री जी चाहें तो हरदोई से रिपोर्ट मंगा लें, संसदीय कार्य मंत्री हरदोई से रिपोर्ट मंगा लें कि जो आदमी जेल में हैं वे किस पार्टी के हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कई संसद सदस्य हैं। ऐसे मामलों में हमें अत्यधिक संयम बरतना चाहिए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैं ऐसा ही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए एक मिनट का समय दिया जाए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। उन्होंने जो एक-एक शब्द कहे हैं, वे प्रामाणिक हैं और संसदीय कार्य मंत्री को भी कुछ आपत्ति हुई थी जब उन्होंने जनता दल और समाजवादी पार्टी का नाम लिया था।

यदि आप अनुमति दें तो जिन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है और इस समय जेल में हैं, मैं उनके नाम सदन को बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो अपने बचाव में कुछ नहीं कह सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : चूंकि आपकी अनुमति नहीं है, इसलिए बिना किसी का नाम लिए हुए, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उनके दल के एक प्रान्तीय महा-सचिव उनमें से एक हैं। मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जानता हूं, उनमें से एक समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। उन लोगों का उद्देश्य केवल बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान करना ही नहीं था बल्कि नगर में योजनाबद्ध तरीके से अशांति उत्पन्न करना था। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान करने के बाद, वे फूलबाग में पहुंचे और वहां गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर उन्होंने बम फोड़े। अगर वहां का स्थानीय प्रशासन सतर्क न रहा होता तो कुछ भी संभव था। ...*(व्यवधान)* लाठी-चार्ज करके वहां सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। उससे आगे मेस्टन रोड़ पर जाकर इन लोगों ने आदरणीय स्व॰ इंदिरा गांधी की प्रतिमा के हाथ को ऊपर चढ़कर तोड़ा। यह प्रशासन की दूरदर्शिता थी कि उसने तुरन्त हस्तक्षेप करके उसे रिप्लेस कराया और नगर में शांति बनाए रखी। यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हताश हो रहे हैं। उसी सोच का परिणाम यह घटना है।

मैं यहां गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतना चुस्त है कि उनकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने दे रहा है। अध्यक्ष जी ने चूंकि अनुमति नहीं दी, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं परंतु मेरे पास सबके नाम हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को समाप्त करना चाहता हूं। परन्तु यदि आप बोले ही जायेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी नेता विरोधी दल और भाजपा के माननीय सदस्य ने जो बातें कानपुर की घटना के संबंध में कही, मैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और उन्हें बेबुनियाद मानता हूं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में चर्चा के लिए, मैंने नियम 193 तथा नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिए हैं। आज वहां जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके विरोध में वहां हमारा 13 अगस्त को सत्याग्रह होने वाला है। उस सत्याग्रह को विफल करने के लिए तथा हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की असत्य कहानी गढ़ी जा रही है। असलियत यह है कि सीतापुर में गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया तो उनके खिलाफ हरिजन एक्ट के अंतर्गत मुकदमे चला दिए गए। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा गांधी जी के नाम पर और डॉ॰ लोहिया के नाम पर जो पुरस्कार दिए जाते थे ...*(व्यवधान)* वहां की सरकार ने इस बार उन्हें भी बंद करा दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रज भूषण तिवारी कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। बहुत हो गया। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रज भूषण तिवारी : आज वहां की सरकार जिस तरह काम कर रही है ...*(व्यवधान)* वह उनकी अंदरूनी लड़ाई है और ये लोग वहां की सरकार को बचाना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़कर पूरे देश में हिंसा पैदा कर दी थी, आज फिर ये उत्तर प्रदेश को उसी प्रकार से तहस-नहस कर देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : महोदय, मैं एक मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप एक ही मामले दो बार उठा चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने पहले यह मामला नहीं उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे चार और पांच तारीख को उठा चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने इस मामले को पहले कभी नहीं उठाया। कृपया मुझे यह मामला उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : हां, कहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय 26 दिसम्बर, 1996 को उच्चतम न्यायालय द्वारा 1,2000 औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के निर्देश के बाद दिल्ली और आस-पास के इलाकों में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अपराह्न 12.39 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**]

उद्योगों को इस तरह बंद किए जाने के कारण दो लाख मजदूर प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में लगभग 36,000 औद्योगिक इकाइयां हैं। इस आदेश के फलस्वरूप बहुत सी इकाइयां प्रभावित होंगी। इससे 10 लाख मजदूर प्रभावित होंगे।

इन दो लाख मजदूरों के परिवार भूखे मर रहे हैं।

मजदूरों द्वारा आत्म-दाह के भी प्रयास किए गए हैं। यह बहुत गंभीर स्थिति है। मेरी मांग यह है कि भारत सरकार को इस आदेश को रद्द करने के लिए कानून बनाना चाहिए दिल्ली से दूर जहां आसानी से नहीं जाया जा सकता है पर जाने वाले उन स्थानों पर उद्योगों को स्थानांतरित किए जाने का मतलब इकाइयों को बन्द किए जाने के समान है। अतः इन इकाइयों में लगे हुए मजदूरों को अतिरिक्त मुआवजा के तौर पर छः साल के बराबर मजदूरी दी जानी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर हैं। जिन मजदूरों ने 240 दिन से अधिक कार्य कर लिए हैं उन्हें भी अब तक दिहाड़ी मजदूर माना जा रहा है। उन्हें भी अन्य मजदूरों के बराबर ही मुआवजा मिलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार इन मजदूरों को मुआवजे के तौर पर छः साल की तनख्वाह के बराबर धनराशि दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेश से बहुत से मजदूर प्रभावित हुए हैं।

मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस आदेश को रद्द करने के लिए सरकार कोई विधान लागू करे ताकि मजदूर प्रभावित न हों और बेकार न हो जाएं। ग्यारह अगस्त को एक हड़ताल होगी। उनकी मांग है कि भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए एक विधान लागू करना चाहिए क्योंकि यह मामला बहुत से मजदूरों का है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये मजदूर बेकार न हों और उनका पर्याप्त पुनर्वास किया जाना चाहिए। अनेक निहित स्वार्थ वाले लोग हैं जो इस आदेश को अनेक उद्योगों को बन्द करने और उनकी जमीन का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस स्थिति से बचाव के लिए मजदूरों के पुनर्वास का और उनकी सहायता करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष जी, श्री बसुदेव आचार्य ने जो सवाल उठाया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 85 उद्योगों को यहां से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया और यह कहा गया था कि ये उद्योग वहीं लगेंगे जहां से कर्मचारियों को आने-जाने की सुविधा हो सके, दूर न भेजे जाएं। मुझे जहां तक याद है 60 किलोमीटर की दूरी तक तो लोग आ-जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उद्योग या तो बहुत दूर लगाए जा रहे हैं या लगाने का केवल बहाना हो रहा है और कई महीनों से कर्मचारी अत्यन्त पीड़ा और दुःख में हैं। एक कर्मचारी ने पिछले साल आत्मदाह भी किया था। कई परिवार दुखी हैं, पीड़ित हैं, बेकारी और बेचैनी में हैं। उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बसुदेव आचार्य की इस राय से सहमत तो नहीं हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से हटाए गए उद्योगों के सुप्रीमकोर्ट के निर्णय को नलीफाई करने के लिए कोई बिल लाया जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए जितनी सुविधाओं की उन्होंने मांग की है, वे सारी उचित हैं। अगर ये उद्योग बहुत दूर हटाए जा रहे हैं, तो जैसा बसुदेव आचार्य ने कहा उन उद्योगों के कर्मचारियों को छः वर्ष का वेतन दिया जाना चाहिए। पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि ये कर्मचारी बेरोजगार होकर सड़क पर घूमने के लिए मजबूर न हों। दिल्ली में इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इनके मन में अगर निराशा होगी, इनके मन में अगर हताशा होगी, तो दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी और मानवीय दृष्टि से भी यह एक बड़ी भारी दुर्घटना होगी यदि सरकार उनको हर संभव सहायता नहीं देती,

जिसकी बसुदेव आचार्य ने अपील की है। (धन्यवाद) ...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में आपको नोटिस दिया है। आज हजारों लोग दिल्ली की सड़कों पर इस अधिनियम के पांच साल के लिए लागू करने के सरकार के निर्णय के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने इसे एक वर्ष के लिए लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब जो विधेयक सदन में पेश किया गया है, उसमें इसको पांच साल तक लागू करने की व्यवस्था है, जो देश के व्यापारी वर्ग के ऊपर कुठाराघात है और मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद ऐसा हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

हजारों लाखों व्यापारी संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इस काले कानून को वापिस लिया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, सारे व्यापारी आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर आ गये हैं यह काला कानून है और इससे व्यापारी काफी असंतुष्ट हैं ...*(व्यवधान)* व्यापारियों को व्यापार करने में काफी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। ...*(व्यवधान)* उपभोक्ताओं को भी संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)* अभी रावत जी ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...*(व्यवधान)* आप इनको बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं बस एक मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने इस बारे में नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए। यह कानून पांच साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* सरकार ने कहा था कि हम इसको एक साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी आवश्यक वस्तु अधिनियम को पांच साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। यह डेकोनियन लॉ है। इसमें समरी ट्रायल होता है जबकि इसमें सामान्य कानून के अनुसार मुकदमा चलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह अन्याय किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* सारे हिन्दुस्तान के व्यापारी इस बात से दुखी हैं। यह 15 साल के लिए बनाया गया था लेकिन अब इसको पांच साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* यह 15 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। केन्द्र सरकार बेईमानी कर रही है। अपनी बात से हिल रही है। ...*(व्यवधान)* इसको पांच साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। सारे देश के व्यापारी इससे पीड़ित हैं।...*(व्यवधान)* सरकार यह जानती है कि जब यह कानून बना था तब देश के अंदर अनाज की कमी थी। किसानों के बेटों ने अपना खून-पसीना एक करके देश में हरित क्रान्ति की। मजदूरों ने सारा जोर लगाकर देश का उत्पादन बढ़ाया लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों को, अधिकारियों को रिश्वतखोरी करने के लिए सरकार मौका दे रही है। व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता ...*(व्यवधान)* इन सबमें प्रावधान हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत : उन प्रावधानों के माध्यम से अगर कोई काला बाजारी होती है, तो उसका मुकाबला किया जा सकता है। उनको दंडित किया जा सकता है। लेकिन जो संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, व्यापार करने के मौलिक अधिकार पर रोक लगायी जा रही है। उन पर कुठारघात किया जा रहा है। संविधान के अधिकारों को दूसरे ढंग से पेश करके जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न करके उनका शोषण किया जा रहा है, वह गलत है। इस कानून को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार व्यापारियों की इस भावना का सम्मान करे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, यहां पर मंत्री बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* आप उनसे कहिये कि वह इस बारे में कुछ कहें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी को कुछ आश्वासन देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आपको और क्या चाहिए। बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को इसके बारे में कुछ आश्वासन देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की मर्यादा का पालन करें। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे व्यापारी इकट्ठे होकर 26 तारीख को स्ट्राइक करेंगे ...*(व्यवधान)* सरकार

को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सरकार इस पर सोचे और इस काले कानून को वापिस ले। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। आपको और क्या चाहिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बसुदेव आचार्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। अपना समर्थन देने के लिए मैं श्री चन्द्रशेखर को धन्यवाद देता हूं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। औद्योगिक विकास और पर्यावरण के प्रश्न के अतिरिक्त मानवीय पीड़ा का प्रश्न भी उत्पन्न होता है। बगैर किसी कसूर के मजदूरों को काम से हटाया जा रहा है। उन्हें अन्यत्र हटाया जा रहा है। हम उनकी मुसीबतों को किस तरह कम कैसे कर सकते हैं ?

मैं जानता हूं कि हम सीधे उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को रद्द नहीं कर सकते। परन्तु हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। जिनके आधार पर आदेश जारी किया गया कानूनी तथा संवैधानिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, मुझे लगता है सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि वह सभी दलों की बैठक बुलाने की संभावना तलाश करे ताकि कोई हल निकाला जा सके।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष जी, इसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि सारे मजदूर यहां आ गये हैं। उनका कहना यह है कि हमें फंसाया जाता है। यहां से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर इंडस्ट्री लगाई जाती है और उन लोगों को बोला जाता है कि आपको 6 बरस की तनख्वाह नहीं मिलेगी क्योंकि आपका ट्रांसफर वहां किया हुआ है। आप वहां जाकर काम करिये। जब वे वहां फार्म भरकर जाते हैं तो वहां न इंडस्ट्री होती है, न जमीन रहती है और न ही बिल्डिंग रहती है। उनको इसी तरह से फंसाया जाता है। यह मामला बहुत सीरियस है। मुझे इतना ही कहना है कि इसके बारे में सब निर्णय करके कुछ नतीजा निकालना चाहिए जिससे जो मजदूर सफर कर रहे हैं, वह न कर सकें। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमैंट है, उसकी आप जरूर इज्जत करो। आखिर यह पूरी दिल्ली शहर का सवाल है।

लेकिन मजदूरों का भी उतना ही बड़ा सवाल है। इसकी तरफ बहुत गौर से सोचकर कुछ रास्ता निकालना चाहिए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके अब आप बैठ जाइये। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) क्या हमारे दल के लोगों को भी बोलने दिया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही बोलते रहिए। ठीक है।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली का मसला है। मुझे एक मिनट बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह दिल्ली का नहीं, पूरे देश का मसला है।

(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : मैंने कई बार इस मसले को उठाया है, इसलिए कह रहा हूं। आप मुझे एक मिनट दे दें। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसी ईशू पर हर व्यक्ति बोलेगा। क्या करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबकी तरफ से कह रहा हूं।

[अनुवाद]

पूरा सदन इस मामले पर उद्वेलित है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : जिस तरह उसको ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूरे हाउस की तरफ से कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर पूरा सदन उत्तेजित है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे गम्भीरता से लें और इसका समाधान करें।

(व्यवधान)

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं केवल एक ही बात का आश्वासन दे सकता हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी के सुझाव के अनुसार इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा सकती है क्योंकि यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है, और उस सर्वदलीय बैठक में, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने में कोई संकोच नहीं करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री राम नाइक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, चैन राम भंसाली यानी सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल्स का जो बदनाम घोटाला है, उसके संबंध में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल स्कैम में आम आदमी का, छोटे इनवैस्टर का 1,200 करोड़ रुपया डूब गया है। उसमें सेबी का दोष है या रिजर्व बैंक का दोष है या वित्त मंत्रालय का दोष है, एक अधिकारी, एक संस्था दूसरे पर अपना दोष दे रही है। इसे एक दूसरे पर टाला जा रहा है। इस समय देश में 37,000 नॉन बैंकिंग फाईनैंशियल कम्पनीज हैं। आज ही प्रश्नकाल में एक जवाब आया है, उसमें लगभग 10 मिलियन हजार करोड़ लोगों ने इनवैस्ट किया है ऐसा बताया है। उसमें से यह एक घोटाला बाहर आया है।

इस घोटाले में सेबी ने अपना काम नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने ग्लोबल बैंक स्थापित करने के लिए उनको परमीशन इन प्रिंसिपल दी। यह सारा घोटाला बाहर आने के बाद वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री यह हैं जरा सुनिए उनके डिपार्टमैंट ने 15 मार्च, 1997 एस्टीन को बांड्स के लिए ऐग्जैम्प्शन दे दिया। पहले हम ऐसा करते थे कि सरकार में दायें हाथ को नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। लेकिन अभी एक ही हाथ के एक उंगली को, दूसरी उंगली क्या कर रही है, इसका पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति आई है।

इस मामले में हम प्रधानमंत्री जी से दो बार मिले, मुम्बई के सांसद प्रतिनिधि मंडल लेकर मिले। प्रधानमंत्री जी ने "हम उसमें कुछ करेंगे" ऐसा कहा। हमने तीन मांगें की थीं। उसमें से पहली मांग यह की थी कि जो पहला सिक्युरिटी स्कैम हुआ, उससे जो सबक सामने आए सरकार ने उनसे कोई सबक नहीं सीखा। इसलिए क्योंकि इसमें छोटे-छोटे इनवैस्टर्स फंस गए हैं, पहले के उसमें बैंक फंस गया था लेकिन इसमें छोटा इनवैस्टर फंस गया है इसलिए एक संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल की जांच करने के लिए बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस समय यह कहा था कि" मैं इस प्रकार की समिति का विरोधी नहीं हूं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनाई जाए। दूसरा, कानून में यह होता है, जो बैंकरप्ट होता है, लिक्विडेट होता है तो सरकार के जो ड्यूज़ होते हैं, वे पहले देने पड़ते हैं। इसमें यदि सरकार के ड्यूज पहले देने पड़ेंगे तो छोटे इनवैस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं दूसरी मांग यह कर रहा हूं कि सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल से लिक्विडेटर के जरिए जो भी आएगा, वह पहले छोटे इनवैस्टर को देना चाहिए और आगे देश में ऐसा मामला न हो, इसके लिए जितने भी नॉन फाइनैंशियल बैंकिंग कम्पनीज़ बनी हैं, ऐसी सारी नॉन फाइनैंशियल बैंकिंग कम्पनीज में जो भी डिपॉज़िट रखा जाता है, वह दो लाख रुपये तक का डिपॉजिट, जैसे बैंक का डिपॉजिट इन्स्योर होता है उसी प्रकार से यह डिपॉजिट इंश्योर करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है और मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में नहीं हैं, लेकिन वित्त मंत्री इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, यह सदन को बतायें। यह मेरी मांग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, वित्त राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। वह इस मामले पर कुछ कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : मैंने इसे नोट कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्होंने नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : कुछ थोड़ा खड़े होकर कहें तो सदन को पता चले।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बोल दिया है।

श्री सतपाल महाराज : मैंने आपके पाइण्ट्स नोट कर लिए हैं।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार प्रदेश पर जो विभिन्न जिलों में बाढ़ आई है, उसकी और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण बिहार का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां बारिश से बाढ़ न आई हो, उससे भारी नुकसान न हुआ हो, खास तौर पर जहां सबसे अधिक किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। वह पटना जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, कटिहार, सुपौल और कई ऐसे इलाके हैं, जिनमें हर साल बाढ़ आती है, जैसे सुपौल, समस्तीपुर, गया इत्यादि। कोई ऐसा इलाका नहीं है, जहां कि पानी न आया हो, उससे नुकसान न हुआ हो। मैंने इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट किया था।

बिहार में जो उत्पन्न स्थिति है, उसके बारे में वहां पर करोड़ों रुपये का फसल का नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई करने के लिए आप सहयोग करने का काम करें। मगर मैं समझता हूं कि अभी तक भारत सरकार के माध्यम से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण वहां के किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सारे बीज जो रोपे गये थे, वे बर्बाद हो गये हैं। अब फसल होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वहां भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपदा राहत कोष से यथाशीघ्र वहां उचित राशि उपलब्ध कराये ताकि वहां के गरीब किसान, मजदूर हैं, उनको पूरी मदद कर सकें और उनको भुखमरी से बचाया जा सके। यही निवेदन करने हेतु मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाज़ीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत एक वर्ष से उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसको अनेक राजनैतिक दल और सामाजिक संगठन कहते हैं, लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं। निजी तौर पर या पार्टी के तौर पर हम इस मांग से सहमत नहीं हैं, मगर यह बात कहने में मुझे आज कोई संकोच नहीं है कि आजादी के 50 वर्षों के बाद भी जिस इलाके का सबसे अविस्मरणीय योगदान आजादी के आन्दोलन में रहा है, उसकी घोर उपेक्षा केन्द्र सरकार ने की है।

स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी जी, जो हमारे यहां से सांसद थे, उन्होंने वहां की दुर्दशा का वर्णन इस सदन में किया था। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पटेल कमीशन का गठन कराया था। आज भी, इतने वर्षों के बाद भी, पटेल कमीशन की संस्तुतियों को लागू नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जो गाजीपुर, बलिया, वाराणसी मंडल, आजमगढ़ मंडल और गोरखपुर मंडल के पूर्वी जिले हैं, जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, उनकी जो सड़क, सिंचाई और बिजली की जो अधूरी परियोजनाएं पड़ी हुई हैं, जो केन्द्र सरकार के पास पड़ी हुई हैं, उनको केन्द्र सरकार मंजूरी दे। विशेष सहायता पैकेज देकर इन योजनाओं को पूरा कराये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर जरूर उचित कार्रवाई करे।

माननीय चन्द्रशेखर जी और नेता विपक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि इन पिछड़े हुए इलाके के उद्धार के लिए जरूर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : इन्होंने जो सवाल उठाया है, इसी सदन में गहमरी जी ने सवाल उठाया था, अटल जी इस सदन में थे और वे जानते हैं कि उस समय जब गहमरी जी रो पड़े थे तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पटेल कमीशन बनाया था। उसकी जो सिफारिशें हैं, आज तक लागू नहीं हुईं। वह क्षेत्र बहुत व्यथित है, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती का साल है और उन पूर्वांचल के जिलों ने आजादी की लड़ाई में अग्रणी हिस्सा लिया है।

मैं आपके जरिये इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो श्री मनोज़ सिन्हा ने बात उठाई है, उसको क्रियान्वित करने के लिए कुछ-न-कुछ कदम उठायें, क्योंकि उस समय उस इलाके के लिए एक विशेष विकास मंडल बनाने की योजना थी, लेकिन वह बन नहीं पाई। अटल जी उस समय मौजूद थे और इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि इसका समर्थन वे अवश्य करें।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आज भी मौजूद हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : यह सच है उस समय मैं सदन में मौजूद था जब गहमरी जी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की दुर्दशा का हृदयद्रावक चित्र खींचा था। चित्र खींचते समय वे स्वयं रो पड़े थे। नेहरू जी उस दिन प्रधानमंत्री के नाते सदन में मौजूद थे। गहमरी जी का भाषण सुनकर नेहरू जी भी विचलित हो गए थे। इसलिए आयोग का निर्माण हुआ। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का सही आंकलन करके उसके निराकरण के उपायों का सुझाव दे सके। रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। विकास बोर्ड का गठन नहीं हुआ। अभी भी उत्तर प्रदेश का वह इलाका सबसे गरीब इलाकों में गिना जाता है। इसीलिए कभी-कभी वहां पूरे राज्य से पृथक होने की मांग उठती है। केन्द्र सरकार स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के लिए बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है। प्रचार के लिए जो खर्च हो रहा है, वह थोड़ी-बहुत मात्रा में ठीक है, लेकिन अगर इस अवसर पर कोई निश्चित योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों की हाथ में लेकर और उनके लिए धन का आबंटन करके उनको पूरा कराया जा सके तो सचमुच में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष में यह हमारा एक ठोस काम होगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले सारे देश की चिन्ता को अपनी ओर आकर्षण कर रहे हैं यह देखना चाहिए।

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पंजाब के किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब का किसान जो देश में सबसे ज्यादा पैडी और बाकी अनाज पैदा करता है, पिछले तीन साल से बड़ा चिंतित है। जो पैडी पी॰ आर॰ 106 पिछले 30 साल से सुपर फाइन के रूप में पर्चेज की जाती रही, उसे तीन साल पहले फाइन क्वालिटी का नाम देकर किसानों की बड़े पैमाने पर

लूट हो रही है। पिछले वर्ष भी मैंने यह मामला सदन में उठाया था। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। जिससे किसानों की जो लूट हो रही है, वह खत्म हो सके। दुःख की बात यह है कि किसान जब पैडी पैदा करता है, जो बीज हैं वह प्रमाणिक बीज लेता है और पी॰ आर॰ 106 क्वालिटी पंजाब में पैदा करता है। उसको पंजाब में फाइन क्वालिटी का रेट दिया जाता है, लेकिन वही पैडी जब हरियाणा में, जम्मू-कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश की मार्केट में लाई जाती है तो उसको सुपर फाइन क्वालिटी का रेट मिलता है। यह किसानों की दिन-दहाड़े लूट हो रही है। सरकारी एजेंसीज तरह-तरह के बहाने बनाती हैं कि इसमें मोश्चेयर है, चावल मोटा-पतला आता है, लेकिन जब वही पैडी हरियाणा में चली जाती है तब बहानेबाजी नहीं होती और सही रेट मिलता है। इस तरह से जो बड़े पैमाने पर पंजाब के किसानों की लूट हो रही है, सरकार को फौरी तौर पर स्टैप लेना चाहिए ताकि इस साल जो पैडी का सीजन है, यह लूट खत्म हो सके।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.34 बजे

लोक सभा दो बजकर चौंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।*

(श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*)

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाये जाने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए नियम 13 के अन्तर्गत चर्चा के लिए दो घंटे आवंटित किये गये थे। हमने पहले ही तीन घंटे व्यतीत कर दिये हैं। इसलिए अपराह्न 3.30 बजे तक हम इस मुद्दे को समाप्त कर दें क्योंकि अपराह्न 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों के मुद्दों पर चर्चा करनी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, आज देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इस समस्या से कोई राज्य बचा हुआ नहीं है, इसलिये आज 193 के अधीन यह चर्चा हो रही है। कई बार अखबारों के माध्यम से सरकार के बयान आते हैं कि देश के अंदर अनाज की कमी नहीं है और इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। इस देश से गेहूं और शक्कर विदेशों को निर्यात किया जाता रहा है। एक तरफ हम यह घोषणा करते हैं कि हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं और यहां पर अनाज की कोई कमी नहीं परन्तु दूसरी ओर हम इस देश में यह दृश्य देखते हैं कि लोगों को अनाज न मिलने के कारण वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। हम गर्व से कहते रहे हैं कि गरीब आदमी दाल-रोटी खाकर जी लेगा लेकिन आज दाल उसके लिये महंगी हो गई है। बड़े शहरों में दाल 40 रुपये किलो मिल रही है। गांवों में यह 25-30 रुपये किलो हो सकती है लेकिन आज वह दाल भी उसके मुंह से छीन ली गई है। गरीब आदमी को सूखी रोटी खाकर जीने की उम्मीद थी लेकिन अनाज भी सस्ते दर पर बाजारों में नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, गरीब आदमी यह उम्मीद करता था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दर पर गेहूं और चावल मिलेगा तो सूखी रोटी खाकर जी सकता था, चावल उबालकर खाकर गुजारा कर लेता लेकिन आज सार्वजनिक वितरण के दुकानों की क्या हालत है। आप किसी राज्य में जाकर देखिये तो पायेंगे कि किसी दुकान पर सस्ते दर पर अनाज मिलता नहीं। लोग गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल या खाद्य तेल लेने के लिये कतार में खड़े हुये मिलेंगे। हम अनाज इसलिये निर्यात कर रहे हैं ताकि हम लोगों को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जिससे कि देश की तरक्की हो या बलशाली बने। हम आज विज्ञान युग में रह रहे हैं और 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन गरीब आदमी दो वक्त की रोटी के लिये परेशान है। हमारा देश विदेशी मुद्रा मिलने से बलशाली नहीं होने वाला है। हम यहां पर पृथ्वी या अग्नि की चर्चा करते हैं, देश उससे बलशाली नहीं बनेगा। देश बलशाली तभी बनेगा जब इस देश का सामान्य आदमी सशक्त होगा।

जब इस देश का एक सामान्य आदमी बलवान होगा, तभी हमारा देश बलशाली हो पायेगा और एक सामान्य आदमी को सशक्त और बलशाली बनाने के लिए उसे दो वक्त की रोटी और खाना तो मिलना चाहिए। आज देश में यह स्थिति है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को लागू करने में कई बार अलग-अलग नीति अपनाई जाती है। इस व्यवस्था में अनियमितता ज्यादा विधायी देती है और उस अनियमितता के कारण उसका नतीजा राज्यों के भुगतान पड़ता है। केन्द्र सरकार की गलती है और परेशान राज्य सरकार होती है। केन्द्र समय पर अनाज नहीं देता है और राज्य बदनाम होते हैं। यह स्थिति हमें हर राज्य में दिखायी देती है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के संदर्भ में कुछ आंकड़े मैं इस सदन में माननीय मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में फरवरी-मार्च 1997 में एक लाख मीटरिक टन गेहूं दिया गया, जो कि अप्रैल-मई में घटकर 95 हजार मीटरिक टन रह गया। यानी पांच हजार

---

*अपराह्न 2.03 बजे गणपूर्ति घंटी बजी। गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.06 बजे गणपूर्ति घंटी पुनः बजी और गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.09 बजे गणपूर्ति घंटी एक बार फिर बजी और गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् अपर-सचिव ने सदस्यों को निम्न प्रकार सूचित किया।

> "गणपूर्ति नहीं हुई है। इसलिए सदन की बैठक नहीं हो सकती; और हम सदन की कार्यवाही तब तक आरम्भ नहीं कर सकते जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये। सभापति महोदय ने निर्देश दिया है कि सभा दो बजकर पच्चीस मिनट पर पुनः समवेत होगी।"

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

मीटरिक टन कम हो गया। जून से अगस्त तक घटकर वह 80 हजार मीटरिक टन हो गया। यानी जो गेहूं महाराष्ट्र को फरवरी 1997 में एक लाख मीटरिक टन मिलता था वह अगस्त में आज 80 हजार मीटरिक टन हो गया है। यानी उसमें 20 हजार मीटरिक टन गेहूं कम हो गया। इसी प्रकार फरवरी-मार्च महीने में प्रति मास 71,500 मीटरिक टन चावल दिया गया। अप्रैल-मई में 71,500 मी॰ टन दिया गया। लेकिन आज अगस्त में प्रति मास 43,500 मी॰ टन चावल मिल रहा है। यानी लगभग 28 हजार मीटरिक टन चावल भी फरवरी महीने की तुलना में महाराष्ट्र में आज कम मिल रहा है। इस प्रकार 28 हजार मीटरिक टन चावल, 15 हजार मीटरिक टन गेहूं फरवरी महीने की तुलना में महाराष्ट्र को कम दिया जा रहा है। मैं यह समझ पाया कि यह क्यों किया जा रहा है। कौन-सी नीति अपनाने की वजह से यह कमी की जा रही है। जून 1997 से राज्यों में टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ स्कीम लागू हो गई है। जो हमारी केन्द्र सरकार के नियम हैं उन नियमों के मुताबिक भी यदि हम इस टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ को लागू करते हैं तो लगभग 60 लाख 45 हजार परिवार केन्द्र सरकार के नियम के मुताबिक हमारे यहां हैं और इन सभी परिवारों को हमें 10-10 किलो अनाज और चावल आधे दामों में देना है। हमारे राज्य ने केन्द्र से मांग की है कि हमें फरवरी-मार्च में जितना गेहूं और चावल मिलता था, आज केन्द्र सरकार इस मुसीबत को नहीं समझती है। पहले फरवरी में एक लाख मीटरिक टन गेहूं दिया है और आज वह एक लाख से घटकर 80 हजार मीटरिक टन यानी इसमें 20 हजार की कमी की गई है और जब एक लाख मीटरिक टन आपने राज्य को देते थे तो हर सस्ती दर की दुकानों पर वह उपलब्ध था। लेकिन आज 20 हजार मीटरिक टन की उसमें कमी की गई है और मांग बढ़ती चली जा रही है। जब राज्य की मांग बढ़ती और केन्द्र उसका आबंटन कम कर देता है तो राज्य के लिए बहुत समस्या पैदा हो जाती है।

सभापति महोदय, जो स्थिति गेहूं और चावल की महाराष्ट्र में रही आज वही स्थिति खाद्य तेल की भी है। जनवरी-फरवरी में खाद्य तेल आपने दो हजार मीटरिक टन दिया, मार्च में एक हजार मीटरिक टन दिया और अप्रैल के बाद से आज तक एक किलो खाद्य तेल भी आपने राज्य को नहीं दिया है। जीवन में खाद्य तेल उतना ही जरूरी है जितना की गेहूं और चावल जरूरी है।

खुले बाजार में खाद्य तेल मिलता है, उसके दाम बहुत ज्यादा हैं। गरीब आदमी उसे नहीं खरीद सकता। महाराष्ट्र में हर फैमिली को प्रति राशन कार्ड एक किलो पाम ऑयल सस्ती दर पर दिया जाता है लेकिन अप्रैल माह से आज तक कोई पाम ऑयल राज्य को नहीं मिला है। अब श्रावण मास चल रहा है और हमारे यहां सांस्कृतिक त्यौहारों का मौसम शुरू होने वाला है। त्यौहार के दिनों में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बाजार से शक्कर गायब, खाद्य-तेल गायब, गेहूं गायब-यानी दैनिक जरूरत की सारी चीजें गायब हो जाती हैं। ये सभी वस्तुएं केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजी जाती हैं, राज्य सरकारें सिर्फ इन चीजों का वितरण करती हैं। राज्य सरकार अपने यहां पैदा होने वाली, उगने वाली चीजें लोगों को स्वयं सप्लाई नहीं कर सकती। हमारे राज्य में शक्कर काफी होती है लेकिन राज्य सरकार उसे सस्ती दर पर लोगों को नहीं दे सकती। केन्द्र की ओर से राज्य को जितना अनाज, शक्कर और मिट्टी का तेल दिया जाता है, राज्य सरकारें सिर्फ उसे ही लोगों में वितरित कर सकती है। आज हमारे राज्य में खाद्य-तेल और कैरोसिन ऑयल की बहुत समस्या है।

मुझे आश्चर्य है कि यहां अलग-अलग तरह की नीतियां क्यों अपनाई जाती हैं। महाराष्ट्र राज्य को 1995 तक जितना कैरोसिन ऑयल दिया जाता था, वह अलग नियम या अलग नीति के अंतर्गत दिया जाता था। गर्मियों के दिनों में, मार्च 1994 से जून, 1994 तक 1,50,814 किलो लीटर प्रति मास, वर्षा के दिनों में जुलाई, 1994 से अक्तूबर, 1994 तक 1,60,074 किलो लीटर प्रति मास और सर्दी के दिनों में नवम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 तक 1,74,522 किलो लीटर कैरोसिन ऑयल प्रति मास महाराष्ट्र को दिया गया। सभापति जी, गर्मियों में मिट्टी का तेल कम लगता है क्योंकि गर्मियों में खाना जल्दी पकता है और नहाने के लिए पानी गर्म करने की जरूरत भी नहीं होती। बरसात के दिनों में उससे ज्यादा मिट्टी का तेल लगता है और सर्दी के दिनों में सबसे ज्यादा, लगभग दुगना मिट्टी का तेल लगता है। पहले यह नीति थी कि मौसम के मुताबिक मिट्टी का तेल हमें मिलता था लेकिन 1995 से अब तक एवरेज आधार पर दिया जा रहा है—यानी अप्रैल, 1995 से 1,63,000 किलो लीटर, 1996-97 में 1,65,000 किलो लीटर और 1997-98 में 1,67,000 किलो लीटर मिट्टी का तेल हमें मिला। मिट्टी के तेल के वितरण में जो अलग नीति अपनाई जाती है उसका असर न सिर्फ राज्य पर पड़ता है बल्कि उस राज्य में रहने वाली जनता, उपभोक्ता और नागरिक भी उससे प्रभावित होते हैं। जब तक मौसम में काफी मात्रा में मिट्टी का तेल मिले और उसके दो महीने बाद बिल्कुल न मिले तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं।

यहां हमारे एक सांसद ने वर्षा का उल्लेख किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जानते हैं कि 5-5 या 6-6 गांवों के बीच में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान होती है। वर्षा के दिनों में लोग उन दुकानों तक पहुंच नहीं पाते जिसके कारण उन दुकानों को जो मिट्टी का तेल या अन्य सामान दिया जाता है, उसे वे ब्लैक में बेच लेते हैं। मेरी मांग है कि अनाज और खाद्य-तेल आदि सभी राज्यों को, उनकी मांग के मुताबिक, सही समय पर मिलना चाहिए।

महाराष्ट्र की आबादी लगभग 10 करोड़ है और जिसमें से लगभग एक करोड़ बीस लाख लोग अकेले मुम्बई शहर में रहते हैं। इन एक करोड़ 20 लाख लोगों में 38 प्रतिशत महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं और शेष 62 प्रतिशत लोग देश के दूसरे राज्यों से आकर वहां बस गए हैं। जब 70-75 लाख लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आकर मुम्बई में रहते हैं, महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि राज्य में रहने वाले हर गरीब को किफायती दर पर, सस्ती दर पर राशन की दुकान से अनाज मिले। मुम्बई की कुल आबादी में से लगभग 60 प्रतिशत लोग झुग्गी-झोंपड़ी या छोटी बस्तियों में रहते हैं, जो गरीब हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मुम्बई में जो 70-80 लाख गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, वर्कर्स हैं, सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक काम करके रोजी-रोटी

कमाते हैं तभी उन्हें दो वक्त का खाना मिलता है ऐसे लोग हैं।

ऐसे लोग हैं जिन्हें सस्ते दामों में अनाज मिलना जरूरी है। वे राशन की दुकानों पर जाते हैं। हमारी इस प्रणाली के मुताबिक अनाज लेने के लिए राशन की दुकानों पर जाते हैं, लेकिन उनको जितनी मात्रा में निर्धारित अनाज है वह नहीं मिलता है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दिया जाता है जिसके कारण हम लोगों को पूरा अनाज नहीं दे पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि देश के गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की जो योजना है और जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह अनाज दिया जाता है, यह समाज के लिए उपयोगी और एक बहुत आवश्यक अंग है। इसे सही ढंग से दिया जाना बहुत जरूरी है। हमें यह देखना जरूरी है कि हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत जिन गरीब लोगों को हम अनाज देने जा रहे हैं या अब जो आपने यह नया टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ सिस्टम बनाया है, इसके अंतर्गत हम लोगों को अनाज दे पाते हैं कि नहीं। जिन लोगों के लिए यह योजना है उनके पास अनाज पहुंचता है या नहीं, यह देखा जाना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी गरीबों के लिए इस प्रकार की योजनाएं हैं उनमें टारगैट तो पूरा हो जाता है, लेकिन जिन गरीबों को लाभ देने के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं, उनको इनका लाभ नहीं मिलता है। आप किसी भी राज्य से इसका ब्यौरा मंगा लें, सभी राज्यों में टारगैट पूरा होता है, लेकिन किसी भी राज्य में जिन गरीबों के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उपभोक्ता को यह लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए केन्द्र की यह जिम्मेदारी है कि जिनके लिए यह स्कीम बनाई गई है उनको लाभ मिलता है या नहीं इसकी जांच करनी चाहिए। यह एक अच्छी योजना है जो केन्द्र सरकार की ओर से दी गई है। मैं इस योजना की सराहना करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : सभापति महोदय, क्या मैं एक क्षण के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदया, मैंने अपने माननीय मित्र की बातों को सुना है और उनकी बातों से सहमत हूं क्योंकि सुचारु सार्वजनिक प्रणाली का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज के बहुत गरीब लोगों की सहायता की जा सकती है और उनकी समस्याएं भी दूर की जा सकती हैं और यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रधान उद्देश्य है। समय के साथ-साथ हमने यह अनुभव किया है कि उत्पादकों को दी जाने वाली धनराशि में अभिवृद्धि मूल्यों के बढ़ने का प्रधान कारण है। उदाहरणार्थ, प्रति वर्ष सरकार ने कृषक समुदाय को अधिक मूल्य दिया और अब भी दे रही है। मुझे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे विचार से यह हमें करना था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में कृषक समुदाय का बहुमत है और उनके द्वारा किये गये परिश्रम का मूल्य उन्हें मिलना चाहिए स्वाभाविक रूप से इससे सरकारी क्रम में भी अभिवृद्धि होगी।

अब सरकार—मेरी सरकार के नहीं, पिछली सरकार के, जिसका मैं एक सदस्य था, के समक्ष प्रश्न आता है कि गरीब वर्ग की समस्याओं को कैसे दूर करें। हम सदैव इस सच्चाई के प्रति सतर्क थे कि यह उन लोगों के लिए असहनीय बोझ है जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मेरे माननीय मित्र ने सही बताया है कि जो झुग्गी-झोपड़ियों या वे लोग सड़क के किनारे रहते हैं, जो शहरी गरीबों के एक अंग हैं बहुत अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें सदैव ध्यान रखना है। इसलिए यह नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरम्भ हुई। विचार यह था कि कम से कम कुछ आवश्यकताएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जायें। इसलिए प्रति परिवार दस किलो चावल आधे मूल्य पर दिये गये। इसका अर्थ था कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए वार्षिक वित्तीय भार पड़ना था। योजना का क्रियान्वयन हो गया है। यह वितरित किया जा रहा है।

अब धीरे-धीरे जैसे समय व्यतीत हो रहा है—मैं विभिन्न राज्यों, विशेषकर पिछड़े राज्य और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और उनके मुख्य मंत्रियों सहित मैं विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात-चीत कर रहा हूं—इससे पता चला है कि प्रणाली में कई खामियां हैं। इसमें पहली खामी है कि प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम चावल आधे मूल्य पर दिया जाता है लेकिन कोई भी परिवार केवल दस किलोग्राम चावल से जीवन-यापन नहीं कर सकता है। इसलिए यह मानना कि चार या पांच लोगों का परिवार प्रतिमाह दस किलोग्राम चावल से अपना जीवन यापन कर लेगा तो बहुत बड़ी गलती होगी। यह पर्याप्त नहीं है। यह एक सही आपत्ति है। शेष की पूर्ति के लिए वह बाजार मूल्य पर खरीदते हैं जो कि अधिक है। इसलिए जो सहायता उन्हें दी जाती है वह बहुत सीमित होती है। राहत तो दी जा रही है लेकिन इतनी नही है जितनी की आवश्यकता है। सच्चाइयों पर ध्यान देते हुए कि ये बातें हमारी ध्यान में आयी हैं। हमने आपस में चर्चा की और एक नयी योजना का श्रीगणेश करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक बैठक शीघ्र ही करने जा रहे हैं। इस बीच हम दूसरे विकल्प ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे। माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि हम राज सहायता एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं इसका यह कारण नहीं है कि राज सहायता की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसका कारण है कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है और हमें यह निश्चित करना है कि इसको कैसे वहन करें।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि 9,000 करोड़ की राजसहायता पहले ही दी जा रही है। शायद आंशिक रूप से कुछ और भी बढ़ाया जा सकता है। शायद हम इसको कुछ अलग कर सकते हैं।

इसलिए, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मंत्रालय ने इसका विकल्प तलाशने का निर्देश दिया है और निकट भविष्य में मुख्य मंत्रियों से मिलूंगा और इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आसन पर बैठूं मैं एक बार फिर वही बातें दुहराता हूं जो मैंने आरम्भ में कहा था कि

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

समाज के पीड़ित वर्ग के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम, विशेषकर स्वतंत्रता के पचास वर्ष में कुछ करना चाहते हैं। यह बहुत खेद और शर्म की बात है कि इस देश में अभी भी भारी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इस बात से मुझे कोई संतोष नहीं है कि उनकी संख्या में कमी या प्रतिशत में कमी आयी है। गांधी जी के शब्दों में "जब तक भी आंख में आंसू होगा, देश अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता।"

इसलिए मैं इससे सहमत हूं। मैं सोचता हूं कि आप या आपके पीछे बैठे श्री जार्ज फर्नांडीज और अन्य मित्र जो यहां उपस्थित हैं सभी इस प्रकार की भावना से अभिभूत हैं। मेरा कहना है कि हमने कुछ लोगों के लिए, जो धनवान हैं, स्वतंत्रता संघर्ष नहीं किया था। हम चाहते हैं कि गरीबों को उनका उचित हिस्सा मिले।

आंशिक रूप से इसे पूरा कर लिया गया है लेकिन मैं सोचता हूं अभी भी बहुत कुछ करना है और मैं सोचता हूं कि यह ऐसा, चाहे हम इस ओर रहे या उस ओर, होने का कुछ कारण है और इसलिए हम इससे सहमत हैं। यह एक दल का प्रश्न नहीं है ...*(व्यवधान)* यह एक साधारण नीति का प्रश्न है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप कोई ठोस योजना बनाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजरात : इसलिए मैं सोचता हूं कि सच्चाई पर ध्यान देना महत्वपूर्ण कार्य है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसलिए यह किसी दल का प्रश्न नहीं है। ...*(व्यवधान)* मुख्य बात यह है कि हम सब अपने को इस समस्या में शामिल करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमें जिस समय विकल्प मिल जाएगा हम सदन में आएंगे आप सभी के साथ, नेताओं की बैठक और सभा दोनों में ही चर्चा करेंगे और उस योजना का श्रीगणेश करेंगे जो गरीबी के लिए अधिक लाभदायक होगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : मेरी इसमें एक ही प्रार्थना थी कि जब आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसिडी देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह सबसिडी उस सैक्शन को भी दी जाये जिसकी उसको जरूरत नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी (बीकानेर) : सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल श्री बल्लभ पाणिग्रही जी ने पी॰ डी॰ एस॰ के संबंध में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने हेतु प्रस्ताव रखा था और वह चर्चा लगातार चल रही है। अलग-अलग क्षेत्र के सांसद, अलग-अलग स्टेट के सांसद अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। बीच में ही आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरविन किया और जो शंकायें हम लोगों के दिमाग में थी उन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सहमति जाहिर की है। निश्चित रूप से यह बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी इस बात को बार-बार उल्लिखित कर रहे हैं और कल से भी सदन में इस पर चर्चा चल रही है कि जो टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ योजना लागू की गयी है उसमें 10 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार को आबंटित किया जा रहा है, वह वास्तव में बहुत कम है।

पूर्व की जो पी॰ डी॰ एस॰ स्कीम थी जिसमें 30 किलो गेहूं प्रति परिवार को आबंटित किया जा रहा था उसके पश्चात् इस योजना को लागू करने से निश्चित रूप से गरीब परिवार को भी लाभ नहीं हुआ। हो सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा जी के दिमाग में उन्हें लाभ पहुंचाने की योजना रही हो लेकिन जिस प्रकार से यह योजना लागू हुई कि प्रति परिवार को 10 किलोग्राम गेहूं तीन रुपये किलो से आबंटित किया जायेगा, खाद्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इस योजना को शुरू करने से पहले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की थी। उसके बाद खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसकी चर्चा हुई और तत्पश्चात् प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की। योजना के उद्देश्य अच्छे थे। सरकार के दिमाग में यह बात भी थी कि गरीब को इसका लाभ मिले। अंतिम छोर पर बैठने वाला, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला, अंतिम धानी में बैठने वाले व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इस योजना का समुचित लाभ उन्हें नहीं मिल पाया।

वास्तव में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि गरीब आदमी के घर में चाहे वह कोई आदमी हो, हम यह मानकर चलते हैं कि चार आदमियों का एक परिवार तो कम से कम होगा और ज्यादा से ज्यादा और भी मानकर चलें, परिवार नियोजन की योजना को अगर मानें तो कम से कम सात आदमियों का एक परिवार होगा। सात आदमियों के एक परिवार के भरण-पोषण करने हेतु पर्याप्त नहीं है। काफी लोग 30 किलो कह रहे हैं लेकिन मेरे विचार से और हमारी स्टेट ने भी इस संबंध में मांग की है कि 40 किलो की उसे आवश्यकता होगी।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि उसे 40 किलो की आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति करने के लिए 10 किलो अनाज सरकार पी॰ डी॰ एस॰ योजना से देगी लेकिन बाकी का 30 किलो अनाज उसे 7.60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि किसी परिवार में 4 से 7 सदस्य हैं तो उन्हें इस मद में करीबन 258 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि हम पूर्व की योजना का अध्ययन करें तो पूर्व में उनको जो 30 किलो अनाज मिल रहा था, उससे उन्हें केवल मात्र 153 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। इस तरह से उन्हें करीबन 100 रुपये अतिरिक्त इस मद में खर्च करने पड़ेंगे तब जाकर उनका भरण-पोषण हो सकेगा।

मेरा सुझाव है, अन्य सदस्यों ने भी सुझाव दिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वास्तव में यह योजना अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा है कि इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए भविष्य में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर इसे पुनः परिवर्तित करेंगे। इससे निश्चित रूप से एक बात तो तय हो गई है कि पूर्व की योजना अव्यावहारिक थी। जो भी राज्य इस बात का विरोध कर रहे थे, उनकी बात जायज थी।

मैं राजस्थान से आता हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर है। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरो सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को समय-समय पर पत्र लिखे। यह योजना शुरू होने से पहले इस तरह की शंकाओं से उन्हें अवगत करवा दिया था। उन्होंने यह भी मांग रखी है, मेरे ख्याल से उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को एक पत्र भेजा है, उन्होंने यह शंका जाहिर की है कि यदि 40 किलो प्रति परिवार अनाज नहीं बढ़ाया गया तो वास्तव में जो लाभ हम गरीबों को देना चाहते हैं, वह उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए राजस्थान को पूर्व में 13,57,670 मीटरिक टन का आबंटन आंबटित हो रहा था लेकिन इस नई योजना के लागू होने से केवल मात्र 6,61,900 मीटरिक टन आबंटित हो रहा है। इससे एक बात स्पष्ट है कि राजस्थान को पूर्व की योजना में ज्यादा ऐलोकेशन हो रहा था, अब की योजना में उसे करीबन उसका आधा आबंटन हो रहा है। यह बहुत ही खेद की बात है। सरकार ने इस योजना को लागू करने से पहले एक भी मीटरिक टन अतिरिक्त आबंटन नहीं किया। पूरे देश के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त आबंटन नहीं किया। उसी योजना को केवल मात्र कागजों में ही थोड़ा-बहुत इधर-उधर करके पी॰ डी॰ एस॰ योजना का नया नाम दे दिया।

मेरा सुझाव है, हमारे राजस्थान सरकार की भी मांग है, पूर्व की जो 30 किलो की योजना थी, या तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो हम यह भी चाहेंगे कि यदि आप उनको जो 3.00 रुपये किलो देना चाहते हैं, वह 40 किलो तक आबंटित करें। तभी वास्तव में गरीब व्यक्ति को लाभ होगा, उसके पूरे परिवार का भरण-पोषण होगा।

हम यहां योजना तो लागू कर देते हैं लेकिन उसकी मौनीटरिंग के लिए पूरी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। यह बात भी सही है कि मौनीटरिंग का कार्य राज्य सरकारों के पास है। कल शिवराज सिंह जी बता रहे थे, उन्हें वितरण व्यवस्था के संबंध में अपनी राज्य सरकार से शिकायत थी। हमारे राज्य में ऐसी कोई प्रौब्लम नहीं है। राजस्थान में वितरण की व्यवस्था तो सुचारु रूप से चलती है। लेकिन मैं जनरल रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि वितरण व्यवस्था में केन्द्र सरकार की तरफ से मौनीटरिंग होनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने योजना को लागू करते समय एक बात कही थी और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए कि दुकान के स्तर पर, पंचायत समिति, तहसील के स्तर पर, जिला स्तर पर विजिलैंस कमेटियां इस क्षेत्र की मौनीटरिंग के लिए गठित की जाएं। राजस्थान में इस प्रकार की कमेटियों का गठन हो चुका है। मैं मंत्री महोदय से उनके उत्तर के समय यह जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों में भी इस प्रकार की समितियों का गठन हो चुका है। इसी प्रकार दुकानों पर, चाहे वह अनाज की बात हो, चीनी की बात हो, मिट्टी के तेल की बात हो, जिस मात्रा में उन्हें उपलब्ध होना चाहिए, जहां डिपो होता है वहां से पूरा माल उठता है, उसके पश्चात् गांव तक पहुंचने से पहले ही उसमें से आधे से ज्यादा माल काला बाजारी में बिक्री के लिए दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सरकार ने समय-समय पर चिन्ता जाहिर की है। मैं चाहूंगा कि केवल मात्र चिन्ता जाहिर करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा।

व्यावहारिक रूप से इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी, इसकी भी निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय जानकारी देंगे। साथ ही साथ राशन की जो मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, निश्चित रूप से सभी राज्य सरकारों की मांगों को देखते हुए बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि आपने पूर्व में यह योजना लागू करने के पहले यह तय कर दिया कि पिछले 10 सालों का जो उनका एलोकेशन था, उसकी एवरेज देखते हुए हम लोग इसका आबंटन करेंगे। एवरेज देखकर आपने आबंटन किया होगा, लेकिन वास्तव में आबंटन को उठाने में जो उनकी कठिनाइयां थी, उनको क्या परेशानियां हुई, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमें नये सिरे से एलोकेशन करना चाहिए। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही है, यह योजना नये सिरे से आपके द्वारा घोषित की जायेगी। इससे मुझे यह भी लगता है कि जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं, जो टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि वह टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद लागू रहेगी भी या नहीं रहेगी। मुझे तो अब उनकी बातों से इस बात की भी आशंका हो गई है, निश्चित रूप से उनकी बातों से ऐसा जाहिर हो रहा था कि टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ को किसी अन्य परिवर्तित रूप में अब वे लागू करना चाहते हैं। वे भी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं।

हमारे साथ गीते जी ने जो बातें कहीं, उनकी बातों में उन्होंने सहमति जाहिर की थी। आपने जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का आबंटन आपके द्वारा किया जाता है, वह एफ॰ सी॰ आई॰ के गोदामों से उठता है। एफ॰ सी॰ आई॰ की कार्यप्रणाली के बारे में भी कल से बहुत कुछ चर्चाएं यहां पर हो रही हैं। मैं एफ॰सी॰आई॰ की कार्यप्रणाली का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, इतने उदाहरण मत दीजिए, आपका टाइम निकल जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, मुझे पहली बार एक मौका मिला है, मैं नया सदस्य हूं। ...*(व्यवधान)* मौका मिलता रहेगा तो वह मौका तो जनता देगी।

बीकानेर में तीन एफ॰ सी॰ आई॰ के गोदाम हैं। बीकानेर के देशनोक, उदासर और नोखा, इन तीनों में जो प्लेटफार्म्स होते हैं, वहां पर करीबन एक लाख 20 हजार मीट्रिक टन खराब गेहूं था, उस खराब गेहूं को 305 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 8000 मीट्रिक टन गेहूं तो आपको बेच दिया गया और बाकी का जो एक लाख 12 हजार मीट्रिक टन गेहूं था, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल मात्र 90 रुपये

[श्री महेन्द्र सिंह भाटी]

प्रति क्विंटल के भाव से उसको बेच दिया गया। इससे मैंने जो अंदाजा लगाया, गरीब 3.72 करोड़ रुपये का सरकार का नुकसान हुआ है। यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अधिकारियों ने मिल जुलकर इस प्रकार की व्यवस्था की। जब उनके पास एक लाख 20 हजार मीट्रिक टन खराब गेहूं था, उस समय उन्हें 305 रुपये की दर मिल रही थी वही दर उनको लेनी चाहिए थी और उसी पर सारा गेहूं बेचना चाहिए था, जो खराब गेहूं पशु आहार के काम में आता है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह उम्मीद करता हूं कि यह घोटाला अगर वे उसकी जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से वहां के सारे अधिकारी इसमें दोषी पाये जायेंगे, इसलिए इसे माननीय मंत्री महोदय गम्भीरता से लें।

साथ ही साथ अन्त में जो टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ है, उस संबंध में जो बातें अभी बाकी सांसदों ने यहां जाहिर की हैं, मैं उन सभी बातों से सहमति जाहिर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो राजस्थान की शिकायतें हैं, उन्हें माननीय खाद्य मंत्री जी पूरा करेंगे।

आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय खाद्य मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में खाद्य निगम के ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री नारायण स्वामी बोलेंगे। श्री नारायण स्वामी जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सी॰ नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर) : सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर दिल्ली) : वे तो अपनी बात रख रहे हैं।

सभापति महोदय : नहीं, बात रखने का भी समय नहीं है। उनको मैंने बहुत समय दिया। उनको भी समय मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नारायण स्वामी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यदि आप लोग ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो कोई नहीं बोल पाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : वह अपनी बात रख रहे हैं।

सभापति महोदय : बात रखने का समय होता है। उनको मैंने बहुत समय दिया है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापित महोदय : माननीय मंत्री को अपराह्न 3.30 बजे के पहले जवाब देना है। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री सी॰ नारायण स्वामी : सभापति महोदय, मैं इस पुनीत सभा का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही खाद्यान्न वितरण से संबंधित मुद्दे तथा देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से सुचारुबद्ध करने के लिए सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की बात कही है। मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कतिपय पहलुओं का उल्लेख करूंगा। इस प्रणाली के अंतर्गत वितरित लिए जाने वाले खाद्यान्नों को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किया जाता है। मैंने इस श्रद्धास्पद सभा के बार-बार यह कहा है कि चीनी, मिट्टी का तेल तथा खाद्य तेल के अतिरिक्त मुख्य तौर पर चावल और गेहूं की इस प्रणाली से आपूर्ति की जाती है। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में खान-पान के अलग-अलग तरीके हैं। अनेक ऐसे स्थान हैं जहां आम लोगों द्वारा गेहूं को खाद्यान्न के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

मैं कर्नाटक राज्य का रहने वाला हूं जहां स्थानीय लोगों का मुख्य खाद्यान्न रागी है। देश के कुछ भागों में लोग ज्वार भी खाते हैं। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी ज्वार का सेवन किया जाता है। मैं सरकार से, विशेषकर खाद्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन खाद्यान्नों की इस प्रणाली के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध करायें। इससे लोगों को दो तरह से फायदा होगा। पहला तो लोगों को अपनी इच्छानुसार खाद्यान्न मिल सकेगा और दूसरा जब केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों खाद्यान्न इकट्ठा करेगी तो जो किसान इन खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं वे लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें उनके उत्पाद की लाभकारी

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कीमत भी मिलती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु करने के पहले भारतीय खाद्य निगम को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस निगम के कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं। खाद्य निगम खाद्यान्न इकट्ठा करता है, उसका भंडारण करता है तथा देश के विभिन्न भागों में उसे वितरित करता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से विभिन्न राज्यों के नामांकित थोक विक्रेता खाद्यान्नों से प्राप्त करते हैं। ज्यादातर मामलों में मुझे इन बातों का व्यक्तिगत तौर पर इसलिए जानकारी है क्योंकि अपने राज्य में कुछ समय के लिए मैं खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम का प्रमुख रहा था—राज्य द्वारा नामांकित थोक-विक्रेताओं को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से घटिया खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। यह आरोप लगाये जाते थे—कुछ मामलों में मेरे विचार से सही थे—कि घटिया किस्म के खाद्यान्न, ऐसे खाद्यान्न जो मनुष्य के सेवन के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है और जिसे मुर्गियों और पशुओं के सेवन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, उसे भी नामांकित थोक-विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण के लिए बांटा गया।

इन विसंगतियों को ठीक करना होगा। इन आरोपों पर ध्यान देना होगा। इसको साथ-साथ मिलावट की समस्या भी गंभीर है। मिट्टी का तेल, जिसे पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में वितरण के लिए जारी किया जाता है, उसमें भी अन्य पैट्रोलियम उत्पादों को मिला दिया जाता है। ज्यादातर मिट्टी का तेल, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को वितरित किया जाना होता है, उसे भी अन्य पैट्रोलियम उत्पाद विशेषकर पैट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है। इसमें मुझे विभाग के लोगों की मिलीभगत लगती है। केन्द्र और राज्य सरकारों, विशेषकर पैट्रोलियम, राज्यों के खाद्य विभागों तथा तौल और माप विभाग, के बीच समन्वय होना चाहिए जिससे कि पैट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता के प्रमाणित किया जा सके।

खाद्य तेलों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है और ज्यादातर मामलों में यह निजी तेल मिलों में पहुंचा दिया जाता है। कर्नाटक में खाद्य तेलों की आपूर्ति थैलियों में करने की कोशिश की जा रही है। अब चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे देश में लागू की जा चुकी है अतः तेल को टिन और थैलियों के द्वारा परिवारों तक पहुंचाया जाए जिससे कि उसमें अपमिश्रण न किया जा सके।

एक अन्य पहलू मिट्टी का तेल सहित खाद्यान्नों का वितरण पर निगरानी रखने से संबंधित है। अब विभिन्न स्तरों पर सतर्कता आयोग का गठन करने का भी उपबंध किया गया है। आवश्यक वस्तुओं का वितरण तथा उन पर निगरानी रखने के लिए पंचायतों, नगरपालिकाओं, निगमों तथा इन स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाना चाहिए। कभी-कभी समस्याएं तब उठती हैं जब किसी विशेष राज्य को उसका आबंटन किया जाता है। कल भी इसका उल्लेख किया गया था। खाद्यान्नों की ढुलाई में कुछ कमी आयी है। इसके अनेक कारण हैं। गोदामों में माल उठाने और उसे उचित दर की दुकानों या खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाने वाले नामांकित थोक-विक्रेताओं को ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि में भी विलम्ब हुआ। राज्य सरकारों को इसमें शामिल परिवहन व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्यों को धन जारी करने में विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप उन्हें आबंटित खाद्यान्नों की ढुलाई में विलंब हो रहा है।

ये कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मैं ध्यान में लाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय खाद्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर गौर करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करते हुए खरीद, भंडारण और थोक-विक्रेताओं द्वारा वितरण जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार की मंशा यह रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको खाने के लिए समुचित खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर एक अच्छे उद्देश्य से इस सिस्टम को शुरू किया गया था लेकिन व्यावहारिकता यह है, जैसा कि हमारे कुछ माननीय सांसदों ने ठीक ही कहा है कि इस प्रणाली के माध्यम से वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस बारे में सरकार को निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निश्चित रूप से गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचे, यह राज्यों का मामला है, लेकिन यह कहकर हम अपने आपसे नहीं बच पाएंगे। केन्द्र सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि केन्द्र सरकार का भी कुछ अंकुश वितरण प्रणाली पर रहे और सरकार की गरीबों तक जो खाद्यान्न पहुंचाने की मंशा है, वह पूरी हो सके। इस दिशा में कई प्रकार से सरकार ने कदम उठाए हैं। अभी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने उन गरीबों तक राशन पहुंचाने की दिशा में कदम उठाए हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस क्षेत्र में सरकार बड़े पैमाने पर धनराशि भी खर्च कर रही है और इसकी शुरुआत भी की गई है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था की है, उसके लिए कार्ड बने हैं या नहीं बने हैं ? यदि बने हैं तो कितने राज्यों में बने हैं और बन गए हैं तो क्या सही तरह से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है ? यदि इसके भी आंकड़े दे दें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि कार्ड के माध्यम से...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : कार्ड का रेट भी बढ़ गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : इन कार्डों का वितरण भी समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। गरीबों को आधे दाम पर राशन पहुंचाने की जो सरकार की मंशा है, वह पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कोई ठोस उपाय करने चाहिए ताकि वे गरीब जिनके लिए सरकार ने लगभग 8000 से 9000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई है, उन तक राशन पहुंच सके।

[श्री राम कृपाल यादव]

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि बिहार में लगभग 54 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। वहां झुग्गी-झोपड़ी और खेत-खलिहानों में लोग रहते हैं और दिन भर कमाने के बाद भी दो वक्त तक रोटी नहीं कमा पाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बिहार में 86 लाख है और 54 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, वहां के लिए हम देखते हैं कि केन्द्र सरकार ने भी दो तरह का दृष्टिकोण अपनाने का काम किया है। बिहार और उड़ीसा जो बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, वहां सरकार भी दोहरे मापदंड अपना रही है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बिहार और उड़ीसा में प्रति व्यक्ति सरकार सात लीटर तेल देती है और दूसरे राज्यों में 10, 11 और 12 लीटर तेल देती है। सरकार बिहार और उड़ीसा के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है ? मेरा आग्रह है कि सरकार को अपने व्यवहार में एकरूपता लानी चाहिए और दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए ताकि गरीब लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर वितरण सिस्टम में काफी गड़बड़ियां हैं। अभी जोशी जी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। हमारी सरकार निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। अभी जोशी जी ने बार-बार जिक्र किया कि इस बारे में सरकार ने जो कार्यवाही की है, यह जवाब दे दें तो आप सदन को संतुष्ट कर पाएंगे। इसी तरह की सारे सिस्टम में गड़बड़ियां हैं।

उसको दूर करने की आवश्यकता है। आप ईमानदार और कर्मठ मंत्री रहे हैं और आपका एक इतिहास रहा है। मैं समझता हूं कि आपके मंत्रित्वकाल में ऐसे जो आरोप लग रहे हैं या जो इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, उनको दूर करने का काम करेंगे, ताकि स्वच्छ और अच्छा शासन आपके माध्यम से अपने देश की जनता को दिया जा सके और अनाज का वितरण किया जा सके।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानदार लोग हैं, उनको कमीशन कम मिलता है, इस वजह से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। अगर निश्चित तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में विचार करना होगा। अगर आप व्यावहारिक नहीं बनेंगे, तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। वे गड़बड़ी पैदा ही करेंगे। इसक साथ ही यदि आप फाल्स राशन कार्ड की स्थिति देखें, तो देश में जितनी जनसंख्या हैं, उससे कई गुना अधिक राशन कार्ड बने हुए हैं। इस वजह से भी वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और अनाज ब्लैक मार्केट में चला जाता है तथा लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में विचार करे और जो खामियां व कमियां हैं, उनको दूर करे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की है, उसको ध्यान में रखते हुए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो अपना जीवन बीता रहे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए कदम उठाना चाहिए। हमारी संयुक्त मोर्चे की सरकार कटिबद्ध है कि हम गरीबों को भूख से नहीं मरने देंगे। इस भावना के अंतर्गत आप काम करें, ताकि गरीबों को अनाज सुनिश्चित हो सके और गरीब मरने न पाएं।

अंत में, हम यही निवेदन करेंगे कि जिन माननीय सदस्यों ने कमियां व खामियां बताई हैं, उनको दूर करने के लिए ठोस कदम उठायेंगे और विचार करेंगे। यह कहते हुए, हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली हैं, उसकी महत्ता को देखते हुए आप अच्छे और कारगर कदम उठायेंगे, ताकि गरीबों को मदद मिल सके।

श्री राम बहादुर सिंह (महाराज गंज) : सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक सार्वजनिक कदम है। इसके पीछे मंशा यह है कि जो उपभोक्ता है, उसकी जो कार्य-क्षमता है, उसके भीतर उसको.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि अब अपराह्न 3.30 बज चुके हैं, अत: मैं सभा की राय लूंगा कि श्री राम बहादुर सिंह द्वारा अभिभाषण पूरा करने के बाद, जब तक मंत्री जी का उत्तर पूरा नहीं होता, यह विषय जारी रहेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सदन से केवल पूछ रहा हूं। अगर आप सभी एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो मैं किससे बात करूंगा ? मैंने केवल आपसे पूछा ही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी द्वारा इस बहस का जवाब दिए जाने से पहले बोलने वाले वे आखिरी वक्ता हैं। इसलिए, यदि सभा की अनुमति है तो मैं बहस के पूरा होने तक समय को बढ़ाना चाहता हूं और उसके बाद निजी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करना चाहूंगा।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अपराह्न 3.30 बजे निजी सदस्यों के कार्य पर चर्चा की जानी चाहिए तथा इसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि ऐसा होता है तो श्री राम बहादुर सिंह अभी सिर्फ दो मिनट के लिए बोलेंगे और फिर हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जरा घड़ी देखिए। केवल दो मिनट बचे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : महोदय, दो मिनट में क्या बोल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस शुरू हो जाएगा।

[अनुवाद]

इस समय साढ़े तीन बज चुके हैं। अब सभा निजी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेगी। उसके पूरा होने के बाद छह बजे यह चर्चा जारी रह सकती है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, आज शुक्रवार है और माननीय सदस्य जल्दी ही जाना चाहेंगे।

सभापति महोदय : इसे हम उस समय सुलझाएंगे।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : पहले ही कोई कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : किसी ने भी कोरम न होने का प्रश्न नहीं उठाया।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : और कोई उठाएगा भी नहीं। *...(व्यवधान)*

मेरा यह अनुरोध है। आज शुक्रवार है और हमें अपने क्षेत्र में जाना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं परेशानी समझता हूं। पहले हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा कर लें। उसके बाद सदन निर्णय ले सकता है। सभी दलों के नेता रोज सात बजे तक बैठने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : यह निर्णय शुक्रवार के मामले में लागू नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब वह निर्णय लिया गया था तब मैं उस बैठक में उपस्थित था।

फिर भी, अब यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेगी। अब मैं श्री सुरेन्द्र यादव को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र यादव (खलिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा 6 अगस्त, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "कि यह सभा 6 अगस्त, 1997 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापित

(एक) गुजरात उच्च न्यायालय (राजकोट में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक,*

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलीप संघानी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[हिन्दी]

(दो) सिद्धेश्वर राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक

श्री लिंगराज बल्याल (शोलापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड दो दिनांक 8.8.97 को प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लिंगराज वल्याल (शोलापुर) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(तीन) संविधान संशोधन विधेयक,*

(अनुच्छेद 311 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(श्री बसुदेव आचार्च *पीठासीन हुए)*

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 58 आदि में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नांडीज (नालन्दा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री बसुदेव आचार्य) : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.8.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.35 1/2 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 151 क इत्यादि का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री जी. ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "कि भारत को संविधान में और संशोधन करने वाले निधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. ए. चरण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(छः) अनिवार्य शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विधेयक*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इसमें एक गलती है, वह ठीक कर लें।

सभापति महोदय : क्या गलती है ?

श्री विजय गोयल : अनिवार्य शिक्षा लिखा है, उसमें अनिवार्य शारीरिक शिक्षा है।

सभापति महोदय : कम्पलसरी फिजिकल एजुकेशन है यहां पर।

श्री विजय गोयल : अंग्रेजी में है, हिंदी के लिए मैं बता रहा हूं। इसको ठीक कर लें।

सभापति महोदय : अच्छा।

श्री विजय गोयल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समस्त छात्रों के लिए अनिवार्य शिक्षा और खेलकूद प्रशिक्षण तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समस्त छात्रों के लिए अनिवार्य शिक्षा और खेलकूद प्रशिक्षण तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 8.8.97 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 1/2 बजे

[अनुवाद]

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, *(नए अनुच्छेद 9क का अंत:स्थापन)

श्री जी॰ ए॰ रेड्डी (निजमाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक,* (नये अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.8.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.37 1/2 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक,* (नये अनुच्छेद 74क आदि का अंत:स्थापन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक,*

(अनुच्छेद 48 क के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रति:स्थापन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक,*

(अनुच्छेद 239क का में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधयेक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.8.97 में प्रकाशित।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(बारह) जामिया मिल्लिया इस्लामिया (संशोधन) विधेयक,* (पूरे नाम आदि में संशोधन)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री विजय गोयल, आपने इस विधेयक के विरोध में नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति महोदय, इस पर जब चर्चा होगी, तब मैं अपने विचार रखूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

भिक्षावृत्ति का उत्सादन विधयेक—जारी

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 22 लेंगे अर्थात् डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा 2 मई, 1997 को पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे।

इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय दिया गया था। एक घंटे 3 मिनट का समय लिया जा चुका है और अब केवल 57 मिनट शेष बचे हैं।

अब श्री के. परसुरामन जी बोलेंगे।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-प्प, खण्ड 2, दिनांक 8.8.97 में प्रकाशित।

***श्री के. परसुरामन (चेंगलपट्टू)** : सभापति महोदय, मुझे डॉ. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल की ओर से अपने विचार रखना चाहूंगा। इस विधेयक को लाना एक अच्छी बात है। लेकिन देखने की बात यह है कि सरकार इसे कैसे हल करती है और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे करती है। यह एक बड़ी समस्या है।

भीख मांगना एक घृणित कार्य है। हमारे देश में इसकी जड़ें कैसे फैल गईं ? अशिक्षा, बेरोजगारी शिक्षा की कमी, सामाजिक बहिष्कार और जाति-पाति की लड़ाई से तंग आकर मजबूरी में लोगों ने भिक्षावृत्ति स्वीकार की। हमारे देश की जनसंख्या में शिक्षितों की संख्या कम है। गंदी बस्तियों में रहने वाले समाज के पिछड़े वर्ग के लोग की संख्या अधिक है। हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त पिछड़े वर्ग और अत्यधिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं और सामाजिक स्तरीकरण ने भी भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। हमारी योजनाएं निम्नस्तर के लोगों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं किंतु वास्तव में लाभ उनको नहीं मिलता है। सरकार भिक्षावृत्ति वालों के लिए आश्रय-स्थल बनाए और उनके जीवन-यापन के लिए उनकी सहायता करे। केवल इस प्रकार से ही हम भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को कम कर पाएंगे। तमिलनाडु में, हाल के वर्षों में यह शोचनीय और निकृष्ट कार्य कम हुआ है। तमिलनाडु में कुछ स्थानों में भिखारियों के पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं। अभी भी प्रत्येक जिले में 'बेगर्स होम-खोलने की आवश्यकता है। सामाजिक उपाए के रूप में इस प्रकार के आश्रय-स्थल प्रत्येक जिले में स्थापित किये जाने चाहिए जिन लोगों को भिक्षावृत्ति करने हुए पाया जाये उनको सामाजिक पुनर्वास के लिए यहां लाया जाय। उनको युवक, बच्चे, स्त्री, माताएं और वयोवृद्ध के समूहों में बांटकर अलग-अलग रखा जाए। उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको उचित प्रशिक्षण और कार्य दिया जाये। उन्हें जीवन-यापन और अर्थपूर्ण रोजगार पाने का अवसर दिया जाये। इस प्रकार के आश्रय-स्थल लोगों की भीख मांगने की प्रवृत्ति के समाप्त करने में सहायक होंगे। उनको अपने जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए सहायता दी जाये। हम केवल इस प्रकार से ही इस भयावह स्थिति पर अंकुश लगा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र राज्यों को पर्याप्त मात्रा में धन आबंटित करे।

इन भिखारियों में जो बच्चे हैं उनको शिक्षित और अन्यों को साक्षर बनायें। रोजगार संबंधी उचित प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रकार के लोगों को इन 'होम्स' में तीन से पांच वर्ष तक रखा जाये। उनमें से जो रोजगार योग्य हो उनको रोजगार दे दिया जाये। शारीरिक विकलांग और महिलाओं जैसे अन्य सक्षम लोगों का भरण-पोषण इन होम्स द्वारा किया जाये। ताकि ये इनके जीवन का आश्रय स्थल बन जाये। जीवन-यापन सहित उनको सामान्य जीवन व्यतीत करने का एक अवसर दिया जाये। ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे कुछ देशों में स्थिति अलग है। सरकार करुणापूर्वक जो 'बेरोजगारी भत्ता' देती है उसे बेरोजगार लोग भी स्वीकार नहीं करना

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

चाहते। वे इसे अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत मानते हैं। वे सोचते हैं कि यह भत्ता स्वीकार कर वे निवृष्ट हो गये हैं। वे निःशुल्क प्राप्त किसी भी वस्तु को बुरा समझते हैं। नवयुवक इसे अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं समझते हैं।

हमारे भारतीय समाज में भी इस प्रकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। हमें उन लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए जो भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। हमें उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए। हमें उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण देना चाहिए। हमें उनके स्थायी जीवन-यापन के लिए सहायता करनी चाहिए।

विदेशी पर्यटक भिक्षा मांगते हुए हमारे बच्चों और अन्य भिखारियों के चित्र लेते हैं। उनके द्वारा इन भिखारियों के चित्र लिए जाते हैं तथा उन चित्रों को वे अपने देश के लोगों को दिखाते हैं ताकि भारत का चित्रण ऐसे किया जा सके जैसा कि इस देश में घोर गरीबी है। लोग उन चित्रों को दिखाकर उन लोगों की उदारता का फायदा उठाते हैं जो गरीबी के प्रति दया दिखाते हैं। यहां तक कि हमारे भारतीय पर्यटक इन चित्रों को विदेश ले जाते हैं और इनका प्रदर्शन कर भारत को एक आर्थिक रूप से पिछड़ा देश के रूप में चित्रित करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार नकारात्मक प्रचार-प्रसार से धन अर्जित करते हैं। ये गलत सूचना फैलाते हैं कि भारत में गरीबी अपनी चरम सीमा पर है और भिखारियों की भरमार है। वे उदार विदेशियों से चंदे प्राप्त करते हैं और वे उस धन से अपनी सम्पन्नता में वृद्धि करते हैं। साथ ही वे इन गरीब लोगों, जो पूर्णरूपेण असहाय और निराश है की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इससे भिक्षावृत्ति बढ़ेगी और भिखारियों की संख्या में वृद्धि होगी। हमारे वे लोग जो भीख मांगते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि 'जीवन-यापन के लिए भीख मांगना ठीक नहीं है; यह मानव प्रतिष्ठा का अपमान है'। हमारी सरकार को अपने लोगों के दृष्टिकोण और दशा में परिवर्तन लाने के लिए इस दिशा में सही कदम उठाना चाहिए। हमें उन्हें सम्मानित जीवन जीने के लिए बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। हमें औद्योगीकरण के द्वारा इस समस्या को हल करना चाहिए।

अनेक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। हमें उन्हें जीने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आय के स्थायी साधन उपलब्ध करने चाहिए ताकि वे अपना जीवन-यापन स्वयं कर सकें। इस विधेयक का इस बार फिर समर्थन करते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलसेर) : सभापति महोदय, मैं डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा रखे गये प्रस्ताव "कि भिक्षावृत्ति उत्सादन करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये' का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, भिक्षावृत्ति का नासूर बहुत पुराने समय से इस देश में पनप रहा है। यह हम सबके लिए, हमारे शासन, हमारी व्यवस्था और हमारे समाज के लिये बड़े ही शर्म की बात है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे आर्थिक साधनों का अभाव होना है इसके साथ ही हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी और साधनों का असमान वितरण भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि ये विषय भी इस देश में भिक्षावृत्ति के मूल कारण रहे होंगे। इसमें एक और कारण मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति भी है। हमारे देश में ऐसे हजारों नहीं, लाखों लोग हैं जो बिना कुछ किये, बिना पसीना बहाये, बिना विचार किए और बिना रिस्क लिये धन अर्जित करना चाहते हैं कि इसमें लागत कुछ न हो और केवल प्राप्ति ही प्राप्ति हो। ऐसी मनोवृत्ति के लोगों के लिए भिक्षावृत्ति एक साधन है। मैंने जिन्दगी में ऐसे हजारों भिखारियों को मांगते हुए देखा है जिनमें से किसी के पास दो मकान हैं और किसी के पास चार मकान हैं। और उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों, स्कूलों और विद्यालयों में पढ़ते हैं। मैं किसी एक जाति का नाम तो नहीं गिनाऊंगा, लेकिन हमारे यहां तो कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका पेशा, धंधा और रोजगार केवल भीख मांगना है, केवल भिक्षावृत्ति है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : ऐसी कौन-सी जातियां हैं, अगर आपको नुकसान न हो तो बता दीजिए।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलसेर) : मुझे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वैसे भी वे मेरे क्षेत्र में नहीं हैं। लेकिन अब जब यहां यह बात आ गई है तो मैं इसको खोले दे रहा हूं। हमारे देश में बहुत प्रचलित कहावत है...*(व्यवधान)* मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। हमारे यहां कुछ ऐसी जातियां हैं जो ये काम करती हैं। इक्का-दुक्का दो-चार घर हर जगह पाये जाते हैं, पूरे देश में कहीं-न-कहीं पाये जाते हैं। मजहब का रूपांतरण होने के बाद भी उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा है। विशेषाधिकार मानकर वे ऐसा काम करते हैं। हम लोगों की भी आदत खराब है। हम लोग कुछ दान समझकर उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और सोचते हैं कि अगर उनको कुछ मिल जायेगा तो शायद हमारा परलोक सुधर जायेगा। लेकिन सामाजिक व्यवस्था सुधारने का काम हम नहीं करते। इसलिए जो भिक्षावृत्ति की व्यवस्था है और जो हमारी मानसिकता है, इस मानसिकता का प्रभाव केवल सामाजिक या धार्मिक स्तर पर ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर और मेरा कहना तो यहां तक है कि यह शासकीय स्तर पर भी है। मैं इस मानसिकता का खुलासा करना चाहता हूं। यह बात सही है कि साधन नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा, धन नहीं मिलेगा, गरीबी होगी तो भिक्षावृत्ति भी होगी, तो बात ठीक है कि हमें यह देखने को मिलता है। लेकिन कटोरा लिए, हाथ फैलाये या थैला लिये लोग मिल जाते हैं। तो यह स्थिति है और ऐसे भी भिखारी आपको मिल जायेंगे — कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि झांसी से ओरछा तक खजुराहो से झांसी तक भिखारी स्कूटर पर जाता है। अब आप अंदाज लगाइये कि वह कैसे भिखारी है। मैंने यह भी पढ़ा है कि किसी भिखारी की मृत्यु हुई और उसके बाद उसके कागजात देखने पर मालूम पड़ा कि उसका एक लाख रुपये का स्टेट बैंक में बैंक बैलेंस है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : भिखारी तो हवाई जहाज में भी जाते हैं।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : मैं उसी पर आने वाला हूं। तो यह स्थिति थी और जब उनसे पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि हर्र लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। इसमें कुछ जाता तो है नहीं और सब कुछ मिल जाता है। तो यह प्रवृत्ति है और वह वृत्ति या प्रवृत्ति इतना व्यापक रूप ले चुकी है कि जो हमारी सरकार है वह भी उनकी श्रेणी में आ जाती है। असल में किसी भी देश से कुछ भी मांगना, मैं किसी एक सरकार, वर्तमान सरकार या पुरानी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि हम लोग पूरी दुनिया में किसी मामले में शायद आठवें नंबर पर होंगे, लेकिन भिक्षावृत्ति में हम पहले नंबर पर हैं। उधार की बात तो अलग रही या उदारीकरण शब्द तो गलत है, वह तो उधारीकरण है। लेकिन भीख मांगने में भी हम आगे हैं और मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि भीख मांगने वाली जो बात मैंने कही है, उस भिक्षावृत्ति को तो हम बाद में समाप्त करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भिक्षावृत्ति है और उसकी जो स्थिति है, उसमें पहले तो हमारे देश की सरकार के पास केवल एक कटोरा था, हम कटोरा लेकर खड़े हो जाते थे और जो भी देश आये उसमें कुछ अनुदान के नाम पर डाल जाए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : दे दाता के नाम पर।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : इस तरह कुछ आ जाता था, मिल जाता था। लेकिन अब तो हमारी सरकार ने जिससे हम सब लोग भी हैं, देशों के हिसाब से कटोरे बदल लिये हैं जिनका बड़ा देश उतना बड़ा कटोरा, जितना छोटा देश उतना छोटा कटोरा। यानी जो उस देश का स्तर है, उसके हिसाब से हमारे कटोरे का माप बदल गया है। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और लोग इससे भी प्रेरणा लेते हैं कि जब हमारी सरकार ही मांगने में नहीं झिझकती है तो हम भी क्यों झिझकें। जैसा राजा वैसी प्रजा। हालांकि लोकतंत्र में उल्टा होना चाहिए — जैसी प्रजा वैसा राजा। लेकिन यहां तो जो काम गलत है, उसमें आसानी से पैसा इकट्ठा हो जाता है, आसानी से साधन मिल जाते हैं। उनमें हमारे तर्क बदल जाते हैं और इसलिए जब आपस में बात चलती है और लोगों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो। तुम्हारी 25 साल की उम्र है, तुम छः फीट लंबे हो, भगवान की कृपा से तुम्हारी बहुत अच्छी तंदुरुस्ती है, भीख मांगने का काम क्यों कर रहे हो ?

यदि उससे कहें कि खेत की कटाई आ रही है, मजदूर मिल नहीं रहे हैं, तुम इकट्ठे होकर आओ, खेतों की कटाई करो, परिश्रम करो और मेहनत करके पैसा कमाओ तो इसके लिए वह तैयार नहीं होता। इसे वह हंसी में, मजाक में उड़ा देता है। वह तर्क देता है कि जब सरकार ऐसा करती है तो हमें करने में क्या परेशानी है, पहले उसे रोको, फिर हम देखेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार, जैसे किसी प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगे, भले ही वह सिद्ध हो या न हो, वह अलग बात है, फिर हम किसी छोटे चोर से कहें कि तू चोरी क्यों कर रहा है, वह चोर जवाब में कहता है कि पहले प्रधानमंत्री को सुधारो, फिर हमसे कहो — हमारे यहां ऐसी स्थिति बन गई है।

इसलिए भिक्षावृत्ति जिस स्तर पर भी है, जहां भी है, वह इस देश, समाज, मौहल्ले, गांव और नगर पर एक कलंक है और हमें कलंक को मिटाना चाहिए। केवल भावुकतावश ही हमें इस कलंक को नहीं मिटाना है बल्कि व्यवहार में मिटाना है। यदि हम केवल भिक्षुकों की बात करें, उन्हें केवल मनःस्थिति समझाएं, उसके कारणों को समझाएं कि क्यों ऐसा है — उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें उसके कारणों को मिटाना पड़ेगा। जब तक वे कारण नहीं मिटेंगे तब तक भिक्षावृत्ति समाप्त नहीं होगी। उन कारणों को मिटाने के लिए हमें दृढ़ इच्छा-शक्ति लानी पड़ेगी। फिर उसमें 'चूंकि', 'इसलिए', 'तो' आदि नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि बिना कौमा लगाए काम करना पड़ेगा और यह काम एकदम होगा। यदि हम सोचें कि यह धीरे-धीरे हो सकता है, वह संभव नहीं है। केवल सरकार ही ऐसा निश्चय नहीं कर सकती, उसके साथ कानून लागू करने वाले अधिकारियों की मनःस्थिति और उनका चरित्र भी साथ रहना चाहिए। इसमें केवल प्रशासनिक अधिकारी ही सहयोग न करें बल्कि हम सब लोग, जो समाज कहलाते हैं, उन्हें भी अगुवाई करनी पड़ेगी।

हमें श्रद्धा और भिक्षा में अंतर करना पड़ेगा, दान और भिक्षा में अंतर करना पड़ेगा क्योंकि भिक्षुक मांगने आता है और दान देने के लिए जाना पड़ता है। इन मूल बिंदुओं पर सरकार को विचार करना पड़ेगा, हमारे मित्रों को विचार करना पड़ेगा और पूरे समाज को विचार करना पड़ेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। भले ही कोई भिक्षुक मांगता रहे, गिड़गिड़ता रहे और धमकी दे कि बद-दुआ दूंगा — हमें कहना पड़ेगा कि पहले हुआ देकर अपना पेट पाल फिर मुझे बद-दुआ देना।

यहां मुझे एक कहानी याद आती है, जब मैं छोटा था और वह सत्य है। हमारी साथी श्री प्रहलाद सिंह पटेल यहां बैठे हैं, जो सिवनी से सांसद हैं। उनका मूल निवास गोटेगांव है। एक बार मैं कवि सम्मेलन में भाग लेने गोटे-गांव गया। वहां उतरते ही, जैसे भिखारी मांगने आ जाते हैं, मेरे सामने एक भिखारी आ गया। उस जमाने में 5-10 पैसे के सिक्के चलते थे और मैंने 10 पैसे का सिक्का उसके हाथ पर रख दिया। उसे देखकर वह बोला कि आप क्या कर रहे हैं, मैं 10 पैसे नहीं लूंगा। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं लोगे तो बोला कि 10 पैसे में क्या आता है ? मैंने पूछा कि फिर क्या करेगा, उसने कहा कि चाय पीनी है। मैंने उसे एक रुपया निकालकर दिया और कहा कि जाओ, चाय पी लो। वह फिर बोला कि इसमें तो एक चाय ही आती है, आप नहीं पीएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज भिक्षा का स्तर कहां तक गिर गया है, क्या स्टैन्डर्ड हो गया है, इसे निर्लज्जता कहें या बेशर्मी कहें कि वह गलत काम भी करता है और हेंकड़ी भी दिखाता है। इसकी व्याख्या हम अपने तरीके से करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मानसिकता का प्रश्न है इसलिए हमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक और कानूनी सभी स्तरों पर लड़ाई लड़नी है क्योंकि हमें उस समय बहुत शर्म आती है जब कोई विदेशी

हमारे देश में घूमने आता है, ताजमहल के दर्शन करने जाता है और वहां दर्शनों के बीच में उसे 4-6 भिखारी मिल जाते हैं तो उसके सामने हमारी क्या छवि बनती होगी, हम कह नहीं सकते। जब वह हरिद्वार जाता है, बनारस जाता है, गया जाता है, नाथद्वारा जाता है या दक्षिण में बाला जी के दर्शनों के लिए जाता है और दर्शनों के बीच में किसी भिखारी का उसे स्पर्श होता है, किसी भिखारी का हाथ उसके सामने आता है तो पूरे भारत की क्या छवि, क्या पहचान उस विदेशी के मन में आती होगी। जिस श्रद्धा से वह यहां आता है, श्रद्धा का वह अंश वहीं समाप्त हो जाता होगा।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति जी, हम लोगों को, भिखारियों की जो मानसिक प्रवृत्ति है, अगर उसे समाप्त करना है, तो ही हम भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसे समाप्त करने के लिए हमें किसी भी कीमत पर यह व्यवस्था लागू करनी होगी कि पहले तो जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज्यादा न हो कि लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़े। अगर ऐसा हो भी गया है किसी कारण से, क्योंकि जनसंख्या का सवाल अलग से आएगा, तो उस पर विचार हो जाएगा। किसी तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो ही गया है, तो फिर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति देश में न रहे, जिसे मजबूरी में हाथ फैलाना पड़े। हमें कहीं-न-कहीं उसको रोजगार देना चाहिए। संविधान में रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए और उसको अधिकार देना चाहिए कि अगर सरकार किसी हालत में रोजगार सबको न दे पाए, तो प्रत्येक भूखे पेट को रोटी का इंतजाम, प्रत्येक नंगे तन को कपड़े का इंतजाम और प्रत्येक ऐसे सिर को जिसके ऊपर कोई छाया नहीं है, उसकी छाया का इंतजाम करने का जिम्मा लेना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, जो धार्मिक प्रवृत्ति के कारण हम हर व्यक्ति को चाहे कोई आ जाए, इविन हमारे सामने लुटेरा खड़ा है, डकैत खड़ा है उस वेश में, उसको भी निकालकर पैसा, अनाज, आटा, वस्त्र जो भी कुछ निकाल कर देते हैं, यह सब भी बंद करना पड़ेगा। अगर कोई बढ़िया आदमी है, साधू-संत है, तो हममें उसके प्रति श्रद्धा अपने आप जागेगी, हम उसके आश्रम पर पहुंचेंगे। हमें जो कुछ देना है, चढ़ाना है, चढ़ाएंगे, लेकिन भीख मांगने वालों को भीख नहीं डालेंगे। इससे चाहे कहीं धर्म में कोई कमी आए, चाहे कोई दोष लगे, चाहे कोई बद-दुआ लगे, यह कठोर निर्णय हमें अपने मन में लेना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी, जो हमारे यहां भिक्षावृत्ति निषेध का संकेत दिया गया है, उसका कठोरता से पालन करना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी, हमारे इस सदन को भी, हमारे साथी सदन को भी यह नियम बनाना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा कि इस प्रकार की भिक्षावृत्ति करने वालों को, हम कोई-न-कोई दंड की व्यवस्था करें, काम सिखाने की व्यवस्था करें, या मन-मस्तिष्क परिवर्तन करने की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, तो वह भी करें ताकि इस भिक्षावृत्ति से देश को छुटकारा मिल जाए।

सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल केवल हंसी में उड़ाने का नहीं है। यह सवाल ऐसा भी नहीं है कि कहीं मानवता नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति भी अभी नहीं है। हम जानते हैं कि लोगों के विचार अब इतने ऊंचे नहीं हैं कि अपने देश के सम्मान के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दें। सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। लोगों को प्राण बहुत प्यारे होते हैं। लोगों को औलाद बहुत प्यारी होती है। यह मजबूरी हो सकती है कि अपनी औलाद के लिए, बच्चों के दूध के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, उन्हें ऐसा कृत्य करना पड़े, जिसमें उनकी आत्मा मर जाती होगी, रोज-रोज मांगते-मांगते उनका मरण होता होगा, उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, तो उन मजबूरियों को भी केन्द्र सरकार, राज्य और समाज, तीनों मिलकर दूर करने का प्रयास करें। यानी चारों तरफ से भिक्षावृत्ति पर आक्रमण करना होगा और ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी कि लोग न तो मजबूर हों और न ही लोग इसे अपना धंधा बनाएं।

दोनों स्थितियां हैं यानी जो मैंने संकेत दिया था, मैंने ऐसे काफी भिखारी देखें हैं जो बहुत मालदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वे अपना धंधा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी तिकड़म छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा और नैतिकता के बड़े-बड़े और ऊंचे-ऊंचे उद्घोषणा करना, नारे लगाना, समाज की कुरीतियां दूर करने के लिए भाषण देना, ये सब बातें बहुत आसान हैं। हम इससे थोड़ा आगे बढ़कर स्वयं उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करें। अपने परिवार में कुरीतियां न आने दें। अपने मन में कुरीतियां न आने दें, तो शायद दीन-हीन लोग अनुसरण कर पाएंगे, लेकिन हम किसी-न-किसी रूप में धन के लालच में, मांगने का थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, जिस असभ्यता का प्रदर्शन भिखारी करता है, उससे हमारे भीख मांगने का तरीका अलग हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में "रिफाइंड" कहते हैं, ऐसा तरीका हो सकता है, लेकिन माप तो एक ही है, तथ्य तो एक ही है, भाव तो एक ही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से और पूरे देश से भी और साथियों से तथा समाज से भी और जो समाज, धर्म और नैतिकता के ठेकेदार हैं, उनसे और जो स्वयं इस कृत्य को कर रहे हैं उनसे भी,...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : आप अपने आप से भी, स्वयं भी।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : मैं भीख नहीं डालता। कोई मांगकर देख ले। बिचारा गरीब जो स्टेशन पर मांगता है, बस स्टैंड पर मांगता है वही नहीं, किसी भी स्तर पर इतना पौरुष, इतना पुरुषार्थ, इतनी कर्मठता, इतना परिश्रम हमें करना पड़ेगा कि हम देने वाले तो हो जाएं लेकिन लेने की नीयत हमारी न हो, भीख मांगने की हमारी इच्छा न हो।...*(व्यवधान)* मैं सरकार की बात भी कर रहा हूं। हम पूरे विश्व में भीख डालने वाले हो जाएं। यह प्रयास हमको करना पड़ेगा और समस्त प्रकार की सीमाओं, समस्त प्रकार के अलगाव, दुराव को दूर हटाकर सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। तभी जिसको हम भारत कहते हैं और पूरी दुनिया का सिरमौर मानते हैं सांस्कृतिक रूप में, तो आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक रूप से भी बढ़ पाएगा। वरना यदि भिखारी इसी प्रकार भीख मांगते रहे और हम प्रोत्साहित करते रहे तो निश्चित रूप से कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। यह देश हमेशा शर्मिंदगी में रहेगा।

[प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर"]

कलंकित रहेगा और दुनिया के सामने शायद सिर उठाने की हिम्मत, मैं नहीं समझता कि किसी स्वाभिमानी व्यक्ति में होगी। इसी के साथ जय सियाराम।

श्रीमती भगवती देवी (गया) : सभापति जी, भिक्षावृत्ति का जो बिल सदन में आया है, मैं उसको सपोर्ट करती हूं। देश में दो तरह के भिखमंगे हैं — एक तो वे हैं जो आर्थिक कठिनाई, लाचारी, बेबसी के चलते भीख मांगते हैं और दूसरे वे हैं जो भगवान के नाम से डराकर, यदि भीख नहीं दोगे तो अगला जन्म खराब होगा, भीख मांगते हैं। भीख मांगने के लिए लोग सड़क के किनारे बैठते हैं। उनको रहने के लिए घर नहीं होता। उनको सरकारी जमीन देकर, काम देकर बसाना पड़ेगा तभी वे भीख मांगना छोड़ेंगे। जो स्टैण्डर्ड वाले लोग हैं, वे बाबा जी बनकर भीख मांगते हैं कि यह देने से तुमको स्वर्ग मिलेगा। उन पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। कुछ लोग बच्चों का अपहरण करके भी उनको भिखारी बना देते हैं। वे उनको पंगु बनाकर गाड़ी में बिठाकर किसी स्थान पर छोड़ आते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। वे अच्छे घरों के पढ़े-लिखे बच्चों को भी उठाकर ले जाते हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि बहुत से लोग भीख मांगने का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। इस सब पर रोक लगानी चाहिए। सरकार भी भीख मांगती है, दूसरे देशों के सामने हाथ पसारती है। हमारे यहां आंगनवाड़ी वाले हैं। वहां जो राशन आता है, उसे कौन खाता है। उसे मुखिया, सरपंच, बड़े घर के लोग खाते हैं। उनकी बेटी, बहू गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाती है। वहां जो दूध, दलिया मिलता है, वह किसके पेट में जा रहा है। मैं समझती हूं कि यदि इन सब चीजों की जांच हो तो बहुत सारे लोग जेल जाएंगे और तब उनको छटी का दूध याद आ जाएगा। 50 साल की आजादी में हमें गरीबी, बेकारी, बेबसी और गरीबों की हत्या यही मिला है।

अभी भी गरीबों की हत्या की जा रही है। किसलिए ? अगर मान लो, पार्टी वालों की हम मदद नहीं करें तो वे गांव में हथियारों से लैस आते हैं, वहां ठहरना चाहते हैं, हमारी जो अपनी कमाई है, वह भी खा जाना चाहते हैं। अगर हमने मदद नहीं की, रात में खाना नहीं दिया तो 10 लोगों की हत्या करके चले गये और कह दिया कि ये तो नक्सलाइट थे, ये क्रिमिनल्स थे। इस देश में इस तरह से चल रहा है।

आप जानते ही हैं, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर हथियार गिराये गये। आपके यहां रडार है, सारा खुफिया विभाग है, फिर भी जहाज आया और हमारे यहां बिहार में हथियार गिराकर चला गया। आसानी से चला गया। लोग कहते हैं कि वे लोग जेल में हैं। एक दिन टी॰ वी॰ पर दिखा रहे थे। तो सरकार की क्या कमी नहीं है ?

मैं साफ कहना चाहती हूं कि अगर सभी राज्यों को इस नाम पर टाइट करेंगे, तभी यह हो सकता है। गाड़ी जब क्रिमिनल लोगों को पास कर जाती है, तब वायरलैस होता है कि इस नंबर की गाड़ी में फला-फला हथियार जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है। क्या बात है, खुफिया विभाग है, सारे विभाग हैं, पुलिस विभाग है, सब इसकी तनख्वाह खा रहे हैं, अफसर हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग भाग गये। भुखमरी में इतना तक आप कहते हैं कि गरीब के यहां भी जाकर वह खा लेता है, फिर भी कहते हैं कि हम इंसान हैं। कैसे इंसान हैं, कैसे देश बचाना चाहते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि गांव में झोपड़ी में जाकर लोगों की मदद करें। हमारे यहां तो मंत्री भी थे, वे कहते थे कि गरीबों की उस घर में दीया जलाने चली हूं, जो सदियों से दीया बुझा हुआ है, वे सदन में नहीं हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मंत्री जो बोले हैं, याद करें, उस घर में दीया चलाने चले हैं। मैं तो समझती हूं कि घर में दीया बुझाने चले थे, जो सदियों से बुझा हुआ है। सदियों से दीया बुझा हुआ है, जला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि भिखमंगी को हमें रोकना पड़ेगा। जहां गरीबी की रेखा से नीचे लोग रहते हैं, उन झोपड़ियों में जाकर घर बनायें और जो जमीन बच रही है, जो जमीन चोरों ने चुराकर रखी है, उस जमीन में कटौती करके जहां अपनी जमीन है, उसको वहां मकान बनाकर दें। सारी सुविधा देंगे तो मुझे विश्वास है कि भीख उनको नहीं मांगनी पड़ेगी।

हमारे यहां दो तरह के भिखमंगे हैं। मजबूरी में तो मजबूरी वाला भीख मांगता है, लेकिन जो स्वर्ग और नर्क की बात करके भीख लेते हैं, उन पर भी आप कड़ी नजर रखिये। हम भगवान के यहां पहुंचाएंगे, अगला जन्म मिलेगा, पूर्व में जन्म भी मिलेगा, आपने यह बहुत बड़ा करतब किया है, इस घर में ऐसे जन्म लिया है, इसलिए हमको ज्यादा दान-पुण्य दीजिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहती हूं कि अगर भिखमंगी मिटानी है तो जमीन चोर और पूंजीपतियों का सुधार करना होगा। एक तरफ तो अन्न सड़ रहा है, दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं, उन लोगों की जैसे भी हो व्यवस्था करें और उनको उनका हक दें। अगर हक नहीं देंगे तो जो आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, यह बेकार है। इस पर हम जो खर्च कर रहे हैं, वह सारा खर्च बेकार जायेगा।

इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लेती हूं। गरीबी दूर करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाना तभी सफल होगा, जब देश से गरीबी दूर होगी।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, हमारे मित्र ने भिखमंगी समाप्त करने के संबंध में जो बिल पेश किया है, मैं समझता हूं कि इसके समर्थन के बारे में, इसके पीछे जो भावना है, उसके बारे में शायद कोई मतभेद नहीं हो सकता है।

मुझसे पहले भगवती देवी जी ने और निडर जी ने अपने-अपने विचार रखे हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भीख मांगने वाले लोगों को अगर हम बांटना चाहें तो दो मुख्य हिस्सों में उनको बांटा जा सकता है। एक तरह के लोग तो वे हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण भीख मांगते हैं। उनके बारे में हमें अलग से विचार करना होगा और दूसरे भीख मांगने वाले ऐसे हैं, जो वास्तव में भीख मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन भीख मांगने वालों की आड़ में आर्थिक अपराध करते हैं। जो लोग भीख मांगने वालों की शक्ल अख्तियार करके जाते हैं, कहीं बच्चों का अपहरण करते हैं, कहीं और आर्थिक अपराध करते हैं। इन दो श्रेणियों में बांटते हुए अगर हम इसका विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम समस्या के सही समाधान की ओर पहुंच सकते हैं।

मैं सबसे पहले उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जिसको भगवती जी ने कहा था। मुझे कुछ दिन पहले भारतीय युवा जनता मोर्चा की तरफ से वाराणसी जाने का मौका मिला, मैं चार साल पहले भी वहां गया था। वहां क्रिश्चियन स्कूल के प्रिंसीपल, जो हमारे परिचित हैं, ने बताया कि इस क्षेत्र में एक रैकेट काम कर रहा है, एक माफिया ग्रुप है, जो गरीब परिवारों के बच्चों को गलीचे बुनने के लिए घरों से ले आते हैं। आपको मालूम है कि गलीचा बुनने के लिए छोटी अंगुलियां ज्यादा बेहतर होती हैं। इसलिए ये लोग इन परिवारों से छः-सात साल की उम्र के बच्चों को ले जाते हैं। जब ये बच्चे दो-चार साल गलीचा बुनने का काम करते हैं तो इनके अंदर जो रुई जाती है, उससे आठ-दस या बारह साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते इन्हें टी० बी० जैसी बीमारियां हो जाती हैं। 90 प्रतिशत बच्चों को ऐसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। उनके मां-बाप को आठ-दस हजार रुपये देकर ये उन बच्चों को वहां से ले आते हैं, क्योंकि उनको अच्छी खुराक नहीं मिलती, खाने के लिए नहीं मिलता और फिर ये बीमारी की अवस्था में कारपेट का काम भी नहीं कर पाते, लिहाजा मालिक लोग इनको वहां से हटा देते हैं। फिर ये लोग इन बच्चों की टांग-बांह तोड़कर, आंख निकालकर, उन्हें डिसफिगर करके किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य किसी धार्मिक स्थान के बाहर भीख मांगने के लिए बिठा देते हैं। लोग तरस खाकर जो भी पैसे इनको देते हैं तो शाम को ये ठेकेदार लोग वह पैसा ले जाते हैं, लेकिन उनको खाने को क्या देते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा अमानवीय कार्य और नहीं हो सकता। इससे बड़ा हीनसक्राइम सोसायटी के प्रति नहीं हो सकता। फिर भी हम उन लोगों पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। जो लोग भीख मांगने के काम में ऐसे लोगों को लगाए हुए हैं, ऐसे जो-जो माफिया ग्रुप हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा हो और किसी भी पार्टी से संबंधित हो। ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए जो छोटे-छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं।

मैं इस संबंध में उदाहरण देना चाहूंगा। दूरदर्शन में एक सीरियल 'राग दरबारी' आता था, करीब एक साल तक आता रहा। उसमें एक व्यक्ति जो गरीब था, शुरू से लेकर अंत तक न्यायालय के चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि उसकी जमीन का झगड़ा था और वह उसके कागजों की नकल लेना चाहता था। लेकिन अंत में उसे भीख मांगने की हालत में आना पड़ता है और वह भीख मांगते हुए मर जाता है। तो हमारी जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था भी आम और गरीब आदमी के प्रति सचेत नहीं है, उसकी चिंता नहीं करती, जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर इसकी तरफ आना पड़ता है। अगर भीख मांगने की प्रवृत्ति समाप्त करनी है तो जहां ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, वहां जो लोग आर्थिक तंगी के कारण, मजबूरी के कारण इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं, उनके लिए भी विचार करना होगा।

यहां बलवंत सिंह रामूवालिया जी बैठे हुए हैं। हमारे अच्छे मित्र हैं। इनके जिले में कोटकपूरा एक स्थान है। वहां पर आर० एस० एस० और सेवा भारती के लोगों ने दस साल पहले एक आश्रम की स्थापना की थी। जो कोढ़ी हैं और भीख मांगते थे, उन लोगों के बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके, सात-आठ साल की उम्र में इस आश्रम में ले जाया जाता है। जिससे वे मां-बाप के साथ भीख मांगने की प्रवृत्ति से बच जाते हैं और दूसरे उनको कोढ़ जैसा रोग भी नहीं लगता, जो उनके मां-बाप को होता है, क्योंकि कोढ़ का रोग कम्युनिकेबल नहीं है। वहां उन्हें मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था है।

मेरे अपने संसदीय क्षेत्र चंडीगढ़ में कुष्ठ आश्रम बना हुआ है। वहां ऐसे रोगी रहते हैं जिनको यह रोग लगा है और इनके बच्चों के लिए भी समुचित प्रबंध हैं। सरकार की तरफ से भी उनको मदद दी जाती है। जिससे इनके बच्चों को बाहर जाकर भिक्षा मांगने की जरूरत न पड़े। इस तरह से यह बीमारी भी कम फैलती है और इन लोगों में आत्मविश्वास भी आता है कि हम केवल भीख मांगकर ही गुजारा नहीं कर सकते, अगर हमें सही दवा मिले और खाने का इंतजाम हो तो भीख मांगने की जरूरत नहीं है।

मैं माननीय रामूवालिया से विनती करना चाहता हूं कि अगर वे उस आश्रम में नहीं गए, तो कभी समय निकाल कर वहां देखकर आएं और वैसे आश्रम दूसरी जगह भी बनाएं ताकि इन परिवारों के बच्चों को वहां रखा जा सके। जैसा कुष्ठ आश्रम चंडीगढ़ में है वैसे ही कुष्ठ आश्रम बाकी स्थानों पर सरकार बनाए ताकि भीख मांगने के बजाए किसी एक स्थान पर इन लोगों का इलाज भी हो सके और भीख मांगने की प्रवृत्ति पर भी रोक लग सके।

दूसरे, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज बुजुर्गों का अपने परिवारों में उतना सम्मान नहीं है जितना उनका होना चाहिए। जहां आर्थिक तंगी है, वहां तो यह समस्या और भी गहरी हो जाती है। आप कभी वृन्दावन में जाकर देखिए वहां आपके सैकड़ों बुजुर्ग माताएं और बहिनें ऐसी नजर आ जाएंगी जिनके सर के बाल कटे होते हैं और जिनके अपने बच्चे, पुत्र, पोते उनको दर्शन कराने के नाम से उनको इन आश्रमों में छोड़ जाते हैं और वहां पर फिर उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई साधन नहीं रहता। ये बुजुर्ग माताएं और बहिनें कोई कलकत्ता से, कोई मुंबई से, कोई अमृतसर से आई हुई होती हैं। यदि ऐसी महिलाओं के लिए हम कोई आश्रम बनाएं तो इस प्रवृत्ति को कम करने में सहायता मिल सकती है। हमारे शहर चंडीगढ़ में वृद्ध आश्रम बना हुआ है जहां ऐसे लोगों को लाकर ठहराते हैं। मैं भी वहां गया था और मैंने सरकार को लिखा है तथा मैं रामूवालिया साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के विभिन्न भागों से ऐसे लोगों को लाकर वहां रखवाने का काम किया जा सकता है। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी जमीन और जायदाद हैं और यदि सरकार ऐसे लोगों के लिए कुछ करेगी, उनका ध्यान रखेगी तो यह भी हो सकता है कि ये लोग अपनी जायदाद और संपत्ति सरकार के नाम कर जाएं तो इससे सरकार के लिए भी यह इन्कम का जरिया हो सकता है। इस उम्र में अगर सरकार उनकी तरफ ध्यान देती है जबकि उनके अपने बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसे लोग अपनी संपत्ति भी सरकार के नाम करके जा सकते हैं।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

तीसरे, मैं बच्चों के रोजगार के बारे में बात करना चाहूंगा। देश के अंदर आज किसी होटल, किसी ढाबे में चले जाइए, वहां आपको दस-ग्यारह साल का बच्चा काम करता हुआ दिखाई देगा। यदि आप ऐसे बच्चों के लिए कोई अच्छी योजना, अच्छे रोजगार की योजना नहीं बनाएंगे तो इन बच्चों के पास चाय की दुकान, होटलों और ढाबों में काम करने के अतिरिक्त अपनी जीविका कमाने का कोई साधन नहीं है। इनके पास खाने का और कोई साधन नहीं है और यदि कभी चाय वाले ने या होटल वाले ने इनको काम से निकाल दिया तो इनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई साधन नहीं रह जाता। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति यह चाहता है कि बच्चों का शोषण न हो। लेकिन आप यदि बच्चों को वहां पर काम नहीं करने देंगे और वहां से काम से यदि उनको निकाल दिया जाता है तो उनके पास भीख मांगने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन बच्चों के लिए जीविका की व्यवस्था करें। आज हमने स्कूलों में बच्चों के दोपहर के भोजन की बात की है। दोपहर का भोजन कितने बच्चों को मिल रहा है, यह भी हमको और आपको मालूम है। आज ही हमारे यहां से छपने वाले अंग्रेजी ट्रिब्यून में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल में बच्चों को जो अनाज मिलता है, वे अपने सर पर उसको रखकर अपने घर ले जाते हैं। ये बच्चे जो स्कूल आते हैं, वे तो फिर भी थोड़े-बहुत संपन्न परिवारों के होते हैं। लेकिन गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं आ सकते हैं, वे तो चाय और ढाबे या होटलों में ही काम करेंगे। सरकार को ऐसे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यदि सरकार ऐसे बच्चों के विकास के लिए स्कूल, उनके लिए भोजन आदि की कोई योजना बना पाती है, मेरे विचार से इस भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने में काफी सहायता मिल सकती है।

अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। आज इस देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यही हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी किसी योजना को सफल नहीं होने देगी। चाहे आप कितने ही अस्पताल बना दीजिए, चाहे कितने ही स्कूल बना दीजिए, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सारी योजनाएं असफल हो जाएंगी। जो अस्पताल पांच सौ व्यक्तियों के लिए बनाया गया था, आज वहां पांच हजार मरीज हैं, जो स्कूल आज हजार बच्चों के लिए बनाते हैं, वहां बीस हजार बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं। छोटी-छोटी बातें छोड़ दीजिए। आज मेडिकल कॉलेज में, बी॰ ए॰ या बी॰ कॉम॰ में प्रवेश लेने के लिए 95 और 98 प्रतिशत पर भी बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह नहीं है कि वहां मैरिट हाई है। इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि होना है। इसी के कारण कम्पीटिशन टफ होता चला जा रहा है। आज बस या रेलवे स्टेशन कहीं पर चले जाएं, बढ़ती हुई जनसंख्या आज आपको सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने नजर आती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और सारी राजनैतिक पार्टीज से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम बाकी विषयों पर राष्ट्रीय सहमति बनाते हैं, वहीं जनसंख्या पर नियंत्रण के बारे में भी हमें एक आम सहमति बनाकर इस समस्या का कोई ठोस समाधान ढूंढना पड़ेगा। जोशी जी ने अपना प्राइवेट मेम्बर बिल दिया है और कई राज्यों में यह बताया है कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे हों, वह व्यक्ति कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई नौकरी में नहीं आ सकता। यदि हमने बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया तो यह हमारे देश के लिए कितनी विस्फोटक स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री टी॰ सुब्बारामी रेड्डी, जो आज उपस्थित नहीं हैं, द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में यह सही है कि हम अपने समाज की बुनियादी समस्याओं में से एक पर चर्चा करें। भारत अपनी प्राचीन संस्कृति, विरासत, अनेक वैभवपूर्ण वस्तुओं और भिक्षावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह एक गंभीर समस्या है और स्वतंत्रत के इस पचासवें वर्ष में हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए और कुछ कार्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि हम अपनी सामाजिक प्रणाली से इस बुराई का उन्मूलन कर सकें।

हमारे समाज में भिक्षावृत्ति को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त है। हमारी धार्मिक प्रणाली में यह अंतर्निहित है कि यदि भिखारी को आप कुछ देते हैं तो आपको अगले जन्म में कुछ प्राप्त होगा या आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कुछ हमारे धर्म में अंतर्निहित है और हमें इसे समझना चाहिए। भिक्षावृत्ति उतनी ही पुरानी है जितना हमारा धर्म क्योंकि हम यह मानते हैं कि समाज में कुछ भिखारी होने चाहिए। अन्यथा यदि हम कुछ भिक्षा दान नहीं करेंगे तो हमें स्वर्ग कैसे मिलेगा ? हमारे धर्म के अनुसार भिक्षादान के द्वारा ही हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा धर्म में अंतर्निहित है। यह बुराई केवल हमारे धर्म में ही नहीं है बल्कि अधिकांश धर्मों में है। अधिकांश धर्मों में कहा गया है कि यदि आप भिखारियों की सहायता करते हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा।

दूसरे, यह हमारी आर्थिक प्रणाली में अंतर्निहित है। समाज शोषण पर आधारित है। अब धन और संपत्ति कुछ लोगों तक ही सीमित होगी जब अधिकांश लोगों को इससे परे रखा जाएगा, जब गरीब लोगों को उनका रोजगार छोड़ने के लिए मजबूर किया जायेगा, जब उन्हें भूमि या कुछ भी नहीं मिलेगा तो मजबूरन उन्हें भीख का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए, आर्थिक प्रणाली इस बुराई का दूसरा कारण है।

हमारे सामन्ती समाज में, हम अपने भूमि सुधार को पूरा करने में असफल रहे हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमने सोचा था कि साढ़े छह करोड़ एकड़ भूमि फालतू होगी इसे भूमिहीनों में बांट दिया जायेगा। लेकिन स्वतंत्रता के पचास वर्षों में हम फालतू भूमि का दस प्रतिशत भी भूमिहीनों को नहीं बांट सके।

वास्तविक भूमि सुधार देश के केवल तीन या चार राज्यों में ही हुए। लेकिन अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार पूरा नहीं हुआ और इसी कारण हजारों एकड़ भूमि गिने-चुने लोगों के हाथों में सीमित होकर

रह गई। यदि हम उस अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांट देते तो उससे अधिसंख्य लोगों को आजीविका मिल जाती और वे अपनी आजीविका हेतु भिक्षावृत्ति को अपनाने के लिए विवश नहीं होते। अत: शोषण पर आधारित यह सामन्तवादी व्यवस्था जो हमें विरासत में मिली है, भिक्षावृत्ति का एक अन्य कारण है।

फिर तीसरे पूंजीवाद के बढ़ने से एक नये तरह का शोषण आरंभ हुआ है। बस्तियां विकसित हो गईं। हमें इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की नौकर के रूप में काम लेने की आवश्यकता पड़ी। चूंकि जो लोग इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वे अपने पूरे परिवारों का खर्चा नहीं चला सकते और उनके परिवारों का एक वर्ग अपनी आजीविका हेतु भिक्षावृत्ति अपनाने के लिए विवश हो गया है। यह भी इस शोषण पर आधारित सामन्तवादी और पूंजीवादी व्यवस्था की एक पद्धति अथवा बुराई है।

ये मौलिक बातें हैं समस्या के मूल कारणों को समाप्त किये बिना हम समस्या का समाधान यहीं कर सकते। मेरे से पहले बोलने वाले मेरे माननीय मित्रों ने अन्य कारणों का भी उल्लेख किया है। इस व्यवस्था में लोगों का एक ऐसा वर्ग भी है जो अन्य लोगों से भीख मंगवाकर धन कमाते हैं। वे अपराधी हैं। यह उनका फलता-फूलता धंधा है। वे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत शर्मनाक घटना घटी है। हमारे देश से हमारे बच्चों का अपहरण किया जाता है और उन्हें सऊदी अरब तथा अन्य देशों में भेज दिया जाता है। वहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और कुछ कमाने हेतु भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कमाई का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे संगठन बनाने वाले इन अपराधी गिरोहों के पास जाता है और बच्चे भी इस तरह से पीड़ित होते हैं। यह एक अन्य कारण है जिसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है।

हमारी संस्कृति में भी भीख मांगने को कुछ गलत नहीं समझा जाता। जो भीख मांगते हैं वे शर्मिन्दा नहीं होते। इस संदर्भ में एक बात यह है कि ऐसा करने के आर्थिक कारण भी हैं। परंतु सांस्कृतिक कारण भी हैं। हमें सभी मोर्चों पर परिवर्तन लाने होंगे। आर्थिक उपाय करने होंगे। हमें सांस्कृतिक, सामाजिक कानूनी और प्रशासनिक उपाय करने होंगे। सभी तरह के उपायों को एक साथ मिलाना होगा और कतिपय योजनाएं बनानी होंगी। हमारी सरकार की कतिपय योजनाएं हैं। 1971 में हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब तीस साल बाद भी बहुतेरे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं और उनमें से एक वर्ग भीख भी मांगता है। जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने बताया कि हमारे देश में तीन करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। उनमें से एक वर्ग का जब काम छूट जाता है तो वे भीख मांगने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कल्याण कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। वे कार्यान्वित नहीं हो पाए। विगत पचास वर्षों के दौरान यह एक अन्य समस्या थी। हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर सरकार को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं ? गलती कहां है ? हम बाल-श्रमिकों की इस समस्या का उन्मूलन क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? हम झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं ? झुग्गियों में रहने वाले लोगों के इस प्रकार के रहन-सहन को क्यों नहीं रोक पाये हैं और उनकी जीवन परिस्थितियां को क्यों नहीं सुधार पाये हैं? क्यों ? सरकार को स्वतंत्रता की इस पचासवीं वर्षगांठ पर इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए।

शिक्षा एक अन्य क्षेत्र है जिसकी ओर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यदि हम अपने लोगों को शिक्षित करने में कामयाब होते हैं तो वे इस परिस्थितियों से उबर पायेंगे और इच्छे जीवन-यापन के काबिल बनेंगे। हमारे यहां कतिपय व्यवस्थाएं हैं। हमें कतिपय व्यवस्थाएं और भी करनी हैं। जितने भी कार्यक्रम सरकार कार्यान्वित कर रही है। उसकी समीक्षा और जांच की जानी चाहिए कि ये कार्यक्रम सफल हुए हैं अथवा नहीं।

हमारे पास सुधार-गृह है; परंतु वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे पास घुमंतू जाति के लोगों के लिए भी आवास हैं वृद्धों हेतु भी वृद्ध आश्रम और अन्य आश्रम हैं; परंतु वे सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्हें अनुदान नहीं मिल रहा है। गरीब लोगों के लाभार्थ दिये जाने वाले धन या अनुदान एक भाग ऐसे आश्रमों तथा आवासों के संचालक हथिया लेते हैं; और वे इन्हीं आवासों से धन हथियाते हैं। ये सब बातें हैं। यह सब बुराइयों समाज में हैं। हमें सरकार तथा समाज एक मिला-जुला व्यापक कार्यक्रम बनाना होगा।

अप्रवासी भारतीयों को भी इससे जोड़ा जा सकता है। राजनीतिक दलों को भी संयुक्त कार्यक्रम बनाना हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें अपने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सशक्त बनाना चाहिए। हमें बाल श्रमिकों संबंधी अपने कार्यक्रमों को भी लागू करना चाहिए। यदि हम सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे तो हम भिखमंगों की संख्या कम कर पाएंगे और उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे; और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन दे पायेंगे। आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारी यही प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। अब हमें संगठित होकर यह देखना होगा कि समाज से इन बुराइयों का उन्मूलन हो।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय सभापति जी, मेरा प्राइवेट इन्वेस्टीगेटर्स बिल 11वीं लोक सभा में दूसरी बार लैप्स हो गया। मेरा अनुरोध है कि जितना टाइम है उतने में आप इसे खत्म करा दें। अब केवल 20 मिनट शेष हैं।

सभापति महोदय : आप बैठिये। अभी चार मैम्बर बोलने के लिए हैं। इस बिल का एलॉटिड टाइम समाप्त हो गया है। पांच-दस मिनट में केवल चार सदस्य बोल सकते हैं।

श्री अमर पाल सिंह : मेरे प्रार्थना करने का मतलब यह है कि वह लैप्स न हो जाए।

सभापति महोदय : वह हो जाएगा। हम इस बिल के लिए एक घंटा बढ़ा देते हैं। एक घंटा करने से आपका समय रहेगा।

श्री अमर पाल सिंह : सभापति जी, पौने छः बज जाएंगे। आप केवल आधा घंट बढ़ाओ, आधे-घंटे का समय ज्यादा नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम 45 मिनट तक का समय बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाली सारी बातें इस देश में हैं। इसके मूल को समझने के लिए हमें भारतीय समाज-व्यवस्था को समझना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कोई चीज दूसरे व्यक्ति से भिक्षा के रूप में मांगता है वो उस व्यक्ति का स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। इसलिए भारतीय समाज में एक प्रथा के रूप में कहावत प्रचलित थी कि कौन-कौन से धंधे किस रूप में हो सकते हैं। सबसे उत्तम काम भारतीय समाज में खेती को माना गया था। व्यापार को दूसरे नंबर पर रखा जाता था और नौकरी को बहुत ही रद्दी काम कहा जाता था। भिक्षा के लिए कहा गया है कि इससे थर्ड-क्लॉस कोई काम नहीं है, क्योंकि भिक्षावृत्ति सब कुछ समाप्त कर देती है। मान-मर्यादा, यश सब समाप्त हो जाता है। "उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान"। इसलिए कहा गया है कि भीख किसी भी व्यक्ति को नहीं मांगनी चाहिए। जब कोई भीख मांगता हो तो उसकी मान-मर्यादा, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति का स्वाभिमान समाप्त हो जाता है तो वह कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है कि भीख को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारे यहां कहा गया था कि "आब गया, आदर गया और नैनन गया स्नेह, ये तीनों जबहि गये, तबहि कहा कछु दे"। जब किसी ने भिक्षा के रूप में कुछ ले लिया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो प्रवृत्ति है पता नहीं इसको कैसे रोका जाएगा।

सत्यपाल जैन जी ने कहा कि परिवार को कैसे नियोजित किया जाए और जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे यहां एक बात चली हुई थी कि अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसका स्वर्ग में जाना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई के छेद से निकलना। हमारे यहां उपभोक्तावाद को प्रश्रय नहीं दिया जाता था। आज उपभोक्तावादी संस्कृति पूरे देश में चल रही है। यहां पश्चिमी संस्कृति का संक्रमण हो रहा है। कहां से पैसा मिल सकता है, इसी में हर कोई लगा रहता है। आज हर किसी को किसी न किसी तरह से पैसा चाहिए। यही कारण है कि आज बच्चों से भिक्षा करवायी जाती है। इसका मूल कारण पैसा इकट्ठा करना है। पहले समाज की भलाई का जो काम करता था, वह श्रेष्ठ पुरुष माना जाता था। आज समाज में जो विसंगतियां आ गई हैं, उनको समझना पड़ेगा। जो समाज में अच्छा काम करने वाले होते थे और देश को दिशा देने वाले होते थे, उनको अपने पेट भरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी समाज चिंता करता था। स्नातक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ा करते थे। वे भिक्षा नहीं मांगते थे। वे ज्ञानार्जन करते थे। देश को कैसे सबल, समृद्ध और अच्छी दिशा दी जा सकती है, उनको ब्राह्मण कहा जाता था उनकी चिंता संपूर्ण समाज और राष्ट्र करता था। वे ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की चिंता करते थे। वे देश को अच्छी दिशा देने की चिंता करते थे। देश समृद्ध कैसे बने और दुनिया में देश सबसे अच्छा कैसे बने, वे इसकी चिंता करते थे। आज जिस के मन में आता है, वह गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है और भिक्षा मांगनी शुरू कर देता है। लोग डर के मारे उन्हें भिक्षा भी देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम साधु-महात्मा को दान नहीं देंगे तो हमें पुण्य कैसे प्राप्त होगा ? अगर किसी ने गो-हत्या कर दी तो वह गंगा स्नान के लिए जाता था। वे अपने घर का अनाज नहीं खाते थे। भीख मांग कर अनाज खाते थे। ऐसा सोचा जाता था कि वे ऐसा करके प्रायश्चित कर रहे हैं। उस समय ऐसी प्रवृत्ति थी।

आज आप वृद्ध आश्रम खोलना चाहते हैं। वे इसलिए खोलना चाहते हैं कि कोई भी आज माता-पिता की सेवा और देख-रेख नहीं करना चाहता। आप वृद्धा आश्रम खोल कर वृद्धा पेंशन भी शुरू कर रहे हैं। हमारे यहां एक बात थी "मातृ पितृ देवो भवः"। ऐसा माना जाता था कि माता-पिता देवता होते हैं। श्रवण कुमार अपना राजपाट छोड़कर अपने अंधे माता-पिता को तीर्थ स्थानों में ले गया। आज ऐसी भावना को भारत में तिलांजलि दी जा रही है। माता-पिता अपने बच्चों की शादी करते हैं लेकिन उनके बच्चे शादी के बाद अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं। वे अलग घर में रहने लग जाते हैं। उनकी कोई चिंता नहीं करता। ऐसा कहा जाता था कि पुत्र अपने पैरों पर खड़े होकर माता-पिता की सेवा करेगा, उनको अन्न खिलाएगा, कपड़ा पहनने के लिए देगा और उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आज यह भावना खत्म हो रही है। भिक्षावृत्ति बढ़ने का यह मूल कारण है। इस भावना को फिर स्थापित करना पड़ेगा। आज पैसा ही सब कुछ हो गया है।

सभापति महोदय, समय कम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ अभियान प्रारंभ करना चाहिए। बच्चों के द्वारा जहां-जहां भिक्षावृत्ति करवायी जाती है, उनको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। आज गेरुआ वस्त्र में नाना प्रकार के लोग धार्मिक भयादोहन करके पैसा अर्जित करना चाहते हैं। इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा एक कानून भारत सरकार लाए ताकि ऐसी प्रवृत्ति को रोका जा सके। आपने समय दिया। इसके लिए धन्यवाद।

श्री सुरेश आर० जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, मैं इस भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 1996 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, भिक्षावृत्ति का कार्य कोई नया नहीं है। यह सदियों से इस देश में चला आ रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात को जरूर बताना चाहूंगा कि भिखारी और भिक्षुक में बहुत बड़ा अंतर है।

जिसके पास मजबूरी है और स्वाभिमान नहीं है, उसके लिए भिक्षा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे देश में श्रीराम के बच्चे लव और कुश भिक्षा प्राप्ति के बाद ही धनुर्विद्या सीख पाये। अपना बल बढ़ाने के लिए ही उन्होंने भिक्षा मांगी। लेकिन उस जमाने और आज के समय की भिक्षावृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम भारत की आजादी की 50वीं स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में भिक्षावृत्ति क्यों पैदा हुई ? यह हर दिन लाखों की तादाद में बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्यों ? इस पर हमें सोच समझकर विचार करना चाहिए। मैं बेबसी इसका मुख्य कारण मानता हूं। हमारे देश की संस्कृति, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता और आज की पालिटिक्स भी जिम्मेदार है।

सभापति महोदय, हमने आजादी तो प्राप्त कर ली लेकिन इस देश के गरीब लोगों के लिये कुछ नहीं किया। यहां यह कहा गया कि हम भिखारी को छोड़ देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं लेकिन मानवता के आधार पर सोचा जाये तो मालूम होगा कि ये लोग कैसे रहते हैं ? इसका अनुभव कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि यदि रात में बिजली चली जाये तो हम रात में बिना फैन लगाये सो नहीं सकते, हमें नींद नहीं आती क्योंकि ए० सी० नहीं चलता।

लेकिन ये बेचारे भिखारी लोग सड़कों, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों और बस स्टैण्डों पर गुजर करते हैं। न उनके पास बिजली होती है और न उनके पास टॉयलेट की सुविधा होती है, न उनके लिए पानी की सुविधा होती है और न ही उनके पास कपड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारे देश में अमीर लोग गाड़ी लेकर घूमते हैं जिसमें एक कुत्ता होता है और उस कुत्ते पर अमीर लोग बहुत खर्च करते हैं। हम सत्ता हासिल करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, मानवता की बात करते हैं, ह्यूमेनिटी की बात करते हैं। लेकिन जब भिखारी भीख मांगने के लिए आता है तो उसे ठुकरा दें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भिखारी बनते रहें, लेकिन भिखारी क्यों बनते हैं यह इस सदन और इस सरकार को सोचना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि भिखारी को मत मिटाओ, भिखारी प्रवृत्ति को मिटाओ। गरीबों को मत मिटाओ, गरीबी को मिटाओ और जो भिक्षावृत्ति है, जिससे भिखारी बनते हैं, वे मजबूरी में बनते हैं। उसमें हर एक किस्म के भिखारी होते हैं। मेरे मित्र ने बाल श्रवण का उदाहरण दिया। उस पर मेरा कहना यह है कि आज की इस शताब्दी में हमारे यहां कितने बाल श्रवण हैं। हमारे मां-बाप जो हमें जन्म देते हैं। मां हमें नौ महीने पेट में पालकर हमें पैदा करती है। उसके बाद हम बड़े होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और बड़े होते हैं तो हमारा ब्याह होता है। उसके बाद हम अपने मां-बाप को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं। हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। हमारे संस्कारों की अधोगति हो रही है, हम अपने संस्कारों को खो रहे हैं। कहां बाल श्रवण और कहां हम। सभापति महोदय, ऐसे निर्बल लोगों के लिए वृद्ध आश्रम बनाने की जरूरत है, मैं इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि जो प्रवृत्तियां हमारी बढ़ गई हैं कि जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, नौकरी या खेती करते हैं, तो अपने बूढ़े मां-बाप को भूल जाते हैं, उनका पालन-पोषण नहीं करते हैं। बेचारे बूढ़े मां-बाप कहां जायेंगे। पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार आई तो उसने अपने मेनीफेस्टो में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आये तो जो मजबूर और बूढ़े लोग हैं उनके लिए हर एक जिले में हम वृद्ध आश्रम बढ़ायेंगे और उसमें ऐसे लोगों का अच्छा पालन-पोषण करेंगे। जो वादा उन्होंने किया था, उस वादे के मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा सरकार ने हर जिले में एक करोड़ रुपये की लागत से वृद्ध आश्रम बनवाया और जो सेवा घर में नहीं हो सकती वह सेवा आज उनको वृद्ध आश्रम में मिल रही है। यह सबक पूरे देश को लेना चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसमें सरकार का दायित्व अधिक है। जो बेबस और मजबूर लोग हैं और कई अमानवीय तत्व जो गुनहगार हैं, जो उनकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर किसी का हाथ तोड़कर, किसी की आंख फोड़कर जो उनको भिखारी बनाते हैं, ऐसी प्रवृत्ति जो आज हमारे समाज में बढ़ रही है उसके खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश आर० जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, मैं एक और मुद्दा बताना चाहता हूं। मैं स्वयं पार्लियामेंट्री गुडविल डेलीगेशन में चीन, सिंगापुर, थाइलैंड और नॉर्थ कोरिया गया था। स्पीकर साहब के साथ मैं भी था। नॉर्थ कोरिया हमारे हिंदुस्तान से पिछड़ा हुआ है। मैंने पूरे नॉर्थ कोरिया में घूमकर देखा लेकिन मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। एक भी मोटा आदमी मुझे नहीं मिला जो हराम का खाता है, फूल जाता है, ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला। न सिंगापुर में और न कोरिया में, मुझे कहीं एक भिखारी भी देखने को नहीं मिला। हमारी बढ़ती हुई आबादी इसके पीछे कारण हो सकता है, इसलिए हमें जनसंख्या पर भी नियंत्रण लगाना जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। धर्म के नाम पर किसी को आबादी बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यदि हम आबादी रोकने में कामयाब नहीं हुए तो देश में भिखारी बढ़ते जाएंगे, फिर हम सदन में चाहे जो बोलें, कागजों में कितनी भी योजनाएं बनाएं, हमें सफलता नहीं मिलेगी। जब तक भिखारी कम नहीं होंगे, भिक्षावृत्ति समाप्त नहीं होगी—यही मूलभूत सवाल हमारे सामने है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति मिटाने के लिए हमें कुछ कारगर उपाय करने होंगे। जैसा अभी यहां एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, हमें उनके रहने का इंतजाम करना होगा, उनके लिए रोटी और मकान का इंतजाम करना होगा, उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी होंगी क्योंकि कोई भी इंसान या ह्यूमन-बींग उसी समय भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होता है, जब उसके सामने आजीविका का कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता अन्यथा कोई इंसान अपना स्वाभिमान छोड़ना नहीं चाहता—ऐसा कोई इंसान धरती पर पैदा नहीं हुआ।

अंत में, मैं यही विनती करुंगा कि जब इस वर्ष हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, हमारे देश में जो लाखों भिखारी हैं,

[श्री सुरेश आर० जाधव]

उनकी भूख मिटाने के लिए, भिक्षावृत्ति को मिटाने के लिए, हम कुछ कारगर उपाय करें, कुछ ठोस कदम उठाएं। इन शब्दों के साथ, समय देने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) : महोदय, मैं श्री सुब्बारामी रेड्डी का इतना महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं। प्राचीन काल में भीख मांगने को नीच कार्य नहीं समझा जाता था; अपितु उसके साथ कुछ आदर का भाव जुड़ा हुआ था। लोग दान देते थे और स्वयं को धन्य समझते थे। परंतु समय बीतने के साथ यह एक धन्धा बन गया और अब यह एक सामाजिक बुराई का रूप धारण कर चुका है।

भारत की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है 95 करोड़, व्यवस्था के लिए अप्रबंधकीय बनती जा रही है और इसमें से पैंतीस प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है। अतः ऐसी स्थिति में गरीबी से ग्रस्त लोगों के लिए भीख मांगना एक स्वाभाविक परिणाम है। फिर उसके कारण शहरी सभ्यता तथा आधुनिक कारखानों ने गांव और गृह उद्योगों को बर्बाद कर दिया है और इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है जिसके परिणामस्वरूप भीख मांगने के वर्तमान आयाम में वृद्धि हुई है। फिर कहना चाहिए कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग भी आधे भिखारी ही होते हैं। क्योंकि वे सुबह का भोजन लेते हैं और शाम के बारे में मात्र सोचते ही रह जाते हैं, चूंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता है।

सरकार भिखारियों को लाभदायक रोजगार दिलाकर उन का पुनर्वास करने की बात करती है, परंतु असल में वह ऐसा नहीं करती है। कोई भी, अपनी इच्छा से भीख नहीं मांगता अपितु यह तो उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है जो उसे भीख मांगने पर मजबूर करती है। सरकार को निचले स्तर पर प्रत्येक घर की पहचान करनी चाहिए और कम से कम गरीब लोगों को निर्वाह भत्ता देना चाहिए। अर्थात् कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए।

देखा गया है कि बच्चों का पहले अपहरण कर लिया जाता है और फिर शैतान व्यक्ति उन्हें विकलांग बनाकर उन्हें भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत दण्ड दिया जाना चाहिए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों के बारे में तथा उन बच्चों को विकलांग बनाने के ढंग के बारे में पुलिस को कुछ जानकारी नहीं होती।

अपराह्न 5.00 बजे

भिखारियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने हेतु भिक्षावृत्ति के लिए बनाये गये वर्तमान कानून असफल हो गए हैं। 1990 में संसद को सूचित किया गया था कि नई दिल्ली में केवल 10,000 भिखारी थे लेकिन वास्तविक आंकड़ा 50,000 के आसपास था।

भिखारी केवल भारत में ही नहीं हैं लेकिन यू० के० और स्पेन जैसे उन्नत देशों में भी हैं। आर्थिक बाध्यता गरीब को भीख मांगने का मुख्य कारण है। इसलिए, जब तक समान रूप से आकर्षक और प्रतिष्ठापूर्ण विकल्प उपलब्ध नहीं किया जाता, भिक्षावृत्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता।

महोदय, भारत में भिखारी सामान्यतया धार्मिक स्थानों पर पाए जाते हैं, यह बड़ा विचित्र सा दिखाई देता है। अतः मेरा सुझाव है कि केन्द्र और राज्य सरकारें पूरे देश में भिखारियों का व्यापक सर्वेक्षण करें और भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त साधन अपनाएं अर्थात् भिखारियों को रोजगार सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भिक्षुगृह (बैगर्स होम) होने चाहिए।

महोदय, भिक्षावृत्ति मनुष्य के गौरव और सम्मान को कम करती है। मैं महसूस करता हूं कि भिखारी स्वयं में एक वर्ग है जो कि सभ्य समाज से अलग रहता है और सामाजिक व्यवहार से रहित है।

अतः हमारी स्वतंत्रता के इस 50वें वर्ष में अर्थात् हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में सरकार को इस देश से भिक्षावृत्ति हमेशा के लिए समाप्त करने की शपथ लेनी चाहिए।

अपराह्न 5.02 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर भिक्षावृत्ति एक अपराध है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई लोग मजबूरी में भिक्षावृत्ति करते हैं। जैसे मैं भी आपसे कई बार समय का निवेदन करता हूं, तो वह भी एक प्रकार से भिक्षावृत्ति है। इसी प्रकार से कई लोग मजबूरी में भिक्षावृत्ति करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि भिक्षावृत्ति लोग क्यों करते हैं, भिक्षावृत्ति के लिए लोग मजबूर क्यों होते हैं, इसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय आपको खोज करनी चाहिए। यदि कोई भिक्षावृत्ति करने पर मजबूर हो ही गया है, तो उसका क्या उपचार होना चाहिए, इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप भिक्षावृत्ति रोकने वाले मंत्री हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कई लोग मजबूरी में लड़के-लड़कियों को पकड़ लेते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं और उनसे जो आमदनी होती है, उसका शाम को उनसे हिसाब लेकर अपना व्यवसाय जैसा चलाते हैं।

मान्यवर, भिक्षावृत्ति देश में सभी स्थानों में है। यहां दिल्ली में कनाट प्लेस में भी है और जयपुर शहर में, हवा महल आदि सभी स्थानों में देखने को मिल जाएगी। आप इसको रोकें, इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जयपुर में एक एस० ओ० नामक संस्था है जिनको जर्मनी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है। वहां पर बच्चों को बड़े आराम से रखते हैं और 25-25 बच्चों को एक-एक भवन में रखते हैं और उन भवनों के नाम देश के महापुरुषों के नाम पर, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी और मीराबाई आदि के नाम पर रखे

हैं। 25 बच्चों के पीछे एक माता होती है जो उन्हें बाजार घुमाने ले जाती है, खरीददारी करवाने ले जाती है।

बच्चा जो भोजन करना चाहता है, वह उन 25 बच्चों के भोजन का इंतजाम करती है। इस प्रकार से जयपुर शहर में एक एस॰ ओ॰ नाम की संस्था चांदपुर श्मशान के बाहर बनी हुई है। वह जर्मनी द्वारा एडेड है। बाकी और भी लोग इसकी मदद करना चाहें, तो उसमें मदद कर सकते हैं। मंत्री जी आपको शायद ध्यान होगा कि जनेऊ हो जाने के बाद जब सर पर बाल नहीं रहते तब यह कहा जाता था कि जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। जनेऊ संस्कार के बाद जो सारा कार्यक्रम होता था, वह भी एक प्रकार से भिक्षावृत्ति को रोकने का कार्यक्रम था ताकि बच्चा किसी प्रकार की गलत आदत में न पड़ जाये। यहां मुझे यह कहना है कि राज्य सरकार वृद्ध आश्रम खोले। जयपुर शहर में कुछ आश्रम खुले हुए हैं। वहां पर सरकार कुष्ठ रोगियों की मदद करती है। वृद्ध आश्रम भी वृंदावन में खुले हुए हैं। वृंदावन में उन वृद्धों को सरकार ने छोटी-छोटी दुकानें दी हुई हैं जिससे कि वे अपनी जीविका चला सकें। वे लोग वहां पर अपना घर-बार त्याग कर चले आते हैं। अगर परिवार के लोग उनसे मिलना चाहें तो वे वहां आकर उनसे मिल सकते हैं। इस प्रकार से वृद्ध आश्रम वृंदावन में बने हुए हैं।

मेरा मतलब यह है कि आखिरकार इन सब बातों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि जो भिक्षा मांगते हैं उनको पकड़कर वहां पर रखे और वहां उनके रहने खाने-पीने और काम करने की ट्रेनिंग दे। इसके अलावा केन्द्र सरकार विकेन्द्रीकरण के नाम पर राज्यों में इसी प्रकार के सैंटर्स खोले और वहां भी बच्चों को रहने, खाने-पीने और काम में लगाने का काम करे तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इस भिक्षावृत्ति को, जो कि देश के लिए घोर अपराध है और जैसा कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि देश की 50वीं वर्षगांठ हम इस 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम संकल्प भी कर लेंगे और केन्द्र सरकार यदि इस प्रकार के सैंटर्स खोल दे तो भिक्षावृत्ति रोकने के ठीक उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा लगेगा कि भारत सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इस प्रकार के कोई प्रयास मेरी जानकारी के आधार पर नहीं किये हैं। सरकार इस भिक्षावृत्ति को रोकने में सफल हो और कम से कम भिक्षावृत्ति हो तो सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से इन सब बातों पर ध्यान देंगे। वास्तव में भिक्षावृत्ति एक घोर अपराध है। मैं इस बिल को लाने वाले माननीय सदस्य का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कोई न कोई ठोस उपाए करेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कठेरिया जी, आप सिर्फ दो मिनट बोलिये क्योंकि मैं चाहता हूं कि श्री अमर पाल सिंह जी का बिल भी आज आ जाये।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं ही नहीं।

श्री अमर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिक्र मत कीजिए। यह हो जायेगा।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जो बिल लाये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी की 50वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि 50 साल के बाद भी कितने ही कानून बने, विधान सभा में बने और बनते जा रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से उनका कार्यान्वयन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। भिक्षावृत्ति कानून से नहीं रुकेगी। लाठी डण्डों से नहीं रुकेगी, धर-पकड़ से नहीं रुकेगी। यह भिक्षावृत्ति आत्मचिंतन से रुकेगी और मैं समझता हूं कि जितनी भी पोलिटिकल पार्टिया हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम लोगों को 2 लाख 60 हजार मतदाताओं ने चुनकर भेजा है। हमें अपने व्यक्तित्व के प्रति इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किसके बीच में कह रहे हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आत्मचिंतन के बगैर मैं समझता हूं कि किसी बात में हम सफल नहीं हो पाएंगे। आज आत्मचिंतन सिर्फ एक बात का हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल पर बोलिये।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं भिक्षावृत्ति पर ही आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप घुमा-फिराकर कहेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। आप सीधे उसी पर जाइये।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आत्मचिंतन के प्रति कुछ नहीं हो पाया। आज पोलिटिकल पार्टियों में आत्मचिंतन सिर्फ एक बात का है कि जिस प्रांत में हमारी सरकार नहीं है वहां हम अपना झंडा कैसे बुलंद करें। इस बात का आत्मचिंतन हो रहा है। मैं बड़े आत्मबल के साथ कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों ने जनसंख्या की बात कही है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके लिए भी आत्मचिंतन नहीं हो रहा है। शिक्षा के अभाव में जनसंख्या बढ़ रही है। यदि सही प्रकार से देश के नागरिकों को शिक्षा दी जाती तो जिस प्रकार से हम कहते हैं—"हम दो हमारे दो", वैसे ही सभी सोचते। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, क्या आपने उनके लिए कभी शिक्षा की व्यवस्था की। आज तक शिक्षा के प्रति मौलिक अधिकार लोगों को नहीं मिल पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पढ़ा-लिखा नौजवान, गरीब किसान, मजदूर जो है, उसको शिक्षा नहीं है। इसलिए जनसंख्या की पीड़ा बढ़ती जा रही है।

अभी अपहरण की बात कही गई। हिन्दुस्तान में ऐसे तमाम गिरोह हैं जो छोटे-छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। उनके हाथ, पैर तोड़ देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं और फिर भिक्षा मंगवाते हैं। इसके लिए कौन

[श्री प्रभु दयाल कठेरिया]

जिम्मेदार है ? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि यदि समूचे देश में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था आती है तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन कौन आत्मचिंतन कर रहा है। कितने लोगों को सजा मिली ? हिन्दुस्तान में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पकड़े जाने के बाद भिक्षा मांग रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो मिनट बोलने के लिए कहा था। दो मिनट का मतलब दो मिनट है। अब आप कनक्लूड की कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : ठीक है, मैं आपकी बात का पालन करूंगा।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे भाषण से कोई लाभ नहीं हो सकता। जब तक सरकार आत्मचिंतन नहीं करेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, हम चुनकर आते हैं, यदि हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो कानून और डंडे, गोली से समाज, राष्ट्र कभी नहीं सुधर सकता। हम सुधर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि पूरे देश, राष्ट्र समाज, प्रदेश, गांव, गली के लोग सुधर जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भिखारी पेशे का ताल्लुक है, यह समाज में बहुत बड़ी बुराई है। इससे हमारे पूरे समाज के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। समाज के छोटे-छोटे बच्चे किडनैप कर लिये जाते हैं। उसके बाद वे लोग जो भिखारी का पेशा करते हैं, उन बच्चों के हाथ पैर तोड़कर या उन्हें अंधा करने के बाद उनसे भीख मंगवाकर पैसा कमाते हैं। यह देश आज 50 साला गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है। इस मौके पर सरकार को इस बात का इंतजाम करना चाहिए, कोई ऐसा सर्वे करवाना चाहिए जिससे पूरे हिन्दुस्तान में इसे तलाश और देखा जाए कि इस देश में ऐसे लोगों की कितनी तादाद है जो इस काम को करते हैं। उसमें भी तमाम कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पेशे के तौर पर कुछ लोगों से भीख मंगवा रहे हैं और खुद अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई अपाहिज हैं। उनकी मदद करना जरूरी है। सरकार उनकी किस तरह मदद करे, हम कैसे मदद करें। पहले हर शक्स को अपने आपको सुधारना होगा। जब तक हम अपने आपको नहीं सुधारेंगे समाज नहीं सुधर पाएगा। इसलिए समाज में जिस तरह से और बुराइयां हैं उसी तरह से भिखारी का पेशा भी बहुत बड़ी बुराई है। यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक का टीका है, इस समाज के ऊपर धब्बा है। इसलिए इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, उनकी तालीम की व्यवस्था बहुत जरूरी है कि समाज से इस किस्म की बुराई दूर की जाए। इसकी सबसे बड़ी जड़ देश में तालीम की कमी है। इसी वजह से हमारी नस्लें बिगड़ती जा रही हैं।

इन अल्फास के साथ मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह इस सिलसिले में पूरे हिन्दुस्तान में सर्वे करवाए और इसका अलग से एक डिपार्टमैंट कायम कराया जाए। इसका भी बहुत मामूली सा बजट है। बहरहाल इस पर सरकार सर्वे करवाकर कोई हल तलाश करे कि इस बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है और इस भिखमंगी के पेशे को कैसे खत्म किया जा सकता है।

इन्हीं लफ्जों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सहयोगी डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी ने भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक 1996 पेश किया है और सरकार को कड़े उपाय अपनाने का आग्रह किया है।

महोदय, मैं इस सदन के उन सभी माननीय सहयोगियों और माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है। प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस बुराई पर गहरी चिंता व्यक्त की है जो कि भारतीय समाज पर एक कलंक है।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में निम्नलिखित दो अथवा तीन मुद्दों पर कार्यवाही करने की बात कही इस विधेयक को स्वीकार करते हुए सरकार भिखारियों के लिए एक निधि की स्थापना करे, कि राज्य अधिनियम के अनुसार प्राप्तकर्ता केन्द्रों की स्थापना की जाए और भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई जाए। वह यह भी चाहते थे कि भिखारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और वृद्ध, निर्बल और निराश्रित व्यक्तियों को घर भी दिए जाएं।

विभिन्न माननीय सदस्यों के विचारों को तन्मयता से सुनने के पश्चात् मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस मुद्दे के दो अलग-अलग भागों पर जोर दिया गया था। लगभग प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि भिक्षावृत्ति एक कलंक है और इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए, उसे रोका जाना चाहिए तथा इसका निराकरण किया जाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता जो भाषण दे रहा था उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सचेत अथवा सचेत रूप से उन बच्चों के दुरुपयोग पर मुख्य रूप से चिंता व्यक्त की है जिन्हें कुछ गिरोहों और माफिया इत्यादि द्वारा भिक्षा मांगने के लिए प्रयोग किया जाता है।

महोदय, अब मैं मदवार इन बातों पर आना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभा इस सरकार को इस कलंक अथवा भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न किए जाने की स्थिति में कभी नहीं पाएगा। यह प्रथम मुद्दा है। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा था कि एक कानून अथवा एक विधान भिक्षावृत्ति को समाप्त नहीं कर सकता। हमें उन युगों पुराने पारम्परिक कारणों को देखना होगा जिसके कारण भिक्षावृत्ति इस देश में पाई जाती है।

अधिकांशत: हम हिन्दू समाज के लोग हैं और हमारी हिन्दू परम्परा ने प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात पैदा कर दी है कि भीख देने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और इससे हमारे अगले जन्म अथवा अगले

जीवन में हमारी अधिकांश मांगों की पूर्ति होगी।

केवल यही नहीं है कि भिखारी भीख देने वालों को ढूढ़ते हैं परंतु भीख देने वाले भी भिखारियों को ढूंढ़ते हैं। ज्योतिष, धार्मिक शिक्षाओं और वर्षों पुरानी अलिखित परम्पराओं में लोग कहते हैं कि भीख देना जीवन का एक भाग होना चाहिए। अतः, मैं क्या कह सकता हूं ? मैं केवल एक बात ही कह सकता हूं। श्री सतपाल जैन और बहन भगवती देवी ने भी यही उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

मैं तो यही कह सकता हूं कि धर्म के नाम पर दान देना किसी तरह अधर्म हो जाए तो शायद बैगरी रुक जाए। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अब क्या हो रहा है ? बच्चों का भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ? यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इस व्यवसाय में पूर्ति लगातार होती रहेगी। अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि भीख मांगने वाले बच्चों को शाम तक कुछ नहीं मिलेगा तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अतः महान् धार्मिक शिक्षक देशवासियों को यह कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को भिक्षावृत्ति में लगाने से वास्तव में आप उन बच्चों के हत्यारे बन गए हैं ?

[हिन्दी]

इसीलिए मैं कहता हूं जो बच्चा सड़क पर बैठा है, दान देने वाले को यह पता नहीं कि वह उसके कत्ल का जिम्मेदार है। उसकी आंखें क्यों निकालते हैं, उसका बाजू क्यों तोड़ते हैं, उसको यातनाएं क्यों दी जाती हैं, क्योंकि यातनाओं की जिंदगी, नेत्रहीनता, विकलांगता इस चीज को आकर्षित करती है, जो गैंग, माफिया लीडर्स की कमाई है। यह धार्मिक नेताओं को कौन बताएगा, ये जो बड़े-बड़े मठों के शंकराचार्य हैं, हम तो इस मैदान के बहुत छोटे व्यक्ति हैं, वही कर सकते हैं।

[अनुवाद]

भिक्षावृत्ति एक कारण है। भिक्षावृत्ति का दूसरा कारण अथवा मूल आधार गरीबी है। परिवार के परिवार भीख मांग रहे हैं।

प्रत्येक सदस्य ने जनसंख्या विस्फोट के विषय पर कुछ-न-कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट देश की उन्नति को प्रभावित कर रहा है। परंतु क्या मैं यह कह सकता हूं कि हम सभी अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से संबंधित हैं ? महोदय, मैं आपके माध्यम से हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहता हूं कि राष्ट्र ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि जनसंख्या एक राष्ट्रीय मुद्दा है आप इस बारे में शुरुआत करें तथा सभा की अगवानी करें।

इसे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में स्वीकार करें। गरीबी क्यों है ? यह अधिक जनसंख्या के कारण है। अधिक जनसंख्या क्यों है ? क्योंकि लोग साक्षर नहीं हैं। साक्षरता क्यों नहीं है ? क्योंकि संसाधन नहीं हैं। अतः यह भिक्षावृत्ति का मूल कारण है। जैसाकि अपने ठीक ही कहा है कि कानून द्वारा भिक्षावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। भा॰ जा॰ पा॰ के एक माननीय सदस्य ने कहा कि विधान द्वारा भिक्षावृत्ति को नहीं रोका जा सकता क्योंकि विधान कानून लागू करने वाले अभिकरण को केवल शक्ति दे सकता है। विधान के द्वारा खाली पेट को नहीं भरा जा सकता। अब तक, 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्यों के अपने भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम बनाए हैं। शायद आप यह जानकर खुश होंगे कि पूर्वोत्तर के सात राज्यों में भिक्षावृत्ति की समस्या नहीं है। उन्होंने मंत्रालय को यह सूचना भेजी है। अतः इन सात राज्यों का कहना है कि अखिल भारतीय स्तर पर इन्हें इस प्रकार के किसी विधान की आवश्यकता नहीं है।

क्या मैं इस सभा को दिल दहला देने वाली बात कह सकता हूं ? शायद मेरे माननीय मित्रों के लिए यह एक नई जानकारी होगी कि संविधान में राज्य सूची, केन्द्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों में भिक्षावृत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। केवल भगवान जानता है कि ऐसा क्यों है...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। 1977 में इस सभा के लिए निर्वाचित हुआ था। और तब, मैं एक अथवा दो बार नहीं आ सका था। परंतु आप यहां हमेशा आए हैं। आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह मेरी आदत है कि मैं कुछ भी नहीं छुपाता।

श्री हन्नान मोल्लाह : अगर इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है तो केन्द्र सरकार को इस बारे में शुरुआत करनी चाहिए. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कंक्लूड करने के बाद पूछिएगा।

(व्यवधान)

श्री बी॰ एस॰ रामूवालिया : मैं भी तो इंटरवीन ही कर रहा हूं। गलती होगी तो बता देंगे। . . . *(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि हमने क्या कदम उठाए हैं, मैं आपको बता दूं कि वह सैन्ट्रल सब्जैक्ट था और दूसरी पंचवर्षीय योजना तक था। बैगरी प्रीवेंशन भारत सरकार की स्कीम्स थी। आप नेशन को रिप्रेजेन्ट करते हैं लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद यह फैसला कर दिया कि ये योजनाएं राज्य सरकारें रन करेंगी, सेंटर रन नहीं करेगा। जो स्टेट बैगरी के बारे में स्कीम्स रन करते हैं, हम उनको सहायता देते हैं। हमारा काम स्कीम्स देना है। रीहैबिलिटिशन, एजूकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग ये चार चीजें हम देते हैं। फिर जितनी देर तक हम उनको पास रखें हमें भिखारियों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। जहां तक चाइल्ड बैगरी का सवाल है। उस सवाल पर हमारा सीधा-सीधा फैसला है।

[श्री बलवंत सिंह रामूवालिया]

[अनुवाद]

ज्योंहि कोई बच्चा भिक्षावृत्ति करते पाया जाये उसे हिरासत में ले लिया जाये और उसे किसी न्यायालय के समक्ष पेश न करके बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए।

[हिन्दी]

उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसको जुवीनाइल होम में भेजा जाता है या उसको ऑब्जर्वर सेंटर में भेजा जाता है। उसके बाद उसको प्रोपर केअर, प्रोटेक्शन मिलती है और उसको रीहैबिलिटेट किया जाता है। पहले हम ऐसी स्कीमों पर पचास प्रतिशत धनराशि देते थे। पचास प्रतिशत धनराशि जो हमसे लेते हैं, वे स्कीमें हैं :

[अनुवाद]

"बाल सामाजिक समायोजन का निवारण और नियंत्रण के लिए"।

[हिन्दी]

सोशल मालएडजस्टमेंट रोकने के लिए ऐसे केन्द्र भारत में 600 हैं। अब हमने एक नई स्कीम दी है और वह है :

[अनुवाद]

भिखारियों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

आपको खुशी होगी कि भारत सरकार ने ऐसी स्कीम्स जो स्टेट लागू करेंगे, उसके लिए सौ प्रतिशत ही सहायता हमने देने के लिए ऑफर की है लेकिन यहां यह बात बता दूं कि हमें इन कामों के लिए ऑफर ही बहुत कम आते हैं कि हमें सहायता दो। वह स्टेट्स की जिम्मेदारी है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप स्कीम्स भेज दीजिए, शत-प्रतिशत अनुदान मिलेगा।...*(व्यवधान)*

डॉ॰ रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : जब नई स्कीम चलाएंगे, तो ऑफर आयेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्कीम क्या है, इसको आप सांसदों में भी सर्कूलेट कर दें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आपने हुक्म दिया है, सर्कूलेट कर देंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे दोस्तों ने कहा कि पैसे सौ में बीस है। हम पैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेने के लिए कोई नहीं आता है। हमने इस दफा ज्यादा पैसा नहीं रखा है। होम्स-फॉर-दी-ओल्ड-एज के बारे में भी कहा गया है। बुजुर्ग भी भीख मांगते हैं। समाज में यह बदकिस्मती की बात है। मां-बाप के प्रति हमारा जो फर्ज़ है, जैसा कि गीता और ग्रंथों में बताया गया है, वह आहिस्ता-आहिस्ता पश्चिमी प्रभाव से और फिल्मों के प्रभाव से बदल गया है। अब वह भावना नहीं रही है। हम इस पर भी जोर दे रहे हैं और वृद्ध आश्रम के लिए भी हमारे पास राशि है। लेकिन उसके लिए भी उतनी डिमान्ड नहीं आ रही है। जितने केसेज आते हैं, जो ठीक होते हैं, उन पर विचार करते हैं। लेकिन इसमें भी यह है कि गेरुआ रंग डालकर जो साधु बन जाते हैं, वे असल साधु की छवि का भी सत्यानाश कर देते हैं। हम यह समझते हैं, एनजीओज यानि जो स्वयं सेवी अच्छी संस्थाएं हैं, उन पर विचार करें, लेकिन उनमें भी गेरुआ रंग डालकर पैसे लेने वाले हैं। उनकी भी देख-परख करते हैं और कई दफा बात नहीं बनती है। मिनिस्ट्रीज के पास ऐसे बहुत से केसेज हैं।

हमारे एक मित्र ने कहा कि बड़ी-बड़ी पोस्ट से जो रिटायर होते हैं, जिनको बच्चे छोड़ जाते हैं, यदि उनको वृद्ध आश्रम में रखेंगे, तो उनको कुछ धनराशि की आमदनी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार इस बात से भी अवगत है। हमने दिल्ली में और कई जगहों पर पेमेंट देकर जो वृद्ध वृद्ध-आश्रम में आते हैं, उस राशि में अपनी ओर से भी राशि डालकर बढ़िया रहने का प्रबंध, जैसे एसी, फुल न्युट्रिशियन खाना और अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो गाड़ियां उपलब्ध हैं, जो उनको अस्पताल ले कर जाती है। यदि उनको पेंशन लेने के लिए जाना है, तो पेंशन लेने के लिए गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी में आएंगे। कुछ स्थानों पर ऐसा किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बैगर्स की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैगर्स रुके हैं।

डॉ॰ रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : रिटायर्ड ऑफिसर भी क्या भीख मांगते हैं ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं यह नहीं कह रहा हूं। जो वृद्ध आश्रम का पाइंट उठाया गया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे बैग्री करेंगे। लेकिन जिनके पास साधन नहीं है। उनके लिए हमने जगह-जगह वृद्ध आश्रम के लिए लिब्रल नीति बनाई है। वह नीति यह है कि बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग किराए पर ले लें और किराया हम दे देंगे। बजाय इसके कि 15 लाख की बिल्डिंग बनायें, किराया हम दें देंगे। वृद्ध वहां रहता है और भीख मांगने का खतरा नहीं होता है।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : योजना आप भिजवा दीजिए। सांसद कोष से भी वृद्ध आश्रम बन सकता है। सबके पास भिजवा दीजिए, तो अच्छा रहेगा।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : उन्होंने अभी फरमाया है, मैं भिजवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर विचार 5.25 बजे समाप्त हो जाना था। इस विधेयक का समय दस मिनट और बढ़ा देते हैं, सदन की इजाजत से और इसको कनक्लूड कर देते हैं।

(व्यवधान)

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इसमें अभी बातें कर रहे हैं। लेजिस्लेशन कोई सोल्यूशन नहीं, लेजिस्लेशन पहले है, उसमें कोई कमी नहीं। इकोनोमिक डेवलपमेंट, सोशल अवेयरनैस, सोशल डेवलपमेंट एंड प्रोविजन ऑफ स्किल, ये चार-पांच चीजें हम जरूरतमंद लोगों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का डिटरमिनेशन है। हम उस स्किल में लगेंगे। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र से, अगर वह हाजिर होते तो यही कहता कि अपना बिल वापस ले लें। अब मैं इस हाउस से कहता हूं कि यह जो बिल उन्होंने पेश किया उसके पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने पूरे प्रावधान किए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी सदन में उपस्थित नहीं है। अतः मैं यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि भिक्षावृत्ति का उत्सादन करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.37 बजे

[हिन्दी]

गैर सरकारी अन्वेषक विधेयक*

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गैर सरकारी अन्वेषकों का अनुज्ञापन करने और उनमें कतिपय शक्तियां निहित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, हमारे देश में बेतहाशा अपहरण और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं आपके सम्मुख एक उदाहरण रखना चाहता हूं। हमारे देश में 1953 में 9802 हत्याओं के केस थे और 1992 तक ये हत्याओं के केस प्रतिवर्ष बढ़ कर एक वर्ष में 40,105 हो गए। अपहरण तो हमारे देश का एक बड़ा उद्योगधंधा बन गया है और यह औद्योगीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा बन कर खड़ा हो गया है। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल गया है और देश के विकास में भ्रष्टाचार एक दीवार बन कर खड़ा हो गया है। मैं इस सब को समाप्त करने के लिए एक ऐसे प्राइवेट डिटैक्टिव का प्रस्ताव करता हूं जिसमें अपराधियों का कोई स्थान न रहे, उसके लिए मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। किसी भी डिटैक्टिव की एजेंसी को स्वीकृति देने से पहले उसमें कोई संभावना अपराधी तत्वों की न हो। सर्वप्रथम उसके सदस्यों की उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच करना आवश्यक है।

महोदय, अब सवाल यह उठता है कि इस प्राइवेट डिटैक्टिव की आज हमारे देश में जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं अपराध लेता हूं। पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण और जिला न्यायालय तक बहुत अधिक भ्रष्टाचार होने के कारण दोषियों को सजा नहीं मिलती और निर्दोष लोगों का उत्पीड़न हो जाता है। राजनैतिक और प्रशासनिक लेवल पर अपराधियों को संरक्षण मिलता है, जिसके कारण सजा मिलने में बाधा पड़ती है। इसलिए इस प्राइवेट डिटैक्टिव की आवश्यकता पड़ी। अब प्राइवेट डिटैक्टिव का सिस्टम कैसा हो। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश में ये जो अपराधियों का, राजनीतिज्ञों का और प्रशासनिक अधिकारियों का गठजोड़ है, इसे समाप्त करने के लिए यह बड़ा अनिवार्य हो गया है। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि भी बहुत अधिक हो गई है और संसाधनों के अभाव में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में पुलिस-बल में वृद्धि नहीं हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज भर्ती है और उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसके घर वाले बिना समय खोये उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और उचित इलाज मिलने की वजह से उसके बचने के मौके बढ़ जाते हैं। पुलिस में मोनोपोली है और मोनोपोली के कारण भ्रष्टाचार है। मान लो कि किसी व्यक्ति का पुलिस से विश्वास उठ गया क्योंकि वह उसे न्याय नहीं दिलवा पा रही है तो वह कहां जाएगा। प्राइवेट डिटेक्टिव हो तो वह वहां जा सकता है। सी० आर० पी० सी० में पहले से ही 200 से 204 तक प्राइवेटवाद का प्रावधान है। नागरिक सीधे जज के सामने केस दायर कर सकता है, लेकिन विवेचना एक तकनीकी कार्य है। यही कारण है कि नागरिक लोग इस सुविधा का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव की आवश्यकता है। इसमें इतना जरूर मैं चाहता हूं कि प्राइवेट डिटेक्टिव का उपयोग वादी करे, सरकारी संस्थाएं करें, अर्ध-सरकार संस्थाएं करें लेकिन कोई अभियुक्त न करे। अगर वह करेगा तो अपराध बढ़ने की संभावना रहेगी। इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिस तरह से पुलिस की चार्जशीट को मान्यता है, उसी तरह से न्यायालय प्राइवेट डिटेक्टिव की चार्जशीट को भी मान्यता है। मैं यह कहता हूं कि जो गिरफ्तारी के अधिकार हैं या केस के पंजीकरण का अधिकार है वह केवल पुलिस को हो। अगर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव इसमें इन्वोल्व है और वह अदालत में चार्जशीट लगाता है तो अदालत उसकी चार्जशीट पर संज्ञान ले, वारंट जारी हो और पुलिस के द्वारा अभियुक्त को पकड़वाया जा सके।

दूसरा मेरा कहना यह है कि श्री रिबेरो को 40 साल का अनुभव

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री अमर पाल सिंह]

हो गया है। वे पंजाब और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। उन्होंने अभी हाल में कहा है कि भारत में प्राइवेट डिटेक्टिव की बहुत अधिक आवश्यकता है। इंग्लैंड के स्कॉटलैंड यार्ड में प्राइवेट डिटेक्टिव लागू हुआ तो पुलिस में इतना सुधार आया है कि वहां की पुलिस कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करती, चाहे कानून का उल्लंघन करने वाला कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। वह सभी स्तर के लोगों को न्याय दिलवाने का प्रयास करती है, चाहे व्यक्ति का स्तर कितना ही कम क्यों न हो। मैंने अपने इस विधेयक में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव किया है। इस व्यवसाय में आने वाले व्यक्ति के लिए व्यावसायिक योग्यता शासकीय स्तर पर ही निर्धारित करने का प्रावधान किया है। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करने का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी इसका उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 1989 से बोफोर्स की जांच सी॰ बी॰ आई॰ कर रही है। मुंबई बम-ब्लास्ट की जांच भी सी॰ बी॰ आई॰ कर रही है। छः हजार केस उसके पास पेंडिंग हैं। बोफोर्स में सी॰ बी॰ आई॰ कुछ नहीं कर पाई है। मुंबई ब्लास्ट में अभी तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में जब सी॰ बी॰ आई॰, जैसे अन्वेषक दल का यह हाल है तो राज्यों में विवेचना दलों का क्या हाल होगा ? माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको और माननीय सदस्यों को भी इसका अनुभव है। मैं यह मान कर चलता हूं कि हमारे देश में स्कॉटलैंड की तरह का प्राइवेट डिटैक्टिव सिस्टम लागू होने के बाद व्यवस्था में परिवर्तन आएगा और अपराधियों को सजा मिलेगी और निर्दोषों पर होने वाला उत्पीड़न रुकेगा।

अब मैं भ्रष्टाचार के संबंध में दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। हमारा देश आज डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का सदस्य है। बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने निजी प्राइवेट डिटेक्टिव नियुक्त किए हुए हैं जो उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस डिटेक्टिव का उपयोग अपने पेटेंट के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए करती हैं। वे कंपनी के मैनेजमैंट द्वारा कंपनी के धन का दुरुपयोग रोकने में भी मदद करती हैं। कंपनी में बनने वाले उत्पाद की उत्पादन लागत कम करने में भी इस प्राइवेट डिटेक्टिव का उपयोग होता है। इसलिए भारत में प्राइवेट डिटेक्टिव प्रणाली आवश्यक हो गई है। जिस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मैनेजमैंट पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए अपने डिटेक्टिव का उपयोग करती है, उसी तरह केन्द्र तथा राज्य सरकारें भी अपने फंड का प्रशासन द्वारा दुरुपयोग रोकने हेतु प्राइवेट डिटेक्टिव का सहयोग ले सकेंगी। जिला योजना व जे॰ आर॰ वाई॰ में जो समस्त पैसा भारत सरकार द्वारा राज्यों को जाता है उसमें मात्र 30 प्रतिशत धन का उपयोग होता है। 70 प्रतिशत धन की फर्जी मस्टरोल व एम॰ बी॰ भर कर दुरुपयोग हो रहा है। प्राइवेट डिटेक्टिव के सहयोग से भारत सरकार अपने इस धन के दुरुपयोग को रोक सकेगी। उदाहरण के तौर पर मैं उत्तर प्रदेश के संबंध में कहना चाहता हूं। वहां 75 जिले हैं। अगर पांच जिलों का चयन लाटरी द्वारा करके उसे प्राइवेट डिटेक्टिव को दे दिया जाए यह पता करने के लिए कि इनमें कितना धन का दुरुपयोग हुआ, वास्तव में कितना काम हुआ है, फर्जी मस्टरोल कितना भरा है और फर्जी मैनेजमैंट बुक कितनी भरी है ? हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव पर भरोसा न करें। हम पांच जिलों में से दो जिलों का फिर लाटरी के द्वारा चयन कर लें और उसे दूसरी प्राइवेट डिटेक्टिव को दे दें। इससे हमें दो जिलों की रिपोर्ट एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलेगी और पांच जिलों की रिपोर्ट दूसरी प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलेगी। इससे दो जिलों की रिपोर्ट अलग-अलग डिटेक्टिव से मिल जाएगी। चूंकि जिलों का चयन लाटरी द्वारा होगा। जिले पांच चैक करवाएं लेकिन भय होगा 75 के 75 कलैक्टरों को कि कहीं आने वाले समय में उनके जिले की लाटरी न खुल जाए। इससे बहुत बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा।

जहां तक कार्य प्रणाली का संबंध है। मैं समझता हूं कि इनको गुणवत्ता अच्छी रखनी अनिवार्य होगी। जिस तरह अच्छे डॉक्टर की प्रसिद्धि उसके मरीज करते हैं और उसकी साख उसके मरीज बनाते हैं। इसी प्रकार प्राइवेट डिटेक्टिव की साख जनता को न्याय दिलाने पर ही निर्भर करेगी। अगर भिन्न-भिन्न डिटेक्टिव होंगे तो उनमें कम्पीटिशन स्पिरिट पैदा होगी। ऐसे में विश्वसनीयता के बाजार में वह अपनी साख बना पाएंगे और इससे उनकी गुणवत्ता और कार्य क्षमता उत्तम होगी। इसलिए कार्य प्रणाली में सुधार करना उनकी अनिवार्यता होगी।

मैं यहां पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस कार्य क्षेत्रों के कुछ भागों में पूर्व से ही निजीकरण हो चुका है जैसे प्राइवेट सुरक्षा गार्ड देना। जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है तो इसमें उनको डिटेक्टिव के अधिकार देने में क्या आपत्ति है। प्रस्तावित प्रणाली में जहां एक ओर नागरिकों को अपनी सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उपयोग करने का वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर इन अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए उचित व्यवस्था का प्रावधान विधेयक में किया गया है।

इस व्यवस्था को लागू करने के बाद निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी, निर्दोष लोगों का उत्पीड़न बचेगा। पुलिस तथा जिला स्तर के न्यायालयों में भ्रष्टाचार में कमी आयेगी और जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनका पर्दाफाश हो जायेगा। इससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मैं यह मानकर चलता हूं कि इस व्यवस्था की सेवा महंगी जरूर होगी। भारत में इस व्यवस्था के द्वारा न्याय प्राप्त करने की क्षमता सिर्फ 10 प्रतिशत जनता में ही आर्थिक कारणों से है लेकिन यह एक व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होगी तथा 90 प्रतिशत लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी क्योंकि हर वक्त पुलिस को भय बना रहेगा कि इस केस में किसी भी स्तर पर कहीं कोई प्राइवेट डिटैक्टिव एजेंसी न आ जाये। इस व्यवस्था के स्कॉटलैंड में लागू होने के वहां की पुलिस में इतना अधिक सुधार आया है कि आज वहां की पुलिस की क्षमता का पूरे संसार के सामने एक उदाहरण है। वहां की पुलिस कानून के साथ कोई समझौता नहीं करती। कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति किसी भी स्तर का क्यों न हो तथा प्रत्येक नागरिक के दुख में उसके उत्पीड़न में उसे न्याय देने के लिये पूरा मदद करती है चाहे व्यक्ति का स्तर कितना भी निम्न क्यों न हो। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के माननीय मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्ट अधिकारियों

की जांच प्राइवेट गुप्तचरों से कराने की घोषणा की है। इससे पूरे दिल्ली प्रशासन में हड़कम्प मचा हुआ है। अभी 10वीं लोकसभा में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त वोहरा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें विस्तार से राजनीतिज्ञों और अधिकारियों का माफिया गिरोहों से संबंध होने के प्रमाण उजागर किये गये थे। इस प्रणाली के लागू होने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आयेगी। हमारे देश का भारी मात्रा में रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। प्राइवेट डिटैक्टिव से अनुबंध करके सारा रुपया भारत में लाया जा सकता है तथा जिन लोगों का पैसा बाहर है, वह उजागर होगा, उसका भी पर्दाफाश किया जा सकता है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में, अपराध में कमी आयेगी क्योंकि आज किसी व्यवस्था परिवर्तन से ही भ्रष्टाचार और अपराध में अंकुश लगाया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करके ऐसा करना संभव नहीं है। अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करायें और सरकार पर दबाव दें कि ऐसी व्यवस्था लागू हो ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार और अपराधों से निबटने के लिए यह सुरक्षा एजेंसी बहुत सहायक सिद्ध होगी। मैं सबसे पहले कह चुका हूं कि अपराधियों का इस पर कब्जा न हो सके, इसलिए इसकी अनुमति से पूर्व अनेक सदस्यों की उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच होना आवश्यक है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि गैर सरकारी अन्वेषकों का अनुज्ञापन करने और उनमें कतिपय शक्तियां निहित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो॰ रासा सिंह रावत। वे हर विषय में निपुण हैं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री अमरपाल सिंह जी ने गैर-सरकारी अन्वेषक विधेयक, 1996 प्रस्तुत किया है, उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज के युग में जब राजनीति पर अपराधीकरण और अपराधों पर राजनीतिकरण तेजी से होता चला जा रहा है और भ्रष्टाचार का शिष्टाचार सारे देश के रग-रग में व्याप्त हो रहा है, ऐसे समय में पुलिस के अन्वेषण विभाग से अधिक कार्य के कारण कार्य भार आ गया है। वे अन्वेषण करना चाहें, जांच करना चाहें या खोज करना चाहें तो उन सब कामों में उलझे रहते हैं या किसी दूसरी समस्या की घटाघोप छाया रहती है। परिणामस्वरूप वह अपेक्षित कार्य नहीं कर पाती है।

अपराधियों का पता नहीं लग पाता, सही अन्वेषण नहीं हो पाता, सही लोगों को सज़ा नहीं मिल पाती और परिणामस्वरूप समाज के अंदर भ्रष्टाचार की अमरबेल दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है और इसलिए इन्होंने एक नई विचारधारा प्रदान की है कि प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, उदारीकरण का जमाना है, भूमंडलीकरण का जमाना है और सब जगह डीलाइसेसिंग और डीपरमिटिंग का मामला चल रहा है तो फिर क्यों न इस डिटेक्शन और इन्वेस्टीगेशन के क्षेत्र में अपराधियों का पता लगाने के क्षेत्र में और इनका अन्वेषण करने के क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन का द्वार खोल दिया है ताकि सरकारी एजेंसी सरकारी ढंग से काम करेगी। आपने अभी एक उदाहरण दिया जैसे सरकारी चिकित्सालय के अंदर कोई रोगी भर्ती है और बहुत प्रयास करने के बावजूद डॉक्टरों के द्वारा अच्छी औषधि और अच्छी सुविधाएं देने के बावजूद भी वह रोगी उस मर्ज से मुक्ति नहीं पाता है। परिणामस्वरूप घर वाले परेशान होकर किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहां पर प्राइवेट नर्सिंग होम चले जाते हैं और वहां जाकर भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है लेकिन व्यक्ति को यह अनुभव हो कि खर्चा हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कई बार रोगी को आराम भी हो जाता है। इसकी परिचर्या अच्छी होती है। देखभाल अच्छी होती है। इसी प्रकार से सरकार के जो प्रोसीक्यूटर तथा इन्वेस्टीगेटर होते हैं, ये दोनों तरफ कुछ न कुछ करते हैं। चोर को कहेंगे कि घुस, कुत्ते को कहेंगे कि घुस। यह कहावत है कि चोर को कहेंगे कि प्रवेश करो और सावधान रहने वालों से कहो कि तुम ऐसा करो और इसके बाद हर पक्ष से कहेंगे कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा हो रहा है और दूसरे पक्ष को कहेंगे कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो दोनों तरफ से पैसा ऐंठने के बाद वह मामला इतना उलझा दिया जाता है कि जैसे हाथी का पांव अगर कीचड़ के अंदर कहीं फंस जाये और जैसे-जैसे वह निकलने की कोशिश करे वैसे-वैसे हाथी फंसता चला जाता है। सभापति महोदय, इसी प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दोषारोपण के अंदर ऐसा फंसता चला जाता है कि जितना वह छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करता है उतना ही और भी फंसता चला जाता है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट इन्वेस्टीगेटर सर्विसेस की सेवाएं उपलब्ध हों लेकिन उसमें इतनी साधन-सम्पन्नता हो, उसके पास इतनी सामर्थ्य हो तो उस प्राइवेट इन्वेस्टीगेटर की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे आपने अभी कहा कि वह लाइसेंस शुदा व्यक्ति या लाइसेंस शुदा संस्था होगी और वे प्रामाणिक व्यक्ति होंगे, उनकी योग्यता निर्धारित होगी। उनको भी नियंत्रित करने के लिए सरकार का महानिदेशक स्तर का अधिकारी होगा। उनके नीचे कई डी॰ आई॰ डी॰ अलग-अलग जोनवाइज होंगे और उनके लिए अलग-अलग स्थान निश्चित होंगे और किस प्रकार की कोटि का अपराध है और किस प्रकार के इन्वेस्टीगेटर को दिया जा सकता है, वहां उनकी योग्यता निर्धारित होगी। लेकिन आजकल यह होता है कि जिन-जिन चीजों पर सरकार का हाथ लग जाता है, वे सारी चीजें घाटे में चली जाती हैं जैसे हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं। वे सारे के सारे घाटे में हैं। उदाहरण के लिए एन॰ टी॰ सी॰ या राज्य विद्युत मंडल, ये सरकारी उपक्रम हैं और यह घाटे में चल रहे हैं। सरकारी रोडवेज को ले लें। जिन-जिन राज्यों में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, वे सारे घाटे में चल रहे हैं और दूसरी तरफ बिड़ला, टाटा या सोमानी के संस्थान होते हैं, वे लोग उन्हीं से लाभ कमाते रहते हैं। तो जब वे कमाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि प्राइवेट व्यक्ति अच्छा कंट्रोल, अच्छा अनुशासन, अच्छा कार्य और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से सरकारी इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसीज है जैसे सी॰ बी॰ आई॰ या सी॰ आई॰ डी॰, अगर उनके पैरलल कोई इस प्रकार का संस्थान बन जाये और

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

ऐसे प्राइवेट व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जायें और वे अगर जांच पड़ताल करने लग जायें, उनको ऐसा अधिकार प्राप्त हो जाए तो एक कम्पीटिशन की भावना पैदा होगी। अभी तो पुलिस ज्यादा से ज्यादा पहले जांच पड़ताल करती है और जब पुलिस से हमें संतोष नहीं होता है तो चलो सी॰ बी॰ आई॰, से जांच करा लो और उससे भी कुछ नहीं होता है तो फिर हरि ओम तत्सत्, चुप रहकर बैठ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर यह पैरलल व्यवस्था निजी क्षेत्र की लागू हो गई और इसमें प्रामाणिक और विश्वसनीय व्यक्ति आ गये तो मैं समझता हूं कि पुलिस का कार्यभार भी हलका होगा।

इससे जहां अपराधियों का पता लगाने की सुगमता रहेगी, वहीं अपराधों की खोज और उनके निस्तारण के लिए एक सहज और सुलभ एडवाइजरी बीड़ी या इन्वेस्टीगेटिंग बीड़ी या इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी भी बन जाएगी जिससे समाज में भ्रष्टाचार भी कम होगा, भ्रष्टाचार में लगे अपराधियों की संख्या भी घट जाएगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष जी, 6.00 बज गए हैं। रावत साहब नैक्स्ट टाइम कंटीन्यू करें, अब हाउस को एडजॉर्न कीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप नैक्स्ट टाइम कंटीन्यू करिए।

[अनुवाद]

अपराह्न 6.00 बजे

अब सभा सोमवार, 11 अगस्त, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 11 अगस्त, 1997/20 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।